(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 28वां दिवस [संख्या : 19

सोमवार

23 जुलाई, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

नगरपरिषदों/पालिकाओं में चुंगी कर

477. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में सभी नगरपरिषदों/पालिकाओं में चुंगी कर अनिवार्य कर है और इसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 व इसके अधीन बने राजस्थान नगरपालिका चुंगी नियम, 1962 में यथेष्ठ प्रावधान है जिससे कि चुंगी की राशि वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं आती ?

(2) यदि हां, तो क्या कोई चुंगी अधिकारी या निरीक्षक किसी भी प्रतिष्ठान व व्यापारी से हिसाब कागजात अवलोकन करने व सामान की तलाशी और जब्त करने हेतु अधिकृत है ?

(3) यदि नहीं, तो चुंगीकर के भारी रिसाव को रोकने हेतु राज्य सरकार आयातकर्ता के हिसाब बहियें देखने, सूचना मांगने व खर्च करने और अवैध रूप से आयातित माल को जब्त करने के अधिकार देने का विचार रखती है ताकि पालिकाएं प्रभावी रूप से कर वसूली कर भारी रिसाव को रोक कर अपनी स्थिति ठीक कर सकें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां।

(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 137 के अन्तर्गत चुंगी की वसूली करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को ऐसे किसी वाहन जिसके द्वारा चुंगी देय सामान नगरपालिका की सीमा में बिना चुंगी दिये लाया जा रहा हो, को जब्त करने का अधिकार है। व्यापारी से हिसाब तथा कागजात का अवलोकन व निरीक्षण करने का अधिकार भी उक्त अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत निहित है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड दो के उत्तर में कहा कि धारा 137 के तहत जब्त करने और धारा 130 के तहत निरीक्षण करने का अधिकार है। तो दुकान, गोदाम, फैक्टरी परिसर में सामान आयात कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या चुंगी निरीक्षक या

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अधिशासी अधिकारी दुकान में जाकर सामान जब्त कर सकते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपको किन धाराओं के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है, यह मैं पढ़ देता हूं। आपकी समझ में आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो चीज कानून में लिखी हुई है वह आप यहां पढ़कर सुनाएंगे, वहीं पढ़ लेते।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि किसी प्रतिष्ठान या व्यापारी से हिसाब, कागजात का अवलोकन करने व सामान की तलाशी और जब्त करने का अधिकार है क्या ? इन्होंने प्रतिष्ठान का कोई हवाला नहीं दिया सिर्फ यह कहा है कि चुंगी नाका, तो 137 में भी यही है और 130 में भी यही है चुंगी नाके से प्रतिष्ठान की दुकान तक ही सीज और निरीक्षण करने का अधिकार है। दुकान के अन्दर ले जाने के बाद क्या अधिकार है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, क्या पाली जिले में अलग-अलग नगरपालिकाओं में चुंगी कर की वसूली का मापदण्ड एक ही है या अलग-अलग है ? दूसरा, क्या मंत्री महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं के द्वारा जो चुंगी ली जा रही है उसको ठेके पर देने का विचार कर रहे हैं क्योंकि नाना प्रकार के भ्रष्टाचार इसमें हो रहे हैं। इसलिए इसके बारे में ठेके पर देने का निर्णय करने का विचार है या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न किया है, यह विचारणीय है। वैसे इससे तो कोई सम्बन्ध है नहीं। आप बैठ कर बताइये अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो कर देंगे। आप समझते हैं कि ठेका देने से लाभ होगा तो ठेका भी दे सकते हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में चुंगी की दरों में बहुत असमानता है। जैसलमेर में चुंगी की दरें 4 प्रतिशत है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है जो बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। जोधपुर जैसी जगह पर एक प्रतिशत चुंगी की दर है। तो या तो चुंगी की दर तोल पर निर्धारित की जाय या पर्सेन्टेज में समानता लाई जाय। चार प्रतिशत चुंगी की दर कई वर्ष से चली आ रही है। इससे जैसलमेर में व्यापारियों को नुकसान होता है और चुंगी की चोरी को भी प्रोत्साहन मिलता है। राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करें।

श्री मिश्रीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्व निरीक्षक चुंगी का माल चोरी करने वालों को रास्ते में पकड़ सकते हैं या जब्त कर सकते हैं परन्तु चोरी से माल ले जाकर गोदाम में धर देते हैं उसके बारे में क्लियर करें कि राजस्व निरीक्षक अन्दर घुस करके उसकी जांच करके वसूली कर सकते हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चुंगी की दरों में समानता तथा वसूली की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए एक माथुर कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट क्या आ गई ? क्या सरकार उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के बारे में सोच रही है या नहीं ?

दूसरा, मंत्री जी ने खुद कहा था कि 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चुंगी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आपने खुद ने जो अखबार वालों को, प्रेस वालों को कहा कि चुंगी प्रणाली से भ्रष्टाचार होता है। उसकी जगह कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था चालू की जाएगी। क्या राज्य सरकार प्रदेश में चुंगी प्रणाली समाप्त करने की सोचती है या नहीं ?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, क्या बी.जे.पी. ने चुनाव घोषणा पत्र में चुंगी कर को समाप्त कर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो चुंगी कर हटाने के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तौल पर और मोल पर दो तरह की चुंगी वसूल की जाती है, उनको समान रूप से वसूल करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को एक ही सप्लीमेंटरी करने का अधिकार है, दो नहीं। माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विभिन्न अवसरों पर माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है और स्वीकार किया है, ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन में गये, और कई जगह गये और वहां कहा कि इस चुंगी में भारी घोटाला है और बहुत बड़ा रिसाव हो रहा है और यह अनुभव करते हैं कि नगरपालिकाओं को आय इससे बिल्कुल नहीं होती और चुंगी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बी.जे.पी. के घोषणा पत्र में भी चुंगी समाप्ति की घोषणा की हुई है। क्या इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज ही कोई घोषणा करने का विचार रखते हैं ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जे.के. टायर कम्पनी में पहले कैश पर चुंगी लगती थी उसको हटा कर तौल पर कर दी जिससे नगरपालिका को कोई दो करोड़ का नुकसान बताते हैं यह कैसे हुआ ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं में जो सोने और चांदी दो आइटम हैं उनकी कितनी चुंगी ली जाती है ? तकरीबन इनकी चुंगी की चोरी होती है। इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को चुंगी प्रणाली समाप्त करने के निर्देश दिये हैं ? दूसरा, भारत में कौन-कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिनमें चुंगी प्रणाली नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, एक सप्लीमेंटरी पूछने का अधिकार है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यू.पी. में चुंगी की जगह क्या एन्ट्री-टैक्स लगता है ?

(4)

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा): मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि आपने घोषणा की है कि जो चुंगी टैक्स लगता है वह हटा दिया जाएगा ?

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं को आमदनी का एक मात्र सोर्स चुंगी है ? क्या चुंगी को आप पूरे राजस्थान में समान रूप से लगाने का विचार करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी जो सवाल किये है वे नीति सम्बन्धी है। इस बारे में मैं इतना ही अर्ज करूंगा आपसे कि यह नगरपालिकाओं में जो चुंगी लगती है उनके दरें समान है, उनका सरलीकरण क्या हो, या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो ? इस सम्बन्ध में जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है कि एक समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष श्री मथुरादास माथुर है। इसके सामने यह प्रश्न विचाराधीन है। यह विषय उस कमेटी के पास है। मेरा विश्वास है कि जल्दी ही इसमें कोई निर्णय होगा. जो जनहित में होगा। जहां तक मेरी घोषणाओं का सवाल है। मैंने अखबारों में और न ही कहीं ऐसी घोषणायें की है और न ही किसी कमेटी में की है। मेरा घोषणाओं से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। घोषणायें हो चाहे न हो, मैं खुद भी इसको अनुभव करता हूं। जैसा कि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आज नगरपालिका को अधिकांश आय इससे होती है। अगर इसको समाप्त कर दे तो कोई न कोई मजबूत व्यवस्था तो ऐसी करनी होगी ताकि नगरपालिकायें अपने बलबूते पर खड़ी हो जाए। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : आपने यह कहा था कि हम इसको समाप्त कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा था क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री जी आपने 14 अप्रेल को अखबार वालों को हमारे सामने कहा था कि हम चुंगी प्रणाली को समाप्त कर देंगे। आपने अखबार वालों को कहा था कि हम चुंगी समाप्त कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय श्री फूलचन्द जी। आप बोलिये ना दूसरा सवाल। आप सुनना नहीं चाहते हो। सुनना चाहते तो बीच में खड़े नहीं होते। सुनना नहीं-नहीं चाहते तो क्या जवाब दिलवाऊं। यहां सुनना है तो चुपचाप सुनिये। आप देखिये बीच में खड़े होंगे तो जवाब नहीं मिलेगा।

श्री देवेन्द्र सिंह : वह तो जवाब दे रहे थे, आपने बीच में ही....

श्री अध्यक्ष : वह तो दे ही रहे थे, मगर आप सुनना नहीं चाहते। आपकी तरफ से श्री रतनाराम जी खड़े हो गये। आप खड़े हो गये, आप भी खड़े हो गये।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ तो जवाब दिलवायें। लेकिन सुन लिया और बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : एट दी कोस्ट ऑफ अदर्स माननीय सदस्य आप सवाल पूछते है। जवाब आता है बीच में खड़े होकर पांच-पांच आदमी एक साथ बोलने लगते है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूछना चाहते है, उसका जवाब नहीं आये तो....।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आज एक प्रश्न हुआ है। दस मिनट हो गये। मुझे दूसरे सवाल और लेने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसकी परिणति यही होगी कि कोई मतलब हीं नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : मतलब कैसे होगा। जब तक आप सिस्टम से नहीं चलेंगे। हाऊस को व्यवस्था से चलाने दे फिर जवाब आयेंगा। आप सुनना नहीं चाहेंगे तो.... ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे बीच में एक भी खड़ा हो गया तो देन आई बिल स्टॉप। आप बिराजिये। हां, बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले ही निवेदन किया गया कि यह विषय सरकार के सामने विचाराधीन है और इसके लिए मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि एक कमेटी गठित की हुई है। सरकार यह विचार करती है कि निश्चित रूप से इसमें कोई समानता हो। कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी मिल जाए जिससे नगरपालिकायें चल सकें, उनकी स्थिति ठीक रहे तो चुंगी लगाना कोई बहुत बड़ा आग्रह नहीं है लेकिन अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं कर पाये है और निश्चित रूप से इस पर कमेटी के निर्णय के बाद में उसकी जो सिफारिश होगी और आप लोग सुझाव देगे तो इस पर विचार करेंगे। जो भी हल होगा वह निकालेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार प्रयत्नशील है। कोई इसमें मनाही नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : कब तक ?

श्री अध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे है ? कमेटी की रिपोर्ट आयेगी। कब तक रिपोर्ट आयेगी, कब तक रिपोर्ट आयेगी, इसका पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज दस साल से कमेटी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह मैं ही पूछ लेता। इसके लिए भाषण की क्या जरूरत है ? आप बिराजिये। आपको समय दिया है क्या ? कब तक रिपोर्ट आयेगी कमेटी की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें समिति की जो सिफारिश होगी, उस पर विचार कर के निर्णय करेंगे। मान्यवर, ऐसी आप क्या बात करते हैं ? आप खुद मंत्री रहे है। समिति का जो अधिकार है, उसका जो उपयोग है, वहीं होगा। अधिक-कमती कैसा होगा इसमें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फूलचन्दजी वर्मा।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम फूलचन्द गुर्जर है....।

श्री अध्यक्ष : वर्मा ही होते हैं गुर्जर। अच्छा जाने दीजिये आप।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : आप करेक्शन करवा दीजिये साहब.... ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा-अच्छा।

श्री सम्पत सिंह : कहां तक करेक्शन करवाये अंग्रेजी में या हिन्दी में ?

स्थानीय विद्युत समितियां

478. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत अधिनियम के तहत स्थानीय समितियां गठन करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इनका गठन कब-कब किया गया तथा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी बैठकें हुई ? विगत दो वर्षों की बैठकों की तिथि व गठन की तिथि सदन की मेज पर रखें।

(2) अधिकाधिक जनहित में सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता व विद्युत बोर्ड की दूरी को कम कर आपसी तालमेल बैठाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की नयी नीति व व्यवस्था क्या है और क्या यह गरीब कृषक व उपभोक्ता के हित में है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) जी हां, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1947 की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार दिनांक 25.8.1973 को अधिसूचना जारी कर के दो वर्ष के लिए प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 26.7.74, 25.3.77 व 3.12.79 को जारी की गई अधिसूचनाओं के द्वारा इस समितियों का पुर्नगठन किया गया। बैठकों की संख्या का विवरण संलग्न है। अंतिम आदेश दिनांक 3.12.79 द्वारा गठित समिति का 2 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 2.12.1981 को समाप्त हो गया था, जिसके पश्चात् इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। चूंकि दिनांक 3.12.1981 से यह समितियां विद्यमान ही नहीं है। अतः गत दो वर्षों में इनकी कोई बैठक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) विद्युत उपभोक्ता एवं विद्युत मण्डल की दूरी को कम करने तथा आपसी तालमेल बिठाने हेतु मण्डल द्वारा उप खण्ड, खण्ड व वृत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसमें संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अन्य विभाग के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये हैं।

(3) कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु जारी की गई नई नीति के अनुसार अब कृषि कनेक्शन वरीयता (प्राथमिकता) के अनुसार, बिना किसी विशेष श्रेणी के लिए अलग से प्राथमिकता के दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो पहले जो सवाल का जवाब दिया

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

है, उसमें स्थानीय समितियां है, जिनका जो उत्तर आया है वह सभी जिलों में नहीं है। मेरे पास जो सूचना है वह केवल नौ जिलों की है। लेकिन क्या मंत्री महोदय, जो सभी जिलों में गठित नहीं की गई है, उनका क्या कारण था? दूसरा यह है कि, इनका कार्यकाल....। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में पूछना। आप चाहें तो दो बार में सप्लीमेंट्री कर लें या एक साथ ही आप चाहें तो कर लें। एक बार में एक ही।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा एक मुख्य सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : यही मैं कह रहा हूं कि एक सप्लीमेण्ट्री पूछ लीजिये आप। दूसरा पहले पूछना चाहते है तो दुबारा मौका नहीं मिलेगा। या दुबारा पूछ लीजिये, जवाब आने के बाद में। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : मेरे पास में जो सूचना उपलब्ध है वह केवल नौ ही जिलों की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बाकी के जिलों में मीटिंग ही नहीं हुई है इसलिए सूचना भी इतनी ही है।

श्री रतनाराम चौधरी : समितियों का गठन ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब तो आ जाने दीजिये। (व्यवधान) देखिए माननीय श्री रतनाराम जी यह बीच में बिना पूछे कमेन्टरी करना ठीक नहीं है। प्लीज आप शांति रखिये।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से ही....

श्री अध्यक्ष : आप मेरी आज्ञा नहीं लेते है। आप मेरे सिर के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं तो पहले उनको पूछ लेने दो, मैं आज्ञा दे ही रहा हूं सब को।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया मंत्री महोदय द्वारा कि 2.12.81 से इसका कार्यकाल ही समाप्त हो गया। तो क्या दुबारा इसका कार्यकाल बढ़ाया जायेगा या इसका गठन किया जावेगा या इसको समाप्ति किया जायेगा? मेरा जो मुख्य सवाल है इस प्रश्न को पूछने का वह यही है कि क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि 19.7.90 को नये कनेक्शन देने की नई नीति की घोषणा की गई है, वह नीति क्या है? इसको विस्तार से बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने पूछा है कि पहले कमेटीज कितनी थी और क्या उसके बाद कमेटी कान्स्टीट्यूट नहीं की गई? तो 1981 के बाद से जिस समय जो तत्कालीन मंत्री थी। उन्होंने कहा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : तत्कालीन मंत्री कौन थी?

(8)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह श्रीमती कमला थीं। उन्होंने 1981 में फाइल पर यह लिखा कि अब मैं इस कमेटी को कॉन्स्टीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि इसमें न तो लोग आते हैं न कोई इससे विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए 1981 के बाद उन्होंने कॉन्स्टीट्यूट करना ड्रोप कर दिया। हमने पुन: कमेटीज को कॉन्स्टीट्यूट किया है। सभी लेबल के ऊपर और उसमें एम. पी. है, विधायक है, पंचायत समिति के प्रधान है, जिला कृषि अधिकारी है और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेबल पर भी एवं ब्लॉक लेवल पर भी है। इसके जो आर. एस. ई. बी. का जो सर्किल है उस सर्किल लेबल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और यहां पर स्टेट लेबल पर भी।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने एक और पूछा है, कि नई गाइड लाइन्स आपकी क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नई गाइड लाइन यही है बाकी डिटेल में तो मैं अभी देख नहीं पाई हूं। लेकिन गाइड लाइन यही है कि प्राथमिकता के आधार की सारी श्रेणियां खत्म कर दी गई हैं। पहले कई केटेगरीज थीं, विकलांग की भी थीं, ग्रीन फोडर वालों की थीं, ग्रीन कार्ड वालों की भी थीं, एस. सी. की, एस. टी. की, फौजी की तो इन सबको समाप्त करके केवल एक केटेगरी कर दी है। वह केटेगरी की है। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जिसने दरखास्त दी है वह पहले पायेगा और जिसने बाद में दरखास्त दी है वह बाद में पायेगा। यह नई नीति है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) ; माननीय मन्त्री जी ने नई नीति जो बताई उसमें एक सवाल है कि जिन लोगों के पैसे डिमाण्ड नोट के जरिये जमा हैं। जैसा कि बताया कि बाइस हजार लोगों के पैसे आपके बोर्ड में जमा है, जिन्होंने 'एल' फार्म लगा दिया। तो आपने जो नई नीति बनाई है, उसका इस पर क्या असर होने वाला है ? क्या आप उनको उसी प्राथमिकता से कनेक्शन देंगे ? जिस तरह उनके 'एल' फार्म लगे हुये हैं। जिस तरह से उनके पैसे जमा हुये हैं या कोई अलग से नीति बना रहे हैं ? क्योंकि उनको तो कनेक्शन देना ही है आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुकी हूं और आज फिर सदन में जानकारी देना चाहती हूं कि जिन लोगों ने डिमाण्ड नोट निकलने के बाद में सिक्यूरिटी जमा करवा दी है उनको तो कनेक्शन हमें देना ही है और उसके बाद में प्राथमिकता के आधार पर।

एक माननीय सदस्य : उन पर यह नीति लागू थोड़े ही होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, उनके ऊपर यह नीति लागू नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर, हो गया ठीक है, आ गया जवाब। चलिये। माननीय गोविन्द सिंह जी गुर्जर, जवाब आ गया, आपका बाकी रह गया क्या कोई ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो पच्चीस हजार कनेक्शन्स एक साल में देने का टारगेट आपने तय किया है उसमें करीब बाईस-तेईस हजार तो पहले से कमिटेड है, तो आप क्या केवल तीन हजार कनेक्शन्स ही देंगे इस साल ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, तीन हजार ही जरूरी नहीं है। यह बात जब हमारे नोटिस में आई है तो हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि हम कितने कनेक्शन्स दें। इतने तो देंगे ही देंगे, बाकी इसे कितना बढ़ायें, इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, इसमें संतुष्ट हैं। आप पूछिए, देवेन्द्र सिंहजी।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय मन्त्री महोदय,....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये. देवेन्द्र सिंह जी पूछ रहे हैं। अब हो गया है। अब एक पूछ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल के चेयरमैन ने ऐसी घोषणा की है कि जो व्यक्ति सारी बिजली का खर्चा, खम्भों का खर्चा जमा करा देगा तो उसको ओवरराईडिंग प्रायर्टी मिलेगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रायोरिटी उस तरीके से मिलेगी। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे टेलीफोन विभाग में ओ. वाई. टी. स्कीम है कि अपना खर्चा स्वयं करो, टेलीफोन आउट ऑफ प्रायोरिटी भी ले लो, उसी तरीके से एक स्कीम इस प्राथमिकता के साथ ही यह भी है कि यदि आप अपना पूरा खर्चा करने को तैयार हैं तो आपको बिना प्राथमिकता के भी कनेक्शन मिल सकता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं, एक लीडिंग क्वेश्चन और है....

तारांकित प्रश्न संख्या 479 (कृपया आगे देखें।)

माननीय श्रीमती रमा पायलट (अनुपस्थित)

माननीय श्री उम्मेद सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री उम्मेद सिंह।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है श्रीमती रमा पायलट के साथ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, गोविन्द सिंह जी है। माननीय श्री गोविन्द सिंह।

सेन्ट पाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में अनियमिततायें

480. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर स्थित सेन्टपॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षाओं से सम्ब-

(10)

(श्रीमती रमा पायलेट)

न्धित अनियमितताओं की शिकायत पर विद्यालय का रिकार्ड विगत 5-6 माह पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा जब्त किया गया था ?

(2) क्या उक्त रिकार्ड की जांच में यह पाया गया कि कई विद्यार्थियों को, जो अनुत्तीर्ण थे, रिकार्ड में हेरा-फेरी कर उत्तीर्ण कर दिया गया ?

(3) क्या यह जांच रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) जी हां। अजमेर स्थित सैन्टपॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा परिणामों से सम्बन्धित अनियमितताओं की शिकायत पर उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर द्वारा जांच के सम्बन्ध में संस्था का रिकार्ड प्राप्त किया गया है।

(2) जांच के आधार पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने व टी. सी. देने आदि की अनियमितताएं पाई गई हैं।

(3) जी नहीं। जांच अभी चल रही है। संस्था को निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राजस्थान शिक्षण संस्थाएं अनुदान नियम, 1963 के नियम 10 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस अनुदान बन्द करने हेतु जारी किया गया है। निर्णय होना अभी शेष है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मन्त्री महोदय से जांच रिपोर्ट जो मैंने मांगी है, आप देखेंगे कि प्रश्न के भाग संख्या 3 में मैंने पूछा है कि अगर जांच नहीं रोकी गई तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। भाग संख्या 2 में मन्त्री महोदय ने बताया कि जांच के आधार पर अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया है, यह जांच तो पूरी हो गई। अब जो आप कार्यवाही कर रहे हैं वह जांच पूरी होने के बाद अग्रेत्तर कार्यवाही है, वह आपके यहां हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि जांच की रिपोर्ट मुझे देनी चाहिए थी वह मुझे नहीं मिली है। और, कोई बात नहीं, आप बाद में दे दें मुझे। मेरा पहला सवाल यह है कि यह जांच रिपोर्ट डाइरेक्टर एजुकेशन को कब मिली, एक तो वह तारीख बता दें और जो अनुदान बन्द करने का नोटिस डाइरेक्टर साहब ने दिया, वह कब दिया ? यह दो तारीखें बता दें।

श्री अध्यक्ष : अभी यह आ जाय माननीय मन्त्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इसकी डिप्टी इन्स्पेक्टर और असिस्टेन्ट अकाउन्ट्स ऑफीसर के स्तर पर भी जांच की। डाइरेक्टर को 25.7.89 को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद 2.2.90 को निदेशालय से संस्थान के सचिव को इस बात का कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आपके विद्यालय में इस प्रकार की अनियमितताएं चल रही है, इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर सवाल है और ऐसी संस्थाओं के बारे में है जो मिशनरीज चलाती हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों को, एक छात्र

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

तो पांच विषय में फेल हो गया, पांच विषय में फेल होने के बाद....

श्री अध्यक्ष : यह तो मान लिया सरकार ने।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं थोड़ी सी ग्रेविटी आपको बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : यह तो मान लिया....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पांच विषयों में....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या मन्त्री जी ऐसी संस्थाओं को बन्द करने और व्यापक जांच करवा कर....

श्री अध्यक्ष : नोटिस दे रहे हैं वह, दे दिया न, आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोटिस दिए छह महीने हो गये, अध्यक्ष महोदय। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और छह-छह महीने तक आप नोटिस दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : इन संस्थाओं को तो बन्द करिए आप। केवल अनुदान बन्द करने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : उनका सवाल है, उनको पूछने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनका सवाल यही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब आप उनके प्रवक्ता हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे जो फ्रॉड हैं. ऐसी अनियमितताएं कर रहे हैं, गलत तरीके से पास कर रहे हैं, उन संस्थाओं को बन्द करो।

श्री अध्यक्ष : वह स्वयं सक्षम है, आप बैठिये। आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक लड़के को, जो पांच विषयों में फेल हो गया, फर्स्ट डिवीजन देकर टी. सी. दे दी....

श्री कालीचरण सराफ : फर्स्ट डिवीजन दे दी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : फर्स्ट डिवीजन देकर। इस तरह की गम्भीर अनियमितताओं में एक तो जो वह लम्बा अन्तराल लगा कि नवें महीने में जांच पूरी हो गई, रिपोर्ट मिल गई और दूसरे महीने में जाकर उसको नोटिस दिया और मेरे ख्याल से नोटिस के बाद और कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज पांच महीने उसको निकल गए। वह बहुत गम्भीर विषय है, आपके हाथ में है। शिक्षा मन्त्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसकी मान्यता को समाप्त करें। अनुदान की तो वह परवाह ही नहीं करते इसलिए....

श्री अध्यक्ष : हां हो गया। मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अनुदान की परवाह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया। मन्त्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उनकी मान्यता समाप्त करें और फौजदारी केस....

(12)

श्री अध्यक्ष : आप सीधा पूछिये....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : क्या आप इसकी मान्यता को समाप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बस इतनी सी बात है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह बिल्कुल क्लियरकट केस आई. पी. सी. में दस्तावेजों में हेरा-फेरी करने का बनता है। स्कूल के प्रिंसिपल और जो दूसरे लोग इसमें शामिल हैं, क्या आप उनके खिलाफ फौजदारी केस दायर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य का जहां तक कहना है कि उन्होंने रिजल्ट के अन्दर हेरा-फेरी की है, यह बात तो वहां के मुख्य अध्यापक के बयानों से भी तय हो गई है कि उन्होंने की है। अब आखिरकार जो भी कोई कार्यवाही करेंगे, वह नियम से ही करेंगे। एक विश्वास मैं माननीय सदस्य को और अन्य सदस्यों, को भी दिलाना चाहता हूं कि मेरे स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई भी संस्था हो, इस प्रकार की गड़बड़ी करती है तो चाहे फौजदारी केस करना पड़े, उसकी मान्यता बन्द करनी पड़े, उसकी सहायता बन्द करनी पड़े, यह सारी की सारी कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। माननीय श्री उम्मेद सिंह।

सोडियम सल्फेट प्लान्ट की लीज

481. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :** क्या सार्वजनिक उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मैसर्स केमिकल लिमिटेड मारवाड़ बालीया को सोडियम सल्फेट प्लान्ट व नमक के 103 एकड़ भूमि में क्यारे बनाने हेतु 1981 में लीज पर दी थी जिसमें अनेक शर्तें भी शामिल थीं ? कृपया शर्तों सहित संविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1984 में इसी मैसर्स केमिकल लिमिटेड के साथ राज्य सरकार ने कूड सल्फेट का भी मालिकाना हक संविद के माध्यम से दे दिया ? यदि हां, तो संविद की शर्त क्या थी ? नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि क्यारों के पेंदे में जमने वाला कूड सल्फेट सरकार का था ? यदि हां, तो क्या कारण रहा कि इसे भी खोदने व बेचने के लिये इसी फर्म को अधिकृत कर दिया गया तथा गलत खुदाई कर कार्य को एक साल बाद बन्द किया जिससे अब कूड अब इन क्यारों में नहीं जमता ? क्या यह कूड अब राज्य सरकार के कब्जे में है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अन्य नमक के क्यारों के वापीदारों, लीजधारों को भी कूड का मालिकाना हक दिया है ? नहीं, तो फिर मैसर्स केमिकल लिमिटेड को मालिकाना हक क्यों दिया ?

(5) क्या मैसर्स केमिकल वर्क्स में सरकार के 2 करोड़ रुपये के लगभग बकाया

(श्री उम्मेद सिंह)

है लेकिन सरकार ने वसूली सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है सरकार इसी प्लांट को दुबारा लीज पर देने का इरादा रखती है ? यदि हां तो प्रस्तावित शर्तें क्या है और यह प्लान्ट किसको दिये जाने का प्रस्ताव है ?

सार्वजनिक उपक्रम मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) जी हां। अनुबन्ध दिनांक 6 5.81 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पूरक अनुबन्ध दिनांक 15.12.84 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इस अनुबन्ध की धारा 9 के तहत लीजधारी को कूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन व बेचने का अधिकार दिया गया।

(3) पट्टेधारक के द्वारा क्रूड सोडियम सल्फेट के सम्बन्ध में अनुबन्ध दिनांक 6.5.81 की धारा 2 की सब धारा 4 के तहत विवाद उत्पन्न किया गया था जिसे पट्टे की शर्त के अन्तर्गत पंच महोदय को निर्णय हेतु भिजवाया गया था। पंच महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 27.8.83 को कूड सोडियम सल्फेट पट्टेधारक की सम्पत्ति बताया। अतः पूरक अनुबन्ध कर उन्हें कूड सोडियम सल्फेट खोदने के लिये अधिकृत किया। पट्टेधारक के द्वारा लीज राशि 76.12 लाख रुपये का भुगतान न किये जाने से उनकी लीज दिनांक 10.2.87 को समाप्त की गई। राज्य सरकार लीज समाप्ति के उपरान्त कब्जा लेना चाहती थी परन्तु पट्टेधारक इसी मध्य उच्च न्यायालय से रोक प्राप्त कर लाया। जिस पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिनांक 20.2.87 को दिया कि बिना जोर जबरदस्ती के कब्जा लिया जा सकता है। पट्टेधारक ने कब्जा न देकर नमक एवं क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन चालू रखा क्योंकि लीज समाप्ति के बाद भी नमक का लाइसेन्स रद्द नहीं किया। जिसके तहत विभाग ने पट्टेधारक पर 1.87 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया हुआ है जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 24.7.90 है। सामान्यतः कूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन नमक के क्यारों में नमक का उत्पादन होने पर 8 से 10 वर्षों में होता है। वर्तमान में यह क्यारे पट्टेधारक के कब्जे में ही है जिनमें उनके द्वारा नमक का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इस इकाई को रीको एवं पट्टेधारक के द्वारा चलाये जाना प्रस्तावित था जिस पर सहमति न होने से कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी।

(4) दिनांक 6.9.81 के अनुबन्ध की धारा 2 (4) से लीजधारी को स्रोत से सीधे ब्राईन लेकर नमक बनाने हेतु प्राधिकृत किया गया जिसके फलस्वरूप बना हुआ कूड सोडियम सल्फेट पर भी लीजधारी का अपना हक बताया। मैसर्स डीडवाना केमिकल लिमिटेड को पंच फैसले के निर्णय की पालना में क्रूड सोडियम सल्फेट के मालिकाना हक दिये गये।

(5) मैसर्स डीडवाना कैमिकल्स से वसूली हेतु निम्न वाद विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है :—

अ—पंच महोदय के न्यायालय में रुपये

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

76.12 लाख की लीज राशि दिनांक 10.2.87 तक का क्लेम विचाराधीन है।

ब–रुपये 187.00 लाख का मामला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां दिनांक 27.2.87 से चल रहा है। जिसमें संयंत्र का अनाधिकृत कब्जा रखने, पट्टे की समाप्ति के उपरांत नमक एवं कूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन व पीतल की ट्यूबों की राशि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार को दिनांक 10.2.88 से 29.6.90 तक पट्टे की राशि के मुआवजे के तहत रुपये 79.12 लाख की राशि और ली जानी है।

(6) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार गठित शासन की उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सोडियम सल्फेट प्लान्ट के विक्रय एवं उससे संलग्न 103 एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने का मामला राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि (1) अनुबन्ध पत्र दिनांक 8.6.81 के परिशिष्ट "ए" की धारा 2 (4) में कूड सल्फेट के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया। जबकि विभाग जानता था क्यारियों में कूड जमेगा।

(2) कूड सल्फेट के विवाद के रहते हुए ढाई साल तक विभाग को लीज राशि नहीं मिली थी 2/3 लीज करने पर 20 टन की हानि हुई तो सरकार ने लीज समाप्त क्यों नहीं की ?

(3) अनुबन्ध दिनांक 15.2.84 की धारा 2 (9) के तहत 87 हजार 603 टन नमक और 74 हजार 837 टन सल्फेट बनाने का अधिकार क्यों दिया गया ? जब कि राज्य सरकार की टेक्निकल समिति ने अपनी रिपोर्ट में 11 हजार टन सल्फेट और 49 टन नमक बनाने की सिफारिश की है।

(4) 1.6.83 को राज्य सरकार को लिखा गया था अनुबन्ध की धारा 2 (1) के अनुसार केवल मात्र 40 हजार टन नमक बना सकता है जबकि 10 हार्सपावर के दो पम्प बहुत थे परन्तु 10 के बदले 20 हार्स पावर के दो पम्प चलाये गये थे।

(5) लीज समाप्ति दिनांक 10.2.87 के बाद लीज देने से जो नमक और कूड बनाया....

श्री अध्यक्ष : 6 खण्ड हैं तो एक-एक के लिए एक-एक प्रश्न है।

श्री उम्मेद सिंह : उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है और कम्पनी के कब्जे में जो पूर्व नमक पड़ा है वह नमक बेच कर राशि सरकार में जमा होनी चाहिए। सरकार ने 2.63 करोड़ का दावा कर रखा है यह राशि कैसे वसूल होगी।

(6) कूड के भाव बाजार में बढ़ रहे हैं तो भी सरकार कम दरों पर एग्रीमेंट क्यों कर रही है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महो-

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

दय, जैसा मैंने अपने उत्तर में बहुत विस्तृत जानकारी दी है....

श्री अध्यक्ष : इसका सिम्प्लीफिकेशन कर दूं। उसका मेन प्रश्न तो यह है कि आपने इनको सोडियम सल्फेट लेने की इजाजत दी तो बाकी भागीदार हैं, जो नमक निकाल रहे हैं; जिसके पास पट्टे हैं क्या उनको भी क्रूड निकालने की इजाजत देंगे। दूसरा आपने कहा है कि पंच के फैसले के कारण हमने क्रूड लेने की इजाजत दी। जबकि ओरिजनल एग्रीमेंट है उसमें क्लोज 4 में स्वीकार किया है कि वह क्रूड सल्फेट निकालेगा।

श्री उम्मेद सिंह : 10.2.87 को यह समाप्त हो गया था उसके बाद एक साल तक....

श्री अध्यक्ष : ओरिजनल एग्रीमेण्ट में ही लिखा हुआ है। पंच फैसले का सवाल नहीं है। यह बतायें कि बाकी को आपने इजाजत क्यों नहीं दी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस कम्पनी ने क्रूड सल्फेट निकालने की कोशिश की तो मैंने इसमें तारीख दी है 17.6.82, इस समय उससे डिसप्यूट हुआ उसको रोका गया, झगड़ा हुआ, उसके बाद जो एग्रीमेण्ट में....

श्री अध्यक्ष : रोका क्यों गया? जबकि एग्रीमेण्ट में इसका प्रावधान है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अगेंस्ट में वह आर्बियटेचर के पास गया, उसने अवार्ड दिया, उसके अनुसार उसको सोडियम सल्फेट लेने का अधिकार दिया गया। जब यह अधिकार दिया गया था उसके बाद यह मामला तत्कालीन गवर्नमेण्ट के सामने कैबिनेट में गया, उसने उस पर मोहर लगायी और मोहर लगने के बाद उससे एक नया सप्लीमेण्ट्री एग्रीमेण्ट किया गया उसके अनुसार यह अधिकार दिया गया।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं पूछ रहे हैं। आपके क्लोज में लिखा हुआ है कि The lessee will be free to produce salt or sodium sulphate from the contracted quantity of brine as agreed to in clause 2 (i) and with in the limit of leased area. It is not necessary that he will make salt from de-sulphated brine only. यह आपके ओरिजनल क्लोज में एग्री किया गया है तो उसको क्रूड सोडियम सल्फेट बनाने से क्यों रोका गया? पंच के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनका कहना है कि जो एग्रीमेण्ट किया था उसमें जो बाकी भागीदार, पट्टे धारी थे उन को तो निकालने नहीं देते हैं और इनको एग्रीमेण्ट करके इजाजत क्यों दे दी? इजाजत दे दी तो रोका क्यों गया?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेण्ट की धारा जिस प्रकार की थी। उसके सम्बन्ध में जब तक झगड़ा नहीं हुआ, जो तारीख मैंने बतायी उस दिन तक क्रूड सोडियम सल्फेट वह नहीं निकाल रहा था। जब उसने आरम्भ किया तो उसको बंद किया गया और एग्रीमेण्ट में क्लोज था उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

(16)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

उस आधार पर रोकने के बाद वह आर्बिटेशन में गये, और आर्बिटेशन में जाने के बाद उसको यह अवार्ड दिया गया कि वह सोडियम सल्फेट लेने में सक्षम है उसके आधार पर उसको निकालने दिया गया। जहां तक दूसरे लीज धारकों का सवाल है आपको अध्यक्ष महोदय, सारी कहानी याद है कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये उसके बाद समझौता हुआ इसके आधार पर तय हुआ कि इनको केवल नमक निकालने का अधिकार है। नमक के पैसे के लिए भी एक कमेटी बनायी गयी है, यह कमेटी प्राइज तय करती है, उसके आधार पर पैसे दिये जाते हैं। इसलिए इन को क्रूड सल्फेट निकालने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप माननीय सदस्य से मिल कर इस बात को समझ लें मुझे ऐसा लगता है कि जवाब जो आया है और जिन्होंने भी निर्णय लिये हैं वह एग्रीमेण्ट के खिलाफ लिये, कोम्पलीकेशन्स पैदा किये गये हैं और सरकार को बाध्य किया है मुकदमों में फंसने के लिए। इस लिये सारी बात समझ कर इसमें क्या रास्ता निकलता है, बैठकर तय कर लें।

श्री उम्मेद सिंह : मंत्री महोदय से कहलवा तो दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठकर तय कर लें। उन्होंने मान लिया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : (अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा।

प्रश्न संख्या 482 (कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 जुलाई, 1990)

पोषाहार केन्द्रों में खरीद की शिकायतें

219. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या महिला व बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1985 से मार्च, 1990 तक बाल विकास व महिला विकास के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें प्रारम्भ की गई? किस-किस योजना का कितना-कितना लाभ सम्बन्धित महिला बालकों को प्राप्त हुआ?

(2) पोषाहार योजना के अन्तर्गत जिलेवार दलिया व गुड़ अलग-अलग केन्द्रों पर कितना-कितना क्रय और वितरण किया गया।

(3) किन-किन केन्द्रों पर व कहां से घटिया गुड़, दूध व अन्य सामग्री खरीद की शिकायतें लम्बित हैं? राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, महिला एवं बाल-विकास (श्री रामेश्वर दयाल यादव) (1) वर्ष 1985 से मार्च, 1990 तक समेकित बाल विकास परियोजनाओं का वर्ष बार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष वाइज प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं की संख्या —

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1984–85	54
1985–86	10
1986–87	12
1987–88	23
1988–89	निल
1989–90	12
योग	111

इन परियोजनाओं से लाभान्वित बालक एवं महिलाओं की सूचना वर्ष वाइज निम्नानुसार है :–

(संख्या लाखों में)

वर्ष	पूरक पोषाहार महिला	बालक	योग	शाला पूर्व अनोपचारिक शिक्षा
1984–85	0.56	2.73	3.29	1.35
1985–86	0.61	2.95	3.56	1.55
1986–87	0.77	3.76	4.53	2.30
1987–88	0.95	6.37	7.32	3.14
1988–89	1.08	6.91	7.99	3.62
1989–90	1.16	6.45	7.61	3.46

इस योजना से कितना-कितना लाभ महिलाओं एवं बालकों को प्राप्त हुआ इसका मूल्यांकन कराके ही दिया जा सकता है।

विभाग द्वारा महिला विकास में 1985 से मार्च, 1990 तक चार कार्यक्रम चलाये गये हैं :–

1–महिला विकास कार्यक्रम – 1984 में यह कार्यक्रम 6 जिलों में चलाया गया था जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा। कोटा में वर्ष 1987-88, सीकर में 1988-89 और डूंगरपुर में 1988-89 में भी इसका विस्तार किया गया है। महिला विकास कार्यक्रम हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है।

2–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम – इस कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे की चयनित महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया जाता है। यह योजना वर्ष 1983–84 में राजस्थान में आरम्भ हुई। वर्तमान में यह योजना भीलवाड़ा, पाली, बांसवाड़ा, जोधपुर, टोंक, अलवर में चल रही है। जिला उदयपुर एवं सीकर में यह योजना प्रारम्भिक रूप से चल रही है।

3-शहरी क्षेत्रों में विधवा महिलाओं को स्वरोजगार योजना – वर्ष 1988-89 में यह योजना जिला अलवर, पाली, जयपुर, डूंगरपुर, चूरू, भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर एवं अजमेर में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का उद्देश्य असहाय निराश्रित विधवा महिलाओं को स्वरोजगार आवश्यक प्रशिक्षण देकर दिलाया जाय। इस योजना के तहत 261 विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिये लाभान्वित किया जा रहा है।

(18)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

4–क्षेत्रीय विकास में सामाजिक प्रादान (सियाड़) – यह योजना यूनीसेफ की सहायता से उदयपुर एवं जोधपुर में प्रारम्भ की गयी थी। उसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान के साथ सामाजिक आदान की व्यवस्था करनी है। जिससे स्वच्छ पीने का पानी, रोगों से मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, पोषाहार, गरीबी उन्मूलन के लाभ मिल सके। यह योजना वर्ष 1987 से समाप्त कर दी गयी हैं।

(2) कार्यरत 99 परियोजनाओं में से जिलेवार दलिया व गुड़ अलग-अलग केन्द्रों पर क्रय और वितरित किया गया है।

(3) इस विभाग के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दूध वितरण हेतु नहीं दिया जाता है। घटिया किस्म का गुड़ खरीदने की शिकायत भीलवाड़ा तथा चूरू जिले की परियोजनाओं से प्राप्त हुई थी। वर्ष 1988–89 में शंकर प्रोविजन स्टोर, भीलवाड़ा की जहाजपुर, सहाड़ा एवं कोटड़ी परियोजनाओं में घटिया किस्म की गुड़ की जांच अतिरिक्त कलक्टर जिला भीलवाड़ा से करायी गयी। जांच के अनुसार क्षेत्रीय उप निदेशक (बाल विकास) एवं लेखाकार जिला भीलवाड़ा को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। शंकर प्रोविजन स्टोर के द्वारा मिलावटी गुड़ देने के फलस्वरूप कोतवाली जिला भीलवाड़ा में धारा 420 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

चूरू क्षेत्र की करणपुर, सादुलपुर एवं डूंगरगढ़ परियोजनाओं से घटिया किस्म के गुड़ की गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : पल्ले पड़ा, क्या पूछोगे आप।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्टरी में।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे जो उत्तर दिया गया है, यह अपने....

श्री सम्पतराम : बाल्मीकि रामायण से उद्धृत किया गया है।

श्री बंशीलाल पटवा : को-ऑपरेटिव रिलीफ अमेरिकन एवरी वेयर संस्था है, उससे दलिया मिलता है, पोषाहार की दृष्टि से और गुड़ अपनी सरकार खरीदती है। 1989 में पिछली सरकार के समय भीलवाड़ा जिले में गुड़ खरीदा गया। इसी तरह से अन्य जिलों में भी खरीदा गया, गुड़ खरीद में बेइमानी की गई। करीब एक लाख रुपये का गुड़ घटिया किस्म का केवल सराड़ा, कोटड़ी और मांडल तहसील में खरीदा गया। उस गुड़ का कोई उपयोग नहीं हुआ। आज भी बह रहा है। इसी तरह से पोषाहार के लिए भी विदेशी सोसायटियों की तरफ से जो दलिया मिलता है, वह चाट गये, उस समय के जो तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी हैं, अपने +++

श्री अध्यक्ष : नाम मत लीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : उनके खिलाफ 420 का मुकदमा....

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : नाम हटाइये। Don't name please

श्री बंशीलाल पटवा : मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन आज दिन तक उस अधिकारी को न तो सस्पैण्ड किया गया, न डिपार्टमेण्टल कोई कार्यवाही की गई। इस तरह से दलिया और दूध चाट गये। निर्धन लोगों और गरीब बच्चों के नाम पर जो हम भीख लेते हैं, विदेशों से, उसको पिछली सरकार के समय चाट गये। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय क्या उस तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक को निलम्बित करेंगे, और क्या डिपार्टमेण्टल कार्यवाही करेंगे। जो यह गुड़ में घोटाला हुआ है, और इसी तरह से अन्य जिलों में भी हुआ है, उसकी वसूली उसकी तनख्वाह में से, या और कोई पी.एफ. कटता है, या और कोई कटता है, उसमें से वसूल की जायेगी। आज भी गुड़ बेकार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो जांच की गई, उसका नतीजा क्या रहा। पुलिस में जो चार सौ बीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया, उसका नतीजा क्या रहा, और क्या उसको सस्पैण्ड करेंगे, निलम्बित करेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री डूंगरराम पंवार : गुड़ और दलिया तो हजम होने वाली चीज है। लोहा, सीमेण्ट, बजरी, ईंट, पत्थर....

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये।

श्री डूंगरराम पंवार : सभी इन अधिकारियों के हाथों में है।

श्री अध्यक्ष : आप गुड़ खाओगे, कि सीमेंट खाओगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मंत्री जी का जवाब सुनिये। प्लीज हियर हिम। उजला जी बैठिये आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पोषाहार के अन्दर जो लोकल परचेजिंग होती है, उसमें गड़बड़ के बारे में जानकारी दी है। मैं पहले ही इस सदन में इस बात की जानकारी दे चुका हूं कि लोकल परचेजिंग में गड़बड़ होने का अन्देशा होने पर नयी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की मॉडर्न फूड और गुजरात में, गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जो फूड तैयार करता है, लोकल परचेजिंग राजस्थान में न की जाये और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया और गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज से हण्ड्रेड पर्सेण्ट परचेजिंग की जाये। जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, उनके खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज कराया गया। मैंने विभाग में इस बात के भी आदेश दिये हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही करने में जो विभाग में ढिले हुई है, उसमें किन-किन अधिकारियों का हाथ है, उनके खिलाफ भी मैंने कार्यवाही के आदेश दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मैं इसका सारा रिकार्ड देख कर अगर आवश्यक हुआ तो हम निलम्बित भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं, बिराजिये। श्री टीमक चन्द कान्त।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं एक पाइण्टेड प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। केवल एक बात पूछना चाहता हूं. जब दोषी पाया गया है, तब उसके खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जांच करायी गयी, फिर उसको निलम्बित करने में और क्या सबूत चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। निलम्बन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इसकी जो जांच रिपोर्ट है, हमने इसका अवलोकन नहीं किया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये। मुकदमा जो दर्ज हुआ है, वह जिस कन्सर्न से माल खरीदा है, उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। इसमें विभागीय जांच के आदेश हो चुके हैं, चार्जशीट इसमें दी जा रही है। मैंने रात को ही इस बात के आदेश दे दिये हैं कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों ने, इनको सजा देने में, इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने मे डिले की है, उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। तो मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत जल्दी सारी फाइल को देखकर, और आवश्यक कार्यवाही, अगर उसको सस्पैण्ड करने की बात हुई, तो हम सस्पैण्ड भी करेंगे। और इसमें जो डिले किया है.... (व्यवधान) सुनिये जो डिले हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जिन्होंने डिले करने में हस्तक्षेप किया, हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए निमंत्रित करता हूं, आमन्त्रित करता हूं, 99 और 12 कुल 111 परियोजनाएं राजस्थान में चल रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अलग-अलग सदस्यों से मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को देखें, इनका निरीक्षण करें और समय-समय पर मुझे अवगत करायें। मैं भी इनका निरीक्षण करूंगा। इनमें जो कमियां हैं उनको हम सब मिल कर दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री टीकम चन्द कान्त। प्रश्न संख्या 483।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरासिंह चौहान। (व्यवधान)

अब आप बिराजिये। प्लीज सिट डाउन। आप व्यवस्था करने में सहायता नहीं कर रहे हैं। बिराजिये आप। इससे ज्यादा आश्वासन नहीं मिल सकता आपको। बिराजिये आप। हीरासिंह जी।

पाली जिले में वन्य-जीव सुरक्षा योजना

484. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की कौनसी रेंज व वन नाका वन्य जीव सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं? विवरण मय रेंज वन

(श्री हीरासिंह चौहान)

चौकी एवं प्रभावित वन क्षेत्रों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की सैंदड़ा, वीजागुड़ा, देसूरी रेंज का वन क्षेत्र पाली जिला वन अधिकारी से अलग करने के बाद बर्बाद हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार क्या माकूल व्यवस्था करना चाहती है ?

वन मंत्री (श्रीमती मदन कौर) : (1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से जानना चाहता हूं कि वन्य जीव सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिये गये वन खण्डों में अन्य जंगलों से अलग क्या व्यवस्था की गयी है ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि पशुओं के चरने के लिए इन वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या-क्या प्रावधान रखे गये हैं ? वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र देसूरी, सादड़ी, जोजावर, सैंदड़ा के कालव और कुनेजा पर 1988 के बाद जवाहर रोजगार योजना या अन्य राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है ? लास्ट सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, गत मई और जून में, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, कम से कम दो हजार हैक्टेयर खोड़िया, कालब कलां और बगड़ी के जंगल जले। सरकार को इसकी सूचना है या नहीं है ?

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। मैं यह निवेदन करना करना चाहती हूं कि रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई थी, लेकिन पांच साल तक इसकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पायी। भारत सरकार ने अपने निर्देशों में कहा था कि इन क्षेत्रों को एक इकाई बनाकर वन्य जीव सम्भाग के अन्तर्गत दिया जाय, तभी भारत सरकार इनके विकास और सुरक्षा के सम्बन्ध में धन उपलब्ध करायेगी। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1988 में इनको एक इकाई बनाकर वन्य जीव सम्भाग के डी. सी. एफ. जो उदयपुर में बैठते हैं उनके अन्तर्गत दे दिया।

इसके साथ-साथ आग लगने की घटना के बारे में आपने बताया। आग लगने की घटना तो एक ऐसी घटना है जिसकी सूचना टेरिटोरियल रेंज भी प्राप्त करती है और दूसरा स्टाफ भी। इस सम्बन्ध में आपको कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इन रेंजों का जो कुछ भाग वन्य जीव सम्भाग के अन्तर्गत आया, उसमें मार्च 1988 से मार्च, 1990 के बीच 543 अपराध पंजीकृत किये गये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जो मुआवजा लिया गया। वह 77 हजार के करीब है। इसलिए इन वन्य क्षेत्रों की सुरक्षा तो निश्चित रूप से वन्य जीव सम्भाग के अन्तर्गत आने के बाद ज्यादा अच्छी तरह हुई है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस साल के लिए एक मैनेजमैण्ट

(श्रीमती मदन कौर)

प्लान बनाया गया है जिसमें सेण्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार से 188 लाख रुपए की योजना हमने प्रस्तावित की है। मुझे इस बात का विश्वास है कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा और इनका विकास इनके वन्य जीव सम्भाग के अन्तर्गत आने के बाद ज्यादा बेहतर हुआ है और निरन्तर अच्छा हो सकेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किया था कि 1988 के बाद, जब यह क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य में आया है, राज्य अथवा राष्ट्रीय योजनाओं में इन जंगलों पर कितना पैसा खर्च हुआ ? हर राष्ट्रीय योजना में फारेस्ट पर 25 पर्सेण्ट रुपया लगता है। तब इन जंगलों पर पैसा खर्च नहीं करने का कौन दोषी है ? दूसरा मैंने कहा कि पशु चराने की व्यवस्था परम्परागत चली आ रही है। अभी वहां के निवासियों के लिए पशु चराने की क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं को चराने के सम्बन्ध में कोई नयी नीति लागू नहीं है। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि अभी हाल ही में पशुओं को चराने के सम्बन्ध में जो रुकावट आयी थी उस रुकावट को हमने खुद ही निकाला।

श्री हीरासिंह चौहान : वह आपने कुम्भलगढ़ में किया है, राबली-टाटगढ़ रेंज में नहीं किया है। जिस प्रकार कुम्भलगढ़ में प्रबन्ध किया है, राबली टाटगढ़ में भी करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री माहिर आजाद। (व्यवधान) आप बिराजिये। नहीं, अब नहीं। मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : वन्य जीव अभयारण्य में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

झुन्झुनूं जिले के औषधालय

485. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झुन्झुनूं में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वैद्यों, उप वैद्यों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद हैं ? औषधालयवार सूची सदन की मेज पर रखें। अभी कितने पद कहां कहां रिक्त हैं ? इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उक्त जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में कार्यरत वैद्यों व उप वैद्यों में किन किन के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई ? क्या जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन के खिलाफ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) (राज्यमंत्री, आयुर्वेद के स्थान पर) : (1) झुन्झुनूं जिले में 149 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं। सूची (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) झुन्झुनूं जिले के औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 152, नर्स/कम्पाउण्डर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के 139 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (परिचारक) के 129 पद स्वीकृत हैं। औषधालयवार सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

आयुर्वेद चिकित्सक के 10 पद रिक्त एवं नर्स/कम्पाउण्डर के 3 पद रिक्त हैं, जिनको भरने की कार्यवाही की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 19 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार के प्रतिबन्ध हटने के बाद ही भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जिन वैद्यों/उप वैद्यों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी सूची (परिशिष्ट ख) सदन के पटल पर रख दी गयी है। इन मामलों की जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माननीय सदस्य को मैं इसके अलावा एक जानकारी देना चाहता हूं, प्रश्न में रिक्त स्थान की आपने जानकारी चाही है, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे स्थान हैं जहां व्यवस्था नहीं है अर्थात् उन स्थानों पर पद ही सृजित नहीं हैं। ऐसे स्थान जहां कम्पाउण्डरों की कोई पोस्ट नहीं है, 20 हैं और ऐसे स्थान जहां परिचारकों के पद सृजित नहीं हैं 24 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों यह पद सृजित नहीं हुए और क्या कारण थे, इस पर मैं सदन को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्व में जिला बोर्ड के औषधालय और देशी राज्यों के अन्तर्गत संचालित औषधालय, पूर्व की स्टेट्स में जो थे, विभाग को स्थानान्तरित नहीं हुए थे। इनमें से अनेक औषधालयों में कम्पाउण्डरों और परिचारकों के पद सृजित ही नहीं थे। ऐसे औषधालयों में वर्तमान में विभाग में कम्पाउण्डरों के 375 पद एवं परिचारकों के 190 पद सृजित नहीं हैं। झुंझुनूं जिले में 20 औषधालयों में कम्पाउण्डरों के और 24 औषधालयों में परिचारक के पद स्वीकृत नहीं हैं। जिन औषधालयों में पद सृजित नहीं हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट 'क' में कर दिया गया है। इन पदों की पूर्ति हेतु विभाग प्रयत्नशील है। चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 योजना मद में बजट को अन्तिम रूप देने हेतु आयोजित बजट निर्णायक समिति की बैठक में दिनांक 11.6.1990 को, इस सरकार द्वारा 75 पद कम्पाउण्डरों के तथा 38 पद परिचारकों के नवीन सृजित करने के प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं।

माननीय सदस्य मैं, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जब यह प्रश्न देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब राजस्थान बना और वह सारे औषधालय बन गए। पर आज से 40 साल पहले तक यह पद सृजित ही नहीं हुए। मैं सरकार को दोष नहीं देता लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आजादी के बाद जब राजस्थान बना तब से अब तक पद सृजित ही नहीं हुए, भरने का तो सवाल ही नहीं है। जितने पद रिक्त हैं वह भी मैंने आपसे निवेदन किया और जो पद सृजित नहीं हुए वह भी मैंने निवेदन किया।

इस सरकार ने 11–6–90 को पद

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सृजित करने की कार्यवाही की है उससे कुछ तो भर जाएंगे और कुछ रहे वह पुनः भरे जाएंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी उसके लिए तो धन्यवाद। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा एक सवाल, इस सवाल के खण्ड (3) में यह था कि झुंझुनूं जिले में किन-किन वैद्यों, उपवैद्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किनके खिलाफ ? माननीय मन्त्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया, हालांकि लिखित में मेरे पास यह जवाब आया है लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि जयपाड़ी और लालपुर के वैद्यों के खिलाफ स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंचों और ग्राम नागरिकों ने ज्ञापन देकर दवाइयों को बेच देने और लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी। मैंने स्वयं ने भी 2 वैद्यों के खिलाफ माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी को शिकायत की थी। मन्त्री जी ने मुझसे वादा किया था कि वाकई में इनके खिलाफ काफी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लेकिन उनके नाम इस सूची में नहीं है जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, दूसरा इसमें जांच कब से विचाराधीन है और कब तक इसमें निर्णय मिल जाएगा, मैं यह और माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खत्म हो गया टाइम। आप बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य जो नाम आपने पूछे हैं वह मेरी सूची में नहीं हैं। वह क्यों नहीं मेरे पास आए और क्या उसमें है यह पता कर लेंगे और जैसा आपने कहा है उसकी जांच या तो चल रही होगी या चालू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला चूरू में कच्चे रूट की बसों का किराया

479. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू में प्राईवेट कच्चे रूट पर जो बसें चलती हैं उनका विभाग द्वारा प्रति कि. मी. क्या किराया दर निश्चित किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे रूट के बस मालिकों द्वारा निर्धारित किराये से भी ज्यादा किराया यात्रियों द्वारा वसूल किया जा रहा है ?

(3) क्या उक्त रूटों पर बसों के यात्रियों को नियमानुसार टिकटें काट कर दी जाती हैं ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त जिले में निर्धारित किराये से ज्यादा किराया लिये जाने की कोई शिकायत जन-प्रतिनिधियों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी चूरू को की गई ?

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू जिले के लिये अलग से किराये की कोई दरें निर्धारित नहीं हैं। समस्त राज्य में कच्चे यानी 'ग' श्रेणी के मार्गों पर चलने वाली बसों की दर 15·29 पैसे प्रति कि. मी. प्रति यात्री निर्धारित है।

(2) जी हां, डीजल की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण कुछ मार्गों पर निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने की शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत यात्रियों को टिकिट काटकर देना अनिवार्य है। जब भी टिकिट न काटकर देने की शिकायत प्राप्त होगी, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां, दिनांक 9-5-90, 1-6-90, 13-6-90, 11-7-90 तथा 16-7-90 को अलग-अलग शिकायतें जिला परिवहन अधिकारी, चूरू को प्राप्त हुई है। परमिट निरस्त करने हेतु सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को 13-7-90 को लिखा गया है।

गंग कैनाल लिंक चैनल में सिंचित भूमि

482. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि गंग कैनाल लिंक चैनल शुरू होने तक गंग कैनाल में असिंचित भूमि को सिंचित नहीं किया जायेगा ?

(2) वर्ष 1985 से अब तक कितनी असिंचित भूमि को सिंचित करने से सम्बन्धित आदेश हुए हैं ? ग्रामवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1985 के पश्चात् कोई नई असिंचित भूमि सिंचित घोषित नहीं की गई हैं। केवल उसी भूमि को जिसमें पहले से केस चल रहे थे तथा सिंचाई हो रही थी। उनको बारानी भूमि का अन्तर प्रार्थीयान द्वारा जिलाधीश कार्यालय में जमा करने पर सिंचित घोषित कर नियमित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैं :—

चक	भूमि	प्रसंग
66 जीबी	15-0 बीघा	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत, श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांक 3631-33 दिनांक 10-9-85
26 अरबी	6-01 बीघा	अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 9630-31 दिनांक 5-8-89
25 अरबी	5-0 बीघा	9632-33 दिनांक 5-8-89
योग :		26-01 बीघा

तारांकित प्रश्न संख्या 483

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में विद्युत कनेक्शन

808. श्रीमती उर्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत् मण्डल को वर्ष 1988-89 में 'वन पोल' बिजली कनेक्शनों के लिये जयपुर जिले में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या कुछ आवेदकों को डिपोजिट राशि रिफण्ड लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 'वन पोल' स्कीम के तहत विद्युत कनेक्शनों हेतु विद्युत मण्डल द्वारा पृथक से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जाते हैं, लेकिन कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों में तकनीकी दृष्टि से साध्य प्रकरणों में लक्ष्यों के अनुसार 'वन पोल' श्रेणी का चयन किया जाता है। वर्ष 1988–89 में जयपुर जिले में कोटपूतली तहसील को छोडकर कुल 2,838 आवेदन पत्रों को 'वन पोल' स्कीम के तहत चयन किया गया। पंचायत समितिवार सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' में है।

(2) जिन आवेदकों द्वारा 31.3.1990 के पश्चात् जारी किये मांग पत्रों की राशि जमा कराई है उनको मांग पत्र की जमा राशि वापस लेने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। इसके लिये अन्य किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

भीलवाड़ा में पौध नर्सरी ?

809. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 3 वर्षों में भीलवाड़ा वन विभाग ने किन किन व्यक्तियों को कितने-कितने पौध नर्सरी हेतु तैयार करने को दिये तथा किस-किस दर पर कितनी-कितनी किस्तों में उक्त भुगतान किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नर्सरी के पौध तैयार करने का काम समाज सेवी संस्था स्वयंसेवी संगठन को दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन संस्था को दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में भीलवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा पौध तैयार करने हेतु आवंटित नर्सरियों एवं किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गोविन्द देवजी (जयपुर) के मन्दिर की सफाई व्यवस्था

810. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) क्या जयपुर के प्रसिद्ध गोविन्द देव जी के मन्दिर के आस-पास सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो नियमित सफाई व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? श्री गोविन्द देव जी के मन्दिर जाने वाले सभी मार्गों को कब तक ठीक कर डामरीकरण कर दिया जावेगा ?

(2) नालियों का पानी सड़कों पर न आवे इस हेतु क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में गोविन्द देव जी के मन्दिर के सामने व अन्दर के मार्गों पर पशुओं एवं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही गन्दगी से सदैव बदबू फैली रहती है, नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं होती जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(4) सरकार उक्त मन्दिर की पवित्रता एवं श्रद्धालुओं की भावनाओं की दृष्टि में स्थायी रूप से क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गोविन्द देव जी के मन्दिर के आस-पास नियमित सफाई व्यवस्था के लिए छः सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। गोविन्द देव जी के मन्दिर को जाने वाली सड़कों में से कुछ पर तो डामरीकरण करा दिया है व शेष पर वर्षा के पश्चात् कार्य करवाया जावेगा।

(2) नालियों का पानी सामान्यतः सड़कों पर नहीं आता है। अधिक वर्षा के कारण नाली अवरुद्ध होने की वजह से सड़क पर आया हुआ पानी के निकास के लिए नाली आदि की तुरन्त सफाई करवाई जाती है।

(3) नालियों की नियमित सफाई कराई जाती है मन्दिर के आस-पास आवारा मवेशियों को पकड़ कर परिषद कर्मचारियों द्वारा काईन हाउस में ले जाया जाता है। जो गन्दगी चारा बेचने वालों द्वारा उत्पन्न की जाती है उसे भी साफ कराया जाकर चारा बेचने वालों को समय, समय पर हटाया जाता है।

(4) वर्तमान में जो व्यवस्था है वह समुचित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 811

(स्थगित)

बूंदी जिले के आयुर्वेद औषधालय

812. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :–क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले में कितने आयुर्वेद औषधालय विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ? उक्त केन्द्रों पर कितना स्टाफ कब से कार्यरत है ? सूची पद सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औषधालयों में सरकारी तौर पर दवाइयां, गोलियां, चूर्ण, रसायन आदि मरीजों को उपलब्ध कराये जाते हैं ? यदि हाँ, तो केन्द्रानुसार वर्ष 1986–87 से

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

1989–90 तक वितरित औषधियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या औषधालयों में मरीजों की उपस्थिति नाम आदि दर्ज किये जाते हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मरीजों का वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में केन्द्रानुसार उपचार किया गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बून्दी में आयुर्वेद विभाग के 59 आयुर्वेदिक औषधालय / चिकित्सालय संचालित हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। वर्ष 1986-87 से 1989–90 तक वितरित की गई औषधियों का विवरण (परिशिष्ट-ख) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। वर्ष 1988–89 व 1989–90 में औषधालयवार उपचार हेतु आये रोगियों की संख्या का विवरण (परिशिष्ट–क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत् मण्डल के वृत्त खण्ड एवं उप-खण्ड

813 श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या विद्युत् छीजत का कारण प्रत्येक वृत खण्ड व उप-खण्ड स्तर पर अधिक कार्यभार है व कर्मचारियों व अन्य साधनों की कमी है ?

(2) विद्युत मण्डल के मापदण्ड के अनुसार कितनी विद्युत् भार क्षमता एवं उपभोक्ता की संख्या के अनुसार उप-खण्ड, खण्ड व वृत्त निर्धारित किये जाते हैं ?

(3) विद्युत् मण्डल की वर्तमान कुल भार क्षमता एवं उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार कितने वृत्त खण्ड एवं उप-खण्ड होने चाहिए एवं वास्तव में कितने कार्यरत हैं और कितने विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी वृत्त, खण्ड व उपखण्ड स्तर पर अधिक कार्यभार एवं कर्मचारी व साधनों की कमी का विद्युत् छीजत से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(2) उपखण्ड, खण्ड व वृत के स्थापित का मापदण्ड विद्युत् भार क्षमता ही नहीं होती है। इनका निर्धारण मण्डल आदेश दिनांक 6.11.1969 में दिये गये मापदण्ड के (प्रतिलिपि संलग्न है) अलावा प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में कार्यभार का विस्तार. लोड डेन्सिटी, संभावित राजस्व में बढ़ोतरी, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

(3) उपरोक्त। वर्तमान में परिचालन एवं संधारण के 16 वृत, 67 खण्ड एवं 285 उपखण्ड कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 7 नये उपखण्ड विचाराधीन हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 814

(स्थगित)

जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में संशोधन

815. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नगर आयोजना विभाग की सिफारिश पर जोधपुर नगर के मूल मास्टर प्लान (1971-1996) में आज तक कई संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त समस्त संशोधनों से सम्बन्धित अधिसूचनाओं अथवा आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त अधिसूचनाएं/आदेश राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की मास्टर प्लान से सम्बन्धित धाराएं 3, 4, 5, 6 व 7 के विपरीत होने के फलस्वरूप अवैध है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त अधिसूचनाओं अथवा आदेशों को कब तक निरस्त घोषित करेगी ?

(4) सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जोधपुर नगर के मूल मास्टर प्लान 1971-1996 में संशोधन किये गये हैं। सम्बन्धित अधिसूचनाओं/आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत मण्डल में आपरेटर के पद

816. श्री मदनलाल सैनी (गुढा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1987 से अब तक राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में कितने आपरेटर द्वितीय एवं तृतीय ग्रेड की नियुक्तियां की गईं और उनमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(2) विद्युत् मण्डल में उक्त आपरेटर की सीधी भर्ती हेतु क्या योग्यता निर्धारित थी एवं क्या इन योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त नियुक्तियों में रोस्टर के आधार पर नियुक्ति कर दी गई ? यदि हां, तो रोस्टर बिन्दु क्या थे एवं उन बिन्दुओं के आधार पर किन-किन व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1987 से अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (कोटा तापीय परियोजना) में 92 आपरेटर द्वितीय एवं 56 आपरेटर तृतीय के पद नियुक्तियों द्वारा भरे गये थे नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की गई, ये सभी नियुक्तियां मण्डल द्वारा गठित

(ऊर्जा मन्त्री)

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर की गई थी।

(2) कोटा तापीय परियोजना पर आपरेटर द्वितीय एवं आपरेटर तृतीय की सीधी भर्ती हेतु विद्युत मण्डल द्वारा योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा निर्धारित किये गये थे जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

नियुक्तियां निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की गई तथापि चयन समिति की सिफारिश पर 13 अभ्यार्थियों को अनुभव एवं योग्यता संबंधी छूट विद्युत मण्डल के अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करने के पश्चात् किये गये। यह इसलिये आवश्यक था क्योंकि वांछित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

(3) जी हां। उपरोक्त नियुक्तियां 100 बिन्दु रोस्टर के आधार पर की गई एवं जिन श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वांछित योग्यताधारी अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं थे वहां उनके लिये स्थान रिक्त रखे गये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के जिन अभ्यार्थियों को आपरेटर द्वितीय एवं आपरेटर तृतीय के पद पर नियुक्ति दी गई उनके नाम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

सोजत क्षेत्र के गांवों को पेयजल

817. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के किन-किन गांवों में जनता को पीने हेतु खारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में खारा पेयजल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं?

(3) क्या राज्य सरकार इन गांवों में मीठा पानी उपलब्ध करवाने हेतु सर्वे करवा कर कोई योजना बना रही है?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त गांवों हेतु कौन-सी योजना बनाई गई है? जवाई बांध द्वारा सोजत नगर को कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र के केवल एक ग्राम बांसनी सुरायता (कोड संख्या 33) के हैण्ड पम्पों में पानी खारा है।

(2) इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(3) ग्राम को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना का प्रारूप प्राथमिक स्थिति में है।

(4) धन उपलब्धता के अनुसार योजना का क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

(5) प्रारम्भिक प्रारूप के अनुसार इस

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्राम को ग्राम सुरायता में स्थित स्रोत से जोड़ना प्रस्तावित है, जवाई बांध से जोड़ना आवश्यक नहीं है।

तहसील शिव (ग्राम बलिया) का आंगनबाड़ी केन्द्र

818. श्री अमीन खां (शिव) : क्या महिला-बाल-विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के तहसील शिव के ग्राम बलिया में एक गरीब महिला से तीन महीनों के प्रशिक्षण के बाद आंगनबाड़ी केन्द्र बिना जनता की शिकायत के ले लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक हिस्ट्री शीटर लखपति परिवार को यह केन्द्र दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ब्यावर में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

819. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 5 वर्षों में ब्यावर में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत निजी वन योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि आवंटित की गयी है ?

(2) क्या आवंटन बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के नियमों के अन्तर्गत हुआ है ? यदि नहीं, तो नियमों के विरुद्ध आवंटन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नियमों के विरुद्ध महत्वपूर्ण स्थानों का आवंटन किया गया जिसमें कई सरकारी अधिकारी सम्मिलित हैं ? उनके नाम एवं पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन आवंटनों को रद्द करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) निजी वन विकास हेतु बंजर भूमि का आवंटन नियम 1983 के तहत 602-18-0 बीघा भूमि का आवंटन तथा 4202-3-05 भूमि का आवंटन नियम 1986 के अन्तर्गत किया गया। इस प्रकार गत 5 वर्षों में कुल रकबा 4805-01-15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

(2) हां, भूमि का आवंटन बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये नियम 1983 व 1986 के तहत नियमानुसार किया गया है।

(3) यह सही नहीं है। नियमों के विरुद्ध कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(4) इस उप खण्ड में नियमों के विरुद्ध कोई आवंटन नहीं किया गया है। जिसे रद्द करने का प्रश्न उठता हो।

परिवहन निगम में अतिरिक्त बसें

820. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भविष्य में अतिरिक्त बसें चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक ?

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में निगम अधिकतम सेवा प्रदान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या भविष्य में किन्हीं मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने एवं कौन-कौन से मार्गों का ?

(4) क्या अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी निगम की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्ग पर तथा कितनी दूरी तक ?

उत्तर

(1) जी हां । निकट भविष्य में प्रस्तावित 117 नई बसों के उपलब्ध होने पर कुछ अतिरिक्त बसों का संचालन सम्भव होगा ।

(2) जी हां, नई बसों के उपलब्ध होने पर संचालन सम्भव होगा ।

(3) जी हां, मार्गों का नाम देना जनहित में नहीं है ?

(4) जी हां । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नियमानुसार परमिट लेकर बसों का संचालन किया जा रहा है । मार्ग व दूरी सहित सूची संलग्न है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर शहर में पानी के बिल

821 श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में पानी के मीटर खराब होते हुए भी विभाग द्वारा मीटर ठीक न करके उपभोक्ताओं को अधिक राशि के मासिक बिल वितरित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि मीटर खराब होने के कारण सरकारी विभागों यथा सर्किट हाउस, जेल, अस्पताल आदि के पानी के बिल हजारों रुपयों की राशि में आ रहे हैं जबकि दूसरी ओर कई जगह बिना मीटर के अवैध रूप से पानी सप्लाई हो रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उदयपुर शहर में पानी के लगभग 50 प्रतिशत मीटर कार्यरत हैं । उपभोक्ताओं को जल प्रदाय के बिल जल प्रदाय के नियमों के अनुसार भेजे जाते हैं ।

(2) विभाग द्वारा खराब मीटर ठीक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

किये जाने की प्रक्रिया है तथा उपलब्धता के अनुसार नये मीटर भी लगाये जाते हैं।

(3) सरकारी विभागों के बन्द मीटरों वाले जल सम्बन्धी बिल भी जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत ही बनाये जाते हैं। अवैध जल संबंधों पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

नसीराबाद क्षेत्र में पेयजल समस्या

822. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अधिकांश गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कोई स्थाई योजना बनाई है ?

(2) क्या जिन-जिन गांवों में हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं अथवा पानी सतह से नीचे चले जाने के फलस्वरूप काम नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा चलाये गये अभियान में कितने हैण्डपम्प चालू किये गये हैं और कितने अभी तक बेकार पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जो ट्यूबवैल राज्य सरकार द्वारा चालू कराये गये हैं उनको बिजली की नियमित सप्लाई समय पर नहीं करने के कारण वे कारगर नहीं हैं, जिससे ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

(4) राज्य सरकार ऐसे ट्यूबवैल को नियमित बिजली सप्लाई कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र के केवल पांच ग्राम हनुतिया, रामपुरा, जसवंतपुरा, लोहरवाड़ा व गादेरी में खारे पानी के कारण पेयजल की समस्या है जिन्हें बिसलपुर योजना से जोड़ना विचाराधीन हैं।

(2) क्षेत्र में चलाये गये हैण्डपम्प मरम्मत अभियान से पूर्व 395 हैण्डपम्प खराब थे। दिनांक 30.6.90 तक इनमें से 295 हैण्डपम्प ठीक कर दिये गये एवं शेष रहे 100 हैण्डपम्प सूखे अथवा परित्यक्त (अवरुद्ध) हैं।

(3) पेयजल आपूर्ति सामान्यतया सन्तोषप्रद है।

(4) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में 8 घंटे विद्युत आपूर्ति से उत्पादन का प्रावधान है अतः कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

किसान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर

823. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किसान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर को कौन-कौन सी आवासीय योजनायें भूमि रूपान्तरण हेतु नगर नियोजन विभाग एवं नगर विकास न्यास अलवर में प्राप्त हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जीतमल जैन)

(2) क्या उक्त योजनाओं की भूमि का भू उपयोग "प्रारूप मास्टर प्लान" में आवासीय था ?

(3) यदि नहीं, तो क्या भूमि रूपान्तरण हेतु राय दिये जाने से पूर्व मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

(4) यदि नहीं, तो कौन-कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) उक्त सोसाइटी की निम्नलिखित तीन योजनायें प्राप्त हुई है।

1–देहली रोड स्थित भूमि।

2–सोसाइटी की किशनगढ़ रोड पर स्थित जेल चौराहे पर न्यू आर्ट्स कालेज के पास भूमि।

3–देहली रोड पर ड्राफ्ट मास्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वाली भूमि पर।

(2) प्रथम योजना का भू उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान में आवासीय था।

दूसरी योजना का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान में पशु चिकित्सालय के लिये प्रस्तावित था।

तीसरी योजना का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान में वाणिज्यिक था।

(3) आवश्यक नहीं था।

(4) लागू नहीं होता है।

जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर की प्रस्तावित आवासीय योजना

824. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर की दिल्ली रोड पर प्रस्तावित आवासीय योजना नगर नियोजन एवं नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उक्त समिति की भूमि "मास्टर प्लान" (प्रारूप) में किस उपयोग हेतु दर्शायी गई थी ?

(2) यदि उपरोक्त भूमि का क्षेत्र आवासीय न होकर अन्य किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित था तो क्या भूमि रूपान्तरण हेतु समिति की योजना को स्वीकृति दिये जाने से पूर्व भू उपयोग हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ? यदि हां, तो प्राप्त स्वीकृति-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) अगर नहीं तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जो दिल्ली रोड, अलवर में स्थित है उसका ले-आउट प्लान भूमि रूपान्तरण विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् नगर सुधार न्यास तथा नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई। इस समिति की भूमि का कुछ भाग आवासीय एवं कुछ भाग वाणिज्यिक उपयोग में प्रस्तावित था।

(नगरीय विकास मंत्री)

प्रारूप मास्टर प्लान में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिये भू-रूपान्तरण के मामलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था, अलवर मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.2.90 को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें इस भूमि का उपयोग आवासीय दर्शाया गया है।

(2) लागू नहीं है।

(3) लागू नहीं है।

राज्य में वाहनों से प्रदूषण

825. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में मोटर, टैम्पो, टैक्सी आदि वाहनों द्वारा अधिक धुएं द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था है ?

(2) क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया है ? यदि हां, तो जनवरी, 1990 से अब तक कितने वाहन मालिकों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 115 व 116 के अन्तर्गत प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। उक्त नियम लागू होने से अब तक किसी वाहन का चालान नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने निर्देशित किया था कि आम जनता को इस सम्बन्ध में शिक्षित किया जावे। जनता को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने हेतु राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के सहयोग से 9.3.90 से 20.3.90 तक शिविर आयोजित किए गए एवं जन जागृति अभियान में डीजल एवं पेट्रोल के वाहनों की धुआं मापक यंत्रों से जांच की गई। उक्त शिविर में 1157 वाहनों की जांच की गयी जिसमें 739 पेट्रोल वाहन, 412 डीजल वाहन थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जून 90 से 17 जून 90 तक के दौरान भी प्रदूषण रोकने पर प्रचार-प्रसार किया गया। वर्तमान में परिवहन विभाग के पास धुआं मापक यंत्र नहीं है जिन्हें प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद ही वाहनों की इस सम्बन्ध में जांच कर अपराधियों को दण्डित करना सम्भव हो सकेगा।

अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा की डीलक्स बस सेवा

826. श्री हरीश आमनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1987-88 में अजमेर से जोधपुर, उदयपुर व कोटा हेतु डीलक्स बस कितनी चलती थीं ?

(2) अजमेर से जोधपुर मार्ग पर प्रतिदिन औसत कितने यात्री अजमेर से रोडवेज बस से यात्रा करते है ? कितनी डीलक्स बस जोधपुर हेतु उपलब्ध हैं ?

(श्री हरीश भामनानी)

(3) उदयपुर से जयपुर एवं जोधपुर से जयपुर जाने वाली किस-किस रोडवेज डीलक्स बस में अजमेर के यात्रियों को बैठाने की सुविधा है ?

(4) अजमेर से जयपुर पहुंचने में डीलक्स बस औसतन कितना समय लेती है तथा अन्य राज्यों की परिवहन डीलक्स सेवा कितना समय लेती है ?

(5) अजमेर रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला में वर्ष 1989-90 में कुल कितनी बसों की मरम्मत हुई एवं कुल लागत कितनी आई ?

उत्तर

(1) वर्ष 87–88 में अजमेर से जोधपुर एवं अजमेर से उदयपुर कोई भी सुविधा वाहन संचालित नहीं थी। केवल अजमेर से कोटा दो सुविधा वाहनें संचालित थी। लेकिन जयपुर से जोधपुर एवं जयपुर से उदयपुर, अजमेर होकर क्रमशः 5 व 8 सुविधा वाहनें संचालित थी।

(2) अजमेर से जोधपुर के लिये वर्तमान में औसतन 290 यात्री प्रतिदिन निगम की वाहनों में यात्रा करते हैं। वर्तमान में अजमेर से जोधपुर के लिये 2 सुविधा वाहनें उपलब्ध है।

(3) उदयपुर से जयपुर जाने वाली सुविधा बसें संविदा वाहनों के रूप में चलाई जा रही है जिनमें अजमेर के यात्रियों को बैठाने की सुविधा नहीं है। जोधपुर से जयपुर जाने वाली निम्न सुविधा वाहनों में अजमेर के यात्रियों को बैठाने की सुविधा उपलब्ध है :–

जोधपुर	अजमेर	जयपुर
1600	2015/2030	2300
2230	0245/0300	0530

(4) अजमेर से जयपुर पहुंचने में निगम की सुविधा बस औसतन ढाई घन्टे का समय लेती है। इस मार्ग पर अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की कोई सुविधा वाहन संचालित नहीं है।

(5) वर्ष 89-90 में निगम की अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में कुल 416 बसों की मरम्मत का कार्य किया गया है जिस पर कुल लागत (मय सामान, लेबर तथा ओवर हैड चार्जेज के) 3,97,71,821.00 रु. आई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

827. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में काउन्टर मेगनेट के विकास के लिए कोटा क्षेत्र के अतिरिक्त क्या अजमेर क्षेत्र का भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2001 के अन्तर्गत काउन्टर मेगनेट

(नगरीय विकास मन्त्री)

के नगरों के चुनाव करने के लिये अनेक अध्ययन के पश्चात् 36 नगरों का चयन किया गया था। इसके राजस्थान के तीन नगर क्रमशः कोटा, अजमेर एवं सीकर का चयन किया गया था। परन्तु पहले पांच वर्षों के लिए प्राथमिकता के आधार पर बोर्ड द्वारा केवल कोटा नगर का चयन किया गया है। अजमेर के विकास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा बाद में विचार किया जा सकता है।

ब्यावर का नया बस स्टेण्ड

828. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ब्यावर में नया बस स्टेण्ड कब से प्रारम्भ होगा एवं इसमें यात्रियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

उत्तर

परिवहन निगम द्वारा ब्यावर में नये बस स्टेण्ड से वाहनों का संचालन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिये यात्री शैड, शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ आदि की सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है।

सूर्यनगर/आर. के. पुरम बस्तियों में विकास कार्य

829. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तारों की कूंट, सांगानेर रोड जयपुर स्थित अनुसूचित जाति/जन जाति बाहुल्य बस्ती सूर्यनगर/आर.के.पुरम्. में वर्षों बाद भी नगर विकास की कोई सुविधा (यथा पेयजल, सड़क, रोड लाइट आदि) उपलब्ध नहीं होने से वहां के निवासी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि रोड लाइट्स एवं सड़क नहीं होने के कारण इस बस्ती में सदैव दुर्घटना एवं असामाजिक तत्वों का आतंक रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त बस्ती में इक निर्माण एवं रोड लाइट्स लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह बस्तियां निजी भूमि पर बसी हुई सोसायटी के क्षेत्र की है तथा सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों की सूची में अंकित नहीं हैं। अभी इस क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं रोड लाइट्स आदि विकास कार्यों के लिए कोई योजना नहीं हैं।

(2) इसका उत्तर भी भाग 1 में दे दिया गया हैं।

झुन्झुनूं जिले की पेयजल योजनाएं

830. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में पेयजल सुलभ कराने हेतु वर्तमान में कुल कितनी और कौन-कौन सी योजनायें कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३४)

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) उक्त जिले के लिए वर्ष 1990–91 में और कौन-कौन सी नई एवं पुरानी योजनाएं विचाराधीन हैं और इन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार की साहबा नोहर या सिद्धमुख योजना से झुन्झुनूं जिले में पेयजल पहुचाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

(4) झुन्झुनूं जिले में टी. एस. एस. योजना कहां-कहां चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में पेयजल व्यवस्था हेतु 403 परम्परागत स्रोत योजनाएं; 170 योजनाएं क्षेत्रीय, 60 पम्प एवं टैंक तथा 56 हैण्ड-पम्प योजनाएं कार्यरत हैं। वान्छित सूची प्रपत्र 'क' में संलग्न हैं।

(2) जिले की योजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं इनकी क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगी।

(3) जी नहीं।

(4) झुन्झुनूं जिले में परम्परागत स्रोत योजनाएं संधारण में हैं जिसकी सूची प्रपत्र क' में ही दी हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दरबार हायर सैकण्डरी स्कूल परिसर में विद्यालय

831. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर के दरबार हायर सैकण्डरी स्कूल व नार्मल ट्रेनिंग स्कूल तोपखाना के परिसर में कितने विद्यालय किस-किस स्तर के चलते हैं ?

(2) प्रत्येक विद्यालय के लिए कितने-कितने कक्ष निर्धारित हैं ?

(3) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय जो अलग-अलग नाम से संचालित हैं क्या वे पृथक्-पृथक् पारियों में एक ही स्थान पर चलते हैं ?

(4) दरबार हायर सैकण्डरी स्कूल जयपुर के परिसर में कौन–कौन अधिकारी कब-कब से, कितने समय से वर्तमान में रह रहे हैं और प्रत्येक के पास कितने-कितने कक्ष किस-किस नाम के हैं ?

(5) स्कूल के विशाल परिसर में रह रहे वर्तमान अधिकारी इन आवासों को कब से रोके हुए हैं और इस दौरान इनका पद-स्थापन कहां-कहां रहा, एवं इनकी सेवा निवृत्ति कब-कब, किन-किन की हो गयी ?

(6) क्या छात्रों के सम्यक् अध्ययन-अध्यापन के लिए इन अवैध कब्जा शुदा आवास गृहों को अधिकारियों से खाली करवाकर स्कूलों के लिए उपलब्ध करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर के दरबार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल व नार्मल ट्रेनिंग स्कूल तोपखाना के परिसर में निम्न चार विद्यालय चलते हैं :—

(शिक्षा मन्त्री)

1. राज. दरबार सी.उ.मा.वि., जयपुर

2. राज. उ. प्रा. वि. बालिका, हरिजन बस्ती तोपखाना, जयपुर

3. रा.उ.प्रा.वि. बेसिक मॉडल, जयपुर

4. रा.प्रा.वि. तोपखाना देश, जयपुर

(2) प्रत्येक विद्यालय के लिये निम्न प्रकार कक्ष निर्धारित हैं :-

1. राज दरबार सी.उ.मा. वि., जयपुर 54 कक्ष

2. रा.बा.उ.प्रा.वि. हरिजन बस्ती 6 कक्ष

3. रा. उ. प्रा. वि. बेसिक मॉडल जयपुर 24 कक्ष

4. रा. प्रा. वि, तोपखाना देश, जयपुर 3 कक्ष

(3) जी हां । राज. बेसिक मॉडल तोपखाना, हरिजन बस्ती एवं रा. प्रा. वि. तोपखाना-देश दोनों पृथक-पृथक पारियों में चलते हैं।

क्र.सं. नाम	दिनांक अधिकारी	कक्ष जो रहने की	वि.वि. आवंटित हैं
1	2	3	4
1. श्रीमती उषा मेहता व्या. राज. महिला शि. प्र. विद्यालय	1.7.90	4	
2. श्री ललित किशोर लोहमी, प्रौढ़ शिक्षा	1.3.90	4	सेवानिवृत 31.3.80
3. श्री वी. दास व्या. बेसिक महिला शि. प्र. विद्यालय	1.6.82	4	
4. श्री इन्द्रजीत सूद, प्र.रा. उ.मा.वि. बजाज नगर	16.7.75	4	सेवा-निवृत प्र. म. 31.8.89 से
5. श्री परमात्मा शरण उप जिला शिक्षा अधिकारी	10.1.84	4	

(4) उपरोक्त सभी कक्ष अधिकारियों के स्वयं के नाम के हैं।

(5) उपरोक्त बिन्दु सं. 4 में अंकित कर दिया गया है।

(6) आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अलवर स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों को तकनीकी स्वीकृति

832. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगर नियोजन विभाग एवं नगर सुधार न्यास अलवर ने, अलवर नगरीय क्षेत्र में गृह-निर्माण सहकारी

(40)

(श्री जीतमल जैन)

समितियों की योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के लिये उप-विभाजन हेतु मापदण्ड निर्धारित किये हैं ?

(2) यदि हां, तो निर्धारित मापदण्डों के अनुसार योजना क्षेत्र में आवासीय भू-खण्डों एवं सुविधा क्षेत्र जैसे पार्क, स्कूल, सड़कें आदि किस-किस अनुपात में रखा जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या "फ्रैन्ड्स गृह निर्माण" सहकारी समिति को जयपुर रोड़ पर प्रस्तावित योजना में भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही भू-खण्डों एवं सुविधा क्षेत्र आदि के लिये उचित अनुपात में भूमि छोड़कर स्वीकृति प्रदान की गई है ? कृपया स्वीकृत प्लान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाये की तकनीकी स्वीकृति पर उप विभाजन नियम 1975 तथा भूमि रूपान्तरण हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रकाश में विशेष स्थल परिस्थितियों के सन्दर्भ में दी जाती रही हैं।

(2) सुविधा क्षेत्र आदि राजस्थान नगर सुधार (भूमि उप विभाजन पुनर्गठन एवं सुधार) नियम 1975 के अनुसार रखे जाते हैं।

(3) सर्व प्रथम नगर सुधार न्यास, अलवर ने 1982 में फ्रैण्ड्स गृह निर्माण सहकारी समिति अलवर का मानचित्र उनके पत्र संख्या 14030 दिनांक 12.11.82 द्वारा सशर्त अनुमोदित कर अतिरिक्त जिलाधीश (भूमि रूपान्तरण) अलवर को भिजवाया। इस प्लान में सड़कों की चौड़ाई 20 फीट दिखाई गई थी तथा एक पार्क (सुविधा क्षेत्र) आरक्षित किया गया था। तद्पराान्त नगर नियोजन विभाग अलवर द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (भूमि रूपान्तरण) अलवर के पत्र दिनांक 5.10.88 द्वारा उक्त मानचित्र में सड़कों की चौड़ाई 20 फिट के स्थान पर 30 फिट की गई जिसके फलस्वरूप एक पार्क (सुविधा क्षेत्र) का कम हो गया। इस मानचित्र को अतिरिक्त जिलाधीश (भूमि रूपान्तरण) अलवर ने नगर सुधार न्यास, अलवर व उप नगर नियोजक, अलवर की संयुक्त बैठक में रख कर अन्तिम रूप से स्वीकृत किया जाना शेष है।

राज्य के विद्यालयों में उर्दू अध्ययन की सुविधा

833. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में छात्र छात्राओं के माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक स्तर के ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें उर्दू भाषा ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है ? उन विद्यालयों के जिलेवार नामों की संख्या की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी विद्यालयों में शिक्षा विभाग एवं राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उन

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

विद्यालयों तथा अध्यापकों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को तृतीय भाषा संस्कृत पढ़ाने के लिए वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं ? जबकि उन्हीं विद्यालयों में उर्दू भाषा तृतीय भाषा पढ़ाने के लिये तृतीय श्रेणी अध्यापक ही विभाग द्वारा लगाये गये हैं ऐसा क्यों ? उन आदेशों की प्रति भी सदन की मेज पर रखें जिसके अन्तर्गत एक ही रूप में पढ़ाये जाने वाली समान स्तर की कक्षाओं के लिए अलग-अलग स्तर के अध्यापकों की व्यवस्था है ?

(4) क्या यह सही है कि रा. सी. उ. मा. बालिका महाराजा विद्यालय, जयपुर में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि रा. सी. उ. मा. बालिका महाराजा विद्यालय जयपुर ही किशनपोल, हवामहल व बनीपार्क विधान सभा क्षेत्रों में एक ऐसा विद्यालय है जिसमें उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है ? यदि हां, तो फिर उन बालिकाओं के उर्दू अध्ययन के लिये जो कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ती हैं सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 181 विद्यालय है जिनमें उर्दू अध्यापन की व्यवस्था है जिलेवार नामों की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) प्रत्येक विद्यालय एवं विषय की आवश्यकतानुसार पदों का सृजन व आवंटन किया जाता है।

(4) जी हां, कक्षा 9, 10, 11 में छात्राओं की संख्या बढ़ जाने के कारण तथा विद्यालय में कमरों की उपलब्धि नहीं होने तथा गांधीनगर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से किशनपोल तक छात्राओं का उच्च माध्यमिक स्तर का कोई भी विद्यालय नहीं होने के कारण कक्षा 6 से 8 तक समाप्त की गई।

(5) जी नहीं। कक्षा 6 से 10 के लिये हवामहल क्षेत्र में गंगापोल उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला, माणक चौक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू के अध्ययन की व्यवस्था है। अतः कक्षाएं हटाने से उर्दू अध्यापन में कोई व्यवधान नहीं पड़ा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर एवं आमेर तहसील की अवाप्त भूमि

834. श्री गोपी राम जाट (आमेर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने जयपुर एवं आमेर तहसील के निवारू, मंशारामपुरा, बोयतावाला, सरना डूंगर एवं बैनाड ग्रामों की 1.367 बीघा 13 बिस्वा चाही बारानी भूमि को प्रभावित खातेदारों को बिना नोटिस दिये एव सुनवाई किये बिना अवाप्त कर लिया है ?

(42)

(श्री गोपीराम जाट)

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त भूमि का मुआवजा अवार्ड रुपये 1500/- प्रति बीघा चाही एवं रुपये 1000/- प्रति बीघा बारानी का पारित कर दिया गया है जबकि उक्त दर कहीं भी इन ग्रामों के आस-पास प्रचलित नहीं है तो फिर इन प्रभावित खातेदारों के साथ ही कम मुआवजा देकर अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने पूर्व में स्थापित फील्ड फायरिंग रेंज को आबादी की दृष्टि से ही यहां से हटाया था तो फिर से इन ग्रामों की आबादी के पास क्यों स्थापित किया जा रहा है जिस पर कुछ समय बाद करोड़ों रुपये का व्यय किया जाकर फिर से हटाना पड़ेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार इस फील्ड फायरिंग रेंज को यहां से स्थगित कर आगे 10-20 कि. मी. की परिधि में नहीं ले जा सकती जहां पर काफी मात्रा में बंजड़ भूमि उपलब्ध है ?

(5) क्या इस रेंज को ग्राम निवारू की आबादी से 1 कि मी. आगे नहीं ले जाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम की सीमा से बिल्कुल सटाकर सीमाबन्दी कर दी गई है जिससे पशुओं एवं प्राणी मात्र का निकलना दुष्वार हो जावेगा ।

(6) क्या राज्य सरकार ने प्रभावित खातेदारों को उनके मुआवजे का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बिना मुआवजे के भुगतान से पूर्व ही उनकी खड़ी फसलों को क्यों नष्ट किया जाता है ? क्या यह नियम सम्मत व उचित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही है कि राज्य-सरकार ने जयपुर एवं आमेर तहसील के ग्राम निवारू, मंशारामपुरा, बोयतावाला सरनाडूंगर एवं बेनाड की 1367 बीघा 13 बिस्वा चाही, बारानी भूमि को प्रभावित खातेदार को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई के अवाप्त कर लिया है। बल्कि प्रभावित खातेदारों को राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के प्रावधान अनुसार भूमि अर्जन अधिकारी जिलाधीश कार्यालय जयपुर द्वारा नोटिस दिया जाकर सुनवाई का नियमानुसार पर्याप्त अवसर दिया जाकर भूमि अवाप्ति की गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त भूमि का मुआवजा अवार्ड रुपये 1500/- प्रति बीघा चाही एवं रुपये 1000/- प्रति बीघा बारानी का पारित कर दिया है बल्कि तत्कालीन भूमि अर्जन अधिकारी ने अपने अवार्ड दिनांक 26.3.83 में माह सितम्बर 1981 की प्रचलित बाजार दर जो पंजीयक जयपुर/आमेर द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और हितधारीगणों/खातेदारों द्वारा अधिक बाजार कीमत का दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माह सितम्बर, 1981 में भूमि की प्रचलित दर बारानी 1500/- रुपये प्रति बीघा, चाही 2000/- रुपये प्रति बीघा एवं बजंड 1000/-रुपये प्रति बीघा की दर निर्धारित कर अवार्ड पारित किया है।

(3) यह सही है कि पूर्व में फायरिंग रेंज जयपुर नगर के समीप थी जिसे जयपुर

(नगरीय विकास मंत्री)

नगर की बढ़ती हुई आबादी की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु झोटवाड़ा स्थित फायरिंग रेंज की 518.18 एकड़ भूमि सन् 1982 में जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी गई एवम् उसके एवज में ग्राम निवारू, सिरनाडूंगर, बैनाड आदि ग्रामों की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में अवाप्त की गई भूमि ग्राम निवारू की आबादी से दूर है एवं ग्राम बैनाड की भूमि आबादी से एक किलोमीटर दूर है। भविष्य में फायरिंग रेंज अन्यत्र ले जाने की स्थिति वर्तमान में नहीं है।

(4) ऐसा कोई मामला इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। इस रेंज को आगे ले जाने का मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा सम्भ- लाने के बाद सीमा ज्ञान अवाप्तशुदा रकबे को फील्ड फायरिंग रेंज जयपुर को करा दिया गया था। निवारू की आबादी फील्ड फायरिंग रेंज से सटकर है। रेन्ज से जो रास्ते जाते थे उनको बन्द करने से पशु एवं प्राणियों को निकालने में असुविधा हुई है।

(6) प्रभावित खातेदारों को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया परन्तु वे बावजूद सूचना के भुगतान लेने उपस्थित नहीं हुये, केवल श्रीमती नारायणी बेवा भौरीलाल, श्री जगन्नाथ गोपाल पिता बोदु, तीजा बेवा बोदू व हनुमान पुत्र श्योकरण भुगतान हेतु उपस्थित हुए जिन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। शेष 354 खातेदारान के बावजूद सूचना उपस्थित न होने के कारण मुआवजा राशि वापिस सम्बन्धित विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) को लौटा दी गई। प्रभावित खातेदारान ने मुआवजा राशि कम होने व उसे बढ़ाने के बाबत नियमान्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर को रेफरेन्स प्रस्तुत किये थे जो तत्कालीन भू. अ. जयपुर द्वारा सिविल जज जयपुर को नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रेषित कर दिये गये चूंकि नियमान्तर्गत भूमि का अवार्ड जारी किया जाकर सम्बन्धित विभाग को अवाप्त की गई भूमि का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा कब्जा वर्ष 1983 में दिया जा चुका है।

अजमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियां

835. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति की कुल कितनी बस्तियां हैं ?

(2) इन बस्तियों में से कितनी बस्तियों में पेयजल की योजनाएं स्वीकृत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष बची हुई बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के एक मोटे अनुमान के अनु-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

सार एक हजार से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियां हैं।

(2) मुख्यत: इन बस्तियों हेतु पृथक योजनाएं स्वीकृत नहीं है परन्तु ये मूल पेयजल योजनाओं से जुड़ी हुई हैं।

(3) 197 बस्तियों में अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां पेयजल व्यवस्था धन उपलब्धता के अनुसार ही की जा सकेगी।

नागौर से पोचोड़ी बिजली लाईन

836. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने वर्ष 1990 में गत पांच माह के अन्दर नागौर से पोचोड़ी तक की बिजली की लाइन का वोल्टेज रेगूलेशन चैक किया था ? प्रत्येक लाइन के अन्तिम छोर का वोल्टेज रेगूलेशन जब-जब नोट किया गया तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार 8% वोल्टेज रेगूलेशन से अधिक वोल्टेज रेगूलेशन पाया जाये तो उस क्षेत्र में लगे हुए ट्रान्सफार्मर, बिजली की मोटरें आदि जल जाते हैं जिससे राज्य सरकार एवं किसानों को आर्थिक हानि होती है।

(3) राज्य सरकार ने उक्त 8% से अधिक वोल्टेज रेगूलेशन पाने पर क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर से पोचोडी लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन वर्ष 1988–89 में उच्च अधिकारी द्वारा चेक किया गया था। विभिन्न लाइनों को वोल्टेज रेगुलेशन विभिन्न स्तर पर आवश्यतानुसार समय-समय पर मापा जाता है जो प्रत्येक कनेक्शन देने के साथ हर बार बदलता रहता है। अत: तिथिवार विवरण देना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। 8% निर्धारित वोल्टेज से अधिक होने के कारण मोटरों व ट्रान्सफार्मर नहीं जलते हैं।

(3) उक्त लाइन पर निर्धारित 8% से अधिक वोल्टेज रेगूलेशन पाये जाने पर मेड में 33/11 के. वी. का एक सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति दिनांक 1.3.1989 को जारी की गई है। इसकी क्रियान्विति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत वरीयतावार वार्षिक फेज प्रोग्राम में सम्मिलित अनुसार की जावेगी।

ग्राम मूंगसका (अलवर) 'ऐन्ट एन्सलम' द्वारा स्वीकृत पूर्व निर्माण

837. श्री जीत मल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अलवर-दिल्ली मार्ग पर ग्राम मूंगसका में सेन्ट एन्सलम स्कूल को भवन निर्माण की स्वीकृति भूमि का रूपान्त-

(श्री जीत मल जैन)

रण की स्वीकृति प्राप्त हुये बिना ही जारी कर दी गई थी? यदि हां तो प्रवृत्त किस नियम के अन्तर्गत? भवन निर्माण स्वीकृति-पत्र एवं भूमि रूपान्तरण स्वीकृति-पत्र की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि उक्त कार्यवाही अनियमित व अवैध है तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। नगर विकास न्यास अलवर के पत्र क्रमांक 11522-23/89 दिनांक 13.6.88 द्वारा न्यास की भूमि रूपान्तरण समिति की बैठक दिनांक 25.5.89 में लिये गये निर्णयानुसार इस शर्त पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी कि भवन निर्माण का कार्य तब ही किया जावेगा, जब राज्य सरकार द्वारा भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। भवन निर्माण की शर्त स्वीकृति के आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेश प. 1 (152) राज/ग्रुप-3/88 दिनांक 10.1.90 द्वारा आराजी ख. न. 358 रकबा 4 बीघा 0 बिस्वा व आराजी ख. नं. 337 की 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा खातेदार द्वारा राज्य सरकार में समर्पित करने पर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिबासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नि:शुल्क आवंटन के आदेश जारी करने पर कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 12.3.90 द्वारा इन खसरा नं. की कृषि-भूमि को आवासी भूमि में रूपान्तरण के आदेश जारी किये गये हैं। भूमि रूपान्तरण आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ख" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस प्रकरण में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं हुई हैं।

(प्रति राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सलूम्बर क्षेत्र के ग्रामों में सौर ऊर्जा योजना

838. श्री फूलचन्द (सलूम्बर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्रों को सौर ऊर्जा के तहत प्रकाशमय करने की योजना है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार इस पहाड़ी एवं जनजाति बहुल क्षेत्र को इस योजना में सम्मिलित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि सौर ऊर्जा के तहत सभी जिलों को प्रकाशमय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रति वित्तीय वर्ष जिला कलक्टरों से चाहे जाते हैं। कलक्टर, उदयपुर के माध्यम से कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में सौर ऊर्जा से

(ऊर्जा मंत्री)

संचालित लाइटें लगाने पर विचार किया जावेगा।

बूंदी जिले के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

839. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कितने एवं किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं ?

(2) उक्त केन्द्रों पर कितने प्रौढ़ साक्षरता हेतु नियमित रूप से आते हैं ?

(3) उक्त केन्द्रों पर वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में कितना सामान विभिन्न प्रकार का केन्द्रवार दिया गया एवं केन्द्रवार कितना भत्ता अनुदेशकों को दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बून्दी मुख्यालय पर डेड स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है ? यदि हां, तो इस समय कौन-कौन सा एवं कितना सामान दर्ज है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में कुल 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। इनमें से 542 केन्द्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में एवं 58 केन्द्र नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे हैं। ग्राम पंचायत एवं नगरपालिकावार सूची संलग्न है (सूची क्रमांक-1)।

(2) प्रति केन्द्र 30 प्रौढ़ों का नामांकन किया जाता है जिसमें से प्रति केन्द्र औसतन 11–12 प्रौढ़ शिक्षा हेतु नियमित रूप से आते हैं।

(3) उक्त केन्द्रों पर वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में दिये गये सामान एवं अनुदेशकों को दिये गये भत्तों का केन्द्रवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (सूची क्रमांक 2 व 3)।

(4) जी हां। डेड स्टाक रजिस्टर में दर्ज सामान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (सूची क्रमांक 4)।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रोहिड़ा (तह. पिण्डवाड़ा) के विद्यालय की क्रमोन्नति

840. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रोहिड़ा तहसील पिण्डवाड़ा में वर्ष 1968–69 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय अब भी मिडिल स्कूल के रूप में ही चल रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और 1968–69 में जारी आदेशों की पालना नहीं करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार 1968–69 में जारी क्रमोन्नति आदेशों की पालना कर रोहिड़ा की मिडिल स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय हायर सैकण्डरी (उच्च माध्यमिक) विद्यालय, रोहिड़ा को शिक्षा सत्र 1969-70 से सैकण्डरी विद्यालय के रूप में अवनत (डाउन ग्रेड) किया गया था। उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के रूप में चल रहा है।

(3) जी नहीं। पूर्व में प्रचलित हायर सैकण्डरी स्कूल स्कीम समाप्त हो चुकी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित वातानुकूलित बाजार

841. श्री राम नारायण बेरवा (निवाई) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजापार्क में एक वातानुकूलित बाजार का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब एवं इसमें कुल कितनी दुकानें व अन्य कार्यालयों का निर्माण कराया गया तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इस वातानुकूलित बाजार की योजना पूर्ण होने की तिथि क्या मानी गई तथा वास्तव में यह कब पूर्ण रूप से निर्मित हुई ? प्रारम्भ में इस योजना पर कितनी राशि व्यय करने का अनुमान था तथा वास्तव में कितना व्यय हुआ ?

(3) अब तक कितने कार्यालय तथा दुकानें बेची गई और इससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(4) कितनी दुकानें एवं कार्यालय बिकने बाकी हैं इसके न बिक पाने के क्या कारण है ?

(5) क्या योजना व्यवहारिक थी यदि नहीं, तो इस भारी राशि के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इस प्रकार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजापार्क में एक वातानुकूलित बाजार का निर्माण कराया गया है जो पूर्ण रूप से बन कर दिनांक 10.10.88 को तैयार हो गया था इसमें कुल 65 दुकानें, 7 कियोस्क, 4 ज्यूस कार्नर, एक काफी शॉप, एक रेस्तरां तथा चार कार्यालय कक्षों का निर्माण कराया गया है. इस बाजार के निर्माण पर मार्च, 1989 तक 210.33 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) वातानुकूलित बाजार की योजना के निर्माण होने की तिथि 9.2.88 निश्चित की गयी थी तथा वास्तव में इस बाजार का निर्माण 10.10.88 को पूर्ण हुआ। प्रारम्भ में इस योजना पर 137.50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था वास्तव में मार्च 1989 तक 210.33 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(3) अब तक 5 दुकानें तथा दो कियोस्क नीलामी से बेचे जा चुके हैं।

(4) अब 60 दुकानें, 5 किओस्क,

(नगरीय विकास मंत्री)

4 ज्यूस कॉर्नर, एक काफी शॉप, एक रेस्तरा तथा 4 कार्यालय कक्ष बिकने बाकी है। यह बाजार वातानुकूलित होने से इसमें निर्मित दुकानों की अन्य बाजारों में अवातानुकूलित निर्मित दुकानों से लागत अधिक होने के कारण नीलामी में बोली दाता कम संख्या में भाग लेते हैं। तथा उनके द्वारा लगायी गई बोलियां मूल लागत दर से कम होने के कारण इनको नहीं बेचा जा सका है।

(5) जयपुर नगर के विकास को देखते हुए यह योजना बनाई गई थी।

नगर सुधार न्यास जोधपुर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अवाप्त भूमि

842. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1976 केन्द्रीय अधिनियम, राजस्थान राज्य में दिनांक 9.3.76 से लागू हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत जो भूमि दिनांक 9.3.76 को फ्रीज हो चुकी थी उसकी अवाप्ति दिनांक 9.3.76 से अब तक की जानी चाहिये थी। अतएव राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ, 19 (43) यू. डी. एस. ग्रुप 2/85 दि. 27.10.86 द्वारा समस्त विभागों, स्वायत्त संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों को सूचित किया था कि वे उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत फ्रीज हुई भूमि को अन्य एक्ट के तहत अवाप्त न करें ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर सुधार न्यास जोधपुर ने दिनांक 9.3.76 से अब तक उपरोक्त एक्ट के अतिरिक्त अन्य तरीके से भूमि अवाप्त की हैं ? यदि हां, तो निम्न कोलम्स में सूचना सदन की मेज पर रखें :–

(अ) भूमि प्रदान करने वाले का नाम व टाइटल (आ) भूमि का क्षेत्र (इ) भूमि का क्षेत्रफल (ई) भूमि कृषि है या आबादी (उ) भूमि के बदले में दिया गया मुआवजा की धनराशि, भूमि आदि।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि की अवाप्ति उपरोक्त एक्ट की धारा 5 (3) के अनुसार प्रभाव शून्य है एवं धारा 38 के अन्तर्गत दण्डनीय है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आदेश दि. 27.10 86 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(3) नगर सुधार न्यास जोधपुर ने दिनांक 9.3.76 से अब तक उपरोक्त एक्ट के अतिरिक्त अन्य तरीके से भूमि अवाप्ति की है जिसकी सूचना निम्नानुसार है :–

(नगरीय विकास मंत्री)

(अ) भूमि प्रदान करने वाले का नाम व टाइटल	(आ) भूमि का क्षेत्र	(इ) भूमि का क्षेत्रफल	(ई) कृषि भूमि या आबादी	(उ) भूमि के बदले में दिये गये मुआवजा की धनराशि, भूमि ।
1–श्यामलाल ओझा आबादी पट्टा	सूरसागर	59 बीघा 4 बिस्वा	आबादी	1000/– प्रति बीघा व 29 प्लाट्स
2–मदन गोपाल गेरबापीदार	गांव मेवां	50 बीघा	कृषि	भूमि के बदले 9 प्लाट
3–गुढं परिवार	गांव मेवां	9 प्लाट	आबादी	भूमि के बदले आधी भूमि
4–मानजी का हत्था आबादी	मानजी का हत्था	13,547 व.ग.	,,	भूमि के बदले भूमि 4374 वर्गगज
5–अक्षय सिंह इत्यादि	पाल	37 बीघा	कृषि	मुआवजा की राशि 7,76,900/-
6–बाबू खां	गांव गेवा	49 बीघा 9 बिस्वा	कृषि	10 रहवासीय भूखण्ड व 5803 व.ग. व्यावसायिक
7–विजयसिंह	गांव गेवा	35 बीघा	कृषि	15 विकसित रहवासीय भूखण्ड

(4) जी नहीं ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

नगरों में भूमि रूपान्तरण में छूट

843. श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के पांच नगर अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में अब तक राज्यादेश संख्या एफ. 9 (105) यू.डी.एच./82, दिनांक 19.10.82 व संख्या एफ. 9 (105) यू डीएच/82, दिनांक 22.7.85 के अन्तर्गत कितनी भूमि को छूट दी गयी ? उनके संबंध में निम्न सूचना सदन की मेज पर रखें :–

(क) छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ।

(ख) छूट दी गयी भूमि का गांव व खसरा संख्या ।

(ग) छूट दी गयी भूमि का क्षेत्रफल ।

(श्री मदनलाल सैनी)

(2) उपरोक्त दोनों राज्यादेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों आदेश मात्र रेग्युलाइजेशन योग्य भूमि पर ही लागू होते हैं परन्तु कनवर्सन योग्य भूमि को भी छूट प्रदान कर दी गयी जिसके फलस्वरूप लाखों वर्ग मीटर रिक्त भूमि अवैधानिक तौर पर ट्रांसफर कर दी गयी ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त अवैध कनवर्सन योग्य भूमि के ट्रांसफर को कब तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभावशून्य मानी जायेगी ?

(4) संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्यादेश संख्या एफ 9 (105) यूडीएच/82 दिनांक 19.10.82 एवं संख्या एफ 9 (105) यूडीएच/82 दि. 22.7.85 के अन्तर्गत पांचों नगर संकुलनों में 139 प्रकरणों में 2065 बीघा भूमि को छूट दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'क'

(2) दोनों राज्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'ख' व 'ग' उपरोक्त दोनों आदेश रूपान्तरण एवं नियमितिकरण योग्य भूमि पर लागू होते हैं।

(3) चूंकि उपरोक्त आदेश रूपान्तरण योग्य भूमि पर भी लागू होते थे अतः हस्तांतरण का प्रभाव शून्य करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर में स्वीमिंग पूल इण्डोर स्टेडियम

844. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर ने रंगमंच स्वीमिंग पूल इन्डोर स्टेडियम बनाने हेतु कब-कब निर्णय लिये इस संबंध में अब तक क्या-क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या इन कार्यों को क्रियान्वित करने में देर हुई है यदि हां, तो अनावश्यक देरी करने एवं उक्त योजनाओं की लागत बढ़ाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(3) उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) रंगमंच, स्वीमिंग पूल, इण्डोर स्टेडियम को बनाने का निर्णय न्यास बैठक 3.10.81 के अन्य प्रस्ताव संख्या 23 में लिया गया इनकी प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

रंगमंच

न्यास बैठक दिनांक 25.9.82 के प्रस्ताव संख्या 8 बिन्दु संख्या 10 में रतनबिहारी पार्क में रंगमंच का निर्माण हेतु

(नगरीय विकास मंत्री)

11.25 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की गई वर्ष 83-84 में रंगमंच निर्माण हेतु 10 लाख का प्रावधान रखा गया था। दिनांक 9.10.84 को वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री महोदय श्री बी. डी. कल्ला से विचार विमर्श के अनुसार रंगमंच टाउन हाल में न बनाया जाकर जवाहरनगर पार्क में बनाया जाना है। इस कार्य की लागत, 50 लाख रुपये आंकी गई। रु. 50 लाख में 20 लाख की व्यवस्था राज्य सरकार तथा 20 लाख न्यास एवं 10 लाख मुख्य मंत्री सहायता कोष से व्यय किये जाने की सहमति वित्त सचिव महोदय ने अध्यक्ष/जिलाधीश को वार्ता के दौरान दी गई उक्त सहमति अनुमोदन हेतु सचिव, नगर विकास न्यास एवं आवासन विभाग जयपुर को दिनांक 13.4.88 के द्वारा निवेदन किया गया जिसको दिनांक 4.5.88 को अस्वीकार करते हुए यह लिखा कि न्यास का अंशदान खाली भूमि उपलब्ध कराने हेतु हो सकता है। इस दौरान दिनांक 18.4.88 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जेल वेल के पास की भूमि पर शिलान्यास किया गया। उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर ने दिनांक 13.9.88 को स्पोर्टस विभाग को उक्त कार्य हेतु रु. 20 लाख उपलब्ध कराने हेतु लिखा जिसके जवाब में युवा एवं खेल विभाग ने सूचित किया कि रंगमंच के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक 9.12.88 के द्वारा पुनः निवेदन करने पर नगरीय एवं आवासन विभाग ने लिखा कि जब तक रु. 20 लाख राज्य सरकार से तथा 10 लाख रु. मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त न हो जाय तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे। दिनांक 21.4.89 को पुनः निवेदन करने पर न्यास को उसके अंशदान की राशि रु. 20 लाख की खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 8.11 89 एवं 3.2.90 को कला एव संस्कृति विभाग को रु. 20 लाख एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष को रु. 10 लाख भिजवाने हेतु निवेदन किया। इसी दौरान 2.12.89 को वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर रंगमंच को दो मानचित्र भेजकर उनकी स्थल पर उपयोगिता के बारे में राय बाबत लिखा गया। दिनांक 15.3.90 को उक्त निर्माण कार्य हेतु रु. 6 लाख प्राप्त हुए दिनाक 21.3.90 के पत्र द्वारा उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने सूचित किया कि न्यास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस कार्य को पूरा करना असंभव होगा एवं पुनः विचार हेतु लिखा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के आधार पर कार्य शुरू नहीं करने का लिखा गया। दिनांक 18.5.90 को वरिष्ठ नगर नियोजक ने दिनांक 2.12.89 को भेजे गये प्रकरण को कुछ आक्षेपों सहित वापिस लौटा दिया जिसमें एक आक्षेप यह था कि प्रस्तावों को बीकानेर शहर के मास्टर प्लान पर दर्शाते हुए क्यों नहीं भिजवाये गये और यदि मास्टर प्लानों के विरुद्ध थे तो प्रस्ताव क्यों भिजवाये गये। मास्टर प्लान से मिलान करने पर पाया गया कि रंगमंच के प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग खाली जमीन पार्क एवं खेल के मैदान है।

स्वीमिंग पूल :-

स्वीमिंग पूल हेतु न तो कोई स्थान का

(नगरीय विकास मंत्री)

चयन हुआ है और ना ही कोई राशि आवंटित की गई है।

इण्डोर स्टेडियम :-

दिनांक 26.6.82 के अन्य प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा बीकानेर में निर्मित किये जाने वाले इण्डोर स्टेडियम हेतु चारदीवारी तथा व्यावसायिक केन्द्र निर्मित किये जाने हेतु 3 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। न्यास बैठक दिनांक 25.9.82 के प्रस्ताव संख्या 8 बिन्दु संख्या 27 में इण्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 5 लाख की प्रदान की गई। वर्ष 82-83 के आय व्ययक बजट में रु. 10 लाख इण्डोर स्टेडियम के निर्माण एवं सड़कों के रख-रखाव हेतु प्रस्तावित किया गया। दिनांक 28.1.86 के द्वारा सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से अनुदान राशि रु. 5 लाख के विरुद्ध में 2.50 लाख की प्रथम किश्त प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध रु. 1,76,900.00 व्यय किये जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 26.9.86 को भेजा गया। अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पत्र संख्या 14995 दिनांक 25.11.86 द्वारा यह भी लिखा गया कि इण्डोर स्टेडियम का नक्शा राज्य सरकार के मुख्य वास्तुविधि के परामर्श से संशोधित किया जावे। प्रन्यास बैठक दिनांक 5.4.88 के प्रस्ताव संख्या 3 के आइटम संख्या 41 के तहत इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 10 लाख रु. व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु 8.12.88 एवं 29.3.90 द्वारा निवेदन किया गया। दिनांक 29.3.90 को मुख्य वास्तुविधि जयपुर को इण्डोर स्टेडियम के मानचित्र की प्रति स्वीकृति वास्ते प्रेषित की गई। दिनांक 23.5.90 को सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा पूर्व में दि. 5.4.88 को भेजे गये 10 लाख रु. का प्रस्ताव पुराना होने के कारण नवीनतम अनुमानों के आधार पर संशोधित व्यय के लिये पुनः प्रस्ताव चाहे एवं अन्य सूचनाएं भी चाही गई। मुख्य वास्तुविधि द्वारा इस कार्यालय से भेजे गये मानचित्र को संशोधित किया जा रहा है और संशोधित मानचित्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदित मानचित्र प्राप्त होने पर नवीनतम अनुमान राज्य सरकार को प्रेषित किए जायेंगे।

(2) **रंगमंच :-**राज्य सरकार से मिलने वाली राशि एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है जिसके अभाव में कार्य प्रारम्भ न करने हेतु राज्य सरकार के निर्देश आये हुए हैं। मानचित्र की स्वीकृति भी वरिष्ठ नगर नियोजक से प्राप्त होनी है।

स्वीमिंग पूल :-स्थल चयन एवं राशि की स्वीकृति के अभाव में कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका।

इण्डोर स्टेडियम :-स्वीकृत मानचित्र एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण चारदीवारी के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किया जा सका।

(3) **रंगमंच :-**राज्य सरकार एवं मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि नहीं मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

स्वीमिंग पूल :-वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(नगरीय विकास मन्त्री)

इण्डोर स्टेडियम :- मानचित्र की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् न्यास द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सरदारगढ़ (उदयपुर) में बड़ी पाइप लाईन

845. श्री खंगार सिंह (खारची) : -क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरदारगढ़ (उदयपुर) में पेयजल की समस्या को देखते हुए वर्तमान पाइप लाईन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार जल वितरण में सुधार हेतु बड़ी पाइप लाईन लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

सन्दर्भित ग्राम में बिछी हुई पाइप लाईनें सामान्यतः आवश्यकता की पूर्ति कर रही है।

पोलिटेक्निक डिप्लोमाधारी सहायक ड्रिलर्स की पदोन्नति

846. श्री खंगार सिंह (खारची) : -क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पोलिटेक्निक डिप्लोमाधारी सहायक ड्रिलर की उनकी नियुक्ति तिथि से एक साल के अनुभव के पश्चात् नियमित ड्रिलर के पद पर पदोन्नति देने हेतु उच्च न्यायालय ने अपनी सिविल रिट याचिकाओं में निर्णय दिया है ? यदि हां, तो किन-किन याचिकाओं में ? निर्णय की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं करने की राय भी विधि विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? इस आशय के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वित्त (व्यय-3) विभाग ने उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हेतु पत्रावली संख्या 2 (4) वित्त (व्यय-3) दिनांक 23-9-89 द्वारा स्वीकृति भी दे दी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि शासन सचिव जन. स्वा. अभियान्त्रिकी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 51/197/पी. एच. डी./88, दिनांक 9-11-89 द्वारा मुख्य अभियन्ता को यह निर्देश भी दिया है कि मा. उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पोलिटेक्निक डिप्लोमाधारी सहायक वेधक को उनकी नियुक्ति तिथि से एक वर्ष के अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् नियमित वेधक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे एवं संदर्भ में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को शीघ्र भेजे जावें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय की अब तक पालना में विलम्ब अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जिससे भू-जल विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये वेधकों/सहायक अभियंताओं का समायोजन किया जा सके ?

(श्री खंगार सिंह)

(6) उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के उक्त निर्णयों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अब उक्त निर्णयों पर कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न याचिकाओं द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं :-

1- डी. बी. सिविल रिटयाचिका सं. 874/88 निर्णय दिनांक 1-2-89

2- डी. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1748/88 निर्णय दिनांक 14.3.89

3- डी. बी. सिविल रिट याचिका सं. 3288/84 निर्णय दिनांक 13-2-86

4- एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 3065/89 निर्णय दिनांक 25-1-80

(निर्णय की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं)

(2) जी हां। विधि द्वारा माह सितम्बर, 89 में निर्णित याचिकाओं के विरुद्ध अपील में न जाने का निर्णय दिया गया। इस आशय के पत्र की प्रति रखना सम्भव नहीं होगा।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णयों की क्रियान्विति प्रगति में हैं, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है। उक्त निर्णय पर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जालौर में शराब की दुकानें

847. श्री टीकमचन्द कान्त : (रेवदर) -क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में जालौर, आहोर भीनमाल, रानीवाड़ा, गुडा, सापला तथा भावसानी स्थित शराब की दुकानें स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हाल, मन्दिर से कितनी दूरी पर हैं ?

(2) क्या यह दूरी आबकारी नियमों के तहत है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कम दूरी पर दुकानें खोलने की स्वीकृति के लिये कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(आबकारी मन्त्री)

(3) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) आबकारी आयुक्त से यह जानकारी की जा रही है कि उनके द्वारा क्या नियमों में शिथिलता दी गई थी। यदि नहीं दी गई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तिजारा व कोटकासिम पंचायत समितियों में स्वीकृत शराब की दुकानें

848. श्री जगमालसिंह यादव : (तिजारा) –क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, तिजारा व कोटकासिम जिला अलवर में देशी व विदेशी शराब की कितनी स्वीकृत दुकानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचायत समितियों में गैर कानूनी दुकानें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, तिजारा में देशी व विदेशी शराब की निम्न दुकानें स्वीकृत हैं :–

देशी शराब की दुकानें	विदेशी शराब की दुकानें
1. देशी मदिरा मुख्य दुकानें तिजारा	1. विदेशी मदिरा उप दुकान तिजारा
2. देशी मदिरा, उप दुकानें गैलपुरा	
3. देशी मदिरा, मुख्य उप दुकान, टपुकडा	
4. देशी मदिरा, मुख्य दुकान, भिवाड़ी	
5. देशी मदिरा, उप दुकान, शाहबाद	

पंचायत समिति, कोटकासिम में देशी व विदेशी शराब की निम्न दुकानें स्वीकृत हैं :–

देशी मदिरा की दुकानें	विदेशी मदिरा की दुकानें
1. देशी मदिरा मुख्य दुकान जोडिया	1. विदेशी मदिरा दुकान कोई नहीं है।
2. देशी मदिरा, मुख्य दुकान, मौकर	
3. देशी मदिरा, मुख्य दुकान नसोपुर	
4. देशी मदिरा, मुख्य दुकान, कोटकासिम	
5. देश मदिरा उप दुकान, बुडीबावल	

(2) राज्य सरकार की जानकारी में कोई अनधिकृत दुकान नहीं चल रही है।

(56)

भवानी मंडी में स्मैक का चलन

849. श्री बालचन्द आर्यवीर : (डग) –क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी कस्बे में स्मैक का भयंकर चलन है जिससे युवा लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता आ रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार जांच करवा कर इस स्मैक पर कड़ी पाबन्दी लगाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि भवानी मंडी कस्बे में स्मैक भी बनती है और भवानी मंडी के पास मध्य प्रदेश के शामगढ़ में भी बनती है ? क्या सरकार जांच करवाकर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला आबकारी अधिकारी, कोटा को निर्देशित कर दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाए।

(2) नारकोटिक ड्रग्स् एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सेन्टेज् एक्ट, 1985 में स्मैक का धन्धा दण्डनीय अपराध है।

(3) भवानी मंडी कस्बे में स्मैक बनने बाबत कोई जानकारी आबकारी विभाग को नहीं है। भवानी मण्डी के पास मध्य प्रदेश के शामगढ़ में स्मैक बनने की जानकारी भी आबकारी विभाग को नहीं है।

बीकानेर में ट्रैफिक सिग्नल

850. श्री बुलाकीदास कल्ला : (बीकानेर)–क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में ट्रैफिक सिग्नल बन्द है ? यदि हां, तो ये कब तक ठीक हो जायेंगे ?

(2) ट्रैफिक सिग्नल पिछले महीनों में क्यों खराब हुए ? पिछले महीनों में उन्हें ठीक न करने के क्या कारण ? जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जावेगी ?

(3) बीकानेर शहर में जहां ट्रैफिक अधिकतर है वहां ट्रैफिक सिग्नल और कितने एवं कब तक लगाये जायेंगे ?

(4) बीकानेर शहर के चौराहे एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिनकी रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है वहां ट्रैफिक सिग्नल एवं अन्य संकेत कहां-कहां लगाये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) बिजली का स्थाई कनेक्शन लेकर, जांच (टेस्ट) कर सिग्नल को चालू कराना शेष है।

(3) अभी कोई योजना नहीं है।

(4) अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चूरू में गन्दे पानी के निकास की योजना

851. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चूरू नगर परिषद् ने गन्दे पानी के निकास हेतु एक योजना 10-12 वर्ष पूर्व बनाई थी ? अगर हाँ, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगर परिषद् ने गन्दे पानी के निकासी की योजना हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार को नाबार्ड से ऋण दिलवाने हेतु प्रस्ताव भेजा है. यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या उक्त नगर परिषद् में अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हाँ, तो सरकार कब तक अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवा सकती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विशेष अनुदान देने की योजना रखती है ?

(5) उक्त नगर परिषद् के अधीनस्थ इन्द्रमणी पार्क के देख-रेख व विकास हेतु कितना बजट प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा वर्ष 1978 में बनाई गई थी जो उक्त विभाग में अब उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रति प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) गन्दे पानी की निकासी के लिए नगर परिषद, चूरू से किसी भी वित्तीय सहायता प्रदान कराने वाले उपक्रम से ऋण दिलाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद को अग्निशमन सेवायें के लिए पूर्व में 4·00 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये गये थे, परन्तु नगर परिषद ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने से अग्निशमन यंत्र का अतिरिक्त भार वहन करने में असमर्थता बताई एवं भेजी गई उक्त राशि वापस लौटा दी है।

(4) नगर परिषद, चूरू की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। निर्माण कार्य हेतु 2 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिनांक 14.6.90 को स्वीकृत किया जा चुका है।

(5) चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 का बजट अभी तक नगर परिषद मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

राज्य में निगम की अन्तर्राज्यीय बस सेवा

852. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के उदयपुर आगार में कुल कितनी बसें संचालित हैं ? कृपया बसों की श्रेणियां, माडल एवं नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेरसिंह)

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में निगम की कौन-कौन सी बस कब-कब कहां-कहां किस-किस समय चलती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान राज्य सरकार द्रुतगामी अन्तर राज्यीय बस सेवा झाडोल, सोम, खोखरा विजयनगर, अहमदाबाद (गुजरात) तक चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(4) प्रश्न के भाग तीन के सम्बन्ध में क्या जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है ? यदि हां, तो उनके मांग पत्र की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के उदयपुर आगार में वर्तमान में 105 वाहनें संचालित हैं। ये सभी वाहनें साधारण श्रेणी की है। वाहनों का माडल एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्शाते हुये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी हां। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर वाहन संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। मांग पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है। (परिशिष्ट–3) उदयपुर से अहमदाबाद वाया झाडोल-सोम-गारड-वास-खोखरा-विजयनगर-हिम्मतनगर अन्तर्राज्यीय मार्ग पर वाहन सेवा संचालन हेतु मांग प्राप्त होने पर गुजरात राज्य परिवहन निगम से इस मार्ग पर बस संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जो दिनांक 5.7.90 को प्राप्त हो गया है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद अनुज्ञापत्र प्राप्त कर इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि वर्षाकाल में सोम से आगे और विजयनगर के बीच में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत् मण्डल, नागौर में वाहन व स्टाफ व्यवस्था

853. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) एवं श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय नागौर में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उप-खण्ड कार्यालय परबतसर की जीप व ट्रक खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि खण्ड मकराना की ट्रक व उप-खण्ड कुचामन की

(श्री मोहनलाल चौहान)

जीप व ट्रक भी खराब पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(4) ये वाहन ठीक नहीं होने की दशा में क्या बोर्ड नये वाहन उपलब्ध कराने की मन्शा रखता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, नागौर के कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कुछ स्थान रिक्त हैं जिनको कार्यभार को मध्य नजर रखते हुये भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। परबतसर उपखण्ड कार्यालय की जीप दिनांक 1.2.89 से व ट्रक दिनांक 9.2.1990 से खराब है।

(3) जी नहीं; मकराना की ट्रक चालू है। लेकिन उपखण्ड कुचामन की जीप ठीक होने की स्थिति में नहीं थी अतः उसको भण्डार में जमा करा दी गई व ट्रक खराब है, जिसको ठीक कराने की प्रक्रिया जारी है।

(4) जी हां, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार उपखण्ड के कार्य भार को देखते हुये आवश्यकता व वरीयता अनुसार वाहन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की आवासीय योजनाएं

854. श्री छगनलाल (बड़ीसादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989-90 में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कितने आवासीय मकान तैयार किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी आवासीय योजनायें पूर्ण हुई व कितनी पूर्ण होना बाकी है ? तथा कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) अधूरी आवासीय योजनाओं के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 88-89 में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा बापूनगर व पंचवटी योजना में 172 आवासीय मकान तैयार किये गये बापूनगर के मकानों की सूची सं. जी. सी. 1 से 36, जी. डी. 1 से 36, जी. एच. 1 से 36 एवं जी. जी. 1 से 36, कुल 144 तक हैं व पंचवटी में मकानों की सूची संख्या 28 तक है।

(2) भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की तीन योजनाएं गांधीनगर, काशीपुरी, शास्त्रीनगर (मेन) पूर्ण हुई है। बापूनगर, पंचवटी शास्त्रीनगर प्रसार डॉ. राधाकृष्णन नगर, रमेशचन्द्र व्यास नगर, आजाद नगर, बसन्त बिहार नगर योजनायें पूर्ण होना बाकी है। इन योजनाओं में केवल नीलामी योग्य भूखण्ड ही शेष हैं। इन भूखण्डों के विक्रय पर पूर्ण हो जावेगी। अतः योजना पूर्ण होने की समय सीमा निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती।

(3) अधूरी आवासीय योजनाओं के

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

भीलवाड़ा जिले के उप श्रम आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण

855. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत 3 वर्षों में भीलवाड़ा जिले में न्यूनतम मजदूरी, समान कार्य पर समान मजदूरी, वेतन भुगतान कानून श्रमिक क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत कौन-कौन से मामले उप श्रम आयुक्त के यहां विचाराधीन हैं ? और वह कितने समय में निस्तारित करा दिये जायेंगे ?

(2) क्या सरकार उनके जल्दी निस्तान्तरण हेतु कोई कारगर कदम उठाना चाहती है ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 3 वर्षों में भीलवाड़ा जिले में उप श्रम आयुक्त के यहां निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत मामले विचाराधीन हैं :—

अधिनियम	वर्ष 1988	1989	1990 (जून तक)
1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	105	115	148
2. समान पारिश्रमिक अधिनियम	—	—	—
3. वेतन भुगतान अधिनियम	187	185	198
4. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम	72	104	182

गत 3 वर्षों में भीलवाड़ा जिले में उप श्रम आयुक्त के यहां न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियमों के अन्तर्गत, विचाराधीन मामलों की सूची संलग्न है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं है।

विचाराधीन मामलों को निपटाने हेतु समय सीमा निश्चित की जाना सम्भव नहीं है क्योंकि निपटारा पक्षकारों के सहयोग पर निर्भर करता है।

(2) विचाराधीन मामलों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, तथा जल्द से जल्द तिथियां दी जाकर सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है तथा सबसे अधिक पुराने मामलों के निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में भूमिगत पैदल पारपथ का निर्माण

856. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर स्थित रामलीला मैदान से लेकर रामनिवास

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बाग तक अण्डरग्राउण्ड रास्ता बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, एवं कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये योजना मानचित्र की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जयपुर शहर में सम्पूर्ण यातायात सुधार कार्यों के लिए एवं भूमिगत रास्तों के लिये कुल 50 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिसमें यह कार्य भी शामिल है। यह कार्य चालू हो गया दो वर्ष की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है। (मानचित्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के ट्रांसफोर्मर की मरम्मत

857. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा 1.76 करोड़ रुपये के ट्रांसफोर्मर बिना बैंक गारन्टी के सुधारने के लिये दिये थे ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में ट्रांसफोर्मर वापस प्राप्त न होने पर उन कम्पनियों के खिलाफ पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह ट्रांसफोर्मर वापस प्राप्त हो गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत मण्डल के अधीन 9 वृतों द्वारा लगभग 1.43 करोड़ रुपये के ट्रांसफोर्मर मैसर्स जयपुर इलेक्ट्रो व इसकी सहयोगी फर्मों को बिना बैंक गारन्टी के सुधारने हेतु दिये गये।

(2) जी हां। मैसर्स जयपुर इलेक्ट्रो द्वारा ट्रांसफार्मर वापस नहीं दिये जाने के कारण झुंझुनू वृत को छोड़ कर सभी 8 वृतों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई, जिसकी प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीडवाना क्षेत्र का विद्युतीकरण

858. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति डीडवाना के ग्राम अमरपुरा, दादुवासनी भवादिया को इसी सत्र के दौरान विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री उम्मेद सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव के चारों तरफ के गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांवों की उपेक्षा का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डीडवाना के ग्राम अमरपुरा, दादुबासणी एवं भवादिया क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में विद्युतिकरण हेतु स्वीकृति है ।

इस सत्र हेतु वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के निर्धारण का कार्य प्रगति पर है । निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इन गांवों को विद्युतिकृत करने हेतु कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा ।

(2) जी नहीं । ग्राम अमरपुरा, दादुबासणी एवं भवादिया के आस.पास के ग्राम भी ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में स्वीकृत है परन्तु उनका अभी तक विद्युतिकरण नहीं हो पाया है । अतः वर्णित ग्रामों की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सवाई माधोपुर जिले में नलयोजना

859. श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर में नल योजना लिवाली में कूप निर्माण हेतु स्वीकृत राशि तखमीने अनुसार खर्च की गई या अधिक ? यदि अधिक राशि खर्च की गई तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब कब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) वास्तविक व्यय स्वीकृत अनुमान से अधिक हुआ है ।

(2) कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम ज्याणी (नागौर) का विद्युतीकरण

860. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या ग्राम ज्याणी पंचायत समिति जायल (नागौर) के इर्द-गिर्द सभी गांव विद्युतीकृत हैं ? यदि हां, तो इस गांव को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । ग्राम ज्याणी जो कि पंचायत समिति जायल जिला नागौर के एक किनारे पर है, उसके आस-पास के ग्राम जो पंचायत समिति लाडनू और डीडवाना के अन्तर्गत पड़ते हैं, विद्युतिकृत हैं । इस ग्राम को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु योजना में आवंटित लक्ष्यों व वित्तीय साधनों के अनुसार इस वर्ष या आगामी वर्षों में विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित किया जा सकेगा ।

63

अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

861. श्री हरि सिंह (महुआ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री आर. सी. गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर के पद पर कब से कब तक, कार्यरत थे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये थे एवं आरोप पत्र भी दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि आरोपों की बिना जांच करवाये ही श्री आर. सी गुप्ता की पदोन्नति की गई है? अगर जांच करवाई गई तो किस अधिकारी द्वारा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या इस जांच की प्रति में अनियमिततायें बरती गई हैं एवं चपला करके दोषी अधिकारी को दोष मुक्त कर दिया गया ?

(4) क्या सरकार श्री आर. सी. गुप्ता के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवाये जाने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्री आर. सी. गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर में दिनांक 28.12.83 से दिनांक 8.12.87 तक कार्यरत रहे।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। आरोपों की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जयपुर से जांच करवायी गई थी। जांच नियमानुसार की गई थी तथा दोषमुक्त पाये जाने पर ही नियमानुसार पदोन्नति की गई है। आरोप पत्रों व जांच रिपोर्ट का विभागीय रिकार्ड है जिसकी प्रतियां दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) चूंकि नियमानुसार जांच के पश्चात् दोषमुक्त माना गया है अतः अतिरिक्त जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

बामनवास पंचायत समिति के ग्रामों का योजनान्तर्गत विद्युतीकरण

862. श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बामनवास में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, और कितने ग्राम शेष हैं ?

(2) उक्त पंचायत समिति में कृषि कनेक्शनों एवं घरेलू कनेक्शनों के कितने आवेदन पत्र कब से विचाराधीन हैं तथा सरकार का इन्हें, कब तक कनेक्शन देने का इरादा है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 133 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है एवं 12 ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष हैं।

(विद्युत मन्त्री)

(2) बामनवास पंचायत समिति में, मार्च 1990 तक 635 कृषि कनेक्शन एवं 782 घरेलू कनेक्शनों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। वर्ष वार सूची संलग्न है।

कृषि कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में दिये जावेंगे एवं अन्य श्रेणी के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जा सकेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

आबू-पिंडवाडा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

863. श्री प्रभुराम (पिंडवाडा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबू पिंडवाडा क्षेत्र के आदिवासी बहुल ग्राम मोरस, बरली, बालोदिया, भूला, पंचदेवल, फूलाबाई का खेड़ा, नागपुरा, पावा, दोइप्रतरा, उपलीबोर, नीचलीबोर आदि गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक विद्युत् व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये विद्युत कनेक्शन देने की मन्शा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिरोही जिला जिसमें आबू पिण्डवाडा क्षेत्र पड़ता है, शत-प्रतिशत विद्युतिकृत है तथा इस क्षेत्र के मोरस, बरली, बालोदिया, भूला, पंचदेवल, फूलाबाई का खेड़ा, नागपुरा, पावा, उपलीबोर, नीचलीबोर एवं दोतरा ग्राम भी विद्युतिकृत घोषित हैं।

(2) जी हां, राज्य सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये विद्युत कनेक्शन देने की मन्शा रखती है। इन लोगों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 864

(स्थगित)

जे. के. टायर कांकरोली द्वारा देय चुंगी

865. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने 30.12.86 को अधिसूचना जारी कर जे. के. टायर कांकरोली द्वारा देय चुंगी राशि के आधार को पूर्वगामी प्रभाव से मूल्य-आधार बदल कर वजन आधार कर दिया ?

(2) यदि हां, तो इस आदेश के जारी होने से विभाग को कितनी राशि का घाटा हुआ ? क्या यह घाटा करोड़ों रुपयों का

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

है ? एवं अभी भी प्रति माह घाटा हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग सचिव ने उनके यहां हुई 18 2.89 की बैठक के निर्णयानुसार 26.9.89 को सभी पक्षों की बैठक की कार्यवाही भेज कर यह जानकारी दी कि 30.12 86 तक चुंगी पुरानी दर पर ही वसूल की जाय ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय को नहीं मानते हुए तत्कालीन स्वायत्त शासन सचिव ने किस आधार पर 12.2.90 को चुंगी पूर्वगामी प्रभाव से पुरानी दर से लेने के आदेश दिये ?

(5) इस प्रकार से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.87 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30.12 86 के अनुसार दिनांक 1.1.1987 से चुंगी की दर मूल्य पर आधार बदल कर वजन के आधार पर कर दी गई है। यह सही नहीं है कि यह अधिसूचना पूर्वगामी प्रभाव से लागू की गई हैं।

(2) इस अधिसूचना के जारी होने से लगभग 14 लाख रुपये की राशि का प्रतिमाह अन्तर रहता है।

(3) जी हां, यह सही है।

(4) स्वायत्त शासन विभाग के आदेश 19.2.90 के अनुसार दिनांक 1.1.84 से 31.12.86 तक चुंगी राशि की अधिसूचना दिनांक 30.12.86 की दरों के अनुसार ही वसूल किये जाने के आदेश प्रसारित किये, परन्तु राज्य सरकार ने इन आदेशों को अपने आदेश दिनांक 30.5.90 के द्वारा स्थगित कर दिया है।

(5) यह बिन्दु विचाराधीन है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

866. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदार पुर): क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा-परिषद् शत प्रतिशत अनुमानित संस्था है ? यदि हां, तो उक्त परिषद् के कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परिषद् पर राज्य सरकार के सेवा नियम लागू हैं ? यदि हां, तो राज्य की अन्य अर्द्धशासी/स्वायत शासी/निगमों, मण्डलों की तरह खेल परिषद् के कर्मचारियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो राज्य कर्मचारियों देय है, किन्तु परिषद् कर्मचारियों को राज्य

(खेल मन्त्री)

कर्मचारियों की तरह पेंशन, चिकित्सा व्यय पुनर्भरण एवं ऋण सुविधाएँ देय नहीं हैं।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु आयु सीमा में छूट केवल राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों को तथा पंचायत समितियों एव जिला परिषदों के कर्मचारियों को ही देय है। अर्द्धशासी/स्वायत्त शासी निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों को छूट नहीं दी जाती है। चूंकि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद पूर्णरूपेण सरकारी संस्था नहीं है, अतः इसके कर्मचारियों को आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं है।

चूरू तहसील के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

867. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : –क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गन्देली साहवा योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील के कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध है तथा भविष्य में कितने गांवों को लाभान्वित करने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में मिनी मिशन के अन्तर्गत कितने गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है ? तथा भविष्य में कितने गांवों को मिनी मिशन में लिया जावेगा ?

(3) उक्त तहसील में जसरासर सातड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना व खासोली दूधवाखारा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को कब भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ? तथा उन जल प्रदाय योजना से ग्रामवासियों को कब तक लाभान्वित किया जावेगा ?

(4) उक्त तहसील की घन्टेल सोमासी व सहनाली मोलीसर जल प्रदाय योजना से ग्रामवासियों को कब तक लाभान्वित किया जावेगा ?

(5) चूरू जिले में कितने गांवों को कितने टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है ?

(6) चूरू जिले में टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत कुओं को कब तक विभाग की अधिग्रहण की योजना है ?

(7) चूरू तहसील में इस वर्ष कन्टीजेन्सी प्लान में कितने ट्यूब वैल स्वीकृत हुए हैं ? तथा कितने ओपन ट्यूब वैल को कमीशन करने की योजना है ? इस वर्ष कितने जी. एल. आर. स्वीकृत किये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील के चार ग्रामों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं भविष्य में 5 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सूची प्रपत्र 'क' पर संलग्न है।

(2) तहसील चूरू में आठ ग्रामों को मिनी मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। भविष्य में लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार से सहायता के अनुपात में किया जावेगा।

(3) संदर्भित योजनाओं के संवर्धन प्रस्ताव जनवरी, 90 में स्वीकृत किये गये

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

हैं जिनका क्रियान्वयन धन उपलब्धता के अनुसार संभव हो सकेगा।

(4) सन्दर्भित योजनाओं की स्वीकृति धन उपलब्धता के अनुसार हो सकेगी।

(5) जुलाई की वर्षा के पश्चात् केवल एक ग्राम (पिंच कराई टिब्बा, तहसील सरदार शहर) को एक टैंकर से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षा से पूर्व 79 गांवों को 24 टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था।

(6) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(7) कन्टीजेन्सी प्लान में चूरू तहसील में इस वर्ष दो नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक खुला कुआं भी चालू करने की योजना है। इस वर्ष पशु पेयजल योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील में 16 (सोलह) जी. एल. /भूतल जलाशय स्वीकृत किये गये हैं। विवरण प्रपत्र 'क' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की आपूर्ति

868. श्री किशनाराम (श्रीडूंगरगढ़): –क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989 में जलदाय विभाग ने कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो कितने पद हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? कृपया प्रत्येक आवेदन कर्ता के डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन आवेदकों में वो आवेदक भी हैं जिन्होंने वर्ष 1985 से शासन सचिवालय में पंजीयन करा रखा है? यदि हां, तो कौन-कौन आवेदक हैं क्या उन्हें चयन में वरीयता दी जावेगी?

(3) क्या इन आवेदकों में वो आवेदक भी हैं जिन्होंने एक वर्ष का एप्रेंटिसशिप भी कर रखा है? यदि हां तो उन्हें क्या चयन प्रक्रिया में वरियता दी जावेगी? आवेदकों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पद कब तक भरे जाने का सरकार का इरादा है?

उत्तर

(1) जी नहीं. वर्ष 1989 में कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे।

(2) सूचना शून्य है।

(3) सूचना शून्य है।

(4) सूचना शून्य है।

राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

869. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम): –क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में औद्योगिक दृष्टि से कितने जिले पिछड़े घोषित किए हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश भामनानी)

(2) भीलवाड़ा और नागौर जिले में कुल कितने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योग, इकाइयां स्थापित हैं ?

(3) अजमेर जिले में लघु उद्योग, मध्यम एवं बड़े औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है ?

(4) भीलवाड़ा व नागौर जिले के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित होने के पश्चात् कितनी, किस स्तर की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं ?

(5) राज्य में ऐसे कितने व कौन कौन से जिले हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तो घोषित नहीं है परन्तु वे सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो रही है जो पिछड़े जिले को प्राप्य है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार योजना आयोग द्वारा राज्य में 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया हुआ है सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) भीलवाड़ा और नागौर जिलों में स्थापित लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योगों का विवरण निम्नानुसार है :–

जिले	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	बड़े उद्योग
भीलवाड़ा	6,664	18	8
नागौर	10,577	8	2

(3) अजमेर जिले में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योगों की संख्या क्रमश: 8,242, 11 व 5 हैं।

(4) भीलवाड़ा व नागौर जिले की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित होने के पश्चात् स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या निम्नानुसार हैं :–

	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	बड़े उद्योग
भीलवाड़ा	6,502	18	7
नागौर	9,901	8	2

(5) कोई नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 870 (स्थगित)

राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

871. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) एवं श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने मध्यम सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेज रखी है ? यदि हां तो कौन-कौन सी जिले व तहसील की सूची सदन की मेज पर रखें :–

(2) मध्यम सिंचाई परियोजनायें जो केन्द्र सरकार को भेज रखी हैं कितनी लागत की हैं व उनसे कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(3) कौन-कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार

(श्री हेमराज मीणा)

से प्राप्त हो चुकी है? सूची जिले व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(4) किशनगंज, शाहबाद में कौन-कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजनाओं की सूची जिले व तहसीलवार संलग्न है।

(2) केन्द्रीय सरकार को कुल अनुमानित लागत लगभग 290 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भेज रखी हैं। तथा उनसे कुल लगभग 180,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई संभावित है। योजना वार अलग अलग ब्यौरा उपरोक्त सूची में दर्शाया है।

(3) योजनाओं की स्वीकृति उपरोक्त संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

(4) किशनगंज तहसील की 'विलास' मध्यम सिंचाई योजना अनुमानित लागत 275.20 लाख रुपये की वर्ष 1980 में स्वीकृति हुई थी संशोधित प्राक्कलन वर्ष 1987 में अनुमानित लागत 829 लाख रुपये का भेजा गया। उसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर जिले में वृक्षारोपण

872. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में गत तीन वर्षों में वृक्षारोपण पर कितनी राशि व्यय की गई है? तथा भविष्य के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं?

(2) वनों की रक्षा के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं?

(3) वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अब तक जैसलमेर जिले में मुख्यतया कितने कार्य हुए तथा उन कार्यों पर अब तक कुल कितना खर्चा हुआ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में गत तीन वर्षों में वृक्षारोपण पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

1987-88	516.39 लाख
1988-89	294.64 लाख
1989-90	442.78 लाख

भविष्य में मरु विकास कार्यक्रम, सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) वनों की सुरक्षा के लिए जैसलमेर जिले में 334 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपणों की सुरक्षा हेतु 5 वर्ष तक चौकीदार रखे जाते हैं। मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है।

(3) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत

(वन मंत्री)

अब तक जैसलमेर जिले में 1570 रो किलो मीटर नहर किनारे वृक्षारोपण 60 रो. किलो मीटर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, 70 हैक्टेयर ब्लाक वृक्षारोपण 2655 है. टीबा स्थिरीकरण का कार्य कराया गया एवं 50.000 पौधे पर्यावरण वृक्षारोपण के अन्तर्गत लगाये गये हैं। इन कार्यों पर रुपये 109 52 लाख व्यय हुए हैं।

सवाई माधोपुर जिले के अनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय

873. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में सरकार से मान्यता प्राप्त अनुदानित कितने प्राइवेट प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों को वर्ष 1985 से 1990 तक कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है ? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में व्यवस्थापकों द्वारा अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नाम मात्र राशि वेतन के रूप में दी जाती है ? व प्राप्ति की रसीद सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन की ली जाती है ?

(4) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में मान्यता/अनुदान प्राप्त 10 निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। (विवरण परिशिष्ट क)

(2) इन विद्यालयों को वर्ष 1985 से 1990 तक 36,00,637/– रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। (विवरण परिशिष्ट–क)

(3) इस सम्बन्ध में विभाग के पास कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

(4) इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाकर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

बांदीकुई व सिकराय में अध्यापकों की व्यवस्था

874. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला सिकराय में एक साल से रिक्त पद पर सरकार कब तक प्रधानअध्यापिका पदस्थापित करने का विचार रखती है ?

(71)

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार कुल 542 पद विद्यालयों को स्वीकृत किए हुए हैं। इनमें 23 पद रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) शीघ्र ही पूर्ति किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर नगर में तिपहिया वाहनों में मीटर व्यवस्था

875. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि जयपुर नगर में चलने वाले तिपहिया वाहन मीटर से नहीं चलते? क्या राज्य के अन्य शहरों की भी यही स्थिति है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार तिपहिया वाहनों को मीटर से चलाने में कठिनाई अनुभव करती है?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार आटो वाहनों की यूनियनों को ज्यादा तवज्जोह देती है? यदि नहीं, तो सरकार मुसाफिरों को शोषण एवं परेशानी से बचाने के लिये इन्हें मीटर से किराया लेने के लिए क्यों नहीं बाध्य करती है?

उत्तर

(1) जी हां, समय-समय पर शहर में चलने वाले आटो रिक्शाओं की चैकिंग कराने से मालूम होता है कि बिना मीटर के भी आटो रिक्शा चल रहे हैं।

(2) जी नहीं, समय-समय पर सामान्य चैकिंग के अतिरिक्त विशेष चैकिंग अभियान चलाकर आटो रिक्शा चालकों के बिना मीटर से चलने पर चालान बनाये गये हैं।

(3) जी नहीं, आटो रिक्शाओं के किराये की दरें पूर्व में 4.7.88 को निर्धारित की गई थी। परन्तु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप आटो रिक्शा चालकों के द्वारा दरें कम बताई गई और मीटर से चलाने में असमर्थता व्यक्त की गई। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.6.90 के अनुसरण में आटो रिक्शाओं के लिये दरों में वृद्धि की गई। भाड़े की निर्धारित सूची चालकों को विभाग द्वारा निःशुल्क वितरित की गई है और निर्देश दिये गये हैं कि वे आटो रिक्शाओं में प्रदर्शित करें। बिना मीटर से चलने वाले आटो रिक्शाओं के खिलाफ समय-समय पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक 1.4.90 से 18.7.90 तक जयपुर में 3398 आटो रिक्शा चैक किये गये, 525 के चालान किये गये और उनसे 29,800/- राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त 25 आटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये। एक मामले में सुनवाई का अवसर देकर 15 दिवस के लिये परमिट निलम्बित भी किया गया है।

मृतक सहायक वनपाल का बकाया वेतन

876. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि श्री छोटूसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह नि. रामजीपुरा कलां तह. फुलेरा को वन विभाग में सहायक वन पाल के पद पर सन् 1969 जयपुर रेंज में डी. एफ. ओ. (ईस्ट) के अधीनस्थ नियुक्ति दी गई थी ? यदि हां, तो उन्होंने कितने वर्षों तक विभाग को सेवाएं दीं व कब कार्यरत रहते उनकी मृत्यु हुई ? विवरण सहित मय नियुक्ति आदेश व मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना बीमा जारी किये किसी भी माह का वेतन नहीं मिलता ? क्या मृतक छोटू सिंह को बिना बीमा कटौती वेतन मिलता रहा ?

(3) मृतक की बेवा विधवा को बीमा की (राज्य बीमा) राशि अब कब तक दे दी जायेगी, नहीं देने के क्या कारण हैं व अब कब तक उक्त बकाया राशि का भुगतान करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इनकी नियुक्ति इस वन मण्डल के अधीन चौकीदार पद दिनांक 19.2.68 में की गई थी और इनकी मृत्यु राज्य सेवा में सहायक वनपाल के पद पर रहते हुए दिनांक 12.4.80 को हुई थी पुराना रिकार्ड नष्ट हो जाने के कारण नियुक्ति आदेश उपलब्ध नहीं हैं। मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं, श्री छोटूसिंह पुत्र श्री खेतसिंह, सहायक वनपाल से नियमानुसार माह अप्रैल, 1969 से बीमा कटौती की गई है।

(3) बीमा राशि के भुगतान का अधिकारी पत्र जारी करना राज्य बीमा विभाग से सम्बन्धित है। प्रथम घोषणा पत्र के अभाव में राज्य बीमा विभाग द्वारा केवल वेतन से की गई बीमा राशि कटौती का भुगतान आदेश जारी किया गया है। पूर्व में बीमा विभाग से जारी अधिकार पत्र संख्या 533894 दि. 26.11.82 राशि 1036/– मृतक छोटू सिंह की बेवा श्रीमती पुष्पाकंवर के नाम प्राप्त हुआ था, लेकिन इसमें बीमा की केवल प्रिमियम राशि होने के कारण श्रीमती पुष्पाकंवर द्वारा नहीं लिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

प्रतापगढ़ क्षेत्र में जंगलात भूमि पर आदिवासियों का कब्जा

877. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कितने आदिवासियों का जंगलात क्षेत्र की भूमि पर कब्जा है तथा कितने पर मुकदमा दर्ज हैं।

(2) क्या सरकार जंगलात की काश्तकाबिल भूमि आदिवासियों के नाम आवंटन करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने चैक पोस्ट और कहां-कहां हैं कितना-कितना स्टाफ है ?

(4) नये जंगलात नाके और वहां कायम करना प्रस्तावित है तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ वन मण्डल के अधीन प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1403 आदिवासियों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा 174 पर मुकदमा दर्ज है।

(2) दिनांक 1.4.71 से पूर्व काबिज अतिक्रमणों को नियमन करने का राज्य सरकार का निर्णय है। इसके अन्तर्गत 46 प्रकरण नियमन होने से अभी तक शेष है, जिन पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होते ही नियमन कर दिया जावेगा।

(3) उक्त क्षेत्र में 3 चैक पोस्ट डूंगा तालाब, देवगढ़ व राजपुरिया में हैं जिन पर एक-एक वन रक्षक तैनात है।

(4) नये जंगलात के नाके कायम करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोगुन्दा क्षेत्र में वृक्षारोपण

878. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसीलों में पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा कितने पौधे गोगुन्दा, कोटडा, झाडोल में लगाये गये तथा इन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ ?

(2) इनमें से कितने पौधे नष्ट हो गये तथा वर्तमान में कितने पौधे बचे हुए हैं ? सरकार द्वारा पौधों को विकसित करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उत्तर

(1) गोगुन्दा, कोटडा, झाडोल में 10 वर्षों में लगाये गये पौधों की संख्या एवं उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) नष्ट हुए एवं वर्तमान में जीवित पौधों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। वृक्षारोपण के पश्चात् तीन वर्ष तक संधारण का कार्य विभाग द्वारा करवाया जाता है जिसमें पौधों की पशुओं से सुरक्षा निराई, गुडाई, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, बाड़ की मरम्मत, पानी पिलाने आदि का कार्य सम्मिलित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

केनपुरा से देसूरी बस सेवा

879. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में केनपुरा से देसूरी जिला पाली एवं उदयपुर के लिए वाया रानी से परिवहन सेवा प्रारम्भ करने की विज्ञप्ति निकाली थी ? यदि हां, तो सेवाएं क्यों नहीं चालू की गई ?

(2) सरकार अब कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रयोजनार्थ सांडेराव से तख्तगढ़, केनपुरा से देसूरी, रानी से देसूरी, पाली से सादड़ी, पाली से देसूरी तथा पाली से नाडोल मार्गों के राष्ट्रीयकरण हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 16.11.87 को विज्ञप्ति

(74)

(यातायात मंत्री)

/अधिसूचना जारी की गई थी। जिस पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रीयकरण की योजना को दिनांक 16.5.89 को खारिज कर दिये जाने के कारण इन मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं का संचालन चालू नहीं किया जा सका।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

सीकर जिले में प्रयोगशाला सहायक/ लेब ब्वाय के लिये साक्षात्कार

880. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षा विभाग द्वारा सीकर में लेब ब्वाय व प्रयोगशाला सहायकों के साक्षात्कार के लिए कितने स्वीकृत पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(2) उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ?

(3) उपरोक्त पदों के लिए साक्षात्कार कब हो रहे हैं ? यदि नहीं हो रहे हैं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में लेब ब्वाय के 22 तथा प्रयोगशाला सहायकों के 30 स्वीकृत पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(2) उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु लेब ब्वाय के 4311 तथा प्रयोगशाला सहायकों के 924 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश सं. प. 9 (1) वित्त/आयव्ययक/90 दिनांक 6.6.90 द्वारा स्केल नं. 6 तक के पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है प्रतिबन्ध हटने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

ब्यावर से इन्दौर, बड़ौदा व आगरा बस सेवा

881. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावर से इन्दौर, ब्यावर से बड़ौदा व ब्यावर से आगरा आदि मार्गों पर बसों का संचालन करना चाहती है ?

(2) यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सभी अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं, जिन पर बस संचालन से पूर्व सम्बन्धित राज्यों (मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश) से पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार किया जाना आवश्यक है। आपसी करार सम्पन्न होने के बाद ही इन बसों का संचालन किया जाना सम्भव होगा।

करौली क्षेत्र में भेड़-चराई

882. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(1) क्या यह सही है कि करौली क्षेत्र में भारी संख्या में बाहर के पशुपालक भेड़ों की चराई के लिए लाते रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में स्थिति से निबटने के लिए क्या योजना बनाई है ?

(2) क्या चरायी हेतु परमिट की पद्धति अपनाई जाती है ? यदि हां, तो क्या इससे समस्या को बढ़ावा नहीं मिलता ?

(3) करौली व सपोटरा क्षेत्र में गत वर्षों में इस समस्या को लेकर क्या कोई आन्दोलन हुए ?

(4) यदि हां तो उसके बाद समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये ।

(5) क्या पशुओं की चरायी के लिए कोई योजना बनायी गई है ?

उत्तर

(1) करौली क्षेत्र से पशुपालक काफी संख्या में भेड़ों को लेकर निष्क्रमण करते हैं । सरकार द्वारा निष्क्रमण को सुचारु रूप से नियन्त्रित करने हेतु समुचित उपाय किये जाते हैं ।

(2) निष्क्रमण करने वाली भेड़ों से चलतान की चराई वसूल की जाती है। उन्हें स्थाई अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जाते हैं। ताकि चराई की समस्या को बढ़ावा नहीं मिले।

(3) निष्क्रमणकारी पशुओं से खेतों तथा चराई क्षेत्रों में नुकसान होने पर स्थानीय जनता द्वारा समय-समय पर आक्रोश व्यक्त किया जाता रहा है ।

(4) निष्क्रमण को नियन्त्रित कर स्थानीय चारागाह एवं निजी क्षेत्र को नुकसान से बचाने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं ।

(5) प्रदेश में पशुओं की चराई एवं चारे की सुविधा को बढ़ाने के सम्बन्ध में बनाई गई योजना क्रियान्वित की जा रही है।

हिण्डोन डिपो की बसें

883. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हिण्डोन डिपो से कितनी बसें कहां-कहां पर जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिपो प्रतिवर्ष हानि में रहता है ? 1985 से 1990 तक की वर्षवार हानि-लाभ का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(3) उस घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर से जयपुर सायंकाल 7.30 पर जयपुर के लिए बस चलती थी उस को कुछ दिन बन्द कर दिया गया है यदि हां, तो किस कारण ?

(5) गंगापुर से केलादेवी मार्ग पर जो बस चलती थी उसे क्यों बन्द किया गया ।

(6) गंगापुर से वाया बरनाला लालसोट की निजी बसें चलती हैं उनकी हालत

(श्री गोविन्दसहाय)

क्षीण होने पर भी चलायी जा रही है ? व गंगापुर से बरनाला तक 30 कि. मी. में तीन घन्टे का समय क्यों लिया जा रहा है ? 30 कि. मी. का किराया 5 रु. प्रति व्यक्ति क्यों ?

(7) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पिपलाई से बरनाला सड़क करीब पूर्ण होने के बावजूद इस सड़क पर अभी तक बसें चलाने की अनुमति नहीं देने का क्या कारण है कब तक उक्त मार्ग पर बसें चलायी जायेंगी ?

उत्तर

(1) हिन्डोन डिपो द्वारा 43 मार्गों पर मार्गवार संचालित बस सेवाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि में वर्षवार हानि/लाभ का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) घाटे को कम करने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है :

1- अनाधिकृत वाहन संचालन उक्त मार्ग पर बाहुल्यता से है जिसे रोकने के लिए परिवहन विभाग के चैकिंग दलों द्वारा कठोर चैकिंग की जा रही है।

2- निगम वाहनों के नियमित संचालन में सुधार लाया गया है जिससे कि वहां पर निरस्तीकरण व ब्रेकडाउन्स में कमी हो।

3- बिना टिकिट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी चैकिंग प्रक्रिया में और सुधार किया गया है।

4- पर्याप्त यात्री भार प्राप्त करने हेतु बसों के समय में सुधार लाया गया है।

(4) जी हां। इस बस सेवा को गंगापुर से जयपुर के लिए सीधा यात्री भार पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण इनका संचालन अनार्थिक रहने की वजह से माह अप्रेल, 89 के बाद बन्द कर दिया गया।

(5) वर्षा के कारण दिनांक 19-6-90 से मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण बसों का संचालन बन्द कर दिया गया।

(6) पूर्व में इस मार्ग पर 4 बसें संचालित थीं। इनमें से बस नं. यू. टी. एफ. 1745 का परमिट दिनांक 17-7-89 से कार्यालय में जमा है तथा आर. आर. एल. 6656 का परमिट दिनांक 19-3-89 से सरेण्डर है। आर. एस. डी. 6261 तथा यू. टी. डब्ल्यू. 8730 की हालत संतोषजनक है किन्तु यू. टी. डब्ल्यू. 8730 का फिटनेस दि० 28-8-89 तक ही वैद्य था। इस प्रकार केवल एक बस आर. एस. डी. 6261 संचालित है, जो ठीक हालत में है। गंगापुर से बरनाला तक की दूरी 45 कि. मी. है जिसमें 28 कि. मी. मार्ग पक्का है शेष 17 कि. मी कच्चा एवं खराब होने के कारण अधिक समय लगता है व इस दूरी का किराया 4.90 रु० लिया जाता है।

(7) यह सही है कि इस मार्ग की सड़क पूरी बन चुकी है किन्तु बस चलाने के लिए अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कोई आवेदन करेगा, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

नगरपालिका सलूम्बर द्वारा विकास कार्य

884. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में सलूम्बर नगरपालिका का क्या-क्या बजट था ? इस अवधि में आय व व्यय क्या-क्या रहे ? वर्षवार नालियों, सड़कों, पार्क, सार्वजनिक नल, विद्युत, सफाई इत्यादि पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1988-89 व 1989-90 में नगरपालिका के विकास निर्माण कार्य पर कितने सीमेन्ट कट्टे खर्च किये गये ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सलूम्बर का वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 का बजट क्रमशः 19,88,370/ रु० व 19,91,000/–रु० का था। इस अवधि में आय क्रमशः 9,99,418.23 पैसे एवं 13,35,469.63 पैसे की हुई व व्यय क्रमशः 10,41,497.60 पैसे एवं 10,32,565.92 पैसे हुए। वर्षवार नालियों, सड़कों, सार्वजनिक नल, विद्युत व सफाई इत्यादि पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर पालिका द्वारा वर्ष 1988-89 में 227 सीमेंट के कट्टे एवं वर्ष 1989-90 में 54 सीमेंट के कट्टे विकास एवं निर्माण कार्य पर खर्च किये गये।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कोटा शहर में सार्वजनिक उद्यान में अतिक्रमण

885. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में स्थित सार्वजनिक उद्यान में रंगबाड़ी रोड पर कब्रें बनायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इसके निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कब्रों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में आकाशवाणी केन्द्र, दूरदर्शन रिले केन्द्र व जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय तीनों के बीच में मस्जिद बनाने की अनुमति दी गई ? यदि नहीं, तो सरकार इस मुख्य सड़क पर कब्जा कर बनायी जा रही है मस्जिद के नाम पर हो रहे अतिक्रमण को कब तक हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि स्वीकृति दी गई है तो स्वीकृति पत्र व नक्शा मय आर्डर की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में कथित स्थान रंगबाड़ी रोड में कब्रें एवं मजार स्थित थी। न्यास मण्डल की 107 वीं बैठक दिनांक 22-12-88 के निर्णय बिन्दु संख्या 12 में निर्णयानुसार कथित स्थान पर चार दीवारी कर पार्क हेतु सुरक्षित किया जाकर दूसरे स्थान पर 50 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु एवं 25 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

की गई है। पार्क की चार दीवारी बनाये जाने, व विकसित किये जाने के पश्चात् कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(2) कोटा शहर में कथित स्थान पर न्यास द्वारा मस्जिद हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई हैं एवं यह क्षेत्र योजना भिन्न क्षेत्र होने के कारण नगर विकास न्यास कोटा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(3) नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक द्वारा विदेश यात्रायें

886. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक ने वर्ष 1987 में निगम के व्यय से विदेश यात्रा की, उक्त यात्रा का प्रयोजन क्या था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त यात्रा करने से पूर्व उन्होंने विदेश यात्रा अनुमोदनार्थ राज्य सरकार प्रस्तावित विदेश यात्रा से निगम को होने वाले लाभ के विषय में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यदि हां, तो कृपया उक्त प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त विदेश यात्रा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक पर कितनी राशि राष्ट्रीय मुद्रा व कितनी राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में व्यय की गई ?

(4) उक्त विदेश-यात्रा से निगम को दो वर्ष की अवधि में (मई, 1987 में मई, 1990) क्या-क्या लाभ हुए, विशेष रूप से यात्रा की अनुमति लेते समय राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदन के अनुरूप ?

(5) क्या यह सही है कि निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक ने अगस्त, 1989 में पुनः विदेश यात्रा की। उक्त यात्रा का प्रयोजन क्या था व राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिये जो प्रतिवेदन दिया गया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(6) उक्त यात्रा पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक पर कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन खनिज राज्य मन्त्री के नेतृत्व में विदेश यात्रा पर भेजे गये शिष्टमण्डल में निगम के अध्यक्ष और मुख्य खनिज अभियन्ता भी सदस्य थे। शिष्टमण्डल का व्यय निगम द्वारा ही वहन किया गया। प्रदेश में उपलब्ध ईमारती पत्थर को नयी तकनिकी से विकसित करने और लाईमस्टोन में कम्प्यूटराइज्ड ढंग से खनन करने की तकनीकी जानकारी करना विदेश यात्रा का प्रमुख प्रयोजन था।

(2) जी नहीं।

(3) सूचना निम्न प्रकार से है :—

		राष्ट्रीय मुद्रा (रुपयों में)	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा (यू.एस. डालर में)
1-	शिष्टमण्डल पर खर्चा	73,365.00	5,015

(परन्तु इसमें फ्रांस और

(खान मंत्री)

आस्ट्रिया में हुआ व्यय,
जिसकी सूचना उपलब्ध
नहीं है, जोड़ा जाना है

2–अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक 28,192.00 1,750

शिष्टमण्डल के सदस्यों पर व्यय राज्य सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया गया है।

(4) इस विदेश यात्रा से निगम राज्य सरकार को हुए लाभ का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिये गये हैं।

(5) जी हां। निगम द्वारा टोगो रॉक फास्फेट से ब्लेंडिंग कर निम्न श्रेणी के रॉक-फास्फेट को उद्योगों के लिये उपयुक्त बनाने के सफल प्रयोग को देखकर टोगो की राजकीय रॉकफास्फेट संस्था (Office Togolais des Phoephates (ओ टी.पी.) के महा निदेशक ने, जो वहां की सरकार के कृषि मंत्री भी हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निगम के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को इस प्रयोग की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने ही व्यय पर उत्पादक-उपभोक्ता संगोष्ठी में आमंत्रित किया था। निगम के लिए भी यह विचार-विमर्श लाभदायक था जिससे टोगो रॉक से बनाये गये ब्लैण्ड की कमियां दूर की जा सके। अतः निगम ने राज्य सरकार से निमन्त्रण स्वीकार करने व अध्यक्ष और वाणिज्यिक प्रबन्धक के शिष्टमण्डल को टोगो भेजने की अनुमति चाही। चूंकि टोगो का रास्ता यूरोप होकर है और शिष्टमण्डल यूरोप तक टोगो सरकार के व्यय पर जा रहा था इसलिए यह भी उचित समझा गया कि नीदरलैण्ड और बेल्जियम की उन फर्मों से बातचीत करली जाय जिन्होंने निगम के कोबल्स लेने में विशेष रुचि दिखाई थी। राज्य सरकार को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस विदेश यात्रा की अनुमति भारत सरकार से भी ली गई थी।

इस यात्रा के दौरान टोगो की ओ. टी. पी. अपने व्यय पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए सहमत हो गई थी, जिससे उनके रॉकफास्फेट से बनाये हुए ब्लेन्ड की कमियां हटाई जा सके और उस का अधिक प्रयोग किया जा सके। इसके पश्चात टोगो का एक शिष्टमण्डल यहां आया था और उनसे तकनीकी स्तर पर पुनः विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने नियुक्त किये जाने वाले विशेषज्ञ के पास सेम्पल भेजने को कहा था, जो भेजा जा चुका है। यदि ब्लेन्ड के दोष निकल जाते हैं तो निगम को भी व्यापार में बहुत लाभ होगा। ग्रेनाइट कोबल्स के सम्बन्ध में बेल्जियम और हालेण्ड की आयातक फर्मों से बातचीत की गई। चूंकि बेल्जियम की फर्म अधिक मूल्य देने के लिए तैयार थी इसलिए उनसे ही कोबल्स के निर्यात हेतु मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग निष्पादित किया गया।

(6) उक्त यात्रा पर निगम के शिष्टमण्डल पर निम्नलिखित व्यय हुआ :–

	राष्ट्रीय मुद्रा (रुपये)	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा (यू.एस. डालर)
1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1,807.00	1,260

(खान मंत्री)

2. वाणिज्यिक प्रबन्धक 342.00 1,040

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद

887. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के प्रत्येक विषय में कितने स्वीकृत पद हैं ?

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों के अलावा और कितने पद रिक्त हैं ?

(3) उपरोक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर स्थायी नियुक्तियां की गई हैं व प्रत्येक विषय में अंतिम बार स्थायी नियुक्तियां कब की गई हैं ?

(4) शेष रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिये चयन प्रक्रिया किस-किस विषय में कितने वर्षों से नहीं हुई है, देरी के क्या कारण हैं ?

(5) तारीख 1.11.88 से 11.11.88 तक का सेवा व्यवधान सरकार द्वारा देकर सभी विषयों में कार्यरत अस्थायी कालेज-व्याख्याताओं की वेतन वृद्धियां समाप्त कर दी गई थी। इस कारण आज भी सभी स्वयं के मूल वेतन पर ही कार्यरत हैं जबकि उपरोक्त सेवा व्यवधान दशहरा-दीपावली अवकाश में बिना वजह से दिया गया था फिर अभी तक इस सेवा व्यवधान को कन्डोन क्यों नहीं किया गया ?

(6) क्या पूर्व में भी इसी प्रकार का सेवा व्यवधान 3.11.87 से 5.11.87 तक सरकार द्वारा दिया गया था जिसे बाद में कन्डोन कर लिया गया था।

उत्तर

(1) राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में कुल 3330 पद स्वीकृत हैं। विषयवार सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों के अलावा और कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) उपरोक्त पदों में से कुल 2,949 पदों पर स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। प्रत्येक विषय में अंतिम बार स्थायी नियुक्ति निम्न वर्षों में की गई है :–

1. गृह विज्ञान	1982
2. फारसी	,,
3. अंग्रेजी	1984
4. मनोविज्ञान	,,
5. ड्राइंग व पेंटिंग	1986
6. इतिहास	,,
7. संगीत	,,
8. राजनीति शास्त्र	,,
9. लोक प्रशासन	,,
10. संस्कृत	,,
11. सिन्धी	,,
12. समाज शास्त्र	,,
13. उर्दू	,,
14. कृषि	,,

(उच्च शिक्षा मंत्री)

15. वनस्पति शास्त्र	1986
16. ई.ए एफ.एम.	1987
17. अर्थ शास्त्र	"
18. भूगोल शास्त्र	"
19. हिन्दी	"
20. दर्शन शास्त्र	"
21. रसायन शास्त्र	"
22. भू-गर्भ शास्त्र	"
23. गणित शास्त्र	"
24. भौतिक शास्त्र	"
25. प्राणी शास्त्र	"
26. ए.बी एस.टी.	"
27. व्यावसायिक प्रशासन	"
28. विधि	"

(4) निम्नलिखित विषयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का चयन 1984 के बाद नहीं हो सका है :-

1. अंग्रेजी
2. गृह विज्ञान
3. फारसी
4. वस्त्र की छपाई व रंगाई
5. वन साधन एवं उनका उपयोग

उपरोक्त विषयों के रिक्त पदों को भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं दिनांक 26.3.85 को भेजी गई थी। आयोग ने अपने पत्र दि. 13.5.85 द्वारा अर्हताओं के सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण चाहे जिसके निराकरण के लिए निदेशालय एवं विश्वविद्यालय के बीच पत्र व्यवहार चल रहा था इसी बीच भारत सरकार द्वारा व्याख्याताओं की वेतन श्रृंखला एवं योग्यताओं में परिवर्तन कर दिये जाने पर राज्य सरकार ने भी उनके आदेश दिनांक 3.6.88 के द्वारा व्याख्याताओं को नई वेतन श्रृंखला के साथ-साथ नई अर्हताएं लागू करने के निर्देश दिये गये लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा नई अर्हताओं को राजस्थान विश्वविद्यालय हैण्डबुक में शामिल नहीं किये जाने के कारण रिक्त पदों को भरने के लिये अर्थनाएं आयोग को पुन: नहीं भेजी जा रही हैं।

(5) दिनांक 1.11.88 से 11.11.88 तक की अवधि के व्यवधान को नियमित करने बाबत मामला विचाराधीन है।

(6) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राज्य खनिज विकास निगम एवं टंगस्टन विकास निगम द्वारा इन्श्योरेंस

888 श्री अनंग कुमार (झालरापाटन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवं राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम ने 1 अक्टूबर, 1986 के पश्चात कुल कितनी राशि का इन्श्योरेंस कराया व कितना प्रीमियम दिया ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इन्श्योरेंस किस कम्पनी के माध्यम से कराया ?

(3) 1 अक्टूबर, 1985 से पूर्व वर्ष

(श्री अनंग कुमार)

1982 83, 1983-84, 1984–85 में कुल कितनी राशि का इन्श्योरेंस कराया व कितना प्रीमियम दिया ?

(4) क्या यह सही है कि निगम केवल एक विशेष कम्पनी के माध्यम से ही इन्श्योरेन्स कराता रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से अन्य इन्श्योरेन्स कम्पनियों से सम्पर्क नहीं किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस विशेष इन्श्योरेन्स कम्पनी में निगम के पूर्व तकनीकी सहायक के भ्राता कार्यरत हैं व उनके द्वारा ही समस्त इन्श्योरेन्स किया गया है ?

(6) क्या यह भी सही है कि निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक के पुत्र इस कम्पनी में कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। सम एश्योरड प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है और इसकी सूचना विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध बीमा पालिसियों में है। समयाभाव के कारण यह सूचना संकलित नहीं की जा सकती है।

(2) उक्त इन्श्योरेन्स चारों राष्ट्रीयकृत नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी, ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी, यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी और न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से करवाया गया है।

(3) प्रीमियम की सूचना परिशिष्ट में उपलब्ध है। सम एश्योरड की जानकारी समयाभाव के कारण संकलित नहीं की जा सकी।

(4) जी नहीं। निगम द्वारा 4 राष्ट्रीयकृत कम्पनियों से बीमा कराया जाता है। इम्पोर्टेड रॉकफास्फेट का बीमा केवल यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी को दिया गया है। क्योंकि सभी कम्पनियों से कोटेशन लेने पर उनकी रेट सबसे कम पाई गई और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी पाई गयी।

(5) यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी भारत सरकार की कम्पनी है, जिस में निगम के पूर्व तकनीकी सहायक के भ्राता भी काम करते हैं। तकनीकी सहायक के आने के पूर्व से ही यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा निगम के बीमें किये जाते रहे हैं। यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बीमों से तकनीकी सहायक के भ्राता को कोई कमीशन नहीं दिया गया है। यह सही नहीं है कि निगम के बीमे का समस्त काम यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा ही किया गया है।

(6) जी हां। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक के एक पुत्र यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी में अधिकारी हैं। परन्तु उनका बीमा करने या करवाने से कोई सम्बन्ध वर्तमान अथवा पूर्व में नहीं रहा है। वे कोई ब्रान्च या मार्केटिंग विभाग में नहीं रहे और कम्पनी के बीमा बढ़ने या घटने से कोई लाभ या हानि नहीं होती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

सपोटरा क्षेत्र में पेयजल

889. श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभूलाल पटेल)

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुये हैं ? उनमें से कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? कितने हैण्ड पम्प उपयोग में आ रहे हैं ? और कितने कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत शुदा हैं इनको सरकार कब लगवा देगी ?

(2) ऐसे कितने गांव हैं जहां न तो हैण्ड पम्प है और न ही नलों की व्यवस्था है सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या सरकार उक्त अभाव-ग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(4) इस क्षेत्र में कितने गांवों की पेयजल योजना स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? अब तक इन प्रस्तावों को मन्जूरी क्यों नहीं दी गयी ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र में 659 हैण्ड पम्प लगे हैं जिनमें से 80 हैण्ड पम्प सूखे एवं 75 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं शेष सभी 504 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में 94 नये हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं जिन्हें धन की उपलब्धता के अनुसार लगाया जा सकेगा।

(2) केवल तीन ग्रामों हाडौती, मसावता, एवं जीरोता को पेयजल योजनाओं द्वारा अभी तक लाभान्वित नहीं किया गया है।

(3) क्रियान्वियन धन की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

(4) उपरोक्तानुसार प्रश्न के भाग-2 के अनुसार इन गांवों की योजनाओं के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। तकनिकी रूप से फिजिबिलटि होने एवम् धन की उपलब्धता के अनुसार इन योजनाओं की स्वीकृति की जावेगी।

इन्टीग्रेटेड ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स योजना माचगांव

890. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माचगांव आबूपर्वत के खसरा नम्बर 72 तथा खसरा नम्बर 74 कृषि भूमि केन्द्रीय प्रवृतित एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम की इन्टीग्रेटेड ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स माचगांव योजना के लिये पालिका द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि में सम्मिलित है ?

(2) यदि हां, तो उक्त काम्पलेक्स की योजना कब बनाई गई थी ? उक्त योजना हेतु कौन-कौन से खसरा नम्बर की कुल कितनी भूमि अवाप्त की जाने वाली है ? कुल योजना के तहत व्यावसायिक परिसर सरकार द्वारा बनवाकर दिये जायेंगे अथवा उद्यमियों को केवल भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन्टीग्रेटेड ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स की योजना शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक के 14011/84/84- यू. डी- III ए दिनांक 30.12.85 द्वारा स्वीकृत की गई थी। उक्त योजना हेतु अवाप्त की जाने वाली कुल भूमि 50 बीघा 9 बिस्वा है, जिसमें खसरा नम्बरों की सूची संलग्न है। यह एक व्यवसायिक योजना है जिसमें भूखण्डों अथवा निर्मित परिसरों का निष्पादन सिटी मोनी-

(नगरीय विकास मंत्री)

टरिंग कमेटी (राज्य सरकार द्वारा गठित) के निर्णयानुसार किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटडा में उद्योग की स्थापना

891. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटड़ा जिला उदयपुर में किसी उद्यमी ने कोई उद्योग लगाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव का नाम, फैक्ट्री का नाम, स्थान एवं तिथि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रणकपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के नाम से कोई उद्योग स्थापित करने हेतु उक्त स्थान पर कार्य विगत 10 वर्षों से प्रारम्भ है ? यदि हां, तो उसकी वर्तमान में क्या प्रगति है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उक्त फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि एवं कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मै. किवरली सीमेंट्स लि. किवरली, तहसील आबू रोड जिला सिरोही में 4 लाख टन वार्षिक क्षमता का सीमेंट प्लांट (जो बाद में भारत सरकार द्वारा 5 लाख टन कर दी गई) स्थापित करने हेतु दिनांक 31.3.81 को भारत सरकार द्वारा आशय पत्र स्वीकार किया गया था, ने किवरली क्षेत्र में उपलब्ध चूने पत्थर के अधिकतर भण्डार आरक्षित वन क्षेत्र में आने के कारण किवरली से कोटडा जिला उदयपुर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने हेतु स्थान परिवर्तन के लिए दिनांक 14.1.86 को आवेदन किया गया था।

(2) जी नहीं। भारत सरकार, उद्योग मन्त्रालय द्वारा 8 मई, 86 को उक्त सीमेंट उद्योग किवरली के स्थान पर ग्राम सैण्डमारिया तहसील कोटडा, जिला उदयपुर में स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी। अतः ग्राम सैण्डमारिया तहसील कोटडा में विगत 10 वर्षों से कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि मई, 86 के पश्चात् कम्पनी द्वारा परियोजना की क्रियान्वित हेतु उठाये गये कदमों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त कम्पनी को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने विषयक मामला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचाराधीन है। राज्य में बड़े व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता रीको के माध्यम से प्रदान की जाती है। कम्पनी को आई. डी. बी. आई. से वित्तीय सहायता स्वीकृत होने एवं परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के पश्चात् कम्पनी के इस निमित्त रीको को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वित्तीय सहायता स्वीकार करने के मामले पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

राजस्थान खनिज विकास निगम के अधिकारियों की जयपुर यात्रा

892. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खनिज विकास निगम की राज्य में कार्यरत विभिन्न इकाइयों के अधिकारीगण 6 दिसम्बर, 1987 को जयपुर मुख्यालय पर एकत्रित हुए थे ?

(2) उक्त यात्रा किस-किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा व किस साधन द्वारा की गई ?

(3) उक्त यात्रा में वाहन एवं पैट्रोल पर कितना व्यय हुआ व प्रत्येक ऐसे अधिकारी, कर्मचारी ने कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया ?

(4) क्या यह सही है कि निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक ने यह आदेश लिखित में प्रसारित किये हुए हैं कि अपना मुख्यालय छोड़ने से पूर्व लिखित स्वीकृति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी ने अपनी उक्त यात्रा से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की ? ऐसी प्राप्त स्वीकृतियों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जो मार्ग रेल्वे स्टेशन से जुड़ा हो वहां वाहन द्वारा यात्रा करना वर्जित है ? यदि हां, तो उक्त यात्रा की स्वीकृति देने के क्या कारण रहे ? यदि स्वीकृति नहीं दी अथवा ली गई, तो क्यों नहीं ?

(6) 6 दिसम्बर, 1987 को जयपुर में एकत्रित होने का क्या प्रयोजन था ?

(7) क्या यह सही है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक 5 से 8 दिसम्बर, 1987 तक अपने पुत्र के विवाह के कारण अवकाश पर थे ? यदि हां तो इन अधिकारीगण/कर्मचारीगण का जयपुर में एकीकृत होने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) राजस्थान खनिज विकास निगम की 41 खानें हैं जिनमें 114 अधिकारी कार्यरत हैं इनमें 7 अधिकारी 6 दिसम्बर 1987 को जयपुर मुख्यालय पर थे।

(2) अधिकारी रेल से व अन्य निगम के वाहन से आये थे। विवरण संलग्न है।

(3) विवरण संलग्न परिशिष्ट में उपलब्ध है।

(4) जी हां, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर यह मुख्य खनिज अभियन्ता से टेलीफोन पर स्वीकृति प्राप्त करके यात्रा की जाती रही है।

(5) यात्रा के स्थान, उसकी उपयोगिता, आवश्यकता और तत्कालता को देखते हुए रेल से जुड़े हुए स्थानों की भी यात्रा निगम वाहन से करने के लिए स्वीकृति दी जाती रही है। वाहन से यात्रा करने का कारण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है।

(6) प्रयोजन संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है।

(7) जी हां, एकत्रित होने के कारणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया हुआ है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-21 देखें)

उद्योग विभाग में राजपत्रित पद

893. श्री शम्भू दयाल बडगूजर (केकडी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग में कितने पद राजपत्रित हैं ? सृजित पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? पदवार स्थिति सदन की मेज पर रखें। इनमें से अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने अधिकारी हैं तथा इनका प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला उद्योग अधिकारी के पद विभाग में रिक्त होते हुये भी गत 3 वर्षों की डी. पी. सी. नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार डी. पी. सी. की बैठक रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि 1978 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के बाद विभाग में राजपत्रित अधिकारी अधिकतम 3 पदों तक पदोन्नति ले चुके हैं जबकि अराजपत्रित कर्मचारी को एक भी पदोन्नति नहीं मिली है ? क्या सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार राजपत्रित पदों पर पदोन्नति देकर अनुसूचित जाति/जन जाति का निर्धारित आरक्षण को पूरा करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उद्योग निदेशालय में 171 पद राजपत्रित हैं इनमें से 33 पद वर्तमान में रिक्त हैं। पदवार स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूची, सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के निम्नानुसार अधिकारी हैं :–

1–	संयुक्त निदेशक	1
2–	उप निदेशक	5
3–	सहायक निदेशक	1
4–	जिला उद्योग अधिकारी	2
		9

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों का प्रतिशत 5.26 है।

(2) जी हां। अन्तिम बार डी.पी.सी. 1987–88 में हुई थी। वर्ष 1990-91 की डी. पी. सी. के लिये कार्यवाही जारी है।

(3) राजपत्रि एवं अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों के पदों की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति दी गई हैं। सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों को रिक्त पदोन्नति पदों की उपलब्धता होने पर देने को तत्पर हैं।

(4) जी हां। पदों की उपलब्धता पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आमन्त्रित कर पात्रता आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियमानुसार पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 22 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 894
(स्थगित)

किशनगंज शाहबाद (कोटा) में
सिंचाई कार्य

895. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990-91 में टंकों व नहरों की मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया है ?

(2) उक्त राशि में से कोटा जिले के किशनगंज शाहबाद में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना बजट अलाट किया है, इसमें क्या-क्या प्रस्तावित है और ये कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में टंकों व नहरों की मरम्मत के लिये सिचाई विभाग के अभिकरण में रुपये 1368.38 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।

(2) अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बारां (कोटा) को जिनके खण्ड में किशनगंज शाहबाद तथा अन्य क्षेत्रों के तालाबों व नहरों की मरम्मत हेतु वर्ष 1990-91 के प्रथम 4 माह (4/90 से 7/90) के लिए 13.21 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। यह बजट पुराने बने हुए तालाबों के संधारण व कार्य प्रभारी श्रमिकों के वेतन आदि के लिए है।

मालवीय नगर, जयपुर में क्षतिग्रस्त नाला

896. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर सैक्टर नं. 1 प्लाट नं. 1221 से 1230 तक के सामने बने बरसाती नाला एवं गटर का मेन होल जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मकानों एवं निवासियों की संभावित क्षति को रोकने हेतु इस नाले की शीघ्र मरम्मत का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मालवीय नगर सैक्टर-1 प्लाट नं. 1221 से 1230 के सामने बरसाती नाला एवं गटर का मैनहॉल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इनकी मरम्मत हेतु नगर परिषद जयपुर द्वारा तकमीना बनवाया जा रहा है एवं शीघ्र कार्य सम्पादित करवा दिया जायेगा।

कचरा कच्ची बस्ती (सेंट एंजिला) स्कूल जयपुर का सर्वे

897. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही कि कचरा कच्ची बस्ती, सेंटएंजिला स्कूल के पीछे जयपुर का तीन-चार बार सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो सर्वेधारियों की सूची मय नाम व पिता के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में सभी को भू-खण्ड आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? क्या उनमें से कुछ सर्वेधारियों को आवंटन

(श्री मोहनलाल चौहान)

नहीं किया है ? यदि हां तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुराने सर्वेधारियों को उसी स्थान पर भू-खण्ड आवंटन करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार को अब शेष रहे सर्वेधारियों को भी आस-पास ही बसाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। सेन्ट एंजिला स्कूल के पीछे स्थित कचरा बस्ती का अन्य कच्ची बस्तियों के साथ 1971 एवं 1981 में दो बार सर्वे हुआ है। 1971 के सर्वेधारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' तथा 1981 की सर्वेधारियों की सूची परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। 1971 के 61 सर्वेधारियों को तथा 1981 के 13 सर्वेधारियों को आवंटन किया गया है जिन सर्वेधारियों को भू-खण्ड आवंटन किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'स' एवं जिन सर्वेधारियों को भूखण्ड आवंटन नहीं किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'द' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 1971 के समस्त सर्वेधारियों को इसी बस्ती में आवंटन कर दिया गया है। तथा 1981 के सर्वेधारियों में से मात्र 13 को ही इसी बस्ती में आवंटन किया गया अब इस बस्ती में आवंटन हेतु कोई स्थान सुलभ नहीं है। अतः शेष सर्वेधारियों को आवंटन के लिये मालवीय नगर साईड सर्विस योजना में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था। परन्तु बस्तीवासी वहां नहीं जाना चाहते। अतः अभी भी ऐसे सारे सर्वेधारी कचरा बस्ती में ही निवास करते हैं।

(4) कचरा बस्ती के आस पास ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहां पर कि शेष रहे सर्वेधारियों को बसाया जाना संभव हो सके। ज. वि. प्रा. द्वारा ऐसे शेष रहे सर्वेधारियों को मालवीय नगर साईड सर्विस योजना में बसाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में "दुर्घटना बीमा योजना"

418. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारम्भ कर दी गई ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् मई, 1990 तक कितने व्यक्तियों को कुल कितनी राशि प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में दुर्घटना बीमा योजना लागू नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.4.67 के द्वारा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम मोटर वाहन थर्ड पार्टी जोखिम बीमा कोष की स्थापना की है। इन नियमों में संशोधन 1974 में किया गया है। संशोधित नियमों का प्रारूप संलग्न है।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 से मई, 1990 तक 609.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान 23.4 व्यक्तियों को किया गया है। विवरण संलग्न है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

रेल मगरा तहसील का भूमिगत जल-स्तर

422. श्री शांति लाल चपलोत (राजसमन्द) क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रेल मगरा तहसील का भूमिगत जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या इसका कारण हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माइन्स की भूमिगत खनन के अधिक गहरा होने का है ?

(3) यदि हां, तो क्या इसके कारण क्षेत्र मे किसानों को अपनी आजीविका कमाने में विपरीत असर पड़ा है ?

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भू-जल स्तर में उत्तरोत्तर गिरावट का मुख्य कारण पूर्व में अपर्याप्त वर्षा व क्षेत्र में भू-जल दोहन भू-जल प्रावक से ज्यादा होना है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का राजपुरा दरीबा खदानों का भू-जल स्तर में गिरावट के विषय में कोई तकनीकी अध्ययन अभी नहीं किया गया है।

(3) क्षेत्र में निरन्तर भू-जल की गिरावट का विपरीत असर किसानों पर होना स्वाभाविक है।

(4) यदि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई तो भू-जल स्तर में सुधार हो सकता है। उसके लिए यदि तकनीकी दृष्टि से उचित हुआ तो भविष्य में उपयुक्त स्थानों का सबसरफेस बेरियर निर्माण के द्वारा कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण (आर्टिफिशीयल रिचार्ज) का प्रयास किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

प्री. बी. एड. परीक्षा में चयन

452. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुलाम मुस्तुफा)

(1) वर्ष 1985 से 1990 की अवधि में अब तक राज्य में प्री. बी. एड. परीक्षाओं के पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बी. एड. कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ?

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस त्रुटि के कारण उक्त कक्षाओं में प्रवेश दिये जाने के आदेश दिये ?

(3) उक्त त्रुटि के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार थे और राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अब उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

(4) उक्त त्रुटि के कारण जिन विद्यार्थियों का नियम विरुद्ध चयन हुआ था क्या उनका चयन निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्री. बी. एड. परीक्षा राज्य में 1987 से प्रारम्भ हुई हैं। वर्ष 1990 की परीक्षा अभी होनी शेष हैं। इस प्रकार वर्ष 1987 से 1989 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश तहत 22 को प्रवेश दिया गया।

(2) जिन कारणों से छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय ने त्रुटि माना है, वे निम्न है :–

(अ) निर्धारित तिथि को स्वयं चयनित परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवंटित केन्द्र पर नहीं पहुंचना।

(ब) राज्य या जिलेवार योग्यता सूची निर्धारण में सैकण्डरी परीक्षा केन्द्र को आधार मानना।

(स) कम्प्यूटर द्वारा महाविद्यालय नियत करने की भूल।

(द) बी. एड./शिक्षा शास्त्री में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर स्कूलों में पढ़ाये जा रहे किन्हीं दो विषयों की अनिवार्यता।

(इ) उर्दू विषय से स्नातक परीक्षा पास की हो तथा रीजनल कॉलेज अजमेर में प्रशिक्षण हेतु आमन्त्रित नहीं होना।

(3) पी. टी. ई. टी. परीक्षा का संचालन कुलपति द्वारा गठित स्टेयरिंग कमेटी के माध्यम से होता रहा है। अतः कोई व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

(4) जिन विद्यार्थियों का चयन न्यायालय के आदेश के अनुसार निरस्त किया जाना था, उन परीक्षार्थियों के प्रवेश निरस्त किए गए।

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

जोधपुर में कृषि व घरेलू विद्युत् कनेक्शन

454. श्री मनोहरसिंह (शेरगढ़)–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर में 3 फरवरी, 1990 से अब तक विद्युत् के कितने कृषि व कितने घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं ? उपखण्ड व गांववार उपभोक्ता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोहरसिंह)

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में कितने खम्भे खड़े किये गये व कितने किलो मीटर तार खींचे गये ? उपखण्ड व गांव-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वन पोल कनेक्शन के लिए दस-दस खम्भे दिये गये ? यदि हां, तो किसने कब स्वीकृति जारी की ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब कृषि व घरेलू कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 3 फरवरी, 1990 से अब तक कुल 483 कृषि एवं 4,126 घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। उप-खण्ड व ग्रामवार उपभोक्ता के नाम सहित सूची संलग्न परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' में दर्शायी गई है।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में 1901 (एक हजार नौ सौ एक) 11 के. वी. लाईन व 1599 एल. टी. लाईन के खम्भे खड़े किये गये तथा 205.74 कि. मी. 11 के. वी. लाईन 145.085 कि. मी. एल. टी. लाईन के तार खींचे गये हैं। उपखण्ड व गांव वार सूची संलग्न परि-शिष्ट 'स' में दर्शायी गई है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत जोधपुर जिला वृत के अधीनस्थ उपखण्ड बालेसर में वन पोल के लिये 10-10 खम्भे नहीं दिये गये। अतः कोई दोषी नहीं है।

(2) जी हाँ। वर्ष 1990-91 के लिये पंचायत समितिवार लक्ष्यों के आवं-टन की प्रक्रिया जारी है। अतः कृषि कने-क्शन लक्ष्यों व निर्धारित वरियता के अनुसार दिये जा सकेंगे तथा घरेलू कनेक्शन प्राथमिकता के अनुसार दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

पाली जिले में अवैध खनन

489. श्री खंगारसिंह (खारची) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में दि. 1-1-1989 से 31-5-1990 तक कौन-कौनसा ट्रक बिना खाता के खनन सम्पदा ले जाते पकड़ा गया, किस-किस अधिकारी ने किस-किस तारीख को पकड़ा व क्या माल ले जाते पकड़ा ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये ट्रक किस-किस पट्टाधारी से माल लाये व उन पट्टाधारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व किन-किन के विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 18 (21) के तहत कार्यवाही की गई ?

(3) जिनके विरुद्ध इस नियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई, उसका क्या कारण है ?

(92)

उत्तर

(1) पाली जिले में दिनांक 1.1.89 से 31.5.90 तक बिना रवन्ना के खनिज निर्गमन करते हुए जिन ट्रकों को पकड़ा गया उनका विवरण प्रपत्र 'एक' में संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में जो ट्रक बताये गये वह जिन-जिन पट्टाधारियों से खनिज लाये उनका विवरण सलंग्न प्रपत्र 'एक' में अंकित है तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्योरा प्रपत्र 'एक' के कॉलम 7 में अंकित है।

(3) किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा गया है और अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 18 (21) के तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(16 जुलाई, 1990)

नैनवां (बूंदी) के हैण्डपम्प

569. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवा (जिला बून्दी) में कुल कितने हैण्डपम्प हैं ? उनमें से कितने चालू. नाकारा, खराब तथा सूखे हुए हैं ? प्रत्येक ग्रामवार की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में लगाए गए हैण्डपम्पों की किस नाप की बिट से बोर (खुदाई) की गई थी ? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में लगाए गए प्रत्येक हैण्ड पम्प की गहराई कितनी-कितनी है तथा उनमें डाले गये केसिंग पाईप एवं जी. आई. पाईपों की संख्या एवं नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा हैण्ड पम्पों की वास्तविकता की जांच किसी स्वतन्त्र एजेन्सी से करवाई गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या स्थाई रूप से नाकारा घोषित हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां (जिला बूंदी) में कुल 783 हैण्डपम्प स्थापित हैं। इनमें से 724 हैण्डपम्प चालू हैं 43 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं तथा 16 हैण्डपम्प सूखे हुए हैं। वान्छित सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) सामान्यतः हैण्डपम्पों हेतु 165 मिलीमीटर से 102 मिली मीटर के बिट बोरिंग हेतु काम में लिए जाते हैं। बिट की माप का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(3) वान्छित विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(4) हैण्डपम्पों की जांच विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(5) परित्यक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर नए हैण्डपम्प धन उपलब्धि के अनुसार लगाना संभव होगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मैसर्स टैक्नोक्रेट्स, जोधपुर

578 श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन को नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने दिनांक 11-11-1987 को फर्म मैसर्स टैक्नोक्रेट्स के मालिक श्री दीपक सिंह गहलोत की रसोई गैस सिलेण्डर की आपूर्ति जारी करने को कहा था? यदि हां, तो इसके बाद आई. ओ. सी. को सिलेण्डर्स हटाने बाबत लिखना जरूरी नहीं समझा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सिलेण्डर्स की गोदाम में आवक जावक आइ.ओ.सी. के इंजिनियर्स या टेक्नीशियन्स करते हैं? यदि नहीं, तो क्या गोदाम में भरे हुए व खाली सिलेण्डर की आवक जावक अकुशल व अस्थाई मजदूरों द्वारा की जाती है? उपभोक्ताओं को आपूर्ति कौन व कैसे की जाती है?

(3) क्या अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण को हटाते समय न्यास बिजली, जलदाय या टेलीफोन विभाग से अपने-अपने सामान हटाने हेतु निवेदन करता है? यदि नहीं, तो क्या न्यास अब भी गोदाम से सिलेण्डर्स हटाने की जिम्मेदारी आई. ओ. सी. की मानता है? यदि हां, तो आई. ओ. सी. के खिलाफ आदेश क्यों नहीं पारित किया गया?

(4) क्या दिनांक 1-2-1989 को राजस्थान उच्च न्यायालय से गोदाम गिराने के खिलाफ स्थगन व दीपक सिंह की रिट खारिज हो चुकी थी? यदि हां तो न्यास द्वारा अब तक अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही किन कारणों से नहीं की गई? अब कब तक इसे हटाने का सरकार इरादा रखती है?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर सुधार न्यास जोधपुर ने दिनांक 11-11-87 को आई. ओ. सी. को इस आशय का पत्र लिखा था कि आई. ओ. सी. मैसर्स टैक्नोक्रेट्स को गैस सिलेण्डर्स की सप्लाई पूर्ववत जारी रखे। यह पत्र उस संदर्भ में लिखा गया जबकि अपने पूर्व पत्र दिनांक 4-11-87 में न्यास ने आई. ओ. सी. को यह अनुरोध किया था कि वे तुरन्त प्रभाव से मैसर्स टैक्नोक्रेट्स जोधपुर को जारी गैस सिलेण्डर की आपूर्ति बन्द करावे। इस पूर्व पत्र दिनांक 4-11-87 में यह भी लिखा गया था कि ऐसा अनुरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि गैस गोदाम का अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कब्जा हटाया जा सके। दिनांक 11.11.87 का पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि अपने स्थगन आदेश दिनांक 10.11.87 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिए कि यह गोदाम ध्वस्त नहीं किया जावे।

(2) सिलेण्डर्स की गोदाम में आवक जावक आई. ओ. सी. के इंजीनियर्स या

(नगरीय विकास मन्त्री)

उनके विभागीय टैक्नीशियन्स द्वारा नहीं की जाती है। गैस गोदाम में भरे हुए अथवा खाली सिलेण्डर्स की आवक जावक गैस ऐजेन्सी के अधीन प्रशिक्षित मजदूरों द्वारा की जाती है। तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति गैस एजेन्सी के प्रशिक्षित मजदूरों /कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

(3) नगर सुधार न्यास जोधपुर अवेध निर्माण हटाते समय बिजली कनेक्शन काटने के लिए सम्बन्धित विभाग को लिखता है लेकिन न्यास के पास बिजली विभाग को स्टाफ होने की स्थिति में वह स्वयं कनक्शन काटता है। जलदाय विभाग व टेलीफोन का सामान हटाने हेतु निवेदन नहीं करता चूंकि गोदाम में सिलेण्डर्स हटाने की जिम्मेदारी आई. ओ. सी. की रहती है। सिलेण्डर विस्फोट होने के कारण अतिक्रमण हटाते समय विस्फोट होने की संभावना को देखते हुए न्यास द्वारा आई. ओ. सी. को भण्डार में रह गये सिलेण्डर हटाने हेतु लिखा गया।

बाद में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 1.2.89 को आदेश पारित किया था कि नियमों के तहत कार्यवाही कर विवादग्रस्त गोदाम हटाने की कार्यवाही की जावे। धारा 9 के तहत दिनांक 24.7.89 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा नियम 1981 के तहत यह मामला नियमन योग्य माना। लाइसेन्स निरस्त किये जाने की कार्यवाही मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक द्वारा अपेक्षित है। इस मामले में अपीलेट अदालत में अपील संख्या 123/89 व 63/90 विचाराधीन है जिसमें धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही फौजदारी के तहत भी अदालत में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अदालत के निर्णयों के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। यह प्रकरण राजस्व विभाग में भी विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(16 जुलाई, 1990)

फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका को चुंगी से आय

582. **श्री शांतिलाल चपलोत** (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में व्यापारिक उपयोग के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों का प्रवेश जिन्सवार प्रति दिन कितना रहा ?

(2) जिन्सवार उक्त अवधि में तिथिवार प्रति दिन नगरपालिका को चुंगी के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में व्यापारिक उपयोग के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों का प्रति दिन जो प्रवेश हुआ उसकी जिन्सवार सूची परिशिष्ट 'क' पर सलंग्न है।

(2) नगरपालिका को उक्त अवधि में प्रतिदिन चुंगी कर से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट 'ख')

(सूची विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(16 जुलाई, 1990)

पेयजल पर व्यय

574. श्री निर्भयलाल (रूपवास) एवं श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में पेयजल की व्यवस्था पर 1 जनवरी, 1987 से मई, 1990 तक किस किस जिले में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धन-राशि व्यय की गई ? जिलेवार वर्षवार व अधीक्षण अभियन्ता सर्किलवार व्यय के कुल आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष कितने-कितने ट्यूबवैल व हैण्ड पम्प खोदे गये ? उक्त में से जिलेवार कितने-कितने ट्यूबवैल व हैण्डपम्प असफल हुए ? वर्षवार, जिलेवार पृथक्शः संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण प्रपत्र "अ" में एवं वृतवार व्यय का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(2) वांछित विवरण प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

1. श्री रामनारायण वर्मा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री अमीन खां; सदस्य, विधान सभा की ओर से नैनवा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम देई के निवासी श्री कालू की नाबालिग लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री सुनील विश्नोई, श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर के माइक्रोबायोलोजी विभागाध्यक्ष, डा. एन.एन. मंगल द्वारा की जा रही मनमानी से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

3. श्री गोविन्द सिंह, श्री लक्ष्मीलाल, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ के थाना निम्बाहेड़ा के ग्राम अरनोद में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के पहिये के नीचे दबाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट की बालिका उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापिकायें नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में नसबन्दी के आपरेशन के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री ईश्वर लाल सैनी, श्री सुनील विश्नोई, श्री नाथूराम अहारी, श्री रामनारायण वर्मा, श्री परसादी लाल, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन वितरण किये जाने बाबत नीति निर्धारित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा के द्वारा वरिष्ठ मंत्री के द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक इंस्टीट्यूशन को मान्यता एवं सम्बद्धता दिलाने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

1. श्री हजारी लाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा राजस्थान के गांवों में अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि हरियाणा राज्य से लगती राजस्थान की सीमा में झुन्झुनू जिले की खेतड़ी तहसील के ग्राम दूदवा, बोसरडा, जमालपुर, ढोसी की राजकीय भूमि पर हरियाणा राज्य के वन विभाग का कब्जा है जो राजस्थान राज्य के राजस्व रेकार्ड के अनुसार अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण पर हरियाणा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय करवाया जाएगा। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

2. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद्, सीकर द्वारा भुगतान न करने से रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे फाटक बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जालोर के कनिष्ठ अभियन्ता की कलक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मांधी के सरपंच द्वारा राजकीय कोष के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

5. श्री लक्ष्मीलाल, श्री गोविन्द सिंह, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री राजेन्द्र कुमार; श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समुचित व्यवस्था करने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में।

6. श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री ईश्वर लाल सैनी, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से तोड़फोड़ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़) सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़

(श्री अध्यक्ष)

नगरपालिका द्वारा पानी के घरेलू कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की लघु इकाइयों से उत्पादित छत के पंखों को राजकीय विभागों द्वारा न खरीदने के संबध में।

3. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

4. श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर वाटी तहसील को डार्क जोन घोषित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम छबड़ा क्षेत्र की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में।

6. श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम छान तहसील टोंक में स्थित सम्पूर्ण चारागाह भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम महंगी (जमवा रामगढ़) में भारी मात्रा में गजाइयां (कीट) उत्पन्न होने से फैल रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।

8. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा में बिरोटी बांध की नहरें नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

10. श्री रामस्वरूप मेघवाल, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से किरताराम मेघवाल के हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

11. श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली के सिंचाई विभाग के बांधों व नहरों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

12. श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नैनवा की दयनीय आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर विश्वविद्यालय के कनिष्ठ लिपिकों को सेवा मुक्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में बरसात न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से डा. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर में काफी संख्या में विभिन्न संवर्गों के टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

16. श्री बी.डी. कल्ला, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

17. श्री मदन मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कामां विधान सभा क्षेत्र में 132 के वी का जी.एस.एस. लगाने एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास।

स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह एक बहुत गम्भीर मसला है कि भारतीय होम्योपैथिक कॉलेज, भरतपुर के अन्दर मैनेजिंग कमेटी के अन्दर माननीय राजस्व मंत्री श्री नत्थीसिंहजी उसके मेम्बर हैं और अध्यक्ष महोदय, वो सब-स्टेण्डर्ड फैसेलिटी से वहां सब-स्टेण्डर्ड से इनएडैक्यूएट स्टाफ है इनएडैक्यूएट फैसिलिटीज् हैं उसके आधार पर सैन्ट्रल होम्योपैथिक कौन्सिल ने 1984 के अन्दर सैन्ट्रल कौन्सिल एक्ट लागू हो गया तो राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड को यह पत्र लिखा कि इस इन्स्टीट्यूशन का एफिलिएशन खत्म कर दिया जाये और डिरिकोगनाइजेशन कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, उसकी अनुपालना नहीं की गई। जब 1988 को वापस सैण्ट्रल कौन्सिल की मीटिंग हुई उसके अन्दर इस बात का खेद व्यक्त किया गया कि उनके निर्देशों की अनुपालना नहीं हुई और परिणामस्वरूप राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड से अन्य इन्स्टीट्यूशन एफिलिएटेड थे उन सबको सैण्ट्रल एक्ट की शिड्यूल 2 और शिड्यूल 3 के अन्दर रिकोगनाइजेशन के परपज के लिए इनक्लोजर से मना कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अन्ततोगत्वा जनवरी, 90 के अन्दर राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड को मजबूर होकर भरतपुर के इन्स्टीट्यूशन को डिएफिलिएट करने के लिये डिरिकोगनाइज करने के लिये लिखना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं और उन्होंने 10 मई को राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र लिखाया। राज्य सरकार ने बोर्ड को यह पत्र लिखा कि इसका एफिलिएशन कंन्टीन्यू किया जाए, इसके एग्जामिनेशन कंन्टीन्यू किये जायें। बोर्ड ने उसकी पालना नहीं की। फिर 25 जून को बोर्ड ने भरतपुर इन्स्टीट्यूशन को यह उत्तर दिया कि आप एडमिशन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वजह से हमारे सब इन्स्टीट्यूशंस का सैण्ट्रल होम्योपैथिक कौन्सिल के अन्दर डिरिकोगनाइजेशन हो रहा है। उसके बावजूद 8 जुलाई को पुनः राज्य सरकार द्वारा एक पत्र लिखा गया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। एक-एक छात्र से 20–20 हजार रुपये एडमिशन के लिये लिए जाते हैं और वहां के कोर्सेज को रिकग्नाइज्ड नहीं किया हुआ है। उस कालेज की वजह से चूंकि वहां पर जो राजस्व मंत्री महोदय हैं वह उसकी मैनेजिंग कमेटी के अन्दर हैं, पूरे राजस्थान के होम्योपैथिक कालेजेज को नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं आज

(श्री अध्यक्ष)

शाम तक जवाब लेकर कल वक्तव्य दिलवाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत विनम्र प्रार्थना है....

श्री अध्यक्ष : हां, कल दिलवाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सदन के अन्दर महत्व-पूर्ण मसले आते हैं जहां मिनिस्टर्स इन्वाल्वड हों, कल-कल का सदन बाकी है इसलिये कृपा कर....

श्री अध्यक्ष : कल दिलवा देंगे। कल की मैं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज क्यों नहीं दिलवायें साहब ?

श्री अध्यक्ष : कल की मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कालेज का वैरीफिकेशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कागजात हैं गवर्नमेंट के....

श्री अध्यक्ष : आज और कल में क्या फर्क पड़ता है, कल हो जायेगा आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेटेस्ट 8 जुलाई का जो राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है – आई एम डाइरेक्टेड टू से ...

श्री अध्यक्ष : आज वह मंत्रीजी नहीं हैं यहां पर, मैंने उनको डाइरेक्शन्स दे दिए हैं। कल आपका स्टेटमेंट हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल ?

श्री अध्यक्ष : हां। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मसला उठा रहा हूं जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलता है, जिस तरह से हम आपरेशन्स करते हैं। गंगानगर से 15 किलोमीटर दूर पुनावट कस्बा है और वहां पर बिना आपरेशन थियेटर के एक नसबंदी कैम्प लगाया गया, उसमें एक गरीब हरिजन औरत थी उसका आपरेशन किया गया। आपरेशन करते वक्त उस औरत की मौत हो गई। 27 साल की उसकी उम्र थी। जिन कन्डीशन्स में उसकी डैथ हुई मैं समझता हूं कि दूरबीन से नसबन्दी का आपरेशन करने में हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के अन्दर मौत के बहुत कम आंकड़े है जब कोई डैथ होती है। आपरेशन टेबल पर ही उसकी डैथ हो गई। जो डाक्टर्स आपरेशन कर रहे थे, डैथ होने के बाद उसका जो परिवार था, उस परिवार से यह कहा गया कि हम इसका बड़ा आपरेशन करने के लिये गंगानगर ले जायेंगे। उसके पति से अंगूठा लगवा लिया। उसने कहा कि मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। जबकि नसबन्दी आपरेशन्स के बारे में जो भी डैथ्स होती हैं उनके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि उनका हर हालत में पोस्टमार्टम होना चाहिए जिससे पता लगे कि किन कारणों से डैथ हुई हैं। उस कारण को छुपा लिया गया। 5 डाक्टर्स थे वहां पर और पांचों ने छिपाकर 12 बजे गंगानगर के लिये रवाना कर दिया। गंगानगर उसकी डैड बॉडी ले गए और अस्पताल के अन्दर मौके पर पूरे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

डाक्टर्स इकट्ठे होकर, क्योंकि 1–1।। बज चुका था, उसकी डैड बॉडी उसके गांव ले गए।

मैं समझता हूं कि इस सीरियस मामले में डाक्टर्स ने जो रेकार्ड बनाया है वह सारा उन्होंने मिल बैठकर बनाया है और पोस्ट मार्टम नहीं हुआ इस वजह से निश्चित पता लग सके कि किन कारणों से यह डैथ हुई, क्या वजह से हुई? वह 27 साल की जवान....

श्री अध्यक्ष : आज मैंने शाम पहले-जवाब मंगवाया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा परिवार वहां पर अस्पताल में बैठा रहा, पचासों लोग इकट्ठे हो गये और डिप्टी सी.एम. एण्ड एच.ओ. और सी.एम. एण्ड एच.ओ. दोनों इस मामले में इन्वाल्वड हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। मैं समझता हूं कि बड़ा सीरियस मामला है और राजस्थान सरकार ने ऐसे मामलों में, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वह नसबन्दी के आपरेशन्स के मामले में बहुत संवेदनशील है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब निश्चित तौर से आना चाहिए। क्योंकि विधान सभा एक दिन की ही है....

श्री अध्यक्ष : मैंने सब का जवाब आज ही शाम पहले-पहले मंगवाया है। आप बिराजें।

श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अभी 19–7–90 को विद्युत मण्डल ने एक आदेश जारी किया है कि अब तक जो किसानों को कुओं की प्राओरिटी दी गई थी वह समाप्त कर दी गई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 में गवर्नमेंट को डाइरेक्शन्स देने का अधिकार था, वह बोर्ड को देती थी कि एक साल में जितने भी कनेक्शन्स होंगे वह डाइरेक्शन्स हो जाती थी और उन्हीं के अनुसार कनेक्शन्स देने पड़ते थे, स्वीकृत करते थे। इस के तहत न तो उन्होंने उस एक्ट को बिदड्रा किया है और न ही उस एक्ट को मोडिफाई किया है। यही नहीं सब कानून ताक में रख कर नये नियम उन्होंने बना लिये हैं। अब इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन आ गया है, जवाब आज ही ले रहा हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आज ही ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आज ही इस सम्बन्ध में जवाब ले रहा हूं। (व्यवधान) आप बोलिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था हिण्डौली गांव में पुलिस द्वारा की गई हत्या के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में आधा वक्तव्य दिया गया था। मैंने 2–3 दफा पूछा भी था तो आपने यह बताया कि वक्तव्य आ रहा है लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि कल का ही दिन बचा है ...

श्री अध्यक्ष : हाउस का कल, आज शाम से पहले-पहले जवाब आ जायेगा।

श्रीमती रमा पायलट : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरे पास रोज आये दिन खबरें आती हैं....

श्री अध्यक्ष : कल आपको उस सम्बन्ध में व्यवस्था निश्चित रूप से मिल जायेगी।

श्रीमती रमा पायलट : नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि रोज इविडेन्स को खत्म किया जा रहा है पुलिस के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया आपको, मैं कल उस पर व्यवस्था दे दूंगा। आज शाम से पहले पहले मेरे पास जवाब आ जायेगा। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र पारीक : ....अब हो गया, इनकी बात हो गई। आपका और इनका एक ही तो मोशन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि 19 तारीख को 20 तारीख के लिए फरमाया था और आज 23 तारीख हो गई (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेहन्दीपुर बालाजी का आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कल आ रहा है मेहन्दीपुर बालाजी। बिराजें। श्री राजेन्द्र पारीक। अब आपसे बात हो गई। आज शाम को निश्चित रूप से इसका जवाब लेकर मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अभी बोल लेंगे तो। मैं फिर उसमें नहीं बोलने दूंगा। आप बिराजें। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। एक सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष : क्या सूचना देनी है।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां कल अखबार की सूचना के अनुसार फिर डकैती पड़ गई है। उसमें एक आदमी तो आन स्पाट खत्म कर दिया गया है और 10 से ज्यादा आदमी घायल हुए हैं, करीब 6 लाख रुपये का माल ले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गई सूचना सरकार को। सूचना दे दी आपने।

श्री प्रभुलाल पटेल : सूचना दे दी, अध्यक्ष महोदय, अब इसमें आगे कुछ होगा या नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : सरकार का जो काम है वह सरकार करेगी ?

श्री प्रभुलाल पटेल : माहवारी है, फिर उन्होंने एलान कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के ध्यान में है सब चीज, वह करेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान सीकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 26-6-90 को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नियम 131 के अन्तर्गत आपसे निवेदन किया था, इस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत् सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने पानी की व्यवस्था के लिए—

श्री भंवरलाल शर्मा (जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : ध्यानाकर्षण तो नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं यह तो 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ध्यानाकर्षण है आपका इस पर।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री राजेन्द्र पारीक : ध्यानाकर्षण लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप बिराजें।

डा. हरीसिंह : अभी आप इस पर बोलेंगे तो बाद में क्या बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : नगर परिषद् के बारे में हैं। ध्यानाकर्षण पानी के बारे में हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें भी पानी का है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अलग है नगर परिषद् का मामला।

श्री अध्यक्ष : यह नगर परिषद् का है, आप पानी पर बोल रहे हैं। फाटक बन्द करने का है उस पर बोलिए ना।

रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे फाटक बन्द होने से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सीकर नगर परिषद् और रेलवे के बीच में एक कान्ट्रेक्ट हुआ था पुरोहितों की ढाणी स्थित जो मार्ग था उस पर फाटक बनाने के लिए। उसके अन्तर्गत नगर परिषद् को फाटक निर्माण के लिए खर्चा देना था और सालाना 18 हजार रुपये का और खर्चा देना था रेलवे विभाग को। नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति जब तक ठीक रही....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : तब तक नगर परिषद् ने कुछ पैसा रेलवे विभाग को दिया और जब धीरे-धीरे स्वयं नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति खराब हो गई तो वह पैसा देने में असमर्थ रही। उसका नतीजा यह निकला, अभी 17 मई को रेलवे ने यह फाटक बन्द कर दिया। उस फाटक को बन्द कर देने से उस मार्ग से जुड़ी हुई जितनी भी ढाणियां और छोटे-छोटे जो ग्राम थे जिससे करीब 20 हजार की आबादी प्रभावित होती है उन सबका रास्ता बन्द हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस रास्ते से आने जाने के लिए, अपने स्वयं के साधन ले जाने के लिए साथ ही बीमारी की हालत में

(12.20 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

मरीजों को इधर-उधर लाने ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। माननीय सभापति

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, किसी गम्भीर बीमारी की स्थिति में उस रास्ते से मोटर गाड़ी या ऊंट गाड़ी या किसी भी साधन से मरीज को उधर ले जाने में असमर्थ हो गये हैं, क्योंकि रास्ता ही बन्द कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब रास्ता ही बन्द कर दिया गया है. रास्ता ही नहीं है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : बिलकुल रास्ता बन्द कर दिया गया साहब। नगर परिषद् ने पैसा जमा किये नहीं जबकि करीब चार लाख रुपये बाकी थे। सभापति महोदय, रेलवे विभाग के कहने के बावजूद नगर परिषद् सीकर ने एक लाख सैंतीस हजार रुपये जमा भी करवा दिए तो मकान जो है कर्जा वसूली भी है वैसी स्थिति जो है रेल विभाग ने कायम कर दी है। नगर परिषद की स्थिति ऐसी बढ़िया नहीं थी। नगर परिषद् उन हालात में भी 1 लाख 37 हजार रुपये रेलवे विभाग को दिये। रेलवे विभाग को यह चाहिए था कि इतना पैसा लेने के बाद उनको इतनी रिलीफ देते कि रास्ता खोल देते। फिर जब रास्ता बन्द करना ही था तो रेलवे विभाग को चाहिए था कि नगर परिषद् की कोई सम्पत्ति कुर्क करके उससे पैसा वसूल करते। ग्राम नागरिकों को जो सुविधा मिली हुई थी कि उस सुविधा का मार्ग बन्द करके सारी की सारी सुविधा बन्द कर दी। सभापति महोदय, ऐसे हालात में जब कोई आदमी बीमार पड़ जाये या किसी के ब्याह शादी हो या सामान वगैरह ले जाना हो ऐसे हालात में जबकि रास्ता ही बन्द हो तो आदमी कहां से गुजरेगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नगर परिषद सीकर को करीब चार लाख रुपये एक्स्ट्रा मदद के रूप में दें ताकि नगर परिषद् भुगतान करके रास्ता खुलवाए या फिर केन्द्र सरकार से इस विषय में यथा शीघ्र वार्ता करके नगरपरिषद् और उनके बीच जो कान्ट्रेक्ट हुआ है उस कान्ट्रेक्ट को समाप्त करवाया जाए क्योंकि सीकर नगरपरिषद की वित्तीय स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है कि वह इस तरह के कान्ट्रेक्ट में फंसकर बराबर पैसा दे। वह इसे चालू रख सकेगी इस बात में शक है। जब तक उनकी वित्तीय स्थिति बढ़िया नहीं होगी तो यह स्थिति जो आज बनी है यह अगले साल फिर बन जाएगी। सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार आज ही जयपुर के आफिस से टेलीफोन करें वार्ता करके यदि रास्ता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे तो सीकर के नागरिकों के प्रति एक बड़ी भारी कृपा होगी। यही आपसे निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा रास्ता है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सर, पुरोहितजी की ढाणी का रास्ता है जिसको रेलवे विभाग वालों ने बन्द कर दिया है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जालौर के कनिष्ठ अभियन्ता की कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पिटाई

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : संवेदनशील

(डा हरिसिंह)

माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार द्वारा थप्पड़ मारकर पब्लिक को परिचय दिया जा रहा है कि हम कौन हैं ? ऐसा ही एक किस्सा जालौर में हुआ। एक अभियन्ता, श्री शिवशंकर कुछ पेड़ों की टहनियां जो लाईन पर आ रही थी, उनको कटवा रहा था। यह बिजली विभाग के आदेश हैं कि जो भी पेड़ों की टहनियां या पेड़ बिजली लाईन के पास रहते हैं उनको कटवाना अनिवार्य है। उस समय कलेक्टर, एस. पी. उधर से गुजर रहे थे। राजा भोज की तरह से जैसे पुराने जमाने में गुजरते थे उनसे पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि मैं लकड़ी कटवा रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप हमें पहचानते हो, नहीं पहचानते हो तो थप्पड़ मारकर बताया कि हम कौन हैं और कलेक्टर, एस. पी. दोनों ने उसकी पिटाई की। इन्जीनियर्स में बहुत असन्तोष है इस मामले में। तो ऐसी सरकार, कलेक्टर, एस. पी. दोनों सरकार के नुमाइन्दे हैं, लाँ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के जिम्मेवार हैं डिस्ट्रिक्ट में। वही जब पब्लिक के लोगों की पिटाई करेंगे तो सभापति महोदय, आप खुद समझिए कि उस सरकार के इरादे क्या हैं, पब्लिक के प्रति, सद्भावना कैसी है और यह क्या चाहती है ? धन्यवाद (व्यवधान) सरकार तो चुप है क्योंकि सरकार ने तो खुद ने ही कह रखा है कि अगर कोई ऐसा करे तो थप्पड़ मार देना। क्या सरकार मना करती है कि ऐसा किस्सा नहीं हुआ ? क्या मुख्य मन्त्री जी कहेंगे कि थप्पड़ नहीं मारा गया। अगर मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि मेरा कहना गलत हैं तो मुख्य मन्त्री जी जवाब दें कि थप्पड़ नहीं मारा गया है। आपने कुछ नहीं किया और थप्पड़ मारा एस पी, कलेक्टर ने खुले आम रास्ते में। यह मुख्य मन्त्री जी आप करवा रहे हैं। कृपया बन्द करिए इसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सारी बात कहकर आखिर में गलत बात कह दी।

डा. हरिसिंह : आखिर में मैंने गलत नहीं कहा। आप नहीं पिटवाते तो आप एक्शन लेते उस कलेक्टर और एस. पी. के खिलाफ।

श्री देवीसिंह भाटी : जांच चल रही हैं।

डा. हरिसिंह : जांच चल रही है, हर चीज में जांच चल रही है। यह सरकार देखने में और करने में ही है।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण (अनुपस्थित)।

माननीय श्री गोविन्द सिंह गूर्जर।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान पाकिस्तान से जो हिन्दू जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर व गुजरात की तरफ आ रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, करीब साढ़े चार सौ/पांच सौ

(12.25 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

हिन्दू परिवार इस प्रकार के आ चुके हैं और जिस प्रकार का वातावरण आज पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में आन्दोलन के कारण बना हुआ है उसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने पैदा हुई है। हालांकि सारा विषय केन्द्र सरकार का है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनसे जो समस्या हमारे यहां उत्पन्न हो रही है, उस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी आप केन्द्र से बात करके, जो कुछ भी व्यवस्था आप उनको यहां समुचित रूप से रहने की, उनके खाने-पीने की, उनको कोई तकलीफ नहीं हो और किस प्रकार से वह वापस यहां से जा सके, इसके लिए आप कार्यवाही करें। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। मुझे दुःख है कि अभी तक काफी दिनों से यह सिलसिला चल रहा है, अगर इसके ऊपर कोई कार्यवाही हमने नहीं की तो यह सिलसिला, जिस प्रकार का आंदोलन पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में चल रहा है, उसके कारण यह आन्दोलन और भड़क रहा है और ज्यादा लोग हमारे यहां आने लगे हैं। आज हमारे हिन्दुस्तान के रहने वाले सिन्ध प्रान्त में जो भाई हैं, उनके धर्म की सुरक्षा नहीं है। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं है। उनको वहां से मजबूर किया जा रहा है कि वह अपने जान-माल को छोड़कर, जो भी कुछ उनके पास है, उसको छोड़कर अपने कपड़े लेकर भागते हुए यहाँ आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। परसों भी मुख्य मन्त्रीजी आप यहाँ नहीं थे, उल्फा का मामला यहाँ आया, उसके सम्बन्ध में भी मैं चाहूंगा कि कश्मीर के भी कुछ लोग यहाँ जो धर्मशालाएं हैं उसमें ठहरे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो लोग राजस्थान में आ रहे हैं, चाहे वह आसाम के हैं, चाहे पाकिस्तान के हमारे सिन्धी भाई हैं, जो सिन्ध में रहने वाले हैं, चाहे कश्मीर के बहुत कम लोग ही आए हों। लेकिन जो लोग आए हैं उनके यहाँ रहने की व्यवस्था, उनको वापस भेजने की व्यवस्था, वह अच्छी तरह से यहाँ रहें और उनको यह महसूस न हो कि राजस्थान की सरकार ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में विचार करेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप स्वयं इस बारे में कोई बात यहाँ कहेंगे कि राजस्थान की सरकार, जो लोग पलायन करके राजस्थान में आ रहे हैं, हमारे प्रवासी भाई, जिनके लिए हम रोज कहते हैं कि वह यहाँ आए और आकर यहां राजस्थान में अपना उद्योग लगाएं, राजस्थान के लोगों को सहायता दें, उन लोगों की हम क्या मदद कर रहे हैं इस मुसीबत में। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी कोई बात कहें तो मैं समझूंगा ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विषय बताओ साहब।

श्री सभापति : विषय बताऊं क्या, इसी सम्बन्ध में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेंहदीपुर बालाजी के बाई पास के बारे में है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेंहदीपुर के बालाजी के विषय में था मेरा बाई पास के लिए।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने नाम बोला, मैं बोल रहा हूं इसके बारे में।

श्री सभापति : बोलिए, किस विषय में बोलेंगे आप ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेहन्दीपुर बालाजी के बाई पास के बारे में।

श्री सभापति : वह विषय अभी नहीं है, बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में मेरा था। कई मौतें वहां पर हो चुकी हैं। रोजाना बसें 6-6 घण्टे तक लेट हो जाती हैं।

श्री सभापति : वह विषय अभी नहीं है आप बिराजिए। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आज के इन हालात में कभी आसाम में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी पंजाब में जो स्थितियां बन रही हैं वह तो एक बड़ा भारी मुद्दा था ही लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान में जिस तरह की ज्यादती वहां पर हिन्दुओं के साथ हो रही है, यह भी एक बड़ा ही चिन्तनीय विषय है। पिछले दिनों के दंगों में वहां के हिन्दुओं को पलायन का शिकार होना पड़ा वे भाग कर अपनी सीमा में जिस तरह घुस रहे हैं, सरकार और वहां के आतंकवादी दोनों से ही वहां के हिन्दू किस बुरी तरह से आतंकित हैं, जान माल की सुरक्षा के लाले ही नहीं पड़ रहे हैं बल्कि उनकी हर तरह से असुरक्षा हो रही है। ऐसी हालत में मैं आपके मार्फत मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस विषय में आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की सीमा से जुड़ी जो सीमायें हैं वहां से भी काफी लोग पलायन करके राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हालात और अधिक गम्भीर हो गये हैं। केन्द्रीय सरकार से आप इस विषय में वार्ता करें और अधिक से अधिक सुरक्षा उनको मिल सके इस विषय में वार्ता करके सन्देश पहुंचायें। आपके मार्फत मुख्य मन्त्री जी से यही कहना है।

श्री सभापति : श्रीमती रमा पायलट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि आपकी सूचना के अनुसार पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ क्या ज्यादती हुई है थोड़ा सदन को बता दें मुझे भी लाभ होगा और भारत सरकार से हम बात भी कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान के दंगों में हिन्दुओं के मन्दिर थे उन्हें तोड़ा गया, हिन्दुओं को अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ा। सरकार वहां के आततायी हैं उन्हीं के चंगुल में है उन्होंने भी उनकी कोई विशेष मदद नहीं की। सरकार के पास स्वयं के पास भी इस विषय में ज्यादा अधिकृत जानकारी पूर्व में मौजूद है फिर भी मुझे मुख्य मन्त्री महोदय का आदेश मिला है हम लोगों के पास तो जानकारी का एक माध्यम मीडिया है, अखबारों के मार्फत जो कुछ समाचार, सूचनायें मिलती हैं, हमारा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माध्यम तो सिर्फ वही है। लेकिन फिर भी मुख्य मन्त्री महोदय का आदेश हुआ इसलिए मुझे इस विषय में बताना है। बाकी अधिकृत जानकारी केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के पास है। राजस्थान की बहुत बड़ी लम्बी सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वहां आये दिन के जो हालात है वह इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि पाकिस्तान में आज किस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सीमा से लगती हुई पाकिस्तान और राजस्थान की जो सीमायें हैं, वहां रोज का पलायन हो रहा है। कभी गलती से वहां की बोर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा सीमा में घुसते हुये लोग मारे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वह लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं लेकिन वह भी एक तरह से तस्कर या घुस पैठिये के रूप में वहां मारे जाते हैं। ऐसी हालत में अधिक अधिकृत जानकारी तो केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के पास है लेकिन चूंकि मुझे आदेश हुआ था इस आदेश के तहत मुझे यह बयान करना ही था। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहूंगी कि हमारे हिन्दू भाई जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ वाकई घोर अन्याय हो रहा है। एक तो जातिवादिता की बात वहां पर है, दूसरा धर्म को लेकर भी उन लोगों को सताया जा रहा है यहां तक कि हिन्दुओं के मन्दिर हैं वह खतम किये जा रहे हैं। पुजारियों को मारा जा रहा है। हाल ही में तकरीबन साढ़े चार सौ परिवार हिन्दुस्तान आये हैं। जिसमें से ढाई सौ परिवार जोधपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड में प्रताप नगर व महामन्दिर क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहां, करीब दो सौ परिवार गुजरात राज्य की सीमा में हैं और आस-पास के इलाकों में आकर वह बस गये हैं। आप बताइये कि इतनी मंहगाई के समय में एक परिवार अपने परिवार को पालने में बहुत असमर्थ है लेकिन जब इस तरह से दूसरे ऐसे हमारे भाई बहन सताये हुये हमारे देश में आते हैं तो उनका भार भी उनके ऊपर पड़ता है। उनको डबल मार पड़ती है, अपना घर चलाने के लिए और उन लोगों की ऐसी हालत है कि एक बच्चा जब कोई बाहर निकाल कर पीटा जाता है तो वह भाग कर अपनी मां की गोद में जाता है और हिन्दुस्तान का नागरिक जब किसी भी देश में रहता है और वहां उसको मार पड़ती है तो वह हिन्दुस्तान और भारत मां की गोद में भाग कर शरण लेता है। यदि वह शरण लेता है तो हमारा और भारत सरकार का और राज्य सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका लालन पालन करें, उसकी देख रेख करें, सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे भाइयों और बहनों पर जो उनके रिश्तेदार हैं जिन पर डबल खर्च पड़ रहा है उनके खर्च को बचायें। मैं चाहूंगी ऐसे चार सौ साढ़े चार सौ परिवार जो फिलहाल आये हैं उनमें ढाई सौ परिवार तो परिवारों के साथ ही रह रहे हैं, जो रहना नामुमकिन है। दो चार परिवार मुझसे मिले उनकी हालत यह है कि, आज कल साझा किसी

(श्रीमती रमा पायलट)

का भी नहीं निभता है। मैं सत्ता पक्ष से यह चाहूंगी, मुख्य मन्त्री साहब इसका बुरा न मानें चूंकि सरकार भी साझा है मेरा उधर की तरफ कोई इशारा नहीं है। मैं साफ बात कह रही हूं। साझा परिवार बहुत मुश्किल होता है। दूसरे रिश्तेदार आकर उन रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं उनके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य अन्धकार की तरफ जा रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इसके लिए जब कोई मां से दूर, रहता हुआ बच्चा मार खाकर मां की तरफ आता है और मां की गोद में शरण लेना चाहता है तो मां का कर्तव्य है कि वह उसकी सुरक्षा करें। ऐसे ही भारत मां और हिन्दुस्तान या राजस्थान की धरती पर आये हैं शरण के लिए हमारी राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य सोचे। इस तरह से उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके लिए भी हम उनको ढांढस बंधायें और हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं वह वहां जाकर बस गये उनको यदि सुरक्षा प्रदान करेंगे तो वह लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपना व्यवसाय कर सकते हैं, खा सकते हैं, कमा सकते हैं। हमारी सरकार भी अगर थोड़ा सा होसला अफजाई करे, उनकी कुछ व्यवस्था करे तो वह लोग जो वहां मेहनत करते यहां भी मेहनत कर सकते हैं. छोटी मोटी सहायता देने के बाद छोटा मोटा उद्योग लगा सकते हैं इससे वह अपना कार्य तो करेंगे ही साथ में देश को और राज्य को भी लाभ होगा। इतना ही में कहना चाहूंगी।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : श्री भंवरलाल।

सुजानगढ़ नगरपालिका द्वारा पानी के घरेलू कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

श्री भंवरलाल : (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सुजानगढ़ नगरपालिका द्वारा पानी के घरेलू कनेक्शन के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन. ओ. सी.) नहीं दिये जाने बाबत। महोदय, सुजानगढ़ नगरपालिका द्वारा पानी के घरेलू कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने बाबत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बे की जनसंख्या करीबन 60 हजार से भी ऊपर है तथा आधी से ज्यादा जनसंख्या गैर आबादी भूमि में बसी हुई है। आज से एक साल पहले तक नगरपालिका द्वारा जो भी आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता था उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाता था तथा उस अनापत्ति प्रमाण पत्र के दे दिये जाने पर मकानों में जलदाय विभाग द्वारा कनेक्शन जारी कर दिया जाता था। मगर वर्तमान में नगरपालिका सुजानगढ़ द्वारा आवासीय पट्टों के अलावा किसी को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कोई नियम आज तक देखने और सुनने में नहीं आया कि किसी भी आवासीय मकान में पानी, बिजली के कनेक्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में नहीं दिया जा सकता हो एवं वंचित रखा गया है। सुजानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बिना

(श्री भंवर लाल)

नगरपालिका की एन. ओ. सी. के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी का कनेक्शन पिछले एक साल से नहीं दे रहा है। जलदाय विभाग वालों का कहना है कि नगरपालिका सुजानगढ़ ने ऐसे निर्देश जारी कर रखे हैं कि बिना नगरपालिका की एन. ओ. सी. के कोई कनेक्शन नहीं दिये जावे। ऐसी स्थिति में नगरपालिका की एन. ओ. सी. लेनी आवश्यक समझी जा रही है। मगर नगरपालिका सुजानगढ़ द्वारा केवल पट्टाधारियों को ही एन. ओ. सी. जारी की जाती है जो मकान आबादी भूमि पर चालीस वर्षों से भी ऊपर के बने हुए हैं मगर उनके पास पट्टे नहीं होंने की वजह से उन्हें भी एन. ओ. सी. नहीं दी जाती है। जो गैर आबादी में बसे हैं उन्हें तो देने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे परिवार पानी व बिजली से वंचित रह रहे हैं जबकि जयपुर जैसे शहर में भी इस प्रकार के बने मकानों को पानी बिजली से वंचित नहीं रखा जा रहा है।

मैं इस विषय उल्लेख के जरिए राज्य सरकार से मांग करता हूं कि नगरपालिका सुजानगढ़ एवं स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को इस प्रकार के निर्देश जारी किये जावें कि किसी भी मकान में पानी, बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे या फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को निर्देश जारी करने की कृपा करें कि नगरपालिका के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ही पानी का कनेक्शन दे दिया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजन एवं आवासन मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, उन्होंने दो प्रकार की बातें कही हैं। एक वह कालोनीज हैं जो कि अनआथोराइज्ड बनी हुई है, सरकारी जमीन पर भी एन्क्रोचमेन्ट है। उस पर कनेक्शन दिया जाय या नहीं दिया जाय उस पर अभी रोक लगी हुई है। बाकी जो पुरानी हैं, नियमित बनी हुई हैं उन पर कनेक्शन न देने का मैं समझता हूं औचित्य नहीं है। यह बात आप मेरे ध्यान में लायेंगे, मैं इस पर विचार करके कोई भी इसका निर्णय कर दूंगा।

श्री भंवरलाल : ऐसी जमीन जिस पर पिछले पचास-साठ साल से लोग बसे हुए हैं, अनआथोराइज्ड नहीं है वह लेकिन चूंकि पुराने हैं आजादी से पहले के लोग बसे हुए हैं, उनका पट्टा नगरपालिका द्वारा नहीं है उनको भी एन.ओ. सी. नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन था कि एन. ओ. सी. दी जाय ताकि पानी और बिजली का कनेक्शन हो सके।

श्री सभापति : आप मन्त्री जी को जानकारी दे दीजिये।

माननीय हीरासिंह चौहान।

राजस्थान की लघु इकाइयों से उत्पादित पंखों को विभागों द्वारा न खरीदने के सम्बन्ध में

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विशेष

(110)

(श्री हीरासिंह चौहान)

उल्लेख के जरिए एक ऐसी गम्भीर समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि राजस्थान के उद्योग निगम के द्वारा।

श्री सभापति : प्रस्ताव पढ़िये माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पढ़ रहा हूं उत्पादित पंखो का जिसका सैल्स टैक्स भी राज्य में लिया जाता है उनको प्रयोग में न लेकर क्राम्प्टन, ओरियन्ट, उषा वगैरा अन्य दूसरी कम्पनियों के काम में लिये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लघु उद्योग, जयपुर द्वारा निर्मित M/s Castalloy Pvt. Ltd. and M/s Supreme Corporation जयपुर द्वारा छत के पंखों का निर्माण प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में किया जा रहा है। उक्त प्रकार के उत्पादित पंखे पूर्व में राजकीय विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले पंखे, क्राम्प्टन, ओरियन्ट, उषा इत्यादि की किस्म से किसी प्रकार से गुणवत्ता में कम महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक टिकाऊ है व साथ में करीब प्रति पंखा 120/– रुपये के हिसाब से सस्ते भी हैं तथा सैंट्रल स्टोर्स परचेज डिपार्टमेन्ट वित्त अथवा Director Generel of Supplies & Disposals Delhi से rate Contract पर अनुमोदित है जिसका सम्पूर्ण बिक्री कर भी राज्य सरकार को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग व पुल निगम उद्योगों से निर्मित पंखों को केवल मात्र निरीक्षण का बहाना लेकर छः माह से खरीदने में आनाकानी व रुकावटें पैदा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन लघु उद्योगों से निर्मित पंखों को राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि पिछले कइ वर्षों से हजारों पंखे खरीदे गये हैं, लेकिन पिछले 6 माह से सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम द्वारा केवल इस बात का बहाना करके कि उनके पास उक्त उद्योगों से उत्पादित पंखों के निरीक्षण के लिए टेस्टिंग इक्विपमेन्ट व तकनीकी कर्मचारी नहीं है पंखे नहीं खरीदें जा रहे हैं जबकि सभी जांच तकनीकी उपकरण उक्त उद्योगों के पास भारतीय मानक संख्या 374/1979 के अनुरूप उपलब्ध हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक विभाग ने अपने पत्र संख्या पी. डब्ल्यू. डी./एफ. 834 (307) 5510 दिनांक 15.2.90 को एक निर्देश पत्र उप सचिव, वित्त विभाग (सी.एल.पी.ओ) को देकर उसकी प्रतिलिपि अधीनस्थ विभाग को देकर निर्देशित किया कि सी.एस.पी.ओ. के द्वारा पी.डब्ल्यू.डी व दूसरे तकनीकी विभागों को निरीक्षण के दिनांक 8.1.90 के आदेशों का क्रियान्वयन रोक दिया जावे जबकि सी.एस.पी.ओ. ने इन आदेशों को रोका ही नहीं था। ऐसा सी.एस.पी.ओ. द्वारा विभिन्न विभागों व सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी उक्त पत्र दिनांक 15.2.90 के उत्तर में पत्र संख्या एफ.7 (264) डी/सी.एस.पी.ओ./88 दिनांक 30.3.90 द्वारा बताया गया है, सी.एस. पी.ओ. का उक्त पत्र निम्नलिखित प्रकार है :-

(श्री हीरासिंह चौहान)

"With reference to your letter No. Sec. IV/PWD/F-8-34 (30) 5510 dated 15.2.90 on the subject noted above, I am directed to say that rate contract holding firms have the f cilities of acceptance and routine tests at their factories. You are, therefore requested to kindly carry out the inspection by constituting a inspection party as per order No. F.7 (264) FD/CSPO/88 Jaipur, dated 8.1.90."

उक्त आदेश की भी मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवहेलना कर अधिशाषी अभियन्ता श्री के. बी. एल. सेठ को सी.एस पी.ओ. के उक्त पत्र को गलत साबित करने के लिये भेजा गया तथा यह भी बताया जाता है कि श्री सेठ को मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त निर्माताओं के विरुद्ध गलत रिपोर्ट दी जाये ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि उक्त इकाइयों के पास निरीक्षण हेतु जरूरी उपकरण नहीं है। इस रिपोर्ट के तुरन्त बाद सी.एस पी. ओ. द्वारा उनकी तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण पर पाया गया कि उक्त इकाइयों के पास सभी टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, इतना सब कुछ होने के बावजूद स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जानबूझकर इन इकाइयों से निर्मित पंखों की खरीद नहीं कर क्राम्प्टन पंखों के लिए ऊंचे मूल्यों पर आदेश दे दिये गये जिन्हें सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के ध्यान में लाने पर सभी पंखों के आदेश निरस्त किये गये थे।

वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काफी संख्या में नये मकानों का निर्माण किया जा चुका है। पंखों की जानबूझ कर खरीद न कर उन भवनों का उपयोग व हस्तान्तरण नहीं कि जा रहा है। जब कि अन्य विभागों जिनको कि भवन देने हैं से पंखों की कीमत भी अपने पास जमा करा ली गई है जिससे सरकार का करोड़ों रुपया इन भवनों में बगैर उपयोग के व्यर्थ में अटका पड़ा है।

इसी तरह से राजकीय पुल व निर्माण निगम द्वारा भी स्थानीय इकाइयों से पंखे खरीदने में निरीक्षण का बहाना करके आनाकानी की जा रही है व क्राम्प्टन व अन्य बाहर की इकाइयों से लगातार ऊंचे मूल्य पर पंखे खरीदे जा रहे है। स्थानीय इकाइयों के पंखे गुणवत्ता में किसी भी पंखे से कम नहीं है बल्कि सस्ते भी हैं। सैण्ट्रल स्टोर्स परचेज डिपार्टमेन्ट द्वारा भी पुल निगम को उनके द्वारा निरीक्षण करके स्थानीय इकाइयों के पंखे लेने का आदेश दिनांक 28.2.90 द्वारा दिया गया था लेकिन उन्होंने स्थानीय इकाइयों से पंखे नहीं खरीदे व न ही खरीदने जा रहे हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार लघु उद्योगों को हर प्रकार से सहयोग करके पनपाना चाहती है लेकिन मेरे उपरोक्त उल्लेख से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष सरकार की नीतियों के विपरीत आचरण कर इन इकाइयों को हतोत्साहित करने का राज्य सरकार के सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। सरकार को चाहिये कि अविलम्ब इस विषय पर जांच कर उक्त इकाइयों से उत्पादित छत के पंखों को खरीदने की व्यवस्था

(श्री हीरासिंह चौहान)

करें। कतिपय निगमों जैसे कि पुल निगम व बिजली बोर्ड द्वारा बार-बार यह दोहराया जाता है कि खरीद के मामले में उन पर राज्य सरकार के प्रादेश लागू नहीं होते है। इस प्रकार का बहाना लेना और बाहर की ओरियन्ट, उषा और क्राम्प्टन कम्पनियों से खरीदना, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे इलाके की लघु इकाइयों के साथ जो इनके उत्पादित छत के पंखे हैं, न खरीदकर उनके काम को या उनके उत्पादन को रोके जाने के समान है।

अतः यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकार राजकीय निगमों व उपक्रमों को भी स्थानीय इकाइयों से छत के पंखे खरीदने के लिए बाध्य करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हीरालाल आर्य।

इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, पीपल्दा क्षेत्र के इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कराने के लिए खोलना अत्यन्त आवश्यक है इस हेतु मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहां के निवासियों का मुख्य धन्धा खेती करना है। खेती पर आश्रित होने की वजह से यहां पर राजस्व के हजारों विवादास्पद मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। यह क्षेत्र क्योंकि अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र है इसलिए इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों का बाहुल्य है। राज्य सरकार ने इस बजट में यद्यपि किसानों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु कई घोषणायें की हैं लेकिन जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना भी आवश्यक है। जनता को न्याय दिलाने के लिए इस क्षेत्र में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना की हुई है। लेकिन क्योंकि यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र हैं तथा हजारों विवादास्पद राजस्व के मामले उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिए जनता को राजस्व के मामले में न्याय प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय जिला हैडक्वाटर पर कोटा में स्थित है जो यहां से बहुत दूर करीब 100-150 कि. मी. पड़ता है। पीपल्दा तहसील क्योंकि सभी ओर नदियों से घिरा हुआ है। इस वजह से वर्षा के दिनों में बाढ़ आने तथा नदियों पर ऊंची पुलियायें नहीं होने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। तथा कोटा तक पहुचने मे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसमे समय शक्ति एव धन का अपव्यय होता है।

अतः उपरोक्त कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय होना अत्यन्त आवश्यक है। पीपल्दा क्षेत्र की जनता इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की मांग पिछले कई वर्षों से करती आ रही है लेकिन सरकार द्वारा उक्त कार्यालय अभी तक नहीं खोलने से वहां की जनता में भारी रोष एवं असतोष व्याप्त है अतः

(श्री हीरालाल आर्य)

सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि निम्न कारणों से इटावा में अविलम्ब सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की कृपा करें।

1– पीपल्दा तहसील के हजारों मामले उप खण्ड अधिकारी कोटा की अदालत में लम्बित होना।

2– पीपल्दा तहसील का सभी ओर नदियों से घिरे होना, उनमें बाढ़ आना तथा नदियों पर पुल नहीं होना तथा आवागमन के साधनों का अभाव होना।

3– जिले में जिन स्थानों पर मुन्सिफ कोर्ट है वहां सब जगह सहायक जिलाधीश कार्यालय हैं। इटावा मुन्सिफ कोर्ट तो है लेकिन राजस्व कोर्ट नहीं है इसलिए वहां पर राजस्व कोर्ट खोलना अति आवश्यक है।

4– पीपल्दा तहसील से जिला केन्द्र, कोटा जहां पर उपखण्ड कार्यालय है का बहुत दूर करीब 100-150 कि. मी. दूर होना।

5– क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों का बहुल्य होना तथा क्षेत्र का कृषि प्रधान होना।

6– जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु।

7– इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान् जिलाधीश महोदय, कोटा द्वारा भी अनुशंसा करना है।

अतः उपरोक्त सभी कारणों से सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके शीघ्र सहायक जिलाधीश कार्यालय की स्थापना करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय मदन लाल सैनी।

उदयपुरवाटी तहसील को डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : मान्यवर सभापति जी इस प्रस्ताव के माध्यम से उदयपुरवाटी तहसील को डार्क जोन घोषित करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्रीमान् उदयपुरवाटी विधान सभा की तहसील और झुन्झुनूं जिला के अन्तर्गत आती है। यह झुन्झुनूं की एक कृषि प्रधान तहसील है। वहां पर रबी एवं खरीफ की दोनों ही फसलें होती हैं। बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। वहीं कुएं तथा बांध भी सिंचाई के साधन हैं। इस क्षेत्र में अनाजों में मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, जो, गेहूं, सरसों, चना मुख्य खाद्यान्न हैं वहीं पर सब्जियों में प्याज, लहसन, भिन्डी, मिर्च आदि दूर-दूर तक की मण्डियों में जाती हैं। यहां की सब्जी मण्डी सबसे बड़ी मण्डी मानी जाती है।

मान्यवर, तहसील का पहाड़ी एवं रेतीला क्षेत्र है। कुछ वर्षों पूर्व सरकार ने भू-गर्भ जल की जांच करवाई थी इस जांच में प्रदेश के स्थानों (तहसीलों) को डार्क जोन

(श्री मदनलाल सैनी)

घोषित किया गया। इसका अभिप्राय हुआ कि डार्क जोन क्षेत्र में भू-गर्भ जल समाप्त होने जा रहा है, कम होने जा रहा है अतः और अधिक पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाय ताकि कभी पीने के पानी का संकट खड़ा न हो जाय। इस जांच में झुन्झुनू जिले की तहसील उदयपुरवाटी भी डार्क जोन क्षेत्र घोषित कर दी गयी।

मान्यवर डार्क जोन दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुये घोषित किया होगा। जिन क्षेत्रों में डार्क जोन घोषित होता है उन क्षेत्रों में राज्य की ओर से ऋणदात्री संस्था ऋण नहीं देती तथा राज्य कुआं धंसने से सहायता भी नहीं देती। यदि किसान अपना कुआं डार्क जोन वाले क्षेत्र में बनाता है तो सरकार उस पर बिजली लगाने हेतु किसी प्रकार का ऋण नहीं देती है। कुआं खोदने पर एवं बिजली लगाने पर सहायता न करने के पीछे में समझता हूं राज्य सरकार का उद्देश्य यह रहा होगा कि भू-गर्भ जल का कम से कम उपयोग हो।

मान्यवर, पर क्या राज्य सरकार का यह उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? कुए भी खोदने का काम उसी प्रकार हो रहा है जैसे पहले हो रहा था कोई कम या धीमा नहीं हुआ, न ही यह पाया गया है। सरकार विद्युत कनेक्शन के लिए ऋण नहीं देगी तो किसान अपनी व्यवस्था स्वयं करता है और डार्क जोन क्षेत्रों में अपने पैसों से कुआं बनाकर विद्युत कनेक्शन लेने वालों की संख्या कम नहीं है सन् 82 के लोगों का भी नम्बर नहीं आ रहा। प्राथमिकता में नये कुए बनाने वाले आते रहते हैं। मेरा कहने का अर्थ है सरकार के इस प्रयोग का कोई लाभ नहीं हुआ। कुए तो खोदे जा रहे हैं, विद्युत कनेक्शन भी हो रहे हैं। किसानों की अपनी बड़ी मजबूरी है। सरकार किसानों के बच्चों को नौकरी तो उपलब्ध नहीं करा सकती देश में बेकारी बढ़ रही है इस बेकारी काम देने की धीमी योजना किसान को राहत नहीं दे सकती है इस कारण किसान मजबूर होकर अपनी जमीन से परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेकर आर्थिक कठिनाइयों उठाते हुए भी कुआं खोदता है बिजली लगाता है। क्या डार्क जोन घोषित करने से कुआं खोदने तथा बिजली लगाने का क्रम रुक पाया है?

मान्यवर सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो योजना आप सोच रहे हैं वह पूरी नहीं हो रही है तो फिर किसानों को सेठ के कर्ज के भार से क्यों दबाकर उसकी कमर तोड़ना चाहते है आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में फसा कर डार्क जोन की स्थिति के सामने उसकी स्थिति को ठीक करना चाहिए।

माननीय सभापति जी डार्क जोन जिस तहसील को घोषित किया जाता है यह कैसे सम्भव है कि तहसील का पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ जाये? उसकी सीमा पर स्थित पड़ौसी तहसील पंचायत समिति डार्क जोन घोषित न हो? मैं समझता हूं डार्क जोन का तहसील पंचायत का आधार मानना ठीक नहीं है। इस आधार में बदलाव होना चाहिए। इस नीति को रखना ही है तो मेरी सरकार से मांग है कि डार्क जोन पंचायत की सीमा के अनुसार होनी चाहिए ताकि इस तहसील पंचायत का जो क्षेत्र वास्तव में सूखा नहीं है उस क्षेत्र के किसानों को समय-समय पर लाभ मिल सके।

(श्री मदनलाल सैनी)

मान्यवर, उदयपुर वाटी पंचायत समिति तहसील को भी डार्क जोन घोषित किया हुआ है। एक ओर तो भू-गर्भ जल की कमी बतायी जा रही है दूसरी ओर हिन्दुस्तान कॉपर के तांबा संयंत्र के लिये प्रति दिन पानी दिया जा रहा है। यदि वास्तव में भू-गर्भ जल की कमी है तो कॉपर का पानी तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। भूमि का पानी प्रकृति के कारण कम नहीं हो रहा है पानी कम हो रहा है तो कॉपर के कारण। इसी कारण कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है।

मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि डार्क जोन है तो कॉपर का पानी बन्द कब करवा रहे हैं? यदि कॉपर का पानी बन्द नहीं करवा रहे तो डार्क जोन कब हटवा रहे हैं? डार्क जोन का पंचायत समिति तहसील का आधार समाप्त कर पंचायत के आधार पर कब करवा रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं दृढ़ता पूर्वक पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी तहसील पंचायत समिति को डार्क जोन के बन्धन से मुक्त किया जाये ताकि मेरे क्षेत्र के किसान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

(1.00 म.प.)

श्री सभापति : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा में न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापति जी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा क्षेत्र में न्याय व्यवस्था बाबत निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है, यहां अधिकतर ग्रामीण अंचल में मीणा, भील, लोधा, धाकड़, बैरवा, सांसी, कंजर व कबाड़ी जाति के लोग रहते हैं, जो अशिक्षित हैं, गरीब लोग हैं। अशिक्षा के कारण जमीन जायदाद सम्बन्धी आपसी झगड़े एवं बड़े आदमियों द्वारा शोषण होता है उसके लिये छबड़ा में न्यायालय बहुत ही आवश्यक है जिसके निम्न कारण हैं :-

1. सन् 1977 में माननीय मुख्य मंत्री जी, जो छबड़ा के विधायक थे और मुख्य मंत्री भी थे तब सत्र न्यायालय छबड़ा में खोला था व छबड़ा के नाम से बारां में कोर्ट नं. 2 के नाम से चल रहा है।

2. अभी भी बारां सत्र न्यायालय में नं. 2 में छबड़ा और छीपाबड़ौद के 70 प्रतिशत केस हैं।

3. छबड़ा में भवन का प्रबन्ध भी है।

4. छबड़ा में एस.डी.एम. कोर्ट भी है एवं एस.जे.एम. भी है।

5. छबड़ा क्षेत्र से कई ग्रामों से बारां की दूरी 100 किलोमीटर पड़ती है। और लोगों को बारां जाने के लिये एक दिन पहले जाना पड़ता है।

6. वहां के लोग गरीब हैं जिनको बारां जाने में बहुत व्यय होता है।

7. छबड़ा सब डिवीजन में 7 थाने हैं तथा 1980 में छबड़ा सत्र न्यायालय अर्थात् ए.डी.जे. कोर्ट की स्वीकृति के आदेश कर दिये थे।

(118)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

अतः सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये जिससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है, न्यायालय छबड़ा से ले जाने की स्वीकृति प्रदान कर जनता को सस्ता न्याय दिलायें।

अन्त्योदय के अन्तर्गत भी मेरा सुझाव है कि सस्ता न्याय भी आवश्यक है। बिना वित्तीय भार पड़े सरकार पर यदि जनता को न्याय मिलने में राहत मिल जाती है तो यह भी एक अच्छी व्यवस्था होगी और जन मानस में आपके प्रति आभार रहेगा और शहरीकरण का विकेन्द्रीकरण होगा। सन् 1980 की फरवरी में विधि मंत्री और आप के मुख्य मंत्रित्व काल में विधि मंत्री ने आदेश कर दिये थे। इसलिये अब बारां से कोर्ट ले जाने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि सस्ता न्याय दिलाने के लिये कोर्ट नं. 2 का सत्र न्यायालय छबड़ा में ले जाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर प्रसाद।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपके यहां से यह कोर्ट ले जाना चाहते हैं।

श्री सभापति : वह केवल कह रहे हैं ले नहीं जा रहे हैं।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : वहां दूसरा कोर्ट मौजूद है।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय सभापति महोदय,....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ले नहीं जा सकते या ले नहीं जायेंगे।

ग्राम छान तहसील टौंक में चारागाह भूमि को सिवाय चक में बदलने से उत्पन्न स्थिति

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, ग्राम छान तहसील टौंक जिला टौंक में स्थित सम्पूर्ण चारागाह भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित कर गैर कानूनी तरीके से योजना बना कर सांठ-गांठ कर लाखों रुपये की जमीन को गलत व्यक्तियों को आवंटन करने से ग्रामवासियों में भयंकर आक्रोश है। पशुधन के गले में फांसी का झूला लगा दिया है। कभी भी वहां कानून व व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है कृपया राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से, माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर हजारों पशुओं के लिये जो नियमानुसार चारागाह छूटा हुआ था उस चारागाह को रोक कर और उस चारागाह की किस्म परिवर्तन कर गलत तरीके से सैकड़ों बीघा जमीन, इस प्रकार के व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई। जो 20 हजार रुपये बीघा की जमीन है लेकिन एक-एक व्यक्ति को, किसी को 70 बीघा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जमीन, किसी को 80 बीघा, सांठ-गांठ कर के आवंटन किया गया है। वह आवंटन निरस्त किया जाये और पशुधन के लिये चारागाह भूमि छोड़ी जाये। इस प्रस्ताव के माध्यम से आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय रमाकान्त जी।

ग्राम महंगी में गजाइयों से उत्पन्न होने से प्रदूषण फैलने के सम्बन्ध में

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत ग्राम मंहगी की समस्या के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पिछले आठ दिनों से ग्राम महंगी जो कि थानागाजी विधान सभा क्षेत्र और जमवारामगढ़ के बीच में स्थित है वहां भारी मात्रा में गजाइयां हो रही हैं और प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि वहां पर जमीन के हर एक हिस्से पर गजाइयां छा गई हैं और एक इंच भूमि भी खाली नहीं बची है। समस्त जमीन पर गजाइयों का दल छाया हुआ है। समस्त जल स्रोत, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि में गजाइयां गिर कर जल को दूषित कर रही हैं जिससे पीने का जल काम का नहीं रह गया है। लोगों की दिनचर्या जैसे शौच आदि के लिये भी जगह नहीं बची है। पूरे गांव में बदबू आ रही है। लोगों की गांव छोड़ने की स्थिति हो गई है। कई लोग गांव छोड़ भी चुके हैं। राज्य सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस स्थिति में युद्ध स्तर पर गजाइयों की समस्या से निपटें अन्यथा यह प्रकृति का प्रकोप दूसरे पास के गांवों में भी पहुंच जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय दयाराम परमार।

ग्राम खैरवाड़ा में बिरोटी बांध की नहरें नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बिरोटी बांध की नहरें नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बिरोटी बांध को बनाये हुए करीब 13 साल का समय हो गया और बांध पूर्ण हो जाने से पानी हमेशा भरा रहता है।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 13 साल का समय गुजर जाने के पश्चात् भी बांध की नहरों का काम पूरा नहीं हो पाया है और केवल दो किलोमीटर की दूरी तक ही पानी नहरों में जाता है। इस बिरोटी बांध के कमाण्ड एरिया में आने वाले गांव सबेर-दरा, खुणदरी, सलई, केलावाड़ा, जागीर, केलावाड़ा खुर्द तथा तारोली आदि हैं। और इन गांवों के काश्तकार गत 13 साल से अपने खेतों में पानी आने की इन्तजार कर रहे हैं। लेकिन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने जिस लापरवाही और

(श्री दयाराम परमार)

गैर जिम्मेदारी से काम किया है उसके अनुसार अभी तक केवल दो किलोमीटर नहर भी ठीक नहीं है और खारा पानी नदी में चला जाता है।

मान्यवर, नहरों का कार्य पूर्ण होने से न केवल काश्तकारों को ही नुकसान हो रहा है बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बिरोटी बांध की नहरों का काम पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये ताकि बरसों से इन्तजार करने वाले काश्तकारों के खेतों तक पानी पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रकाश चन्द बैरवा।

फागी विधान सभा क्षेत्र में अधूरी सड़कें

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय सभापति जी. प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत फागी विधान सभा क्षेत्र में अर्द्ध निर्मित सड़कों को पूर्ण करवाने के क्रम में।

श्रीमानजी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी जयपुर जिले का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूर्व सरकार एवं पूर्व विधायकों ने इस क्षेत्र के विकास के बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसी का कारण है कि फागी में विकास के काम के नाम पर 20, 20 वर्षों से बनी हुई अर्द्धनिर्मित सड़कें आज तक पूरी नहीं बन पाई हैं। इनमें माधोराजपुरा से राणोली वाया खेड़ा हनुमान जी, चान्दमा कलां बिखालू 20 वर्ष से ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं उनकी गाड़ियां, लड्ढे और ट्रकों के पैर टूट गये जब कि इस रोड में सरकार का लाखों रुपया खर्च हो चुका है तथा कुल खर्च होने वाली राशि का केवल 40 प्रतिशत पैसा लगने से यह पूरी हो सकती है। दूसरी रोड रैनवाल से हीरापुरा करीब 15, 20 वर्षों से गिट्टी पत्थर रोड़ी आदि लाखों रुपयों का सामान पड़ा है लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं गया। वाटिका से दाधीच तक यह रोड बन जाने से जयपुर की दूरी दाधित से 80 किलोमीटर चक्कर खाकर आना पड़ता है। अतः सीधी जुड़ जाने से 35 किलोमीटर दूरी कम हो जायेगी जिसमें केवल 12 किलोमीटर रोड बनना ही बाकी है। अतः इस क्षेत्र के जनहित में इस रोड का बनाया जाना अत्यावश्यक है। माधोराजपुरा से बीची, फाठी से समेलिया वाया मान्डी परवण धूआलिया, मोहब्बतपुरा से पहाडिया रोड, नारेड़ा से डालणीया प्याऊ, मण्डोर से वगरू तक डाबी से हनुतिया खुर्द वाया डीडावला, पीपला से टूंटोली, पीपला से गोपालपुरा, हरसुलिया से गोंदी, बागकी ढाणी से झाड़ला, महिला से भाग वाया नंदलालपुरा हीणिया आदि अर्द्ध निर्मित सड़कें हैं जिन पर कुल खर्चे का 50 प्रतिशत पैसा खर्च करने से पूरी हो जायेंगी।

इसी प्रकार चाकसू तहसील में भी कादेड़ा से तामड़िया एवं माधोसिंहपुरा से तामड़िया रोड का कार्य सरकार ने प्रगति पर बताया लेकिन लम्बे समय से कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा थली मोड़ से थली तक, चाकसू से निमोडिया, टोंक रोड से गिरधारीलालपुरा तथा खावदा से ठीकरिया, जयप्रकाश पुरा, चक्कर खावदा, मण्डालिया

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

मेदा व कोटखावदा मोड़ से बड़ोदिया व कोटखावदा मोड़ से बापू गांव तक की सारी रोडे अर्द्ध निर्मित हैं।

अतः सरकार गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र का ध्यान रख कर फागी विधान सभा क्षेत्र की अर्द्ध निर्मित सड़कों को पूर्ण करवाने की व्यवस्था करायेंगे तथा आज तक पूर्ण नहीं होने के कारण भी बताने की कृपा करेंगे तथा क्या सरकार कम खर्च की इन सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है तथा इन सड़कों को नक्शे में दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखें।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सारी अर्द्ध निर्मित सड़कों को पूर्ण कराने की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मेघवाल।

किरताराम मेघवाल के हत्यारों को सजा दिलाने सम्बन्धी

श्री रामस्वरूप मेघवाल (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान किरताराम मेघवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किरताराम पुत्र चतुराराम जाति मेघवाल साकिन जैतसर निवासी का कत्ल दिनांक 14.7.90 को कर दिया गया है और कत्ल करने वाले जैला पुत्र जोरासिंह व सुभाष पुत्र जोरासिंह है। यह तीनों जैतसर से साइकिल किराये पर लेकर फरीसर के पास नहर पर गये और दोनों भाइयों ने मिलकर किरताराम को मारकर नहर में फेंक दिया। इसका हमारे पास पता देवाराम साइकिल वाला ने बताया। देवाराम ने कहा कि किरताराम यहां से सुबह 11 बजे साईकिल किराये पर ले गया था और वापस तीन बजे साइकिल जैला व सुभाष दोनों भाई जमा कराने आये। तब देवाराम साइकिल वाले ने पूछा कि साइकिल किरताराम ले गया था और आप कैसे ले आये तो दोनों भाइयों ने जवाब दिया कि वो तो नहर में डूब गया। इसकी खबर सायं 7 बजे परिवार वालों को लगी और उन्होंने खोजबीन शुरू की तब पता लगा कि नहर पर फरीसर और हिछनों के बीच, नहर पर कपड़े पड़े हुए हैं तो वहां कपड़े देखे तो पता चला कि कपड़े किरताराम के ही हैं तो वापस जैतसर पुलिस चौकी आये और हवलदार जी को मौके पर ले गये तो वहां मौके पर कपड़े व एक चाकू बरामद हुआ। उसके बाद लाश की खोजबीन शुरू की तो लाश 6 जी.बी. के पास मोगा नम्बर 5 के पास मिली। उसके बाद विजयनगर थाने गये और थानेदार जी मौके पर आये। उन्होंने अपनी कार्यवाही की। उसके बाद डॉक्टर जी को बुलवाया। उन्होंने अपना डाक्टरी मुआयना किया। कोई रिपोर्ट नहीं दी जबकि लाश जब पानी से बाहर निकाली तब एक आंख निकली हुई थी और आंख के पीछे एक घाव था और होंठ दोनों बिल्कुल कटे हुए थे और शरीर के अन्दर पानी बिल्कुल नहीं था और उसके बाद थानेदार जी ने दोनों लड़कों को तीस दिन बाद गिरफ्तार किया तो उसी दिन सुभाष व जैला की माता जोरासिंह की पत्नी ने आकर धमकी दी कि अगर मेरे लड़कों को

(120)

(श्री रामस्वरूप मेघवाल)

नहीं छोड़ा गया तो पूरे मोहल्ले को मैं उग्रवादियों द्वारा खत्म करवा दूंगी। उन्हें जान का पूरा खतरा है। उनकी सुरक्षा की जावे, उपरोक्त तथ्य की सही जांच की जावे, ताकि दुःखी परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री घासी लाल चौपड़ा।

टोडारायसिंह व देवली में सिंचाई विभाग के बांधों व नहरों का जीर्णोद्धार

श्री घासीलाल चौपड़ा : (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत तहसील टोडारायसिंह व तहसील देवली के सिंचाई विभाग के बांधों व नहरों का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत तहसील टोडारायसिंह व देवली जिला टौंक के बांधों की हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण है। अभी मानसून की पहली बरसात शुरू होते ही कई बांध टूट गये। इस सम्बन्ध में मैंने मानसून से पहले ही जिला स्तरीय अकाल राहत की मीटिंगों में लगातार बार-बार जिलाधीश महोदय टौंक एवं अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग टौंक का इस बात पर ध्यान दिलाया कि तहसील टोडारायसिंह व देवली के सिंचाई विभाग के तालाबों की मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें अन्यथा अधिकतर बांधों को टूटने का खतरा है। इसके बावजूद भी जिला अधिकारियों ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले मानसून की बरसात में ही तम्बोदिया बांध, पवालिया बांध, भासू बांध टूट गया तथा नया बांध पवालिया की भी टूटने की स्थिति पैदा हो गई। उसको ग्रामवासियों ने टूटने से बचा लिया। यही स्थिति बांध रीडल्या रामपुरा की है। उसके भरने के लिए ग्राम सूरजपुरा के पास सप्लाई कर बना हुआ है जिसकी मरम्मत के अभाव में टूट गया सो सारा पानी बहकर बाहर निकल गया। सो बांध में पानी नहीं गया इसलिए बांध खाली पड़ा हुआ है। इसी प्रकार ग्राम बीबोला, गनेता, सांडला, जैथल्या, ढीबरू, इस्लामपुरा, धोरेड़ा, पन्द्राहेड़ा, बनका खेड़ा, दतोब, सवारिया, उनियारा, कुहाड़ा, बुजुर्ग, लक्ष्मीपुरा, गांगोलाय तथा तहसील देवली के अरनिया बांधों की हालत उपरोक्त ग्रामों के सारे तालाब सिंचाई विभाग के मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह के अन्दर में है। टोडारायसिंह क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड वाटर की कमी है तथा इन सिंचाई विभाग के बांधों के अलावा सिंचाई का दीगर कोई भी साधन नहीं है। जिनकी मरम्मत तुरन्त करवाई जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें तथा उक्त सभी बांधों की नहरें भी सारी की सारी टूटी हुई है। जब किसान अपनी फसल को पानी पिलाता है तब आधे से ज्यादा पानी टूटी हुई नहरों से बहकर निकल जाता है तथा किसान को पानी होते हुये भी अपनी फसल को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। जिससे किसानों की उपज में भारी कमी पड़ती है तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पानी बहकर निकल जाता है। इससे विभाग की रेवेन्यू का भी घाटा होता है तथा राष्ट्रीय उत्पादन में भी कमी आती है।

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

अतः मैं माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि टोडारायसिंह व देवली के सिंचाई विभाग के बांधों व नहरों की मरम्मत करवाने के आदेश फरमायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

नगरपालिका नैनवां की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत नैनवां नगरपालिका में हो रही धांधलियों व अधिकारियों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों तथा नगरपालिका की दशा सुधारने के लिए निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नैनवां में मात्र नगरपालिका नैनवां है। नैनवां महत्वपूर्ण कस्बा है। नैनवां नगरपालिका में नियुक्त प्रशासकों के द्वारा उचित ध्यान नहीं देने से नगरपालिका की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। कर्मचारियों को करीब 8 महीने से भी ज्यादा समय के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके परिवार की हालत खराब है तथा बढ़ती महंगाई में एक समय खाना भी नसीब नहीं हो रहा है।

पिछले दिनों अपनी जायज मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल भी रखी गई थी। इसके बावजूद भी श्रमिक विरोधी इस सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाकर समस्या को और ज्यादा उलझा दिया है। कर्मचारियों को समय पर वर्दियां भी नहीं दी जाती है।

नैनवां नगरपालिका की भूमि काफी वर्षों पहले राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ग्रिड स्टेशन हेतु दी गई है किन्तु अभी तक भी उस भूमि की कीमत नगरपालिका को विद्युत मण्डल द्वारा अदा नहीं करके न्यायालय में प्रकरण उलझा रखा है। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अभी तक आपस में बैठकर समझौता नहीं करवाया गया है। इस कारण अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी में धनराशि व समय बरबाद हो रहा है। यह विभागीय उच्चाधिकारियों की अकर्मण्यता का ही द्योतक है।

बड़ा तालाब भी नगर पालिका की आय का स्रोत है, किन्तु पिछले वर्ष उसे जानबूझकर तथा स्वार्थ प्राप्ति के उद्देश्य से कृषि हेतु नीलाम नहीं किया गया। जिससे नगरपालिका को आर्थिक क्षति हुई है, फिर भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है तथा उन्हें बचाया जा रहा है। नैनवां शहर में नैनवां उनियारा रोड से लगवा भूमि पर प्लाट काटकर तथा प्लाट बनाकर बेचने तथा आबादी विस्तार हेतु कोई प्लान भी नहीं बनाया गया है। जिससे भारी तादाद में प्रभावशाली लोगों तथा दूसरे अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। नगर पालिका के कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर के भीतरी मोहल्लों एवं गलियों में खरन्जे एवं नालियां पूरी नहीं बनी हुई हैं। ऐसे कार्यों के लिए विशेष अनुदान राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना भी वहां की

(श्री रामनारायण वर्मा)

परिस्थितियों के मुताबिक समयोचित व न्यायोचित है। पालिका कर्मचारियों को प्रोवीडेंट फण्ड एवं बीमा राशि भी अदा नहीं की जा रही है। नियमन योग्य पुराने अनधिकृत कब्जे धारकों से भी न तो राशि जमा ही की जा रही है और न ही उनके द्वारा रकम जमा कराने की कोशिश करने पर भी राशि जमा ही की जाती है।

अत: इस सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं नगरपालिका के बीच जमीन की कीमत बाबत चल रहे न्यायालय प्रकरण को निपटाने के लिए दोनों विभागों के सचिवों के मध्य अविलम्ब ही वार्ता करके निपटारा करने का आदेश दिया जावे। (2) बड़े तालाब की भूमि की पिछले वर्षों में काश्त नहीं देने से हुई हानि के लिए दोषी कर्मचारियों या दोषी अधिकारियों, जो भी हो, को दण्डित किया जावे। (3) नगरपालिका तथा अल्पवेतन भोगी पीड़ित कर्मचारियों की हालत को मध्य नजर रखते हुए विशेष अनुदान राशि दी जावे। (4) सफाई का पुख्ता इन्तजाम किया जावे। (5) हरिजन मोहल्ले एवं अन्य पिछड़े मौहल्लों में नाली पटान हेतु सरकार या समाज कल्याण विभाग से सहायता राशि तथा अनुदान राशि दिलाई जावे। (6) आबादी विस्तार हेतु प्लान तैयार किया जावे तथा उसी के मुताबिक आगे कार्यवाही की जावे। (7) बस स्टैण्ड नैनवां से उनियारा की तरफ जाने वाली सड़क के साथ कार्माशियल तरीके से प्लान बनाकर प्लाट अलाट किये जावें तथा प्लाट नीलाम किये जावें। (8) नैनवां में नियुक्ति अधिकारी को ही प्रशासक बनाया जावे।

इसी आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल जैन।

अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ लिपिकों को सेवा मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर विश्वविद्यालय में पिछले दिनों कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बरती गई धांधली के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अजमेर विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा 22 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति एडहॉक बेसिस पर की गई थी। इन युवा कनिष्ठ लिपिकों से 17 से 18 घंटे इस आश्वासन के साथ कार्य लिया गया था कि उनको स्थाई नियुक्ति दे दी जायगी लेकिन इस सम्बन्ध में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कानूनी जिम्मेदारी से बचने हेतु 31 अक्टूबर, 88 को रिकार्ड पर मुक्त कर दिया जबकि ये सब 3-4 जनवरी, 89 तक काम करते रहे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों का दो माह का वेतन भी हड़प लिया।

लिपिकों की भर्ती हेतु 15 नवम्बर, 88 तक आवेदन पत्र मांगे गये थे। उक्त तिथि के पश्चात् आने वाले सैकड़ों आवेदनों

(श्री जीतमल जैन)

को अस्वीकृत कर दिया गया लेकिन 3 दिसम्बर, 88 को श्री ब्रजमोहन पचारिया व श्री धनराज पचारिया के पांच पांच रुपये नकद रसीद संख्या 284/75 व 284/76 के जरिये जमा कर परीक्षा में बैठाया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, खड़े-खड़े वार्ता न करें।

श्री जीतमल जैन : नियुक्तियों से पूर्व स्क्रीनिंग टैस्ट लिया गया। स्क्रीनिंग टैस्ट उन कर्मचारियों का लिया जाता है जो अस्थाई सेवा में हो न कि बाहरी आवेदकों का। लेकिन उक्त मामले में दोनों अस्थाई व बाहरी आवेदकों के स्क्रीनिंग टैस्ट लिये गये और इस बहाने अपनी पसन्द के लोगों का चयन कर दिया। ऐसी भी चर्चा है कि इस मामले में रुपये का भी लेन-देन हुआ है। इस शंका को इसलिये बल मिलता है कि उन 22 अस्थाई कर्मचारियों में से एक का भी चयन नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव श्री दिनेश शर्मा को कुलपति ने परीक्षा के एक दिन पूर्व पेपर आउट कर दिया था व अपने जानकार व रिश्तेदारों को बताया जिससे उनका चयन हो गया।

परीक्षा परिणामों को अखबारों में नहीं निकाला गया। अंक तालिका नहीं दी गई व न ही किसी भी परीक्षार्थी को टेबुलेशन रजिस्टर दिखाया गया।

श्री सभापति : माननीय जीतमलजी, एक मिनट। मैं देख रहा हूं, वक्ता और चेयर की बीच में माननीय सदस्य धड़ल्ले से आते जाते हैं। कृपया इस नियम का ध्यान रखें। इस नियम को स्टाफ के सदस्य भी तोड़ रहे हैं, और माननीय मंत्री भी और माननीय सदस्य भी। कृपया ध्यान रखें।

श्री जीतमल जैन : साक्षात्कार में चयनित परीक्षार्थियों के नियुक्ति आदेशों की सूची चार बार निकाली गई। पहली सूची 37 की, दूसरी 23 की, तीसरी 10 की व अन्तिम सूची 15 जनों की निकाली गई। इन चयनित उम्मीदवारों में किसने परीक्षा दी, किसने नहीं दी, कौन मेरिट में कहां था या नहीं था, यह बराबर संदिग्ध बना हुआ है।

चयन में खूब भाई भतीजावाद चला। इसके कुछ निम्न उदाहरण हैं। कुलपति के प्रशासनिक सचिव जे पी शर्मा के रिश्तेदारों को नियुक्ति दी थी। सुश्री जय श्री शर्मा मार्फत श्री जे पी शर्मा की साली। रामलाल शर्मा श्री जे पी शर्मा के बहनोई। रतनलाल शर्मा, श्री जे पी शर्मा के रिश्तेदार। इसके अतिरिक्त श्री जे पी शर्मा के सालों को व भतीजों को भी नियुक्ति दी गई। एक श्री ओमप्रकाश गुप्ता जिनको इन युवा अस्थाई कर्मचारियों के साथ हटा दिया गया था, पुनः एक वर्ष पश्चात् सेवा में ले लिया गया। कुलपति ने 35 रिटायर्ड (सेवा निवृत्त) कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष से नियुक्त कर रखा है। इसी प्रकार अजमेर विश्वविद्यालय में अन्य नियुक्तियों के सम्बन्ध में बड़ी धांधली बरती गई है एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सरकार उक्त प्रकरण की

(श्री जीतमल जैन)

जांच करावे एवं इन युवा बेरोजगारों को पुनः सेवा में लेने की व्यवस्था करे।

श्री सभापति : माननीय अमीन खां।

जैसलमेर में बरसात न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत जिला बाड़मेर की तहसील शिव और जिला जैसलमेर में अभी तक पांचवें साल से छठे साल में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के पशुपालन क्षेत्र जिला जैसलमेर के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आज तक बरसात कुछ भी न होने से वहां के लाखों पशुओं के बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। यह कि एरिया के 98 प्रतिशत लोगों का गुजारा मात्र पशुधन पर है, इस पशुधन में गाय, ऊंट है, बकरी और गधों जैसे जानवर हैं। पिछले पांच सालों में लगातार अकाल है और पिछले दो सालों से राज्य सरकार ने वहां राहत कार्य भी नहीं खोले हैं और इस खरीफ के मौसम में अभी तक बरसात न होने से वहां के लोगों का व पशुओं का जीना एकदम खतरे में है। बाड़मेर जिले की तहसील शिव के 168 गांवों में से 100 ग्रामों में अभी तक बरसात कुछ भी नहीं हुई है। जो जैसलमेर से लगता हुआ एरिया है। जिसमें विश्व में सबसे बड़ा ग्राम सूनदरा, डाबर, आब, बदड़ा, हरसानी, उनरोड़, छणकली, स्वामी का गांव आदि पंचायत क्षेत्र आते हैं जहां राजस्थान का ही नहीं, भारत का प्रसिद्ध सेवण घास होता है। वहां बरसात न होने से लोगों में भय व्याप्त हो गया है। पिछले अकाल के समय में अधिकांश नौजवान मजदूरी के लिये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में चले गये थे व भेड़पालक, पशुपालक लोग नागौर, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में गये थे। जो सारे वापस अपने-अपने गांवों में आ गये हैं तो एकदम मुसीबत में फंस गये हैं क्योंकि मवेशियों के लिये चारा नहीं हुआ, खेती, काश्त के लिये बरसात नहीं हुई है। पड़ौस में बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन, गुडामालानी बाड़मेर व बायतू क्षेत्रों में चरागाहों के लिये जमीन कुछ भी नहीं है। इसलिये वहां पर जैसलमेर और शिव के मवेशियों को बचाने के लिये कोई जगह नहीं है। अब मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन से व सदन के मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला जैसलमेर, बाड़मेर की तहसील शिव में बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य खोले जायं और वहां के पशुधन को बचाने के लिये तत्काल कोई योजना बना कर वहां के पशुपालक को हिदायत दी जाय नहीं तो जो पशु दर-दर भटक रहे हैं उनको एकदम बाद में बचाना बड़ा कठिन हो जायेगा।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

डा. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर में टीचिंग स्टाफ के रिक्त पद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित कर राज्य के सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर में काफी लम्बे समय से टीचिंग स्टाफ के विभिन्न संवर्गों में रिक्त चल रहे पदों के सम्बन्ध में सरकार से समाधान चाहती हूं। यह उल्लेखनीय है कि वैसे भी उक्त महाविद्यालय में जो विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पद हैं वे मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के स्वीकृत मानदण्डों से कहीं कम हैं तथा जो पद स्वीकृत भी हैं उनमें से 20 प्रतिशत से अधिक पद लम्बे समय से रिक्त चल रहें हैं। वर्तमान में 189 तकनीकी टीचिंग स्टाफ के पद स्वीकृत हैं उनमें से 28 पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। इनमें से 11 पद तो गत दो वर्षों से भी अधिक अवधि से रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पद किस तिथि से रिक्त चल रहें हैं इसकी मैं एक तालिका इस प्रस्ताव के साथ संलग्न कर रही हूं। मैं यह भी बताना आवश्यक समझती हूं कि काफी लम्बे समय तक पद रिक्त रहने से मार्च, 1988 में निम्न तीन पद राज्य सरकार ने समाप्त भी कर दिये हैं:–

क्लीनिकल साइकोथिरेपिस्ट, सीनियर डिमान्सट्रेटर, बायोकेमिस्ट

ऊपर उल्लिखित 28 पदों के रिक्त रहने की भी यही स्थिति रही तो मुझे आशंका है कि इनमें से भी काफी पद समाप्त हो सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप टीचिंग स्टाफ की स्ट्रेन्थ में इतनी कमी हो जावेगी जिससे इस महाविद्यालय को मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की मान्यता होना भी बन्द हो सकती है जो एक चिन्ता का विषय है। टीचिंग स्टाफ की कमी से विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा तो प्रभावित हो ही रही है साथ ही जन साधारण को भी विशेषज्ञों से चिकित्सा कराने का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: मैं सरकार से इस महाविद्यालय के सम्बन्धी निम्न तीन लोक महत्व के मुद्दों पर समाधान चाहती हूं।

(अ) वर्ष 1988 मार्च में लम्बे समय तक रिक्त रहने के परिणामस्वरूप जिन तीन ऊपर उल्लिखित पदों को समाप्त किया गया उन्हें पुनर्जीवित किया जाये।

(ब) टीचिंग स्टाफ तालिका में विभिन्न संवर्गों के अंकित 28 रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जावे।

(स) महाविद्यालय में टीचिंग स्टाफ के पद मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के मानदण्डों के आधार पर सृजित किये जावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं इसको पढ़ूं इससे पहले कुछ जानकारी करना चाहूंगा। एक तो यह कि बस आपरेटर्स से संबंधित स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था जिसमें साढ़े सात गुना बस कर में वृद्धि करने से पूरे देश की एसोसिऐशन्स ने नोटिस दिया है कि हम पर्यटकों को लायेंगे ही नहीं। राजस्थान में 17.50 लाख देशी और तीन लाख विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। उनके न आने से राजस्थान के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर्यटन उद्योग को भारी आघात लगेगा। इस सम्बन्ध में आप स्टेटमेंट दिलवावें।

एक डेयरी उद्योग से सम्बन्धित जो केन उपयोग में आता है उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है। लगभग सवा करोड़ रुपये के केन का यदि फिजीकल वेरीफिकेशन किया जाय तो आपको नदारद मिलेगा। इस सम्बन्ध में भी एक स्टेटमेंट की बात कई दिनों से उठा रहा हूं।

एक गलता गेट के बारे में और अलख मठ के बारे में मैंने मामला उठाया था। आज राष्ट्रदूत अखबार और कई अन्य अखबारों में आया है कि गलता गेट को बेच दिया गया। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी को भी मैंने व्यक्तिगत जानकारी दी थी। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मन्त्री जी और अन्य संबंधित मन्त्री जो सार्वजनिक सम्पत्तियां हैं जिनसे हजारों, लाखों लोग नियमित गुजर रहे हैं उनके अवैध बेचान पर रोक लगायें और साथ ही साथ जनहित में इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों पर विचार करें और नाजायज कब्जों को रोकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव पढ़ें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में लगभग 25 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। बेरोजगारों का प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों में राज्य में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था एवं वरीयता सूची प्रकाशित कर चयनित नवयुवकों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की थी। तदनुसार राज्य सरकार ने लगभग 1700 से अधिक लोगों को नियुक्तियां प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दे दी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा राज्य स्तर पर कराई जाती है परन्तु वरीयता सूची जिलेवार बनाई जाती है जिससे कुछ जिलों में 45% अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं किन्तु कुछ जिलों में प्रथम श्रेणी अथवा 55% अंक प्राप्त करने वालों को भी नियुक्ति नहीं मिलती। पूरे प्रदेश स्तर पर परीक्षायें आयोजित करने पर वरीयता सूची प्रदेश स्तर पर बननी चाहिए ताकि योग्यता के अनुसार बेरोजगार को रोजगार मिलने में प्राथमिकता मिल सके।

समय-समय पर जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर बेरोजगार नव-युवक संघों ने इस सम्बन्ध में धरने एवं प्रदर्शनों का आयोजन कर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है परन्तु कार्मिक विभाग इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही या निर्णय लेने में असफल रहा है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग को बेरोजगार व युवक संघ द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर विचार कर प्रभावी निर्णय लेना चाहिए ताकि नव-युवकों को न्याय मिल सके। पिछले वर्ष राज्य में लगभग 1700 लोगों को जो नियुक्तियां दी गई थी परन्तु अभी भी राज्य के 27 जिलों में अलग-अलग विभागों में कई पद रिक्त पड़े हैं परन्तु

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बेरोजगारों को नियुक्तियां अभी तक नहीं दी जा रही है जिससे पूरे प्रदेश में नौजवान बेरोजगार युवकों में भारी असन्तोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्केल नं. 1 से 6 तक नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बेरोजगारों को सरकारी सेवाओं के लिए निश्चित की गई आयु सीमा को पार कर रहे हैं। उक्त प्रतिबन्ध लगने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दुबारा उनको प्रतियोगी परीक्षा में बैठना पड़ेगा एवं यह परीक्षा जब तक आयोजित की जावेगी तब तक वे निश्चित आयु सीमा को पार कर सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार एवं भाजपा एवं जनता दल की संयुक्त सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु संविधान में गारंटी देने का वायदा किया था वह वायदा तो कब तक पूरा होगा परन्तु जो चयनित बेरोजगार जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पिछले महीनों में रोजगार देना प्रारम्भ किया था, वर्तमान सरकार ने कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा कर नवयुवकों के हितों पर कुठाराघात किया है जिससे प्रदेश के नौजवान उद्वेलित हैं, आन्दोलित हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रतिबन्ध कब लगा हुआ है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अभी आपने पिछले दिनों में लगाया है. एक डेढ़ महीने पहले लगाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डेढ़ महीने पहले नहीं लगाया है। यह आपके समय से ही प्रतिबन्धित है मामला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको मालूम नहीं है....(व्यवधान) हमारे वक्त में 1700 लोगों को रोजगार दिया गया था, आपको मालूम नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह वक्त कौन सा था ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : जब कांग्रेस की सरकार थी आपके पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पढ़ क्या रहे हैं, उन्होंने खुद प्रतिबन्ध लगाये हैं उस समय आंखों पर पट्टी बन्ध रही थी कि बेरोजगार लोग इधर-उधर फिर रहे हैं। और अब इन्हें बड़ी दया आ रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्रस्ताव पढ़िये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : शेखावत साहब से आपकी सिफारिश करेंगे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : +++ आप बैठ जाओ। आपसे मैं बात नहीं कर रही हूं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार के वक्त में लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को नौकरी पर रखा गया और यह प्रतिबन्ध अभी इनकी सरकार ने लगाया है।

श्री सभापति : आप अपना प्रस्ताव पढ़िये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर, सर। यह अव्यवस्था हो रही है, इधर से तूफान आ रहा है।

श्री सभापति : आप विराजिये। आप अपना प्रस्ताव पढ़िये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बेरोजगार सरकारी सेवाओं के लिए निश्चित की गई आयु सीमा को पार कर रहें हैं। उक्त प्रतिबन्ध वर्तमान सरकार के द्वारा लगने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दुबारा उनको प्रतियोगी परीक्षा में बैठना पड़ेगा एवं यह परीक्षा जब तक आयोजित की जाएगी तब तक वे निश्चित आयु सीमा को पार कर सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय मोर्चे की केन्द्रीय सरकार एवं भाजपा एवं जनता दल की संयुक्त सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु संविधान में गारण्टी देने का वायदा किया था वह वायदा तो कब तक पूरा होगा परंतु जो चयनित बेरोजगार जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पिछले महीनों में रोजगार देना प्रारम्भ किया था, वर्तमान सरकार ने कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाकर नव युवकों के हितों पर कुठाराघात किया है जिससे प्रदेश के नौजवान उद्वेलित हैं, आन्दोलित हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भ्रष्टाचार के आधार पर ...

श्री सभापति : आप अपने स्थान पर जाकर बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको प्रताड़ित कीजिए, रोज व्यवधान पैदा करते हैं.... (व्यवधान)

मेरी जानकारी के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुन्झुनूं, जालौर, नागौर, सीकर, सिरोही जयपुर आदि अनेक जिलों में विभिन्न विभागों में लगभग 1500 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित नवयुवको को अविलम्ब नियुक्तियां दी जानी चाहिए। साथ ही जो विसंगतियां वरीयता सूची बनाने के सम्बन्ध में बताई गयी है, उसे पूरा करने के बारे में प्रभावी निर्णय लिया जाना चाहिए।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित नव युवकों का एक शिष्ट मण्डल 13 जुलाई को विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर चुका है। इस शिष्ट मण्डल में बीकानेर, चूरू एवं श्रीगंगानगर तथा नागौर एवं जोधपुर के नवयुवकों ने हिस्सा लिया था। इसमें जयपुर के नवयुवक भी शामिल हुये थे।

बीकानेर जिले की वरीयता सूची के 219 के बारे में ये कह रहे है कि नम्बर नहीं आया....।

श्री सभापति : उनके कहने की बात

(श्री सभापति)

तो आप छोड़िये । आप तो पढ़िये । (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं । आपकी सरकार ने वायदा किया है । इतना महत्वपूर्ण प्रश्न होने के बाद भी आप इसको बाहर निकाल रहे हैं । यह बिल्कुल गलत है । आपको बीच में बोलना शोभा नहीं देता । जो बिलकुल गलत है । (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, यह विषय इस सदन में आ चुका है, मैं प्रश्न उठा चुकी हूं....।

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आप उनको बिठाइये । बराबर सदन में व्यवधान पैदा कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : हां, प्रस्ताव तो बोले नहीं पश्चाताप होगा ।

श्री सभापति : हां, बोलिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : जिले की वरीयता सूची के 219 नम्बर तक के चयनित नवयुवकों को नियुक्ति मिल चुकी है परन्तु 32 नवयुवक जो वरीयता सूची में आ चुके हैं एवं चयनित होने तथा बीकानेर में पद रिक्त होते हुए भी इस पर प्रतिबन्ध होने के कारण, इनको नियुक्ति नहीं दी गई है, जिससे वे परेशान है । इसी प्रकार चूरु, गंगानगर एवं झुन्झुनूं में भी ऐसी ही परिस्थितियां नवयुवकों को परेशान करने के लिए की जा रही है ।

बेरोजगारी को मिटाने के लिए हाल में ही देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. विजय शंकर जी व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो स्वागत योग्य है । परन्तु जिन नवयुवकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर भी रोजगार न मिलने से उनकी क्या हालत होगी । इसका सहज अनुमान, सभापति महोदय, लगाया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों को वर्तमान रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्तियां दी जावें एवं वरीयता सूची प्रदेश स्तर पर बनायी जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जावें ताकि नवयुवकों को न्याय मिल सके ।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनमोहन जी सिंघल ।

कामां में 132 के. वी. का जी. एस. एस. लगाने एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री मदनमोहन सिंघल (कामां) : मैं नियम 295 के तहत कामां विधान सभा में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूं । कामां विधान सभा क्षेत्र राजस्थान की उत्तरी सीमा पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ उपेक्षित एवं अविकसित क्षेत्र है । विद्युत के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की उपलब्धियां चाही कैसी भी रही हो, लेकिन आश्चर्य के साथ मैं आपसे निवेदन

(श्री मदन मोहन सिंघल)

करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र कामां में आज भी लगभग 250 गांवों में से 125 के लगभग गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बिजली के अभाव में क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है एवं खेती को भी भारी नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान में मात्र एक 33 के. वी. का जी. एस. एस. कामां कस्बे में स्थापित है, जबकि दो तहसीलों के इस विधान सभा क्षेत्र में 3 बड़े कस्बे एवं लगभग 250 गांव हैं। रोज-रोज बिजली की आंख मिचौली एवं वोल्टेज लोड प्रॉब्लम्स से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन एवं समस्याओं को दूर करने हेतु पूर्व के मुख्य मन्त्रियों एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनेक थोथी घोषणायें एवं वायदे किये गये थे। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मेवात विकास बोर्ड भी बनाया गया परन्तु यह सब वोटों के सौदागरों द्वारा राजनैतिक लाभ अर्जित करने हेतु एवं भोले नागरिकों के वोट हथियाने के लिए मात्र षड्यन्त्र ही रहा। लेकिन आज बदले हुए परिवेश में क्षेत्र की जनता को बड़ी आशायें हैं। विद्युत की महती आवश्यकताओं को देखते हुए, क्षेत्र के 125 बकाया गांवों को बिजली दिये जाने हेतु एवं विद्युत लोड की समस्या के निराकरण हेतु इस क्षेत्र में 132 के. वी का जी. एस. एस. स्थापित किया जाना परमआवश्यक है। साथ ही हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित होने के कारण इन प्रदेशों से भी विद्युत की आपात स्थिति में आदान–प्रदान हेतु राजस्थान प्रदेश को जोड़ा जा सकता है।

वर्तमान में कामां 33 के. वी. जी. एस. एस. पर 6.6 एम. वी. ए. का लोड है, डीग के 33 के. वी. जी. एस. एस. पर 5.2 एम. वी ए. का लोड है। प्रस्तावित पहाड़ी के 33 के. वी. जी. एस. एस. की विद्युत क्षमता 1.6 एम. वी. ए. होगी प्रस्तावित जुरहरा के 33 के. वी. जी. एस. एस. की विद्युत क्षमता 1.6 एम. वी. ए. होगी। इस प्रकार क्षेत्र में कुल 15 एम. वी. ए. का लोड होता है। जबकि 10 एम. वी. ए. के लोड होने पर ही 132 के वी. का जी. एस. एस. होना आवश्यक हो जाता है। 132 के. वी. के जी. एस. एस. के होने से कामां क्षेत्र के 125 गांवों को 25 गांव प्रतिवर्ष बिजली दी जाकर 5 वर्षों से सम्पूर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जा सकती है एव इस क्षेत्र की विद्युत वोल्टेज लोड प्रोब्लम की समस्या का निराकरण हो जाता है। इससे इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिल सकेगी। वर्ष 1990-91 में कामां क्षेत्र में विद्युत रहित 125 गांवों में से जिन 25 गांवों को प्रतिवर्ष प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जाना चाहिये उनका भी जिक्र विद्युत विभाग के कोड नं. सहित, मैं उल्लेखित करना चाहूंगा:

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्युत विभाग का कोड नं०
1	2	3
1.	बमवारी	30
2.	नगला दांदू	31
3.	बसई ढहरा	32
4.	सहेड़ा	33
5.	नगला ईशरी सिंह	34

(श्री मदनमोहन सिंघल)

1	2	3
6.	नगला बालम सिंह	37
7.	नगला बलदेव	38
8.	नगला चाहला	39
9,	नगला भोगरा	40
10.	पथवारी	41
11.	किरावता	42
12.	महम्मदपुर	79
13.	कुलवाना	120
14.	नगला कुलवाना	121
15.	अकबरपुर	122
16.	कनवाड़ी	123
17.	रांफ	198
18.	जाटौली	204
19.	नगला आरमसिंह	205
20.	इकलहरा	206
21.	चक नदोला	228
22.	नदोला	229
23.	बफेरा	230
24.	घाटा	236
25.	पल्ला	237

अन्त में, सभापति जी, जन प्रतिनिधि होने के नाते हमें जो विश्वास राजस्थान और क्षेत्रीय जनता ने दिया है, उसकी रक्षा हेतु जनता के दुःख दर्द में शरीक होना हमारा नैतिक दायित्व है। सरकार राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कृत संकल्प है। मेरे क्षेत्र को भी अपनी संकल्पशीलता मे शामिल कर अनुगृहीत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय श्री हीरासिंह जी चौहान।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भारत-पाक युद्ध के शहीदों के आश्रितों को भवन निर्माण हेतु अनुदान पत्र न दिये जाने सम्बन्धी

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, पाली नगर परिषद् के अन्दर तारीख 31.12.76 को भारत-पाक युद्ध में शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों को दस प्लाट आवंटित किये गये थे। उन दस प्लाटों में से 7 प्लाटों पर मकान बनाने का अनुज्ञा-पत्र नगर परिषद, पाली ने जारी कर दिया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, बहुत दुःख और खेद के साथ कहना पड़ता है, उन शहीद परिवार को युद्ध में शहीद होने के बाद लगातार पाली नगर परिषद यह कह कर इस मामले को टालती रही है कि आवंटन के दस महीने के बाद में इनको आवंटित करने की आगे की कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। पिछली सरकार के समय में भी मैंने तारांकित प्रश्न के जरिये इस मामले को उठाया था और उठाने के बाद इस बात को कहा था कि ये अनुज्ञा-पत्र चाहते हैं और अनुज्ञा-पत्र चाहने के बावजूद भी उनको अनुज्ञा-पत्र नहीं देने में आना-कानी की जा रही है और मुख्य रूप से पांच प्रकार के प्रमाण-पत्र उनसे मांगे जा रहे हैं। एक प्रमाण-पत्र उनसे मांगा जा रहा है कि शहीद कहे जाने वाला सैनिक शहीद हुआ की नहीं, एक बड़ी विडम्बना इस प्रकार का प्रश्न पैदा करना। दूसरा, उनका राज्य में कहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

भू-खण्ड और है या नहीं। तीसर, उनके परिवार की मासिक आय क्या है ? चौथा उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र। मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिछले प्रश्न 88 के उत्तर में भी सैनिकों पर आश्रितों का नामांकन है। आइडेन्टीटीफाई है परिवार। गांव का आइडेन्टीटीफाई है। सैनिकों के जो भी आश्रित हैं वे आइडेन्टीटीफाई हैं। सारी बातें क्लीयर होने के बावजूद भी लगातार नगर परिषद् यहां निदेशक के यहां पर कागज भेजती रही है और यहां से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे इस समय सरकार का ध्यान ही आकर्षित करना है। इसके पहले मैं एक बात का निवेदन कर देना चाहता हूं। यह समस्या सबसे पहले 19.12.77 को पैदा हुई थी। जेठुनाथ की धर्मपत्नी नर्बदा देवी थी, उसने इस आवंटन के लिए निवेदन किया, अनुज्ञा-पत्र चाहा तो उसमें पांच बातें मांगी गई। विलम्ब शुल्क चाहा था, सह विभाजन शुल्क मांगा गया, शहरी जमाबन्दी शुल्क चाहा गया, मानचित्र चाहा गया एवं इस प्रकार के जो भू-खण्ड आवंटन हुए थे उनमें 3622 रुपये 88 पैसे चाहे गये थे। यह 3622.88 रुपये का शुल्क 30.4.87 को नगर परिषद्, पाली द्वारा मांगा गया था। यह शुल्क वह देने के लिए तैयार है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र नहीं माँगा गया। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, यह सारी बातें शहीद परिवारों के साथ जोड़ दी गई। हालात यह हो गई कि 76 से लेकर के आज 90 तक चौदह साल हो गये हैं, वह अपना अनुज्ञापत्र चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं लेकिन आज दिन तक नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आश्रित परिवारों के लिए यथाशीघ्र अनुज्ञापत्र जारी करें। इसके बारे में क्या व्यवस्था सरकार करना चाहती है ? चाहता तो मैं हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि आपने एक ऐसी मानवीय समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। वास्तव में भारत-पाक के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके आश्रित परिवारों को यह भूखण्ड दिये जाने की बात थी। इस युद्ध के बाद यह निर्णय भी करीब पांच साल तक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तुरन्त हो जाना चाहिये था। लेकिन 1976 में इनको अलाटमेन्ट करने के बाद भी आज भी यह इस जमीन पर काबिज नहीं है और न मकान बना सकते हैं। केवल तीन ऐसे आश्रित परिवार हैं जिनको यह भूखण्ड आवंटित हुए और जिनको कब्जा भी दे दिया गया, बाकी सात लोग ऐसे हैं जिनके मामले अभी तक लम्बित हैं। यह जो दस शहीद लोग ऐसे थे उनमें श्री जोधाराम की पत्नी श्रीमती हीरादेवी को प्लॉट देना था, श्री शैतान सिंह के भाई भंवर सिंह, जेठुनाथ सिंह की पत्नी श्रीमती नर्बदा देवी, घेवरपाल सिंह की पत्नी श्रीमती प्रकाश कंवर, श्री नाथूसिंह की पत्नी श्रीमती हुकम कंवर- श्री एस. रावत की श्रीमती कंवरीदेवी, श्रीभंवरसिंह की श्रीमती भंवर कंवर, श्री शम्भूराम के पिता श्री

(श्री भंवरलाल शर्मा)

केशाराम, कूप सिंह के पुत्र गणपत सिंह. और श्री रामसिंह की पत्नी भंवर, यह दस नाम थे जिनको यह देना चाहिये था। इनमें से श्री भंवर सिंह की पत्नी श्रीमती भंवर कंवर को यह प्लॉट मिल गया। शम्भू राम के पिता केशा राम को मिल गया। श्री रामसिंह की पत्नी श्रीमती भंवर कंवर को मिल गया। इस प्रकार तीन शहीदों के आश्रितों को तो यह लाभ मिल गया लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि बाकी बचे सात लोगों को अभी तक यह प्लॉट्स नहीं मिल पाए। जब यह मामला मेरे सामने आया तो मैंने इसको काफी गम्भीर लिया है और यह आदेश दे दिए हैं कि जिन लोगों की लापरवाही से यह अभी तक दर-दर भटकते रहे हैं और इनको प्लॉट नहीं मिले हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही की ही जाए। मैंने तो आदेश पहले दिए लेकिन इसके अनुसरण में विभाग ने 17.7.90 को एक नोटिस दिया है इन आश्रितों को, कि तीन दिन में वह अपने सम्बन्धित दस्तावेज, जैसा आपने कहा कुछ प्रमाण-पत्र तो चाहिये ही चाहिये, वह वास्तव में उनके आश्रित हैं या नहीं है, अगर यह तय है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा कोई भू-खण्ड उनके पास उपलब्ध है या नहीं है, यह मांग तो की जायेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल अपनी विधान सभा पूरी हो जायेगी, हमने इन व्यक्तियों को सूचना दी है कि तीन दिन में वह आयें और अपना क्लेम पेश करके यह ले जाएं। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस आधार पर जिन शर्तों पर तीन व्यक्तियों को भूखन्ड मिले हैं, उन्हीं शर्तों पर इन सात व्यक्तियों को मिलेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस महीने के अन्त तक इनका निपटारा हो जायेगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप मेरे ध्यान में इसको लायें, हम और आप मिलकर इनका निपटारा करेंगे। जो आश्रित लोग हैं, पता नहीं इनमें से कोई तो जिन्दा है या नहीं है, जिस पिता को मिलने वाला था वह जिन्दा भी है या नहीं है, क्या उसकी आमुख और हुई होगी या जिनको अब मिलेगा भी तो बीस साल के अन्तराल में जितना कष्ट उन्होंने पाया होगा. यह वास्तव में बड़े कष्ट का विषय है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार तो इसमें कुछ करेगी ही लेकिन इसमें कहीं कोर-कसर रहे तो आप भी थोड़ी मदद करके उनको दिलवायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे अवगत कराया, मैं माननीय मन्त्री जी आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, दो दिन पहले ही अपने सारे कागजात, जितने भी प्रकार की उनको जरूरत थी, सब नगर परिषद्, पाली को दे चुके हैं। जितने भी आश्रित परिवार हैं जिनके नाम आज दिन तक रिकार्ड में है वह सारे जीवित हैं और लगातार अपने सब प्रकार के रिकार्ड देते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या एक है। मैं आपको पूर्व अध्यक्ष, नगर परिषद् पाली का एक पत्र उद्धृत करना चाहता हूं जिसके अनुसार उन्होंने यह जो भूखण्ड आवंटित हुए हैं उनमें 160 रुपये प्रति गज आगे हैं। 160 रुपये प्रति गज के हिसाब से यह जो

(श्री हीरासिंह चौहान)

आश्रित परिवार हैं इस समय देने की हालत में हैं नहीं और निवेदन यह है कि 76 में जिस मंशा के साथ इनको यह प्लॉट आवंटित किए गए थे, उस समय की रेट भी मैंने आपको बताई कि बत्तीस सौ और समथिंग है और वही राशि आज की तारीख में ली जा सकती है। आज की जो अधिक प्रचलित राशि है, इसके ऊपर भी कितनी राशि ली जाये वह आपको निश्चित करके यहां से भेजनी पड़ेगी। नगर परिषद, पाली तो हर बात के लिए एडवाइज सीक करने के लिये पत्र भेजती है। मैंने देखा है कि नगर परिषद, पाली 77 से लेकर लगातार पत्र भेजती रही है। लेकिन यहां से कुछ न कुछ बहाना बनाकर इसको टालमटोल किया जाता रहा है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि सारे तो परिवार आइडेंटिफाइड हैं, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। इनमें से पांच आश्रित तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर के हैं। कंवरी देवी, गणपत सिंह, नर्बदा देवी हैं और दो-तीन अन्य हैं। इस प्रकार चार-पांच तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं, यह सारे आइडेंटिफाइड हैं और लगातार कार्यवाही करते रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें शुल्क कितना दिया जाना चाहिए, जिस समय 76 में जो राशि हुई थी वही राशि है जो यह आश्रित परिवार दे सकते हैं। इसके अलावा महावीर नगर का किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, नगर परिषद ने कुछ भी नहीं किया फिर भी जो मुझे उत्तर दिया गया है, मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव का जो मुझे उत्तर दिया गया है वह थोड़ा आपको निवेदन कर दूं। समस्त क्षेत्र में किये गए विकास खर्च के अनुसार वर्तमान की नजूल दर निर्धारित है उसके अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किये जायेंगे। वर्तमान नजूल दर इसलिए ली जायेगी क्योंकि इस क्षेत्र में विकास कार्य नगर परिषद, पाली द्वारा कराये गये हैं। इससे भी बढ़ कर इन्होंने चार बातें और लिखी हैं। तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा दस शहीद सैनिकों के आश्रितों को भूखण्ड आवंटित किए गए थे। उक्त भूखण्ड सचिव, सैनिक बोर्ड, पाली द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार आवंटित किए गए थे जिसमें सभी आश्रितों के नाम अंकित नहीं थे और आज की तारीख में अभी भी उत्तर दिया है, मुझे 16 तारीख को उत्तर मिला है कि अंकित नहीं थे जबकि आज की तारीख में सारे परिवारों के आश्रितों के नाम अंकित हैं। इसीलिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की मांग की जा रही है और वह भी किससे? उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सैशन कोर्ट का चाहते हैं। जबकि सरपंच, प्रधान हैं, वहां के लोकल जितने भी हैं, सभी प्रकार के दे चुके हैं और सबके नाम वहां पर अंकित हैं तथा आय प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवंटित किये भूखण्ड की राशि आवंटी से ली जायेगी, इसलिए आय प्रमाण-पत्र की भी मांग की जा रही है। नियमानुसार आवंटन का पात्र वही व्यक्ति है जिसका राजस्थान में अन्य कोई भूखण्ड अथवा भवन नहीं हो इसलिए प्रमाण-पत्र की मांग की जा रही है। उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, उसके अभाव में कार्यवाही में

(श्री हीरासिंह चौहान)

विलम्ब हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जितने प्रकार के प्रमाण-पत्र नगर परिषद, पाली को चाहिए, सभी सैनिकों के आश्रित पहले से और लगातार देते रहे हैं और तीन दिन पहले जिन कागजातों की और जरूरत थी, और दे दिये हैं और उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र चाहते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराधिकार आलरेडी पहले से अंकित है, उसको दुबारा मांगने की जरूरत नहीं है; परन्तु वे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सैशन कोर्ट से चाहते हैं और सैशन कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र लेने में बहुत विलम्ब होता है। इसलिए निवेदन है कि यह 16 जुलाई को आपके द्वारा ही उत्तर दिया गया है। इस उत्तर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें विलम्ब होने की सम्भावना है। आप जैसा फर्मा रहे हैं, मुझे लगता है कि वैसा होगा पर फिर भी मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति को सैशन कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं अगर वह पर्याप्त हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो कि उस को नहीं मानते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एम.एल.ए. के नाते जो प्रमाण-पत्र देंगे उसको हम मान लेंगे। आप जिस व्यक्ति को प्रमाणित कर देंगे उस व्यक्ति को मान लेंगे। जो दर की बात करती है या शर्तों की बात करते हैं तो जिन शर्तों के आधार पर इन तीन व्यक्तियों को आवंटित किया गया है उन्हीं शर्तों के आधार पर चाहे पैसों की हो या किसी और की हो, उन्हीं शर्तों पर इनको भी मिलेगा। मैं आपका अपने विभाग के ऊपर आभार मानूंगा कि इनको 31 जुलाई से पहले निपटा दें, कोई अड़चन आये तो आप मुझे बता दें, और हम मिल कर जो आश्रित हैं, अब तक बहुत दुःखी हो चुकी हैं, अब अपने राज में तो इनको आराम मिल जाय।

सीकर शहर व ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 26 जून को मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सीकर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल की समस्या के बारे में था तथा उस पर आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाही थी। उस बाबत निवेदन है कि बड़े लम्बे समय के बाद अब सीकर की पेयजल समस्या के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। आज सीकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या इस कदर बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है कि हालात दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उम्मीद तो आदमी यह करता है कि वह अधिकारी जो मौजूद है वह कर्त्तव्यपरायणता से जितने भी साधन सरकार ने उपलब्ध कराये हैं उन साधनों के चलते पेयजल समस्या का मुकाबला करेगा। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि जिस उदासीनता और निकम्मेपन से वहां के अधिकारियों ने सीकर शहर को पेयजल के मामले में दुरावस्था में पहुंचाने का कार्य किया है और षडयंत्र किया है, उस बात का बड़ा दर्द है। चुनाव

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक प्रक्रिया है, उसमें कौन जीतता है, यह अहम मुद्दा नहीं है, यह सतत प्रक्रिया है। किसी पार्टी का कौन केण्डीडेट जीता है, इन बातों से गांव और शहर के विकास की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हर आदमी का यह मानना है। लेकिन जिन हालात में वहां के अधिकारियों ने राजनैतिक षडयंत्र से बतौर दुरावस्था में पहुंचाया है, यह बड़ी ही चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, सीकर शहर की 1959 में पेयजल की योजना करीब 8 लाख रु. 60 हजार की अनुमानित जनसंख्या मानते हुए बनी। उसके बाद 1970 में 7.44 लाख रुपये की योजना 70 हजार की जनसंख्या का अनुमान लगाते हुए बनी। 1970 के बाद छोटी-छोटी जगह लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ शेखावाटी, लोसल, इन सब गांवों की पेयजल की जो व्यवस्थाएं थीं वह री-ओरगेनाइज हो चुकी हैं लेकिन सीकर शहर जिसकी जनसंख्या आज डेढ़ लाख है, के लिए वही है। सीकर की स्थिति आज पानी के मामले में यह है कि जो दैनिक औसत है, औसत से आधा जल वहां के लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसमें दुःख इस बात का है कि जिन वार्डों में पानी की व्यवस्था वहां आप

(2.05 म.प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

अपनी सूझबूझ से बखूबी कर सकते हैं वहां महज राजनैतिक षडयंत्र के चलते इन वार्ड्स के वाल्व सिस्टम को इस तरह से कण्ट्रोल किया जाता है कि वहां पर पानी की समस्या किसी भी तरह बरकरार रहे और लोगों को इस बात का अहसास हो कि तुमने पर्टिक्यूलर पार्टी के केण्डीडेट को हरा कर बड़ा भारी जघन्य अपराध किया है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह अन्य जिलो में पी.एच.ई.डी. के मार्फत हैण्ड पम्प और पाइप उपलब्ध कराये गये हैं, उसी प्रकार सीकर को भी उपलब्ध कराये गये हैं। मुझे जानकारी मिली है कि सीकर शहर को 20 हैण्ड पम्प उपलब्ध कराये। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अधिकारियों से सम्पर्क किया तो मुझे सूचना मिली कि 15 हैण्ड पम्प तो लगा दिये हैं। मैं जन प्रतिनिधि होने के नाते यह अधिकार तो रखता था कि आपने किस-किस जगह पर हैण्ड पम्प किस-किस के कहने से लगाये। क्या जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह अधिकार खो चुका था। 20 हैण्ड पम्प सरकार ने उपलब्ध कराये तो मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिये थी कि यह कहां लगने हैं, जहां वास्तव में जरूरत है वहां पर लगने चाहिये थे। सभापति महोदय, जहां भी हैण्ड पम्प लगाते हैं तो वहां की आवश्यकता को देखते हुए लगाने चाहिए, न कि राजनैतिक वातावरण की दृष्टि से लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हैण्ड पम्प लगाये हैं उनमें कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर व्यक्तिगत आदमी को ओब्लाइज करने के लिये लगाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब अधिकारियों से इस बाबत सम्पर्क किया जाता है तो अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। यह बड़ी विडम्बना है कि अधिकारी जिनको सीकर हैड क्वार्टर पर रहना चाहिए, नहीं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रहते हैं। आप इस बात की पुख्ता जानकारी लीजिए। मैंने कलक्टर साहब से शिकायत की कि अधिकारी यहां उपलब्ध नहीं रहते हैं। कलक्टर ने स्वयं अधिकारी को यह जानकारी दी कि आप यहां पर उपलब्ध रहिये और मुख्यालय छोड़ने से पहले कलक्टर को जानकारी दीजिये। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलक्टर के बार-बार मना करने के बावजूद भी वह अधिकारी वहां उपस्थित नहीं रहा। आप की जानकारी में एक बात ला दूं, माननीय सभापति महोदय, कि वह अधिकारी अब वहां से स्थानान्तरित हो चुका है लेकिन इस बात की क्या गारण्टी है कि जिस अधिकारी को वहां भेजा गया है वह राजनैतिक द्वेषता से कार्य नहीं करेगा। जल की उपलब्धता तो सरकार का दायित्व है। सरकार जल की उपलब्धता में भी राजनैतिक षड्यंत्र रचेगी तो, माननीय सभापति महोदय, आये दिन जैसे हादसे हो रहे हैं जैसे हिण्डोली में जल समस्या को लेकर गोलियां चली, क्या सरकार यह चाहती है कि सीकर की जनता भी पानी मांगने जाय और उस पर गोली चला दी जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, पानी कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है। यह तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन जो पानी मिल रहा है वह प्रदूषित मिल रहा है। इतना गंदा और आपसे क्या अर्ज करूं, माननीय सभापति महोदय, कि ड्रेनेज की जो पाइप है उस पर ही वाटर वर्क्स की पाइप लाइन भी है और जब उसका जल स्तर बढ़ता है तो वह लीकेज हो जाती है और इस लीक हुई पाइप से लोगों के घरों में जो पानी उपलब्ध होता है वह ड्रेनेज का पानी उपलब्ध होता है। माननीय सभापति महोदय, उसके बारे में विभाग को जानकारी दी गयी, पीड़ित जनता ने वह जल भर कर अधिकारियों को दिखाया, परन्तु आज की तारीख तक भी वह ड्रेनेज की पाइप बरकरार है, यथा स्थिति है। तो क्या हम यह मानकर चलें कि जनता को यह सरकार प्रदूषित जल पीने के लिए बाध्य करेगी ?

माननीय सभापति महोदय, पैसे की कमी के चलते यदि यह बहाना बराबर दिया जाता रहे कि हमारे पास पाइप उपलब्ध नहीं है, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार का करोड़ों का बजट सीकर की जनता को सिर्फ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कम पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति, सभापति महोदय, किसी सरकार के लिये नहीं हो सकती है। इन्सान का अधिकार बनता है कि जिस राज्य में, जिस सरकार के नीचे वह जी रहा है उससे उसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन मिले। शुद्ध भोजन तो जाने दीजिये लेकिन शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कहते हुए लज्जा आती है इस बात पर कि बार-बार कहने के बावजूद आज भी ड्रेनेज के पाइप बरकरार हैं और लोगों को प्रदूषित जल पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। सरकार के पास में क्या खजाने में इतनी कमी आ गई है ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास में इतनी कमी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आ गई थी, तो जनवरी, फरवरी माह में जो पाइप इश्यू हुए, किन-किन जगहों पर वह पाइप लगे, क्या उनकी वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति ली गई ? किन-किन स्थानों पर मोटर पम्प सैट्स लगाये गये ? किन-किन स्थानों पर ट्यूबवैल लगाये गये ? माननीय सभापति महोदय, यह सरकार यदि सीकर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये चिन्तित है, तो वैसे तो कागजों में सीकर की जनता ने खूब जल पिया है. क्योंकि विभाग के जो सक्षम अधिकारी महोदय थे, उन्होंने एक करोड़ 40 लाख की स्कीम बनाई, फिर 2 करोड़ की स्कीम बनाई और फिर जब मैंने उनके पास जाकर दुबारा जानकारी ली तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं भी चेयर पर से उछल पड़ा, जब मुझे यह पता चला कि सीकर शहर की 3 करोड़ की योजना बनाकर प्रस्तुत कर दी गई है । मैंने पूछा, अधिकारीजी, इसमें जल कहां हैं ? आपने 1 करोड़ 40 लाख की स्कीम बनाई, 2 करोड़ की स्कीम बनाई और उसके बाद 3 करोड़ की स्कीम बना दी, इस स्कीम में से यदि आप एक बूंद जल निकालकर सीकर की जनता को दो तो आपका धन्यवाद । आपकी जय-जयकार करें । लेकिन अधिकारी जी का कर्त्तव्य मात्र वहां पर लिखित प्रपोजल्स बनाने तक ही सीमित था और दुर्भाग्य इस बात का कि जब दुबारा जानकारी मांगी जाती है, तो कहते हैं कि रिवाइज करके भेज दी है और इस 3 करोड़ की स्कीम को 5 करोड़, 10 करोड़ में बदल डालिये, इसको खाक में डालिये । सभापति महोदय, किस काम की है यह स्कीम, जो सीकर की जनता को पानी नहीं दिलवा सकी ? बजाय 3 करोड़ की स्कीम बनाने के यदि जो अधिकारी उपस्थित थे, वह 50 हजार की या 1 लाख की स्कीम बनाते और सीकर की जनता को पानी उपलब्ध करवाते तो, माननीय सभापति महोदय, मैं इनको धन्यवाद देता कि कुछ नहीं. आपने कम से कम 50 हजार की भी स्कीम बनाकर सीकर की जनता को पानी तो दिया । सीकर की जनता को इन्होंने सिर्फ छलावा दिया । 2 करोड़ की बना दी, 3 करोड़ की बना दी, जानकारी चाही तो फिर कह दिया कि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं । कब तक चलेगा इस तरह से इसका नवीनीकरण ? वह स्कीम तो बन सकती है, स्कीम का जिम्मा सीकर की जनता का थोड़े ही है । मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, इन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता महोदय को अपने लैटर के लिए 13-7-84 को जो 24 नवम्बर का प्रपोजल था, 1989 में इन्होंने अपना प्रपोजल बनाकर भेजा ।

सभापति महोदय, जब मैंने अधिकारी जी से इस बात की जानकारी चाही कि सीकर की जनता को इस प्रपोजल के जरिये पानी कब पिला रहे हैं, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब मैंने यह कहा कि उसमें आपका क्या परसुप्रश्न है, आपने कितनी बार मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को, कितनी बार आपने मिलकर इस बात की जानकारी ली कि आपने पर्टिक्यूलर स्कीम के लिये क्या किया । मुझे कहते हुए दुःख होता है कि, उस चेयर पर जो अधिकारी बैठे रहते है, उनका कहना यह था कि जेन्टिलमैन यदि इस बाबत बार-बार जानकारी मांगी तो आपकी यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्कीम लौटा दी जायेगी। लानत है, ऐसे जल पर। मैं भीख में जल नहीं मांगता हूं, हमारा अधिकार है कि हम वहां पर शुद्ध और भरपूर जल की मांग करते। हमें यह कह देना कि यदि आपने बार-बार इस स्कीम की परसुप्रश्न के लिए बार-बार दबाव डाला और हमने अधिकारियों से बार-बार इस बाबत जानकारी चाही तो आपकी स्कीम लौटा दी जायेगी। क्या आज अधिकारीगण इतने सख्त और ताकतवर हो गये हैं कि जनप्रतिनिधि जब पटिकूलर स्कीम की बात करता है, तो उसकी स्कीम को ही लौटा दिया जाता है कि जल मांगना उसका अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, आपको इस बात की भी जानकारी दूं कि इस बाबत मैं माननीय मन्त्री जी से भी मिला था। मैंने उनसे छोटी सी डिमाण्ड रखी, बहुत बड़ी नहीं थी, 3 करोड़ की डिमाण्ड के बदले में, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जानकारी में है, 1 करोड़ रुपये की भी मेरी डिमाण्ड नहीं थी। मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ी सी पाइप दिलवाइयें, मंत्री जी 3 हजार फुट पाइप दिलवाइये, जिससे उस गरीब जनता को, जो पानी के मामले में पीड़ित है, कम से कम वह जल तो पी सके। लेकिन रिप्लाई नेगेटिव था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सही बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक : सही नहीं, मंत्री महोदय, ऐसा है, वह बात मुझे फिर दोहरानी पड़ेगी कि घोड़ी को 20 किलो घी पिला दिया। कहने से यदि मुझे जल मिलता, तो आपको 20 करोड़ की स्कीम के लिए चाहिये था, कि माननीय पारीक जी आपकी 20 करोड़ की स्कीम सैंक्शन कर दी। मुझे स्कीम नहीं चाहिये, मुझे सीकर की जनता के लिए पानी चाहिये। सभापति महोदय, कन्टीनजेन्सी प्लान में श्यामगढ़ की जनता के लिए वहां से ट्यूबवेल स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक वहां पर चालू नहीं हुआ, जबकि श्यामगढ़ की जनता से मैं जब चुनावों के दौरान मिला था, तो वहां मां-बहनों ने मुझे यह कहा कि बेटा किसी भी तरह से इस श्यामगढ़ में पानी की व्यवस्था कर दो, क्योंकि श्यामगढ़ में पानी के कारण लोगों का बेटी व्यवहार बन्द हो गया है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि यदि आपने अपनी बेटी श्यामगढ़ में ब्याह दी तो उसकी मृत्यु तो पानी ढोते-ढोते हो जायेगी। लोगों ने श्यामगढ़ से बेटी व्यवहार तक बन्द कर लिया। भगोराय जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर 4 हैण्ड पम्प सैंक्शन हुए, लेकिन मैं आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं, सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं, आज भी भगोराय में बिना हैण्ड पम्प के है। इनके ठेकेदार, सभापति महोदय, वह इनको डिक्टेट करते हैं। मैंने इनसे कहा कि ऐसा ठेकेदार किस काम का, जो आपके आर्डर देने के बावजूद आपके बार-बार रिक्वैस्ट करने के बावजूद वह मौके पर नहीं जाना चाहता और पम्प नहीं लगाना चाहता, उसकी सिक्योरिटी जब्त कीजिये और इनको ब्लैक लिस्ट करके, आपके विभाग से निकालिये, ताकि लोगों को सही समय पर सही सुविधा उपलब्ध हो सके। सभापति महोदय, अखबारों में पेपर्स में आपने किसी को 4 हैण्ड पम्प दे दिये, किसी को आपने 2 हजार फुट पाइप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दे दिया, लेकिन आपका ठेकेदार इस बात के लिये मना कर दे कि मैं हैण्ड पम्प नहीं लगाने जाऊंगा और मेरी मर्जी होगी, उस दिन जाऊंगा। तो ठेकेदार में और सम्बन्धित अधिकारियों में या तो कोई मिलीभगत है कि उस ठेकेदार को दण्डित नहीं करते अन्यथा इसका हम क्या अर्थ लगायें? आपकी जानकारी में मैं यह भी लाऊं। राजपुरा में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ट्यूबवेल लगा। आज तक वह नहर एक-डेढ़ किलोमीटर या कितनी है, यह तो वही जाने, अधिकारी जी जाने, किलोमीटर नापने मेरा जिम्मा भी नहीं है, महज इसलिए एक-डेढ़ लाख रुपया, दो लाख रुपया जितना उस ट्यूबवेल पर लगा, वह लगा हुआ रुपया बेकार पड़ा है। राजपुरा का जो निवासी है, वह पानी नहीं पी सकता है क्योंकि इसके पास पाइप नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक बात लाऊं कि पर्टिकुलर जिस स्कीम के लिए पाइप इशू हुए थे, वह सारी की सारी पाइपें चुनावों के दौरान इन्होंने जैसे-तैसे बिखरा दी, जैसे कोई गाय को कूड़ा डाला जाता है। लेकिन पर्टिकूलर उस गांव को जिसमें वह स्कीम लागू कर दी थी, उस स्कीम को जोड़ने के लिए इनके पास पाइप नहीं थी, यह बहाना इन्होंने बना दिया। सीकर के कई ऐसे कुए हैं, जिनको बोरिंग किया जा चुका है, जिनमें बिजली के कनैक्शन हैं, लेकिन विभाग को बिल जमा कराना पड़ता है, आर. एस. ई. बी. के डिपार्टमेण्ट को, लेकिन इन्होंने पर्टिकूलर उस कुए से पानी उपलब्ध नहीं करवाया। महज इसलिये कि उसको जनरल पाइप से जोड़ना है तो, सभापति महोदय, इन सब समस्याओं के लिये हमारे पी. एच. ई. डी. ने वहां पर एक काम और कर लिया। रेवन्यू डिपार्टमेण्ट की एजेन्सी भी हमारा पी. एच. ई. डी. हो गया। पी. एच. ई. डी. के बाईलाज में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आपके जल की कोई डिमाण्ड के लिये, बिजली के कनैक्शन के लिये कोई आपके पास आये, तो आप उससे एन. ओ. सी. मांगे। इस बात का कहीं उल्लेख नहीं हैं और यदि ओनशिप के लिये, डाक्यूमेण्टरी एविडेन्स के लिये चाहे भी तो पहले उससे एफिडेविट लिया जाता था कि यह सम्पत्ति जिससे मैं कनैक्शन ले रहा हूं, पानी का, यह सम्पत्ति मेरी निजी है या किराये की है। एजेन्सी से सिद्ध हो सकती थी या एफेडेविट देकर इस बात को सिद्ध किया जा सकता था कि जिससे मैं कनैक्शन ले रहा हूं, यह भूमि मेरी है।

लेकिन सभापति महोदय मैं आपसे कहूं कि इन्होंने वहां पर षडयन्त्र रच रखा है, बैठकर इस बात का कि गरीब आदमी, जिसके पास में 10 हजार रुपये नहीं थे, उसने कहीं बड़ी मुश्किल से अपनी झोंपड़ी बनाई और इनके पास में जब पानी का कनैक्शन मांगने गया, तो इन्होंने कह दिया लाइये। कि नगर परिषद् से एन. ओ. सी. लाइये, वसूली करेगा तो नगरपरिषद् करेगा, या पी. एच.ई.डी. उसकी एजेन्सी हो गई है। पानी जैसी अहम् जरूरत वाली चीज को भी यदि इस तरह से साजिश तौर पर कर्यवाही की जाये, माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि समय रहते मन्त्रीजी ने अपने विभाग को तन्दुरुस्त नहीं किया, समय रहते अपने इस विभाग

(श्री राजेन्द्र पारीक)

को पाबन्द नहीं किया और सीकर की पानी की समस्या को नहीं सुलझाया तो मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि हम वहां पर घेराव करेंगे । इतना मुर्दार नहीं हूं कि भूख हड़ताल की नौबत आये । आपके अधिकारियों को वहां बैठाकर समझाने की ताकत सीकर की जनता रखती है । मेरा आपकी मार्फत इस सरकार को इतना ही निवेदन है कि समय रहते वहां के अधिकारियों को इस बात के लिए पाबन्द करें कि राजनीतिक षड़यन्त्र और राजनीतिक भेदभाव के चलते सीकर की जनता की हकीकत में जो पानी की समस्या है उससे गुमराह न हों ।

मैं साथ आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि हकीकत में जहां जरूरत होगी उसी जगह के लिए मैं कहता हूं किसी राजनीतिक दबाव के लिए में भी बात नहीं करता । माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैंने कुछ जानकारी इनसे चाही है कि सीकर की पी. एच. ई. डी. स्कीम्स को कब तक रीआर्गेनाइज कर रहे हैं ? 2.94 करोड़ की स्कीम जो 24.11.1989 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के सामने इन्होंने प्रस्तुत की है यह कब सेंक्शन कर रहे हैं ? जनवरी माह से लेकर फरवरी माह तक इन्होंने अपने विभाग द्वारा सीकर को जो पाइप इश्यु किये, यह किस-किस योजना में, किस-किस जगह और किन-किन वार्डों में है ? उनकी तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नहीं ? 20 हैण्ड पम्प जो आपने इश्यु किये उनके बारे में जानकारी दें कि जन प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस बात की इन्होंने इत्तला दी कि इन 20 हैण्ड पम्पों की फलां जगह की योजना या तो हमारे पास है या 20 जगह आप बताइये ? माननीय सभापति महोदय, इतने का ही जवाब दे देगी सरकार, तो बहुत है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है । वह वास्तव में एक मानवीय समस्या है । जिन बातों पर आपने रोष प्रकट किया वह भी सही है, लेकिन उस काल की है जब हम शासन में नहीं थे । यदि आपकी यह शिकायत दूर हो गई होती, वह योजनायें पूरी हो गई होती जिनका वर्णन आपने किया है तो आपको भी आज इतनी तकलीफ नहीं होती और मुझे भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता । खैर, छोड़िये इन बातों को ।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो क्या आप अगली सरकार के लिए छोड़कर जा रहे हैं ? मैं क्या समझूं इस बात को ? मैं इस बात का यह अर्थ लगाऊं माननीय सभापति महोदय, कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया तो यह सरकार भी काम नहीं करेगी : (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : काम धीरे-धीरे कर रही है, ऐसी बात नहीं है, सौतेला व्यवहार तो पहले होता था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो केवल इस बात की भूमिका है जो आपने आधा घण्टा चर्चा की । रहा सवाल काम करने का तो यह सरकार तो बनी काम करने को है । काम क्यों नहीं करेगी ? आप मेरे पास

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जब आये थे तो मैंने स्कीम नहीं मानता हूं, ऐसा तो नहीं कहा था। मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि इस समय पूरे राजस्थान में जल का बड़ा संकट है और हम कण्टिजैंसी प्लान को लेकर चल रहे हैं, इसके अन्तर्गत काम करेंगे। यह जो पानी के संकट का समय है इसको थोड़ा निकाल लेते हैं उसके बाद भगवान से आराधना करेंगे कि बरसात भी हो जाय और अपना कृत्य भी सफल हो। फिर लम्बी स्कीम्स पर काम प्रारम्भ करेंगे। यदि मैं आपकी सलाह मान लेता और हम बड़ी स्कीम्स प्रारम्भ कर लेते तो राजस्थान में जल की व्यवस्था जो हम कर पाये वह शायद नहीं कर पाते। अभी आपकोपत्र लिखा है कि पानी के लिए आपकी कोई स्कीम हो तो आप मुझे बताइये। बात ठीक है कि धन का अभाव है। धन का भी अभाव है जल का भी अभाव है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि काम नहीं करेंगे। उनको इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे। वह भी निवेदन किया था जब मांग थी उस दिन कि हम हर जिले में आकर माननीय विधायकों से सलाह करके कि क्या काम किये जा सकते हैं, बिना किसी राजनीति भेदभाव के हम ज्यादा सुविधाएं कैसे पैदा करें। यह भी मैंने आपसे निवेदन किया हुआ है। कल विधान सभा का सत्र पूरा होगा। मैं समझता हूं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह या इसके आसपास माननीय सदस्यों के साथ बैठकर इन योजनाओं पर विचार करना है। विभाग का अधिकारी आपका कहना नहीं मानता, उसका ट्रांसफर कर दिया। अब आप बता दीजिए जो आपका कहना मानता हो, आपके कहने से कुछ करता हो, तो उसको भेज सकता हूं, वहां लगा दूंगा। मैं उसको यह भी कहूंगा, कि यह कोशिश करूंगा कि ऐसे अधिकारी को भेजूं कि जो आपके घर जाकर पूछ लिया करे कि आपकी क्या इच्छा है। मैं यह भी कर सकता हूं।

जहां तक हैण्ड पम्प लगाने का सवाल है, स्थान चयन की यह प्रक्रिया तय की गई थी कि एक समिति, जिसमें वहां के जिलाधीश होंगे, प्रधान होंगे, माननीय विधायक होंगे और हमारा एक्स ई एन होंगे, किस सलाह से आइडेन्टिफाई किया जाएगा स्थान। हो सकता है उस सभा में आप पधारे नहीं हो, या आप पधारे हों तो आपकी बात को उन तीनों लोगों ने नहीं माना हो। आपका सुझाव ठीक हो सकता है, यह जरूरी नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे मिले उस दिन उन्होंने यह कहा कि हमने 15 लगा दिये, आपके हिस्से के 5 पड़े हैं। क्योंकि मैं कांग्रेस का एम. एल. ए. था इसलिए मेरा हिस्सा था पांच का। 20 सैक्शन हुए उनसे मेरा हिस्सा 5 का था। मुझे कोई खैरात नहीं चाहिये थी मन्त्री महोदय और न मुझे अपने घर पर लगवाना था। जनता के हित की बात थी। 20 हैण्ड पम्प उन्होंने लगाये, पहले मुझ से पूछते कि 20 हैण्ड पम्प आये हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य मैं इसका विरोध ही नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि आपके हिस्से के पांच हैण्डपम्प मेरे पास पड़े हैं। मुझे पांच भी नहीं चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। जो प्रक्रिया पूरे राजस्थान में थी वह यही थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा व्यक्तिगत अधिकार नहीं, मंत्री महोदय, यह जनता का अधिकार था। सीकर की जनता इस बात के लिये जागरूक है कि 20 हैण्ड पम्प आयें तो ऐसी जगह लगें जहां जनता पानी पिये न कि व्यक्ति विशेष।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात को चुनौती नहीं दे रहा। मैं तो राजस्थान में....

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका यह कहना कि अधिकारी आपका कहना नहीं मानता, माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपका इस मामले में कोई संरक्षण नहीं चाहिए। जो अधिकारी सीकर के दफ्तर में बैठेगा, या तो वह काम करेगा वर्ना उसको दफ्तर आपको बन्द करना पड़ेगा। मुझे आपसे इस मामले में कोई संरक्षण नहीं चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई संरक्षण नहीं चाहिए, मंत्री महोदय, कि अधिकारी आपके कहने से मेरा कहना मानेगा। जो अधिकारी सीकर के एक्स. ईएन. आफिस में बैठेगा या तो वह काम करेगा वर्ना अपना दफ्तर बन्द करके जयपुर बैठेगा। ऐसे अधिकारी के लिये मुझे आपसे संरक्षण की कोई कतई जरूरत नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री सभापति : पहले आप उनको सुन लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सदन की मार्फत यह जानकारी दिया जाना कि अधिकारी यदि आपका कहना नहीं मानेगा तो माननीय मंत्री महोदय अधिकारी को यह कहेंगे कि माननीय सदस्य का कहना मानो। इस सदन की मार्फत मैं अपना यह संरक्षण कतई नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य, आप विराजिये। आपको अधिकार नहीं है उनको बैठाने का। आप बैठ जाइये।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय विधायक महोदय, प्यासी मर जायेगी जनता अगर यह भ्रम पाल लिया तो....(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल सैनी : ऐसे हैण्ड पम्पों की चर्चा कर रहे हैं जो बराबर ठीक जगह नहीं लगे उस समय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप नियमों का उल्लंघन मत करिये। बैठिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपके ऐसे उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपकी मार्फत अधिकारों का संरक्षण लेने को कतई तैयार नहीं हूं, मैं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हूं। मुझे मेरे संरक्षण के बारे में पूर्ण अधिकार है।

श्री सभापति : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, पहले उत्तर सुन लें। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : आपके घर नहीं लगा इसलिए यह बात कही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं नाम पुकारूंगा फिर। विराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जो समस्या है उसका समाधान करने की बात करने को मैं तैयार हूं। यह जो आप राजनीतिक चर्चा करना चाहेंगे, मैं उसमें एण्टर नहीं होऊंगा। वह मेरा काम भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे संरक्षण की जरूरत नहीं है, मुझे पानी चाहिए सीकर की जनता के लिये। आप तो उसकी बात करिये। अधिकारी मेरा कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, वह मेरे और उनकी बीच की बात है। या तो वह वहां रहेंगे या पानी उपलब्ध करायेंगे।

श्री सभापति : उत्तर सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, यदि आप मेरे उत्तर से सन्तुष्ट हैं तो आगे मुझे कुछ कहना नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, अगस्त के प्रथम सप्ताह या इसके आसपास हम हर जिले के माननीय सदस्यों के साथ बैठेंगे कि क्या योजनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनसे हम अधिक लोगों को सुविधा दे सकें। उन पर विचार करके उन की क्रियान्विति करेंगे। यदि इससे आप सन्तुष्ट हैं तो मैं अपना उत्तर पूरा कर देता हूं। बहुत बड़ा है वैसे तो। इसको पूरा मान लेता हूं अगर सन्तुष्ट हैं आप। बाकी मैं बार-बार बोलूंगा और आप बीच में खड़े हो जायेंगे। अधिकारी मानते हैं नहीं मानते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति : आप रिप्लाई दें पूरी।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस मामले में कोई संरक्षण नहीं चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो स्वयं ही इतने शक्तिशाली हैं कि हमको संरक्षण चाहिए। आपको कहां चाहिए ? अधिकारी मानता नहीं है आपकी बात। मेरा आपसे निवेदन यह है....

एक माननीय सदस्य : कह दो अधिकारियों से भी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने कह दिया, मैं कह दूंगा कि घर जाकर मिल लेना। कहना मानेगा, ऐसी क्या बात है।

सीकर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 45 ग्राम आते हैं। इन सब में पेयजल योजनाएं संधारण में हैं। सीकर शहर की 1981 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 1,02,970 है तथा वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 88 लाख लीटर पेयजल वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मात्रा 63 लीटर प्रतिदिन है। शहर में जल वितरण की व्यवस्था पूर्व की तरह स्थानीय कुओं से की जाती है। इसके अतिरिक्त शहर में मार्च, 1990 तक 122 हैण्ड पम्प भी लगाये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निम्न प्रकार की योजनाएं हैं :–

हैण्ड पम्प योजनाओं से 2 गांव जुड़े

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हुए हैं, पाइप योजनाओं से 11 गांव और पनघट योजनाओं से 32 गांव। इन 45 गांवों में अभी तक विभाग द्वारा कुल 238 हैण्ड पम्प भी लगाये जा चुके हैं। इन कुल 238 हैण्ड पम्पों में से हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान 134 हैण्ड पम्प खराब पाये गये, जिनमें से 122 ठीक कर दिये गये। शेष 10 सूख गये एवं 2 परित्यक्त किये पाये गये। अभियान के पश्चात् पुनः 43 हैण्ड पम्प खराब होने की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी जिनको ठीक किया जा चुका है।

गर्मी के मौसम में सीकर शहर में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने की दृष्टि से 12 कुएं जिनकी जलावृत्त क्षमता नगण्य हो गई थी, को गहरा करने का कार्य किया गया है। अतः कार्यपूर्ण होने पर 2 लाख गैलन अतिरिक्त जल उत्पादन होने की संभावना है। इनके निर्माण के दौरान स्थानीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से जल उत्पादन की कमी उत्पन्न हुई थी परन्तु 2 नए नलकूल खोले गये हैं। कन्टिन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत शहर में 13 हैण्ड पम्पों के निर्माण का कार्य काफी प्रगति पर है। इन सभी की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है एवं 5 नये बी. सी. पी. का कार्य पूरा कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में एक नलकूप को चालू कर दिया गया है। 3 हैण्ड पम्पों की खुदाई कर दी गई है एवं पुराने हैण्ड पम्पों को गहरा करना चालू कर दिया गया है।

सीकर शहर में अधिकतर कुओं में पम्प सैट लगे हुए हैं। इनकी मोटरों के जलने की स्थिति में न्यूनतम समय में ठीक किए जाने की व्यवस्था की गई है। गन्दे पानी की शिकायत अधिकतर उपभोक्ताओं की सर्विस लाइनो से होती है तथा सूचना उपलब्ध होते ही ठीक करने की तुरन्त कार्यवाही की जाती है। पेयजल को कीटाणु रहित बनाये रखने की दृष्टि से प्रतिदिन क्लोरिन सप्लाई बनाई जाती है।

आपने एक गांव का विशेष उल्लेख किया है श्यामगढ़ का। उसमें जो योजना है वो भी आपको निवेदन करता हूं। 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम श्यामगढ़ की जनसंख्या 1,441 है। सर्वप्रथम ग्राम में पनघट योजना द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लगातार अकाल के कारण पेयजल का स्तर नीचे जाने से यह पनघट योजना बन्द हो गई जिसके फलस्वरूप उत्पन्न पेयजल सकट से निपटने हेतु ग्राम एवं ढाणियों में कुल 12 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं, उसमें से 2 परित्यक्त घोषित हुए हैं। हैण्ड पम्पों में पानी की आवक कम होने एवं कुछ स्थानों पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण कन्टींजेंसी प्लान 90-91 के तहत एक नये ट्यूबवैल का प्रावधान रखा गया था जिसका खुदाई का कार्य प्रगति पर है। जिसके चालू होने के बाद पूर्व में निर्मित 70000 लीटर क्षमता का जल शहर में वितरित हो जायेगा। कन्टिन्जेंसी प्लान के तहत माह जून में 2 हैण्ड पम्पों को गहरा कराकर पुनः चालू किया गया, 17 नये हैण्ड पम्प खोले गए।

यह होने के बाद भी जो कन्टिन्जेंसी प्लान हमारी सरकार आने के बाद जो काम किये वह मैंने आपको निवेदन कर दिये। और जो भी आप आगे ऐसे सुझाव देंगे जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सीकर के लिये और आपके जिले के लिये लाभकारी होंगे उन पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजपुरा में ट्यूबवैल करीब एक साल से लगा हुआ है, उस को एस.आर. से जोड़ने के लिये पाइप चाहे थे काफी लम्बे समय से। वह ट्यूबवैल....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, अभी तक कन्टिन्जेंसी के काम में लगे हुए थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : विभाग को उसका नुकसान यह हो रहा है कि बिजली का पैसा विभाग को हर माह देना पड़ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरी ऐसी योजनाएं और समस्याएं होंगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी जो विभाग कर रहा था उस कंटिजेंसी प्लान के कारण जो संकट खड़ा हो गया था उसे कम कर रहे थे। अब थोड़ी सांस ली है। मैंने फिर आप से निवेदन किया कि आप योजना मुझे लिख कर दीजिए, जो भी सम्भव होगा उसको मैं निश्चित रूप से करूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : तात्कालिक उपाय के लिये, माननीय मंत्री महोदय, एक छोटी-सी रिक्वायरमेंट दी थी। काफी लम्बा समय हो गया उसको, वह सुविधा भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई।

दूसरी मैंने आपसे यह जानकारी चाही थी कि जनवरी और फरवरी पूरे माह में जितने पाइप सीकर में आपके विभाग द्वारा जो गये थे वह कहां लगे, उनकी वित्तीय सैंक्शन ली गई थी या नहीं ली गई थी? आपके विभाग से मैंने इस बात की जानकारी चाही थी। वह जानकारी उपलब्ध नहीं है (व्यवधान) एक जनवरी से 28 फरवरी तक जो पाइप वहां पर गये, वह कहां लगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : ये पुराने साल में गये थे। मंत्री जी यहां बैठे थे, अभी ले गये होंगे। मैं फिर इसकी जानकारी दे दूंगा। ये कहां गए, क्या गड़बड़ हुई इसमें, दे दूंगा। इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने तो आपसे जानकारी चाही है। अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस बात की जानकारी चाही है कि एक जनवरी से 28 फरवरी तक जो सीकर को आपके विभाग द्वारा पाइप इश्यू हुए वो पाइप वहां लगे या नहीं। क्या अधिकारी महोदय उन पाइपों को....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा सुझाव यह होगा कि इसकी जानकारी आप न लें तो अच्छा होगा वरना कई लोग इसमें आयेंगे। मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन माननीय मंत्री महोदय, 2 बातें तो आने दीजिए। कम से कम सीकर की जनता को उसका पानी का हक तो मिले।

श्री भंवरलाल शर्मा : जानकारी दे दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका यह कहना इस संदेह को और बढ़ा देता है....

श्री भंवरलाल शर्मा : जानकारी दे दूंगा, कह तो दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय आपका यह कहना इस बात के संदेह को और बढ़ता है कि साजिश और षडयंत्र से वहां की जनता को प्यासा मारने की स्थिति में पहुंचाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, चिन्ता मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा, पंचायती राज राज्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से सरकार से इस बात की जानकारी चाही थी कि ये पाइप 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सीकर को भेजे गए वे पाइप आखिर गए कहां? और फिर माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि इसमें कई लोग आते हैं इस संदेह को और बढ़ा देता है। माननीय सभापति महोदय, सीकर की जनता के हकों में जो पाइप गये थे वो पाइप आखिर गये कहां? उनको अधिकारियों ने गायब कर दिया या किसी राजनैतिक संरक्षण के चलते वो पाइप इधर-उधर हो गये? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

शासकीय वक्तव्य

वर्ष 1988-89 व 1989-90 में खोले गये स्कूल

श्री हरलाल सिंह खर्रा : (राज्य मन्त्री पंचायती राज) : माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि राजस्थान में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में सैकड़ों प्राथमिक शालायें....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : कहा न, आपको जानकारी और दे देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : 26-6 को दिया हुआ मेरा प्रश्न था आज की तारीख तक भी इस बात की जानकारी नहीं आई।

एक माननीय सदस्य : यह क्या रवैया है? मन्त्री महोदय बोल रहे हैं उसके बाद भी वो डिस्टरबेंस कर रहे है। माननीय सदस्यों को समझाइये।

श्री सभापति : मैंने अलाउ नहीं किया है उनको।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे इस बात की भली-भांति समझ है, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : मैंने अलाउ नहीं किया है। आप बिराजिए। (व्यवधान)

मन्त्री जी, आप अपना वक्तव्य दुबारा पढ़ें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्तावों में यह उल्लेख किया है कि राजस्थान में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में सैकड़ों प्राथमिक शालायें व शिक्षा केन्द्र ग्राम की आबादी, बच्चों की संख्या और भवन की उपलब्धता को ध्यान में रख-

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

कर खोले गये थे। यह कथन सत्य से परे हैं। वर्ष 1988–89 में तत्कालीन सरकार द्वारा कोई भी नई प्राथमिक शालाएं नहीं खोली गई थी, बल्कि वर्ष 1987-88 में फरवरी-मार्च महीने में जिन प्राथमिक शालाओं को खोलने की स्वीकृति दी गयी थी, उस स्वीकृति को अक्टूबर, 89 में जारी किये गये आदेश के माध्यम से पंचायत शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया एवं इसके बाद भी कोई प्राथमिक पाठशालाएं नहीं खोली गई बल्कि पंचायत शिक्षा केन्द्र ही खोले गये। इस प्रकार से उक्त वर्ष में 2600 से कुछ अधिक पंचायत शिक्षा केन्द्र खोले गये। यही स्थिति वर्ष 1989–90 में रही अर्थात् इस वर्ष भी कोई प्राथमिक पाठशालायें नहीं खोली गई बल्कि 2500 से ऊपर पंचायत शिक्षा केन्द्र खोले गये। इन दोनों वर्षों को मिलाकर हालांकि पूर्व सरकार ने 5000 से ऊपर पंचायत शिक्षा केन्द्र तो खोल दिये परन्तु इनके संचालन की कोई व्यवस्था नहीं की। इन शिक्षा केन्द्र को चलाने के लिए रु० 500/- अथवा रु. 700/–प्रतिमाह मानदेय पर शिक्षा सहायकों का चयन किया जाना था। पूर्व में यह निर्णय लिया गया कि पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति शिक्षा सहायक का चयन कर सकती है एवं इस आशय का आदेश दिनांक 20–11–89 को निकाला गया। परन्तु दिनांक 13–12–89 को निकाले गये दूसरे आदेशों के माध्यम से पूर्व आदेश को वापिस ले लिया गया। इस प्रकार से वर्ष 1988-89 की समाप्ति तक शिक्षा सहायकों का चयन नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि वर्ष 1989–90 में भी वही स्थिति चलती रही एवं जनवरी, 1990 में चयन हेतु पंचायत समिति स्तर पर कमेटी गठित करने के आदेश निकाले। जब तक पंचायत समितियों में चयन हेतु कार्यवाही सम्पन्न होती उससे पहले ही वर्ष 1989-90 की समाप्ति हो गई। इस प्रकार से दोनों सालों में जो भी पंचायत शिक्षा केन्द्र खोले गये उनका वजूद केवल कागजों में ही रहा। पंचायत शिक्षा केन्द्र योजना में यह प्रावधान है कि खोले गये पंचायत शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिये राज्य सरकार संबंधित पंचायत को अनुदान दे। परन्तु वर्ष 1988-89 में कोई अनुदान पंचायतों को नहीं दिया गया। इस प्रयोजन हेतु 194.74 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने 31-3-89 को स्वीकृत की जिससे स्पष्ट है कि पंचायतों के पास उस साल इस योजना के लिये एक पैसा भी नहीं पहुंचा। यह की यह स्थिति 1989-90 में हुई। पूरा साल समाप्त हो गया परन्तु पंचायतों को इस योजना के लिए एक पैसा भी नहीं मिला।

माननीय सदस्यों ने ग्रामों की आबादी बच्चों की संख्या व भवन की उपलब्धता के आधार पर इन पंचायत शिक्षा केन्द्रों को खोले जाने का दावा किया है। सभापति जी, स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बड़े अफसोस के साथ माननीय सदस्यों को मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि इन शिक्षा केन्द्रों को खोले जाने में किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। क्षेत्र से न तो किसी प्रकार की कोई सूचनायें मांगी गई एवं न ही प्रस्ताव मंगवाया गया। लगता है कि उस समय की सरकार भावी चुनावों से इतनी भयग्रस्त थी कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के गलियारे ढूंढ़े। उनकी भयातुर मनोवृत्ति का एक परिणाम

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

यह भी था कि हजारों की संख्या में पंचायत शिक्षा केन्द्रों को खोले जाने की स्वीकृति तो उन्होंने जारी कर दी। स्वीकृति जारी करके बढ़ा-चढ़ा कर यह प्रचार किया कि गांव-गांव में उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं। ये शिक्षा केन्द्र बहुत से ऐसे स्थानों पर भी खोल दिए गये जहां पहले से ही प्राथमिक पाठशालायें चल रही थीं या अत्यन्त निकट कोई दूसरा स्कूल चल रहा था। बहुत से ऐसे स्थान जहां शिक्षा केन्द्र खोलने चाहिये थे उनकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं गया एवं वे स्थान घोषणाओं से भी वंचित रह गये। प्रश्न उठता है कि जब सरकार के पास इन शिक्षा केन्द्रों को संचालित करने के पैसे ही नहीं थे तो फिर ये खोले क्यों?

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं थी। यदि खोले गये शिक्षा केन्द्रों को चलाने में सरकार गम्भीर होती तो स्कूलों के साथ ही इनके संचालन की व्यवस्था भी की जाती, परन्तु जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं न तो शिक्षा सहायकों का चयन किया गया एवं न ही अनुदान की व्यवस्था की गई। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार यह व्यवस्था करती भी कहां से क्योंकि पूर्व सरकार खजाना तो पहले से ही खाली किये बैठी थी। शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि घोषणाओं एवं प्रचार से ही लोगों को सन्तुष्टी मिल जावेगी एवं उन्हें लोकप्रियता प्राप्त होगी? जन आकांक्षाओं के साथ जब भी खिलवाड़ किया जाता है तो जो नतीजा निकलना चाहिये वही निकला। पासा उल्टा पड़ा।

माननीय सदस्यों को छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो जाने की चिन्ता सता रही है। दो साल तक छात्रों के भविष्य को अन्धकारमय किसने किया? कौन इसके लिये जिम्मेदार है? यह योजना किसके दिमाग की उपज है? सभापति जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राज्य में स्वीडन सरकार की एजेन्सी "सीडा" के आर्थिक सहयोग से शिक्षा कर्मी योजना पहले से ही कार्यान्वित थी। यही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार प्रवृत्ति अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए दस हजार से ऊपर केन्द्र चल रहे थे, तो फिर क्या ऐसे कारण थे कि राज्य सरकार ने बिना सोचे-समझे राज्य के संसाधनों से इस तीसरी योजना को प्रारम्भ कर दिया। माननीय सदस्यों को यह ज्ञान है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है एवं प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर रोज प्रश्न चिन्ह लगते हैं अगर मैं यह कहूं कि यह योजना शिक्षा के गिरते हुये स्तर को रसातल में पहुंचाने की योजना थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति जी, हमने इस योजना का पुनरावलोकन किया है एवं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राज्य हित, शिक्षा हित एवं अध्ययनरत बालकों का हित इसी में है कि इस अव्यावहारिक योजना को बन्द कर दिया जावे। यह निर्णय हमने ले लिया है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि कार्यरत अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। पहली बात तो यह है कि इन शिक्षा केन्द्रों में अध्यापकों की नियुक्ति

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

नहीं की जानी थी बल्कि अनुबन्ध आधार पर शिक्षा सहायकों की सेवायें ली जानी थीं। जिनका चयन ही पिछली सरकार नहीं करवा पाई। ऐसी स्थिति में वे कौन से अध्यापक हैं जिनकी सेवा समाप्त किये जाने की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं। अध्यापकों के बेरोजगार होने की जो बात माननीय सदस्यों ने की है वह निराधार है इसमें कोई सत्यता नहीं है। पूर्णतया असत्य तथ्यों के आधार पर यह स्थगन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अलबत्ता राज्य सरकार के ध्यान में यह बात अवश्य आयी है कि कुछ स्थानों पर पंचायत समितियों में उपलब्ध अध्यापकों में से किसी एक को प्रतिनियुक्त करके तथाकथित पंचायत शिक्षा केन्द्रों पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था कहां-कहां की गई थी इसकी सूचना संकलित करवाई जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि किसी भी स्थान पर भवन व्यवस्था करली गई हो एवं पिछले दो सालों में 40 से अधिक विद्यार्थियों की भर्ती करके नियमित पढ़ाई हुई तो वहां के विद्यार्थियों का अहित नहीं होने दिया जावेगा।

जैसा कि आपको ज्ञात है इस सरकार ने नई पाठशालाऐं खोलने की कोई घोषणा नहीं की है। यह सरकार लोगों को सुविधा प्रदान किये जाने में विश्वास रखती है, केवल घोषणाओं के आधार पर सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की नीति इस सरकार की नहीं है। हम जो घोषणा करेंगे उनके लिए पहले वित्तीय प्रावधानों का प्रबन्ध करेंगे परन्तु फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा अभी निवेदन किया है जहां भी शिक्षण कार्य नियमित चला है वहां हम नियमित पाठशालाऐं खोलेंगे। बालकों के भविष्य की पूरी चिन्ता इस सरकार को है। माननीय सदस्यों यदि नियमित रूप से चल रही पाठशालाऐं जहां पर भवन की भी सुविधा उपलब्ध है, की पूर्ण सूचना मुझे उपलब्ध करवाते हैं तो वहां पर नये नियमित स्कूल खोले जाने का निर्णय अवश्य लिया जावेगा। परन्तु हम नई पाठशालाऐं सुनिश्चित नीति के आधार पर ही खोलना पसन्द करेंगे।

अन्त में मैं पुनः मेरे इस कथन को दोहराना चाहूंगा कि यह स्थगन प्रस्ताव तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं इससे पूर्व सरकार द्वारा सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की चाह में बच्चों की शिक्षा के साथ जो दो साल तक राजनीतिक खिलवाड़ हुआ, उसकी वास्तविकता ही उजागर होती है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इतना बढ़िया तो आप भी कभी सदन में नहीं बोले। सही बात तो यह है, विरोधी दल के नेता के रूप में या.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का वक्तव्य गलत फैक्ट्स पर है कि स्कूलें नहीं खोली, अध्यापक वहां नहीं पहुंचे। कई पंचायत समितियों में, धौलपुर पंचायत समिति में 20 अध्यापकों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का चयन करके वहां लगा दिया गया था। एक पंचायत समिति की बात तो मुझे मालूम है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप लोगों को बोलने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से तथ्य सामने आयेंगे और जो अधिकारियों ने गलत बयान पढ़वाया है मन्त्री महोदय से उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह थोड़ी है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : सभापति महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि कई पंचायत समितियों में अपने साधनों से टीचर्स लगाकर कई जगह शालाएं चालू कर दी हैं उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मन्त्री महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर पंचायत समिति में 20 अध्यापकों का शिक्षा कर्मी योजना के तहत चयन करके, उनको तनख्वाये दी गई है। यह कह देना कि किसी का चयन नहीं किया गया है कितना अन्याय है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : (शिक्षा मन्त्री) : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी, आप उस गलती को, उस शर्म को छुपाने के लिए चाहे कुछ भी कह दीजिए। मैं आपको आज की तारीख में डेढ़ सौ प्रार्थना-पत्र दिखा सकता हूं जहां अध्यापकों की मांग की गई है और पूर्व में 3 साल से अध्यापक नहीं थे। मैं आपको दिखा दूंगा। वह प्रार्थना पत्र मेरे पास है। आज गांवों से केवल एक ही मांग आती है कि अध्यापक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री जी आप सबको सुन लें उसके बाद रिप्लाई दे देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, 31.3.90 को आदेश निकला, 1 करोड़ 90 लाख रुपये का फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट से इनकी नियुक्ति के लिए कहां से दिक्कत आ रही है कि पैसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि अपने वक्तव्य के अन्दर कि फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट से सैंक्शन निकली इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए। असली कारण यह है कि 5110 स्कूलें इसलिए बन्द कर दी गई कि आप शिक्षा का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, अपने लोगों को नियुक्ति करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए आपने स्कूलें बन्द की है।

सभापति महोदय, भवन की उपलब्धता नहीं है-आज विश्व भारती विद्यालय चलता है पेड़ के नीचे, जहां भवन उपलब्ध नहीं है। आज कितनी ही स्कूलें चल रही हैं, चौपाल पर चल रही हैं। केवल भवन का बहाना बनाकर आप स्कूलें बन्द करना चाहते हैं...

श्री सभापति : डाक्टर हरीसिंह जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह +++ फौज कहां से आ गई ?

श्री सभापति : यह +++ शब्द एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, मैं खड़ा हुआ हूं। आप बिराजिए।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति जी मन्त्री जी ने जो बयान दिया वह ऐसा लगता था कि जिन अफसरों ने स्कूल खुलवाई, उन्हीं अफसरों ने यह बयान उनको लिखकर दे दिया और उन्होंने यहां दे दिया। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मेरी मजबूरियां हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : आप डरते हैं क्या ?

डा. हरिसिंह : मैं घर में क्लेश पैदा नहीं करना चाहता। तो जो बयान आपने दिया है, जो यह मौजूदा सरकार है, उसकी नीतियों के हिसाब से बयान दिया है। उससे साफ जाहिर होता है कि इस राजस्थान में साक्षरता का जो प्रतिशत करीब 22 या 24 प्रतिशत है। उस साक्षरता को बढ़ाने के बजाए, परसण्टेज हाई करने के बजाय यह सरकार ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ है, देश की नीति के खिलाफ है और खास तौर से ग्रामीण अंचल के खिलाफ है। जितने भी केन्द्र खोले गए थे, आप कह रहे हैं कि स्कूलें नहीं खोली, पहले स्कूलें खोली थी और उन स्कूलों को ही शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर दिया था। उसी दौरान बहुत से टीचर्स उन स्कूलों में लग गये। मकान बने हुए हैं। दस एग्जाम्पल तो मेरी कान्स-टीट्यूएन्सी में है, जहां लड़के बाकायदा दो साल से पढ़ रहे हैं, मकान बने हुए हैं.... (व्यवधान) वह मकान बने हैं पब्लिक के सहयोग से और कुछ पैसा पंचायत समिति के माध्यम से लगा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : डाक्टर साहब आपका स्टेटमेंट अखबारों में छपा देंगें और लोग हंसेंगें।

डा. हरिसिंह : आप सुनिये तो। जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, पब्लिक ने मकान बनवा दिए। आज आदेश जाते हैं पंचायत समिति को कि इनको बन्द कर दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हैं ? बच्चे पढ़ रहे हैं। पंचायत समिति मास्टर प्रतिनियुक्ति पर भेजती हो, चाहे कैसे भी भेजती हो लेकिन डेढ़ साल से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको बन्द करने के आदेश दे दिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बन्द कहां कर दिए ? आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा क्या ? (व्यवधान)

डा हरिसिंह : अब पंचायत समितियों को हुक्म जारी किए गए हैं कि इनको बन्द कर दीजिए। फिर आपने यह फैसला लिया कि जिला कलक्टर या तीन आदमी अध्ययन करेंगे कि स्कूलें चल रही है या नहीं चल रही है। वह तीनों आदमी अध्ययन करेंगे राजस्थान में और तब तक लड़के आवारा फिरते रहेंगे। वह अध्ययन कब तक करेंगे ? (व्यवधान) तो वह अध्ययन करेंगे कि यह स्कूल चल रही हैं या नहीं चल रही है। यह अगली साल तक अध्ययन करेंगे आज मेरे पास दस डेपुटेशन तो इन दिनों में आ गए कि साहब, हमारे बच्चे कहां जाए ? मकान बना पड़ा है, पिछली साल मास्टर था, आज मास्टर ही नहीं भेज रहे है। तो वह अध्ययन कब तक करेंगे ? मेरा

(डा. हरिसिंह)

निवेदन यहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी तो उठकर चले गये, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था क्योंकि इनसे तो ज्यादा बात करने की मजबूरी पहले ही बयान कर दी है और खास तौर से इनके बस की बात भी नहीं है क्योंकि सारे मामलों में फैसला तो मुख्य मन्त्री जी ही लेते हैं। तो, मुख्य मन्त्री जी शायद इस देश में साक्षरता फैलाने के खिलाफ है। पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था। पुराने जमाने में जागीरदार स्कूल खोलने के खिलाफ होते थे। तो मुख्य मन्त्री जी स्वयं तो अधिक नहीं पढ़े लेकिन इस राजस्थान के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देना चाहते क्या ? वह नहीं चाहते कि गांव का बच्चा डाक्टर बने, वकील बने। शायद वह चाहते हैं कि उनके लेवल तक ही पढ़े, आगे नहीं पढ़े, यह शायद उनकी इच्छा होगी। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उनके लेवल तक पढ़कर तो मुख्य मन्त्री बन गये आपके लेवल तक पढ़कर तो विधानसभा के सदस्य ही रहेंगे। आपका यह तौर, तरीका ठीक नहीं है जिस तरीके से आप पेश कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, जब आप बोलें तब इसका रिप्लाई दे दें।

डा. हरिसिंह : मेरा इतना ही निवेदन है कि यह सरकार प्रोग्रेसिव और संवेदनशील सरकार होने का दावा करती है और शिक्षा जैसी चीज, मैं तो यहां तक कहता हूं कि कम्पलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का हमारा कमिटमेंट होना चाहिये। तो कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन की बात तो दूर रही इस सरकार ने खोले गये शिक्षा केन्द्र या जो भी शिक्षा की सुविधाएं थी उनको बन्द करके इस राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ बहुत जबरदस्त धोखा और अन्याय किया है। अगर इस अन्याय को ऐसे ही करते रहेंगे तो इनको पब्लिक देखेगी और पब्लिक सलटेगी। और माननीय मुख्य मन्त्री जी के खोखले दावे हैं····(व्यवधान) आप लोग तो पीपल कूदे हुए लोग हो और पीपल कूदा हुआ लोग जैसे लंगड़ा छोरा बबूलिया आया तो उसको पीपल कूदा दिया तो आप लोग तो पीपल कूदे हुए लोग हो, ज्यादा चलने वाले लोग नहीं हो, चिन्ता की बात नहीं है। ज्यादा +++ से काम चलता नहीं है। आप की हालत बयान करूंगा, एक पोलियो का लंगड़ा लड़का था.... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुख्य मन्त्री जी तो क्या, मन्त्री जी से ही बात कर लो आप पहले।

डा. हरिसिंह : आप तो बैठ जाइए आप क्यों झगड़ा करना चाहते हो, कौशल जी ? एक लंगड़ा लड़का पोलियो का था, टेरीकाट की पेन्ट पहन रखी थी, बबूलिया आया तो पीपल के पेड़ से उठकर जमीन पर छोड़ दिया, वह कहने लगा कि मेरी ताकत का क्या अन्दाजा है, मैं पीपलिया कूदा हुआ हूं तो ऐसे पीपल कूदे हुए लोग हो, हवा में आए हुए लोग हो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : डाक्टर साहब, सपना तो नहीं देख रहे हैं आप ?

श्री मदनलाल सैनी : डाक्टर साहब को तकलीफ तो यह हो रही है, जब काकी के जाये हुए से पाला पड़े तब पता पड़ता है। हरलाल सिंह जी भी उनके बराबर के हैं।

श्री सभापति : ऐसा है माननीय मन्त्री जी, जब बोले थे तो किसी ने व्यवधान नहीं किया था। आप सुनिए, माननीय मन्त्री जी सबके उत्तर दे देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो हरलाल सिंह जी की मजबूरी है कि उनके रिश्तेदार हैं।

श्री नाथूराम अहारी : मंत्री जी सक्षम नहीं हैं क्या, जो आप बोल रहे हो ?

डा. हरिसिंह : सभापति महोदय, यह जो भाषा बोल रहे हैं वह भाषा मैंने भी 1977 से 1980 तक बोली थी जो यह बोल रहे हैं तो मुझे अनुभव है कि ये किस मजबूरी में यह भाषा बोल रहे हैं। (व्यवधान) मुझे जब यह अनुभव हुआ कि इतना फर्जीवाड़ा ठीक नहीं तो मैंने इनसे हाथ जोड़ लिए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस वक्त भी बड़ा विलाप किया। आप भी विलाप मत करिए, जरा वक्त को देखिये। आने दीजिए, जैसा वक्त है, जैसा पब्लिक फैसला करेगी। शान्ति से सुनिए तो सही आप। (व्यवधान) मैं खास तौर से दो बातें जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार राजस्थान की जनता को साक्षर करना चाहती है ? या यह वही सिस्टम प्री-इंडिपेंडेंस वाला रखना चाहती है कि गांव का आदमी पढ़ गया तो हमें खतरा पैदा हो जायेगा, यह आपका आउटलुक है जब तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इनको बन्द कर दिये और अगर प्रोग्रेसिव आउटलुक आपका है तो आप चार हजार की जगह दस हजार स्कूल खोलिये फिर पता लगेगा कि प्रोग्रेसिव सरकार जो पैसा खर्च करती है, यह राजा की प्रथा नहीं है कि खजाने में इतना धन है, खजाने में धन तो राजा-महाराजा रखते थे। आज की सरकार अगर पैसा खर्च करती है तो खजाना खाली होगा, खजाना भर कर आप क्या करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. हरिसिंह : जो प्रोग्रेसिव सरकार होगी वह खजाने में पैसा नहीं रखेगी। पैसा किसके लिये है, सरकार किसके लिये है ? सरकार पब्लिक के लिये हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिये है जो हर वक्त कह देते हैं खजाना खाली कर गये तो क्या आप उस खजाने को भर कर पब्लिक को भूखे मारना चाहते हो ? खजाना तो आप जयपुर में भर लीजिए, पैसा जमा कर लीजिए और जनता को रिलीफ नहीं मिलेगा यह क्या सरकार होती है। ऐसी सरकार के बारे में जो आप बातें करते हैं आप सोच समझ कर करिये। श्री भैरोंसिंह जी कुछ समझा देते हैं, सब लोग बोल देते हैं। वह तो चक्कर देते हैं। चक्कर में मत आओ। वह जो कहते हैं वह उनको ही कहने दीजिए। आप लोग उस शातिर तरीके से नहीं कह सकते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं। वह तो चक्कर देकर भी निकल जाते हैं। आप को चक्कर देना तो सिखा दिया अभिमन्यु की तरह चक्कर से निकलना नहीं बताया

(डा. हरिसिंह)

है। पहले तो आप वह सीखिये फिर आप चक्कर देना सीखिये। माननीय मंत्री जी आप साफ तौर से बताइये कि आपने जो पढ़ दिया और आफिसर्स ने लिखा सरकार को दिया वही कुछ कहना चाहते हैं या आपका खुद का इन्डिपेंडेंट स्टेट्स है। कुछ फैसले लेने का मुख्य मंत्री जी से कनसल्ट कर लीजिए कि राजस्थान की जनता को शिक्षा देना चाहते हैं या राजस्थान की जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, 51 सौ स्कूल खुल गये मान लीजिए। अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार अध्यापकों की व्यवस्था कर दे उन स्कूलों को बन्द करने की कहां आवश्यकता है। शिक्षा केन्द्र खुल गये हैं और पिछली सरकार ने मान लीजिए अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की है वैसे तो 31.3.90 को इन्टरव्यू फिक्स कर दिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय, इन्टरव्यू फिक्स हो गये फाइनेन्सियल सैंक्शन निकल गयी इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको बन्द करने की क्या आवश्यकता है। राजस्थान में 51 सौ स्कूलों को। शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। आप अध्यापकों की व्यवस्था उसी सत्र में कर दीजिए। आप अपनी पसन्द में आये, अपनी पार्टी के लोगों को नियुक्त कर दीजिये जिससे कि आपकी पार्टी का प्रचार-प्रसार हो परन्तु स्कूलों को बन्द मत करें, भगवान के लिए। आप यह क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री देवेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आर. एस. एस. के लोग भेजने हैं तो वह भेज दीजिए लेकिन स्कूल बन्द मत करिये भगवान के लिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसमें आर. एस. एस. कहां से आ गया ?

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका स्टेटमेंट सुन कर मुझे बहुत अफसोस हुआ और खास तौर से ऐसे व्यक्ति से जो सीधा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और निरन्तर आपने गांव के लोगों की उपेक्षा नहीं करने की बात कही है अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में इसी विधान सभा में एक प्रश्न था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसी विधान सभा में एक प्रश्न आया था उस पर मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि जिन शिक्षा केन्द्रों को बन्द किया गया है उन शिक्षा केन्द्रों को पुनः चालू करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कलक्टर, सी. ओ. और वहां के सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी की एक कमेटी गठित की गई है। 11 तारीख को माननीय मंत्री महोदय ने कहा, हमने आदेश निकाल दिये और वह कमेटी वहां यह बात तय करेगी कि जो शिक्षा केन्द्र पूर्व में चालू हो गये उन को चालू रखा जायेगा और जो शिक्षा केन्द्र चालू नहीं हुये या जिसमें अध्यापक नियुक्त

(श्री देवेन्द्र सिंह)

हुये ही नहीं उनको बन्द कर दिया जायेगा। जो जवाब उन्होंने पूर्व में दिया और जो स्टेटमेंट आज माननीय मंत्री महोदय ने दिया वह दोनों अपने आप में कान्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिए मंत्री महोदय मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप गांव के बच्चों पर ध्यान दीजिए और जो विचार आपके पहले थे और जो किन्हीं कारणों से आपने आज अपना विचार बदला है उस विचार को कृपा करके पुनर्विचार कीजिए और जो शिक्षा केन्द्र खुल गये थे और जिन पर अध्यापक लग गये थे चाहे वह पांच सौ रुपये का अध्यापक लगा हो शिक्षा केन्द्रों को किसी भी स्थिति में आप बन्द नहीं करें इसकी आप व्यवस्था करिये। क्योंकि जैसा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्वयं जिला प्रमुख रहे हैं और जिन्होंने पंचायत समिति का काम देखा है और ऐसा अनेक माननीय सदस्य इस बात को आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे बहुत से शिक्षा केन्द्र खुल गये इस बात को भी हम मानते हैं बहुत से शिक्षा केन्द्र बहुत देर में खुले वह चालू नहीं हुये इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो शिक्षा केन्द्र खुल गये और जिन पर आपने हाउस में कमिट किया है कि उन शिक्षा केन्द्रों को हम बन्द नहीं करेंगे आप चाहे रिकार्ड उठा कर देख लीजिए मंत्री महोदय ने हाउस में कहा है कमेटी नियुक्त करते हैं, जो शिक्षा केन्द्र चालू हो गये उनको चालू रखेंगे यह फैसला वहां की जिला कमेटी करेगी उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया और आज फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी में आप जन प्रतिनिधियों को भी शामिल कीजिए उसमें सम्बन्धित पंचायत समिति का विधायक हो चाहे और कोई प्रमुख हो, जिसको भी आप रखना चाहे लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उस कमेटी का निर्माण करके उसको अधिकार दीजिए कि जो शिक्षा केन्द्र चालू हैं उनको वहां पर तत्काल चालू कर दिये जाये जैसा आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है। वहां से वह कमेटी आपको रिपोर्ट भेजेगी उसकी आपके यहां स्क्रूटनी होगी और जिस तरह आपके अधिकारियों की मन्शा लग रही है इससे मेरा ऐसा मानना है कि पूरे शिक्षा सत्र में आप एक भी शिक्षा केन्द्र नहीं खोल पायेंगे। यदि आप उस कमेटी और रिपोर्ट के चक्कर में फंसे तो। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके शिक्षा केन्द्र जो चालू किये गये थे उनको चालू करने के आदेश आज ही प्रदान करें।

दूसरी बात मुझे आपसे निवेदन करनी है कि आपने कुछ दिनों पहले यह कहा कि जो शिक्षक जिनकी भर्ती करनी है, पहले बन्द कर दी गयी थी उनकी वापस भर्ती करने के आदेश दे दिये। यह बात सही है कि आपने भी करने के आदेश दे दिये। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक वही बात है कि जो आदेश आपने दिये हैं उसमें मेरा ऐसा मानना है कि ग्रामीण बच्चों को उसमें अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपने नाम्बं फिक्स किये हैं उसको यदि आप देखें तो मैं समझता हूं डी.ई.सी. की कोई उपयोगिता नहीं रहती। क्योंकि आपने हर स्तर पर कुछ मार्क्स दे करके सारे, जो 100नम्बर आपको देने हैं, वह आपने फिक्स कर दिये। जो नम्बर आपने फिक्स कर दिये इसमें डी ई.सी. की कहां आवश्यकता

(श्री देवेन्द्र सिंह)

पड़ती है ? आप उसको कम्प्यूटर में डाल दीजिए मेरिट में लड़का निकल जायेगा और उसकी नियुक्ति हो जायेगी। मैं उसमें आप से निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से मैरिट फिक्स की है नार्म्स दिये हैं उसमें ग्रामीण लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 60 प्रतिशत तो प्योअरली मैरिट के आधार पर करते हैं। आपने 20 प्रतिशत का तय किया उसमें जो एन.सी.सी., स्काउटिंग या दूसरी एक्टिविटीज जिसमें भाग लिया हो उसको 20 प्रतिशत देना चाहते हो तो एन. सी. सी., स्काउटिंग तो गांवों में है ही नहीं। गांवों में जहां लड़का पढ़ा है वहां न तो एन.सी.सी. है न स्काउटिंग है न दूसरी करिकुलर एक्टिवटीज हैं। यह 20 नम्बर तो सीधे तौर से शहर के लड़कों को मिलेंगे और वह लड़का पिछड़ जायेगा। इसी तरह से आपने 20 प्रतिशत और करिकुलर एक्टिविटीज और पी.टी.आई. के सम्बन्ध में रख करके आपने मार्क्स बांट दिये। वायवावोसी का आपने इसमें कोई अवसर नहीं रखा। डी. ई. सी. के सामने जाकर लड़का क्या कहेगा ? क्या तो डी. ई. सी. लड़के को पूछेगी और क्या उस आधार पर मार्क्स देगी? इसलिए आपने यदि यह नार्म्स रखे हैं, आपके यहां ग्रामीण क्षेत्र का लड़का बहुत कम आ पायेगा और सारे शहरी क्षेत्र के लड़के आ जायेंगे। इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और ग्रामीण क्षेत्र में गांवों के लड़कों को ही लगाने के लिए इसकी व्यवस्था करें क्योंकि शहरों के जो लड़के हैं अध्यापक, वह गांवों में नहीं रहेंगे और स्कूल बन्द पड़े रहेंगे और आपको शिक्षा का नुकसान होगा। इसलिए इसमें अधिक से अधिक गांवों के लड़के सम्मिलित हो सकें इसकी व्यवस्था कीजिये। बल्कि मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से आपने 20 पर्सेन्ट नम्बर स्काउटिंग और एन. सी. सी. के रखे हैं उसके अलावा दस पर्सेन्ट मार्क्स इस बात के लिए रखें कि जो गांव का लड़का आता है, अगर वह गांव में रह कर पढ़ायेगा तो उस लड़के तो दस पर्सेन्ट मार्क्स अधिक दिये जायं। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अवसर मिलेगा। यही मेरा आपसे निवेदन करना है। यही हालत आप देख लीजिये मध्यप्रदेश में जहां शिक्षा का स्तर इतना हल्का है उसकी पुनरावृति राजस्थान में नहीं हो जाय इसका राजस्थान में ख्याल रखें और मैं आपसे फिर बहुत पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां शिक्षा केन्द्र चालू हो गये उनको चालू रखने के लिए आप आज ही व्यवस्था करें। यदि आपने लौटा-फेरा में समय निकाल दिया तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि पूर्व सत्र में आप एक भी स्कूल नहीं खोल पायेंगे, आपकी इच्छा होते हुए नहीं खोल पायेंगे क्योंकि रेडटेपिज्म इतना है और मैं समझता हूं कि यह आपका स्टेटमेंट रेडटेपिज्म का प्रतीक है। मैंने आपसे बात की और आपका स्पष्ट मत था कि हर स्थिति में हम स्कूल जल्दी से जल्दी खोलना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से आपका आज इस तरह का स्टेटमेंट आया है जिससे यह निश्चित रूप से लगता है कि इसमें कहीं न कहीं रेडटेपिज्म घुस गया, अधिकारीपन घुस गया या पता नहीं क्या घुस गया इसमें। मैं आपकी मन्शा को जानता हूं। इसलिए आपसे निवेदन करना

(श्री देवेन्द्र सिंह)

चाहता हूं कि आपकी मन्शा को स्पष्ट कीजिये और मन्शा के अनुरूप शिक्षा का कार्य करने की कृपा कीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ईश्वर लालजी सैनी।

(3.00 म. प.)

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, इस सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहलवाया था कि राजस्थान में हमारा शिक्षा का अनुपात गिरा है। हिन्दुस्तान में कम्पेरेटिवली हमारा स्तर नीचे गिरा है। आज यही सरकार जो हमने किसी न किसी प्रकार दो साल में पांच हजार विद्यालय शिक्षण संस्थायें खोली उनको बन्द करने जा रही है। मैं कहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सरकार शिक्षण संस्थायें खोले उसको दूसरी सरकार बन्द कर दे। एक दो की बात हो तो अलग बात है लेकिन पांच-पांच हजार शिक्षण-संस्थाओं को बन्द करना, यह मैं कहता हूं राजस्थान के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। आज यह कहते हैं, अभी माननीय मन्त्रीजी ने भाषण में कहा है कि ऐसे विद्यालय जहां चालीस विद्यार्थी अगर किसी तरह से, मास्टर वहां लगा दिया और अगर वहां हो गये तो हम उस पर विचार करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको सबूत देना चाहता हू, आप मालूम कर लीजिये, सम्पूर्ण अलवर जिले में जितनी भी शिक्षण सस्थायें खोली गई हैं वह एक साल से तो काम कर ही रही हैं लेकिन पिछले वर्ष शिक्षण-संस्थायें शुरू की थी वह भी तीन-चार महीने पहिले शुरू कर दी गई थी, बाकायदा स्क्रूटनी करके अध्यापक भी वहां लगा दिये गये थे और उसमें पिछली सरकार की यही मर्जी थी कि जहां दूरदराज में और विशेषकर हमारे ट्राइबल एरिया में जहां अध्यापक नहीं जा सकते थे वहां कोई ऐसा अध्यापक लगा दिया जाय जो वहीं का हो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : प्वाइन्ट आफ आर्डर। नियम 295 में जब भी स्टेटमेन्ट हो जाय माननीय मन्त्री जी का, उसमें क्वश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से डिबेट करना....

श्री ईश्वरलाल सैनी : सचेतक महोदय, यह बहुत बड़ा मसला है। आप इसको शान्ति से लीजिये, आप इसका मुंह बन्द मत कीजिये। यह मसला राजस्थान का है। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : आप शहर के रहने वाले हो क्या, आप शहर के रहने वाले हो। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, मैंने नियमों का उल्लेख किया है।

श्री सभापति : मैं दे रहा हूं।

श्री घासीलाल चौपड़ा : आप शहर के रहने वाले हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने गांवों के बच्चों की शिक्षा के साथ में खिलवाड़ किया है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इस आसन से कई बार ऐसे निर्णय हुए हैं, और कितने ही महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार जा रही है।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दे दूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि जितने भी इम्पार्टेन्ट इश्यूज हैं, उन पर जनरली माननीय मन्त्री महोदय वक्तव्य देते हैं, और ऐसे कई निर्णय इस आसन से हुए हैं जिनकी आपको भी जानकारी है कि जब स्टेटमेन्ट आता है तो इस पर कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं न कि डिबेट कर सकते हैं।

श्री सभापति : अभी माननीय मुख्य संचेतक जी ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में ... (व्यवधान)

श्री घासीलाल चोपड़ा : ग्रामीण भाषा नहीं आती, शहरी भाषा आती है इनको।

श्री सभापति : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मेरा सदन से यह कहना है कि समय समय पर आसान से यह व्यवस्था दी गई है परन्तु फिर भी सदन की यह परम्परा रही है कि सदन में जो अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर माननीय सदस्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर जो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनसे कहूंगा कि वे माननीय मन्त्रीजी से स्पेसिफिक प्रश्न करें तो ज्यादा उचित रहेगा ताकि समय ज्यादा नहीं लगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, जब से यह असेम्बली शुरू हुई है, 26 तारीख से असेम्बली चल रही है, यह तकिया कलाम बना लिया है कि राजस्थान का खजाना खाली है। राजस्थान का खजाना क्या कांग्रेस शासन में खाली नही था? लेकिन हमको उसका मूल मन्त्र ज्ञान था कि हम खजाने को कैसे भरें और कैसे खाली करें, आइये आप हमसे सीखिये। हम आपको बता देंगे खजाना कैसे भरा जाता है और कैसे खाली होता है (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यानि आपको पता था कि हम जाने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं सवाल पूछ लेता हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : प्रश्न पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे ... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दो साल में स्कूल खुले थे, दो साल के बाद, पिछले साल खुले और उसके पहले साल खुले उनको कैसे, किन किन परिस्थितियों में पांच हजार स्कूलों को बन्द कर दिया। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया, एक भी मास्टर नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान न करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : गांवों में बच्चों को शिक्षा देने की बात.... (व्यवधान) चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उलाहना तो आपको ही है। आपने खिलवाड़ किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं मानता हूं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सभापति महोदय, यह बीच में क्यों बोलते हैं। मन्त्री की तरह। (व्यवधान) हमने खोले तो इसका मतलब हमने जो काम किये सब मिटा दोगे आप। आपकी ताकत नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : आपका +++ किया हुआ था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिना इजाजत नहीं बोलें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप पांच हजार स्कूल बन्द नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : आप गांव के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हो क्या ? हमारी जबान बन्द नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम देखते हैं कैसे पांच हजार स्कूल बन्द किये जाते हैं।

श्री नाथूराम अहारी : अब आप स्कूल बन्द कर दो, अब आदिवासी एरिया में दूरदराज में स्कूलें चालू की थी उनको बन्द कर दो, यह आपको अधिकार है क्या ? आपको रास्ता क्या दिखा दिया,.... बरबाद कर डाला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। ऑर्डर प्लीज।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मास्टर है नहीं, कमरा है नहीं, घोषणा करते हुए चले गये। इसलिए आज की सरकार का.... (व्यवधान) आदिवासियों को खत्म करना चाहते हो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मन्त्री महोदय, आपने स्टेटमेन्ट दिया है....

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री नवनीतलाल नीनामा : गांवों में स्कूलें खोली वह चल नहीं रही और फिर भाषण का उपयोग कर रहे हो।

श्री रतनाराम चौधरी : जो उन्होंने खोल दी उनको धन्यवाद दो। पांच-पांच हजार स्कूल खोल दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य । आप विराजें । (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मन्त्री महोदय, का यह कहना, मैं उसी पर बोल रहा हूं जो उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया, मन्त्री महोदय का यह कहना है कि पिछली सरकार ने पांच हजार स्कूल सारे ही गलत खोल दिये । मेरा चैलेन्ज है, आ जाइये अलवर में अगर आप इसको साबित कर दें कि पिछली सरकार ने···· (व्यवधान) मेरा चैलेन्ज है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजें ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : सैनीजी, जनता ने क्या जवाब दिया वह देख लीजिये । (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : पांच हजार स्कूल बन्द करने का आपको कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार अगर ये स्कूल बन्द करते हैं तो जितनी भी भर्त्सना करनी हो उतनी भर्त्सना करनी चाहिए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि ऐसे बड़े भारी कदम आप नहीं उठायेंगे तो हमारे राजस्थान के बच्चों के साथ कुठाराघात होगा । (व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव (राज्य मन्त्री श्रम एवं नियोजन विभाग) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन है और प्वाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन यह है कि माननीय सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी और माननीय सदस्यों को कहा भी कि सदन की परम्परा यह रही है सदन के अन्दर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेण्ट आता है कोई भी माननीय सदस्य केवल मात्र प्रश्न पूछ सकता है और अगर आपने जो यह व्यवस्था दी उसको माननीय सदस्यों ने स्वीकारा नहीं और इस तरह से मिसयूज ऑफ टाइम और मिसयूज ऑफ गवर्नमेण्ट मनी जो हुआ है मेरा आपसे निवेदन है···· (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम इस तरह से इस पवित्र सदन में बैठकर और इस तरह से समय का दुरुपयोग करें और माननीय सभापति महोदय और आसन के···· (व्यवधान)

श्री सभापति : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य और मन्त्री जी ने···· (व्यवधान) अब आप विराजिए । ऐसा है इस सदन की ऐसी परम्परा रही है कि जो व्यक्ति स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कोई भी प्रश्न उठाता है, मन्त्री जी का वक्तव्य आता है तो उस सम्बन्ध में अपने दो मिनिट में विचार रखे और जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं देता है और वैसे ही चर्चा में भाग लेता है और अपना बीच में प्रश्न पूछ लेता है तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान रख रहा हूं और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में काफी अच्छे सुझाव लोगों के आये हैं और जिन-जिन लोगों को दो-तीन नाम मेरे सामने हैं, अपना प्रश्न कर लें । इसके बाद मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे देंगे । अब माननीय हरिसिंह जी प्रश्न करेंगे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाह रहा हूं

(श्री हरिसिंह)

कि क्या पिछले दो साल में चार-पांच हजार स्कूल राजस्थान में खोले गये थे। उनमें पिछली सरकार ने क्राइटेरिया तय किया था कि ढाई सौ की आबादी के गांवों में यह विद्यालय खोले जायेंगे। क्या यह सही है ?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री हरिसिंह : मैं मन्त्री जी से पूछ रहा हूं आप मन्त्री नहीं हैं। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आप साफ-साफ जवाब दे दीजिये। मेरे दो-तीन प्रश्न और हैं। सभापति महोदय मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मन्त्री जी ने यह आरोप लगाया था कि यह राजनीतिक बात को ध्यान में रखते हुये पिछली सरकार ने जो विद्यालय खोले थे, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वे विकास विभाग से यह जानकारी प्राप्त कर लें कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पिछली सरकार ने कहां-कहां स्कूल खोले, इस बात की अभिशषा मांगी थी, क्या यह सही है ?

एक माननीय सदस्य ; हां।

श्री हरिसिंह : आप बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

श्री सभापति : अब प्रश्न बोलिये। नहीं कृपया आप विराजिये। बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : मैं तीसरा निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, कि पिछली सरकार ने जो स्कूल खोले थे उनमें कई जिलों में अध्यापकों का सलेक्शन होकर स्कूल बदस्तूर चालू हो गये और वहां पर भवन भी गांव वालों ने बना दिया है और विद्यार्थियों ने दूसरी कक्षा में प्रवेश भी पा लिया है। क्या यह उचित है कि उन विद्यालयों को भी बन्द कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हेतराम जी।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति जी, एक प्रश्न और पूछूंगा आपके माध्यम से सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्री जी ने अपना जो यह स्टेटमेण्ट दिया है; क्या यह राजनीतिक भाषण नहीं है ? यह सदन में देने वाला स्टेटमेण्ट था या चौपड़ पर चुनाव भाषण देने वाला स्टेटमेण्ट था। यह सरकारी भाषण नहीं है न ही सरकारी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया हुआ भाषण है। मन्त्री जी ने सिर्फ कांग्रेस सरकार को, पिछली सरकार को लांछित करने के लिये ग्रामीण बच्चों के साथ अन्याय करने के लिये, वह बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करें यह इनकी मंशा है।

श्री सभापति : माननीय हेतराम जी (व्यवधान) ऐसा है मन्त्री जी सब बात नोट करके रिप्लाई दे देंगे। आप क्यों बीच में व्यवधान कर रहे हैं। (व्यवधान)

आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से माननीय पंचायत मन्त्री जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पांच हजार एक सौ पंचायत शिक्षा केन्द्रों को बन्द करने का फैसला क्यों किया ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो आधार आपकी सरकार की नई नीति के तहत स्कूल खोलने का है क्या इनमें से कोई खरा उतरता है ? दूसरा मुझे सवाल और पूछना है आपने दो, तीन आधार बताये हैं चालीस विद्यार्थियों या बिल्डिंग। पांच हजार एक सौ को तो आपने एक कलम से बन्द कर दिया। क्या यह पता लगाया कि इनमें से किसी विद्यालय में चालीस विद्यार्थी नहीं हैं ? (व्यवधान) इसलिए मेरा आखिरी सवाल यह है कि राजनीतिक दृष्टि से मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी श्रम कल्याणकारी सरकार के लिये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह का कदम उठायें, हम जिसको गलत समझें सब कुछ बन्द कर दें। सामूहिक रूप से बन्द करके हम प्रचार माध्यमों में फसेंगे जो कांग्रेस का प्रचार है इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस फैसले पर विचार करें और सामूहिक सबको बन्द करने का फैसला वापिस लें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री हरलालसिंह खर्रा (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री) : माननीय सभापति जी,...

श्री सभापति : देखिये रिप्लाई आ जाये उसके बाद बोलिये (व्यवधान) यह रिप्लाई दे दें फिर मैं मूव कर दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सामूहिक रूप से क्या हो गया। इसका कोई परीक्षण करवाइये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरलालसिंह खर्रा : उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। शिक्षा केन्द्र की जो उन्होंने व्यवस्था की उनकी इन्होंने परिभाषा ही नहीं समझी। उस आदेश को ही इन्होंने नहीं देखा। कहां तो इन्टरव्यू का है उसमें, कहां स्क्रूटनी हो गई, शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था पूर्व सरकार ने इस तरह की थी कि पंचायतों को अनुदान देंगे। राज्य सरकार ने अपने ऊपर लिया ही नहीं था कि वे कर्मचारी राज्य सरकार के होंगे। पंचायतों को अनुदान देकर व्यवस्था करने की बात थी। पहले आदेश निकाला पंचायत ही व्यवस्था करेगी दुबारा आदेश निकाला बी. डी. ओ. और सरपंच करेंगे, केन्डीडेट के इन्टरव्यू का कहां सवाल है इसमें। किसने इन्टरव्यू लिये ? (व्यवधान) ले लिये, तो गलत ले लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें....

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : कानून के अन्तर्गत थे....

श्री मदनलाल सैनी : कानून को तोड़कर किये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री नाथूराम अहारी : उनको रोजगार देने के लिये....गांवों में बच्चे दूर-दूर जा नहीं सकते थे उनको पढ़ाने के लिए यह किया गया था न कि उनको बर्बाद करने के लिए।

एक माननीय सदस्य : सारे शिक्षा केन्द्र कांग्रेस के ही थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजे आप।

श्री हरलालसिंह खर्रा : इन्टरव्यू में क्वालिफिकेशन क्या थी ? आप को पता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां पता है। आप बैठिये। सभापति महोदय, इसमें जो मूल कारण था कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया था कि अगर रेगुलर अध्यापकों को अगर वहां अपाइंट किया जायेगा तो उनको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर वह छात्रों की तीन घंटे पढ़ाये और यदि स्कूल खोल दिये जायें तो वहां पर ट्रेन्ड अध्यापक हैं वहां 700 रुपये देंगें और जो अनट्रेन्ड हैं उनको पांच सौ रुपये देंगे। मूल में यह था। इसके बारे में प्रक्रिया क्या होगी कि पहली नियुक्ति ग्राम के जिस भाग में स्कूल खोला गया है वहाँ कोई ट्रेन्ड अध्यापक होगा तो उसको पहले प्राथमिकता दी जायेगी और अगर वहां ट्रेन्ड नहीं मिला तो वहां अगर कोई हायर सैकेन्डरी पास या सैकण्डरी पास छात्र होगा तो उसको प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी और नियुक्ति का अधिकार दिया गया वहां के सरपंच को, बी. डी. ओ. को और वहां के प्रधान को। यह तीनों मिल कर चयन करलें और यह नियुक्ति कर दें। सारी कल्पना यह थी....

श्री हरलालसिंह खर्रा : उम्र क्या रखी थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने सवाल पूछा है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इसके अन्दर मूल में यह था कि स्कूल खोले गये। यह कहा गया कि अगर वहां भवन नहीं भी हों, भवनों की जहां आवश्यकता है, भवन हैं, बहुत अच्छी बात हैं, जवाहर रोजगार योजना में भवन की बात चली वहां पर, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर। अगर भवन नहीं है, चौपाल हैं, अगर कोई आदमी अपना कमरा दे दे वहां बच्चे पढ़ लेंगें। क्यों कि इसका मूल में उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जिन गांवों की ढाणियों की आबादी 250 या 200 हैं, आदिवासी क्षेत्रों में इसको दो सौ कर दिया, और क्षेत्रों में इसको 250 कर दिया गया था, कि गांवों में शिक्षा का प्रसार हों, लिटरेसी रेट राजस्थान के अन्दर बढ़े, इस बात को ध्यान में रखकर इन शिक्षा केन्द्रों को खोला गया और इनको कन्वर्ट किया गया। आप माननीय मन्त्री महोदय, पूछ रहे हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या थी, चयन किस प्रकार होगा, सब के आदेश जारी किये गये थे। माननीय मन्त्री महोदय, यहां सदन को गुमराह करने की चेष्टा न करे.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं....

श्री जगमालसिंह यादव : प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है।

श्री सभापति : मन्त्री जी उत्तर दे दें उसके बाद ...

श्री जगमालसिंह यादव : मेरा प्रश्न पूछने का राईट है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी उत्तर दे दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैंने आपको एलाऊ नहीं किया है। पहले मन्त्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री जगमालसिंह यादव : प्रश्न पूछने का हमारा राइट नहीं है क्या ?

श्री सभापति : मैं आपको अवसर दे दूंगा। पहले मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरे स्टेटमेंट में सारी बातें स्पष्ट कर दी। पूर्व सरकार ने जो कारनामे किये हैं, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा कर्मी की क्या क्वालिफिकेशन रखी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको बताया है.... (व्यवधान)

श्री हरलालसिंह खर्रा : तो उन्होंने जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए.... यह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा केन्द्र पूरे साल चले हैं, गत साल में जो जुलाई से लेकर छुट्टियों तक शिक्षा केन्द्र पूर्ण रूप से चले हैं, जहां भवन है और जहां छात्रों की संख्या निश्चित थी वहां प्राथमिक शालायें इस साल खोल दी जायेंगी। वहां नहीं खोली जावेंगी, जहां दो लड़के थे, जहां खुले ही नहीं। आपको पता है जनवरी में शिक्षा केन्द्र खोलने के आदेश निकले हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं एक सवाल तो मैं दायीं ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान) आप बैठ जाइये, मेरा भी राइट है। आप बैठ जाइये, आपको मौका मिलेगा। प्रथम तो ग्रामीण शिक्षा में अध्यापक पहले ऐसे चयनित किये जाते थे जो खुद भी पता नहीं किस प्रकार ट्रेन्ड होते थे। कांग्रेस ने तो यह हाल कर दिया कि शहर और ग्रामीण शिक्षा की खाई और चौड़ी पाट दी। ग्राम में 5000 केन्द्रों पर अनट्रेन्ड टीचर पड़े हुए हैं जिनको खुद पढ़ना नहीं आता। उनकी शिक्षा का स्तर दस क्लास तक इनके लड़के जो शहर में बैठ कर पढ़ते हैं उनको मान्टेसरी पद्धति से पढ़ाया जाता है। मन्त्री जी आपका फैसला बिल्कुल सही है चाहे आप एक हजार ही प्राथमिक शालायें खोलें लेकिन ग्रामीण जो बच्चे पढ़ेंगे वह भी टीचर से पढ़ेंगे। अनट्रेन्ड टीचर से पढ़ाकर आप जो नासूर फैलाना चाहते हो आप ग्रामीण शिक्षा में जिस प्रकार का +++ आप लाना चाहते हो यह पंचायत केन्द्र बन्द कीजिये और हमारे बच्चों को भी ट्रेन्ड टीचर्स से पढ़वाइये। ऐसा नहीं हो कि इनके बच्चे मान्टेसरी पद्धति से पढ़ें और हमारे बच्चे दस क्लास पास वाले से पढ़ें। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं चाहे आप एक हजार ही स्कूल खोलें लेकिन वह ट्रेन्ड खोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जहां ट्रेन्ड होंगे

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

वहां प्राथमिकता के आधार पर ट्रेन्ड को हो नियुक्ति दी जायेगी। यह समस्या पश्चिमी राजस्थान की थी। पूर्वी राजस्थान में ट्रेन्ड टीचर्स उपलब्ध थे। जो धौलपुर में टीचर्स लगाये गये हैं वह सबके सब ट्रेन्ड टीचर्स लगाये गये थे शिक्षा कर्मी योजना के तहत। बहुत से जिले पश्चिमी राजस्थान के अन्दर ऐसे हैं जहां पर यू. पी. के लड़के नौकरी करने जा रहे थे ट्रेन्ड टीचर्स वहां नहीं थे....

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सदस्य, आदिवासियों को आप कहां ले जाना चाहते हैं ? आपको अगर मांग करनी है तो आप मांग कीजिये ट्रेन्ड टीचर्स दें आप आदिवासियों का भला नहीं कर रहे हो, बुरा कर रहे हो....

श्री डूंगरराम पंवार : आप बने बैठे हैं बृजवासी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यदि ट्रेन्ड अध्यापक लग जायेंगे तो इनके जो लूले-लंगड़े, गौशाला से छूटे हुए हैं तो उनका क्या होगा ? सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है आपके लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें....

एक माननीय सदस्य : शिक्षा केन्द्र तो चलेंगे।

डा. हरिसिंह : (फुलेरा) : माननीय सभापति जी, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह राजस्थान की जनता की साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते है ? बेहतर बात तो यह होती कि शिक्षा केन्द्र अगर खोल दिये तो यह ज्यादा प्रोग्रेसिव है तो उन शिक्षा केन्द्रों को प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं बदल दिया, यह काम क्यों नहीं किया ? दूसरी सबसे बड़ी बात मैं सारे सदन को कहना चाहता हूं कि एक काम जो गलत हुआ हैं; एन्टी प्रोग्रेसिव हुआ हैं तो उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। शिक्षा केन्द्र बन्द हो गये हैं, तालिया बजा रहे हैं। कल को अस्पताल बन्द कर देंगे तो तालियां बजायेंगे। आफटर आल हम सब जिम्मेदार आदमी हैं। किस बात पर तालियाँ बजानी चाहिये, इधर के सदस्य कह रहे थे इसलिए तालियां बजा दें कल कोई मर्डर हो जायेगा तो तालियां बजा देंगें, कल कोई चोरी हो जायेगी तो तालियां बजा देगें (व्यवधान) एक मिनट मैं मुख्य मन्त्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे, मुख्य मन्त्री जी सदन के नेता हैं। तो मुख्य मन्त्री जी इस बात का जवाब दें कि क्या अगर वह सोचते हैं कि कांग्रेस ने गलत काम किया है तो उचित स्कूल खुले हैं, जहाँ उचित जगह होनी चाहिये उनको प्राइमरी स्कूलों में क्यों नहीं बदलते ? प्रोग्रेसिव आउटलुक रखिये लेकिन इन्होंने तो बन्द करने का फैसला ले लिया....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : यही तो कहा है इन्होंने।

डा. हरिसिंह : यह सैक्रेट्रियेट के ताला लगवा दीजिये आपकी जैसी भावना है आप तो जैसा काम कर रहे हैं इस सचिवालय के लिए ताला लगवा दीजिये तब जाकर कल्याण होगा।

श्री सभापति : माननीय रामसिंह जी (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय डाक्टर साहब के विचार कई देर से सुन रहा हूं। करीब 6 बार तो आप खड़े हुए हैं और आप मुख्य मन्त्री से सवाल पूछ रहे हैं। आप ईमानदारी से सोचिये कि 40 साल तक तो राजस्थान यों ही था। आपने जिस नीयत से जो शिक्षा केन्द्र.... (व्यवधान) आप सुनिये, आप धैर्य रखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इनको नाराजगी जरूर होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, ये 22 तारीख का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामन्त्री श्री घनश्याम जी तिवाड़ी का स्टेटमेन्ट है।

श्री सभापति : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, 40 साल तक राजस्थान को चलाने की व्यवस्था आपके हाथ में रही है और 40 साल बाद इन्होंने जिस नीयत से शिक्षा संस्थायें, प्राइमरी स्कूल खोली हैं। इनकी नीयत साफ नहीं थी। चाहे आप कितने ही कर दो। आपके विचार को पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण साथ नहीं थे, आप गरीबों का नाम ले रहे हो। वे जानते हैं कि सारी साल तक आपने.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सारी वाहवाही तो आप ले रहे हो।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लोग जानते हैं कि आपकी बात तो +++ सारा काम करके अब आप ऊपर चढ़ना चाहते हो तो मर्जी आपकी।

श्री सभापति : माननीय रामसिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : स्कूल 1988-89 में खुले, उस साल इलेक्शन के दो साल बाकी थे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 5 साल तक क्या किया आपने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कौनसी बात कर रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अगर आपकी नीयत साफ होती तो 5 साल तक कुछ करते। 5 साल तक स्कूल भी नहीं खोले। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आपस में नहीं उलझें जो-जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं, माननीय मन्त्री जी, उनका उत्तर दे देंगे। माननीय रामसिंह जी। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 5 साल तक क्या किया आपने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपस में सवाल-जवाब नहीं करें।

श्री डूंगरराम पंवार : कर्म खुले थे जैसे किये थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामसिंह जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि जिन गांवों के अन्दर स्कूल भवन बने हुए हैं और बच्चों की संख्या भी पर्याप्त है, फिर उन स्कूलों को, शिक्षा केन्द्रों को बन्द करने का क्या औचित्य था, यह रिपोर्ट तो 4-5-10 दिन में यों ही मंगा सकते थे। आपके पास में आपका विकास अधिकारी है, आपके पास बड़े-बड़े अधिकार क्षेत्र हैं। आप मंगा सकते थे फिर ख्वामख्वाह शिक्षा केन्द्रों को बन्द करने का आपका क्या औचित्य था ? अब आपके पास में पूरे अधिकारी हैं। स्कूल जब पिछले 6 महीने से चल रहे थे और जांच आप कर लेते पहले, आप मालूम कर लेते पहले कि जो शिक्षा केन्द्र हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहां स्कूल भवन है या नहीं है, 25-30 बच्चे वहां पर है या नहीं है। यह सब जानकारी करने के बाद अगर आप कोई कदम उठाते तो अच्छी बात थी वरना आपने यों ही एक साथ ही बिना सोचे-समझे आपने जो किया है, जो स्टेप उठाया है....

श्री हरलालसिंह खर्रा : हम पूर्व शासन के पाप को धोना नहीं चाहते थे। स्पष्ट बन्द करके जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, उसमें खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, ये मन्त्री महोदय....

श्री सभापति : हां आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, सारे प्रश्नों के जवाब हो गये; अब कितना लम्बा चलाओगे। मन्त्री महोदय सारे प्रश्न (व्यवधान)।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। (व्यवधान) आप अपना प्रश्न करिये ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, जब बीच में 50 आदमी बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा।

श्री सभापति : हां आप बोलिये। सब शान्त है।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यह जो जोधपुर संभाग है, यहां पर 20-20, 30-30 किलोमीटर में एक-एक गांव बसा हुआ है और एक-एक गांव में दस-दस हजार की आबादी है। ढाणियों के अन्दर लोग बसे हुए हैं और वहां पर ट्रेन्ड अध्यापक मिलते नहीं है और जो दूर-दराज के यू. पी. साइड के दूसरे जो पूर्वी राजस्थान के ट्रेन्ड अध्यापक हैं वो वहां पर जाते नहीं थे। इन सब परिस्थितियों को देख करके, गांव की सरपंच की जानकारी में ला करके प्रधान पंचायत समिति और सरपंच को विश्वास में लेकर के इस तरह की व्यवस्था की गयी थी ताकि गांव के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री रामसिंह बिश्नोई : दूसरी-तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं, उनको ये फैसीलिटी देने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। आपने गांव के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप इस पर वापिस पुनर्विचार करें और आपने जो समिति बनाई है यह वाकई में कम से कम 20 दिनों के पहले यह घोषणा समिति बनाने की थी। अभी तक वह न तो पंचायत समिति के अन्दर, न जिला परिषद् के अन्दर और न कलक्टर आफिस में कहीं से भी किसी तरह की सूचना नहीं है। आपने जो समिति का गठन किया है। आप यह रद्द करने से पहले, समिति का गठन करने से पहले, जानकारी कर लेते, पहले आप इसकी इन्क्वायरी कर लेते तो यह बेहतर होता।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं ? चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : जवाब दीजिये। मन्त्री जी जवाब दीजिये। मुख्य मन्त्री जी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ ये आदेश नहीं चलेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये +++ आदेश हैं जो राजस्थान के बच्चों के साथ खिलवाड़ हैं। ऐसे +++ नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान में 500 विद्यालय बन्द करके सरकार ने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री जी खड़े होकर....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, शिक्षा की हत्या हो रही है।

डा. हरिसिंह : ग्रामीणों के साथ उपेक्षा बरती जा रही है। ग्रामीणों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) +++ नहीं चलेगी। गरीब जनता के साथ धोखा है, धोखाधड़ी है। बेरोजगार व्यक्तियों के साथ धोखा है। (व्यवधान)

+++ शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(170)

श्री सम्पत सिंह (नगर) । सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

डा. हरिसिंह : आप एरिये में जाकर निरीक्षण करो । उसमें अगर बच्चा नहीं है, भवन ही नहीं है उसको बन्द करो । अगर बच्चे है, भवन है तो उसको आप चालू करो । यही हमारा कहना है । (व्यवधान)

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर । सम्पत सिंह जी बोलिये । व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सम्पत सिंह जी ।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मन्त्री जी जवाब दें । मन्त्री जी ने ब्यौरेवार सदन में जैसा सभी सदस्यों ने सुना है....(व्यवधान) एक मिनट । मैं बता रहा हूं । Let me speak, आप इतने बेताब क्यों होते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य ।....

श्री सम्पत सिंह : Let me explain my position.

श्री सभापति : अभी मैंने चर्चा समाप्त कर दी । अभी वेक्यूम है । इसलिए अभी पाइण्ट ऑफ आर्डर का प्रश्न नहीं है । इसलिए कृपया बिराजिये ।

श्री सम्पत सिंह : If you have stopped the discussion, they must also stop their hue & cry.

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें । मैंने चर्चा समाप्त कर दी । (व्यवधान) बोलिये आप क्या कहना चाहते हैं । (व्यवधान) मन्त्री जी ने कहा मैंने उत्तर दे दिया है । आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं । (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : गरीबों के साथ अन्याय है । शिक्षा विरोधी सरकार नहीं चलेगी । गांव विरोधी सरकार नहीं चलेगी । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें । सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : खर्रा साहब गांव के रहने वाले आदमी हैं, उनके कन्धे पर बन्दूक रखी गई है, ट्राईगर भैरोंसिंहजी ने हाथ में रखा है । गांव वाला बदनाम होगा । (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैंने आपके आदेश से अपनी बात कहना ही शुरू की थी, माननीय सदस्यों ने + + + आप मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, राजनीति से प्रेरित होकर सरकार ने यह कदम उठाया । आप कहते हैं स्कूल भवन बनें, गरीब इलाकों में भवन बनायें, कोई एक दिन में भवन बन जायेंगे । जो मालदार गांव हैं, जो मालदार लोग हैं वह तो स्कूल बना देंगे....

एक माननीय सदस्य : स्कूल की संस्थाओं का कांग्रेसीकरण करके कांग्रेसियों को भर दिया । अब उनको बचाने के

(एक माननीय सदस्य)

लिए + + + पता नहीं क्या-क्या + + + रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सरकार की कोई नीति है ? कैसे काम चलेगा, आप बताईये। एक दिन में कोई भवन बन जायेंगे। जहां स्कूल खोल दिया, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम दो लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारी पार्टी इसके ऊपर चुप नहीं बैठी रहेगी। सभापति महोदय, मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा, सरकार को आगाह करना चाहूंगा, लाखों ग्रामीण बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। समय दें, यह बात समझ में आती है कि आप दो वर्ष का, तीन वर्ष का समय दें, उस अवधि में वहां के लोग भवन बनायें अन्यथा स्कूल बन्द कर दिये जायेंगे। यह कोई बात हुई, आपने कह दिया कि स्कूल खुलवा दीजिये, सरकार यह कह कर चल रही है, इस प्रकार किस प्रकार काम चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

एक माननीय सदस्य : यह सामन्तों की सरकार है। पहले जागीदार भी यह चाहते थे कि गांव का एक लड़का नहीं पढ़े। उसी हिसाब से जो जागीरदार चाहते थे.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय राज्य मंत्री ने.... (व्यवधान) अब आप सुनें तो बोलूं, आप डिस्टर्ब करें तो उसकी तैयारी करूं।

माननीय राज्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में सरकार की नीति और कार्यक्रम आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दिये। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बड़े उत्तेजित हैं....

एक माननीय सदस्य : चिन्तित हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्तित हैं। चिन्तित भी हैं और उत्तेजित भी हैं। मैं समझता हूं यह चिन्ता चुनाव के पहले आपको हुई इसकी तो मुझे खुशी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, हमेशा से रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब तो आप कायदे से दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कायदे से दे रहा हूं। कायदा मुझे सीखना नहीं है किसी से। (व्यवधान) आपकी दाब-धौंस में आकर स्कूल खुलने वाले नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : हमको सिखा रहे हैं क्या आप ? हमारी पार्टी की बात है इसलिये नहीं खुलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट सुन लें। कृपया बिराजें। आर्डर प्लीज।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यदि वाकआउट करना है तो शांति से करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप वातावरण बनायें, मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है। आखिर विपक्ष का काम है वाक आउट करने का। (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा, आप वाक आउट की भूमिका बना रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्नसिंहजी, यह नहीं होगा कि आप ही की बात सुनी जाय। हम भी बोलेंगे। आप बहुत कुछ बातें कह गये, जिनका जवाब मुझे देना है। आपने यहां तक कह दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। इसी विधान सभा में आज जो माननीय सभापति हैं, वह जिस समय शिक्षा मंत्री थे,' एक प्रश्न पूछा था किसी माननीय सदस्य ने और उस प्रश्न का उत्तर यह आया था अध्यापकों की कमी कितनी है इस प्रकार का प्रश्न था, उत्तर दिया गया था कि 17 हजार अध्यापकों की कमी है। मैं समझता हूं. जो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 17 हजार अध्यापकों की कमी के साथ यह बात कहे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों म शिक्षा की व्यवस्था करने में बड़े चिन्तित हैं, वह सरकार स्वयं इसमें विचार करे, वह पार्टी अपने आप में विचार करे। अब रहा प्रश्न यह....

डा. हरिसिंह : उस काम को आप कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये। अब रहा प्रश्न यह कि राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। यह मैं भी मानता हूं कि राजस्थान में 24 प्रतिशत लोग साक्षर हैं और राजस्थान हिन्दुस्तान में एक राज्य को छोड़ कर सबसे पीछे है। जितनी चिन्ता आपको है उतनी चिन्ता हमको भी है। इस चिन्ता की दृष्टि से हमने सीडा से इस संबंध में बात की है। दो-तीन तारीख को उदयपुर में वहां के अधिकारी भी आ रहे हैं, राजस्थान के अधिकारी भी जा रहे हैं। किस प्रकार से राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाय जिसके कारण यह प्रतिशत बढ़ सके, इसकी चिन्ता है, हम भी बात कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : शिक्षा का क्षेत्र बंद करने से बढ़ेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं। अब रहा स्कूल बंद करने का प्रश्न। यह सदन एक बात का फैसला कर ले कि बच्चों को केवल साक्षर करना है या बच्चों को पढ़ाना है। हमारी नीयत बच्चों को पढ़ाना है और आपकी नीयत बच्चों को केवल साक्षर करके गांवों में छोड़ देने की। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये, डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, उत्तेजित मत होओ। आपको हमने बहुत सुना है और अब आपको सुनने का थोड़ा बहुत साहस होना चाहिये, धैर्य होना चाहिये।

अब आप केवल बच्चों को साक्षर करना चाहते हैं और हमारी सरकार बच्चों को शिक्षित करना चाहती है। बहुत अन्तर है आप में और हमारे में। बहुत अन्तर है। इस अन्तर को पाटने के लिये हमने व्यवस्था की है कि पूर्व सरकार ने जो बच्चों को साक्षर बनाने की योजना बनायी उस योजना में सुधार किया जाय और बच्चों को शिक्षित किये जाने की योजना बनाई जाय। इसलिये शिक्षित किये जाने की योजना है। अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साक्षर बनाने की आपकी योजना में यदि हमने परिवर्तन किया, कुछ क्षेत्रों में बन्द किये और सुधार कर दिया तो ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्ता करने वाले व्यक्ति को चिन्ता होनी ही नहीं चाहिये।

(3.55 म.प)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूं, उनको तो चिन्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन राजनैतिक आधार पर आप यदि गांवों में यह प्रचार करेंगे डाक्टर साहब, आप जितने गांवों में रहते हैं उतना गांवों से हमारा भी सम्बन्ध है, तो गांव वाले भी जानते हैं कि इस प्रकार के शिक्षा केन्द्र किस आधार पर खोले गये, कैसे खोले गये। तो उसमें सुधार करने की ही तो व्यवस्था है। अगर सुधार उसमें कर दिया जाय तो आपको आपत्ति क्या है? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्हें तो सज्ञान और साक्षर में अन्तर ही मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिये, आपको जाना है चले जाइये, सुनेंगे एक मिनट नहीं। आपको वाक आउट करना है कर दीजिये, कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन इस ग्रामीण जनता के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, ग्रामीणों ने चुनाव में बदला निकाल लिया और आगे भी बदला निकाल लेंगे। सिवाय धोखा करने के आपने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कुछ नहीं किया। कह दिया कि अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाय। अध्यापक कितने पढ़ा रहे थे, यह राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है। किस प्रकार के शिक्षक नियुक्त करने की आप की नीयत थी, किस प्रकार के शिक्षक नियुक्त किये और उन शिक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं हो उसकी व्यवस्था की ताकि वह शिक्षक चुनाव में कांग्रेस पार्टी का झण्डा लेकर प्रचार करें, हमने उनको हटाया और हटाना वाजिब था और हटा दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन लड़कों को साक्षर करने के लिये क्लास एक से पांच तक के स्कूल जो खोले गये वह साक्षर करने के लिये खोले गये। मेरा आरोप यह है कि केवल वह कांग्रेस का झण्डा लेकर घूमने की बात कही....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुनिये। इन स्कूलों को प्राइमरी स्कूल में बना दीजिये। अगर गांवों से आपको स्नेह है तो इन सबको प्राइमरी स्कूल खोल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सदस्य को ग्रामीण शिक्षा की चिन्ता नहीं है। चिन्ता यह है कि ट्रेंड वर्कर हटा दिये जायं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट पर बहुत चर्चा हो चुकी जो कुछ आपको कहना था, आपने कह दिया। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी इस पर आगे अब चर्चा नहीं चलेगी। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990, प्रभारी मंत्री।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य विधान सभा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने

(श्री अध्यक्ष)

का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है कि, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया गया है। मैंने जनमत जानने के लिए इस विधेयक को परिचारित करने को कहा था उस समय हम वाकआउट कर गये थे। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि इसमें जो 10 रुपया फीस निर्धारित की गई है वह मैं समझता हूं जन साधारण के लिए बहुत ज्यादा है। यह फीस एक रुपया करनी चाहिए और जो सरकारी दावे हैं उनमें भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई वाद दाखिल किया जाय तो उसमें भी फीस समान की जानी चाहिए। वैसे यह स्टाम्प ड्यूटी जो पहले मूल्य के आधार पर लगती थी, यदि कोई व्यक्ति 1 लाख का, 50-60 हजार का दावा करता था तो उसमें दावों के मूल्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती थी। जब हम इसको समान दरों के रूप में करने जा रहे हैं तो यह राशि बहुत अधिक है, जन साधारण की पहुंच के बाहर है। हर व्यक्ति जो पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त, पीड़ित, परेशान है वह यदि 10 रुपये अपनी जेब से देकर वाद लड़े तो मैं समझता हूं कि संवेदनशील सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा इसलिए इस फीस को एक रुपया करके जन साधारण के लिए जो परेशानीग्रस्त हैं उनको कम से कम स्टाम्प ड्यूटी लेकर अपना वाद दायर अमेंडिंग करने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अमेंडिंग बिल पर एक अमेण्डमेंट दिया था उसमें मैंने यह सजेस्ट किया था कि मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो फेडल एक्सीडेंट्स में 10 रुपये रखा है। मेरा अमेण्डमेंट यह था कि स्टेट के खिलाफ अनेक प्रकार के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दावे लोगों को करने पड़ते हैं और उनमें कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अमेण्डमेंट की स्टेज तो निकल गई। अब आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूं। मैंने जो अमेण्डमेंट दिया था वह वाजिब था, उसका प्रोसीजर यह है चूंकि स्टेट रेवेन्यु कम होती है। मेरा सजेशन यह था स्टेट के खिलाफ बाकी जो दावे होते हैं वह दस रुपये के ऊपर प्रावधान किया जाए कि दावे कर सकते हैं। चूंकि स्टेट एक्स चैकर को लोस होता है रेवेन्यु का तो गवर्नर से कनसेंट लेनी जरूरी थी वह समय मेरे पास नहीं था लेकिन मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अनेक प्रकार के दावे लोगों को करने पड़ते हैं सरकार के खिलाफ और यह प्रश्न भी आएगा कि इससे स्टेट रेवन्यु को बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब इस सरकार ने यह सहानुभूति दिखाते हुए गरीब लोगों के लिए फेटल एक्सीडेंट्स क्लेम पर 10 रुपये फीस रखी है तो उसके अन्दर क्लासिफिकेशन करना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन किसी किसी का असत्य मुकदमा बन जाय और बाद में उसका एक्विटल हो गया डेमेजेज का सूट फाइल करे। किसी गरीब आदमी को नाजायज परेशान किया। अब उस डेमेजेज के वेल्युएशन के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। यह भी मैं मानता हूं कि लिटिगेशन की मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए कोई रेशनल का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है और आने वाले सत्र में कम से कम इस प्रकार का वर्गीकरण करके वह लोग जो वाकई में सरकार के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से पीड़ित हों, उनके गलत एक्शन या कार्यवाही से और कोई एक्शन लें तो उसमें उनको 10 रुपये मूल्य पर वाद प्रस्तुत कर सके और बाकी लोगों को कोर्ट में एडिक्वेट फीस है उसका पेमेन्ट करना पड़े इस प्रकार का मेरा सुझाव राज्य सरकार को है इस प्रकार का अमेंडमेंट लेकर नेक्स्ट सदन में आए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मूल्यानुसार तय करने की बात से लोगों को सुविधा देने के लिए 10 रुपये इन्होंने किया है लेकिन मेरी राय है कि जो मनी सूट्स हैं उन पर 75% पचास हजार तक उसके बाद 50 से 20 हजार तक 50-60% लगते थे और उसी तरह से बढ़ते जाते थे उससे हट कर सुविधा देने के लिए जो 10 रुपये तय किये गये हैं, मैं आपको बधाई देना चाहती हूं पर मेरा एक सुझाव था कि जब संवेदनशील विषय पर 10 रुपये कर रहे हैं इसको टोकन मनी एक रुपया भी कर सकते थे इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ भी नहीं लेते तो और भी अच्छा रहता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ नहीं तो हो नहीं सकता इसलिए एक रुपया रखने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का मेरा सुझाव था जैसा अभी माननीय सुरेन्द्र जी ने कहा कि किसी भी सूट पर 10 रुपया किया जाय तो उससे तो सरकार को बहुत नुकसान होगा कोई भी आदमी ट्रांसफर किये जाने पर कष्ट पाने के हिसाब 10 रुपया देकर के करेगा तो सरकार पर हजारों मुकदमें इस तरह से लग जायेंगे। वह तो उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर कहीं इस पर एक रुपया किया जा सकता है तो इसको एक रुपया करने का कष्ट करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय पहले फेडल एक्सीडेंट्स क्लेम जो पेश किये जाते थे 1855 के एक्ट के तहत उनमें एडवेलोरम फीस हमको देनी पड़ती थी 100 रुपये पर साढ़े सात रुपये, एक हजार पर 75 रुपये, पांच हजार पर 315 और एक लाख के बाद पर 5065 और पांच लाख के बाद पर 25,065 रुपये कोर्ट फीस के अदा करने पड़ते थे। हमारी सरकार निःसंदेह संवेदनशील है और उसी के नाते एक गरीब व्यक्ति जो वाद नहीं ला सकता, जिसका सब कुछ उजड़ गया हो, जो अपने बच्चों को पालता-पालता मारा गया और एक्सीडेंट में मारा गया या और किसी प्रकार से किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, तो उसके बच्चों को वाद लाने का अधिकार इससे प्राप्त हो गया और दस रुपये की कोर्ट की स्टाम्प पर वह पांच लाख तक, पचास लाख रुपये तक का दावा ला सकता है। इससे ज्यादा हमारी उपलब्धि क्या होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990, पारित किया गया।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधित) विधेयक, 1990, प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 1990 जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने के सम्बन्ध में मेरा एक प्रस्ताव है। दरअसल इस संशोधन विधेयक में इन्होंने 1990 के दौरान नगरपालिकाओं, बोर्डों या नगर परिषदों के निर्वाचन कराने के प्रयोजनार्थ निर्वाचक नामावली वही होगी जो फरवरी, 1990 में हुये विधान सभा निर्वाचन के लिए थी....।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव तो

(श्री अध्यक्ष)

रखें पहले। उन्हीं शब्दों में रखिए, जिन शब्दों में आपने प्रस्ताव भेजा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, उससे पहले बोलने के बाद....।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव रखिए, उसके बाद बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।" परम्परा यह रही है कि इसको पढ़ा हुआ ही मान लिया जाता है....।

श्री रामकिशन शर्मा : आपने तो इनकी इमेज ही खराब कर दी, पूर्व मंत्री रहे है....।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह माननीय पंडित जी आपको भ्रम है....।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप कर रहे है, मैंने नहीं की है। मैंने तो जो प्रक्रिया है, उसकी तरफ ध्यान दिलवाया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो परम्परा यह रही है कि इसको प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपका इरादा साफ है कि नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होने चाहिए। एक महीने के लिए परिचालित किया जाये, इसका अर्थ यह है कि एक महीने तक चुनाव नहीं हो। बतलाओ रास्ता कौनसा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम तो रोज कहते है....। नहीं हमारा तो कोई प्रस्ताव नहीं है....। आपने जुलाई के अन्त में चुनाव करवाने की घोषणा की, आपने क्यों पोस्टपोण्ड किया ? हम तो चाहते है कि समय पर चुनाव हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह जो एक महीने के लिए परिचालित करेंगे तो समय पर कैसे होंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके बारे में में बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों में जो वार्डों का परिसीमन हुआ है, उसमें घोर धांधली हुई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, मुझे चुनाव विभाग के माननीय मन्त्री जी ने, मेरे 295 के मसले पर जो जवाब दिया उसके अनुसार बीकानेर नगर परिषद् में 36 से ज्यादा आपत्तियां हुई और कांग्रेस पार्टी ही नहीं अनेक राजनैतिक पार्टियों ने इसके लिए आपत्तियां दी, उसके बावजूद एक भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। न तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और न राज्य स्तर पर। इसमें निश्चित रूप से राजनैतिक तौर पर कार्यवाही की गई। किशनगढ़, मालपुरा, जोधपुर, जयपुर–इन सारे स्थानों पर राज्य सरकार ने और सम्बन्धित जिलाधीश ने राजनैतिक प्रभाव में आकर जो वार्डों का परीसीमन किया गया था, उन वार्डों के परीसीमन के प्रारम्भिक स्वरूप को ही समाप्त कर दिया और बिल्कुल प्रतिस्थापन्न कर नये रूप में वार्डों का गठन कर दिया। जब कि बीकानेर में जो जायज आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को भी इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसी की ऐसी स्थिति मालपुरा में भी, जोधपुर में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

और अन्य स्थानों पर जहां कांग्रेस के लोगों ने और भी अन्य राजनैतिक दलों ने जो आपत्तियां दी थी, उन आपत्तियों को इन्होंने नहीं माना। इसी तरह से यह जो विधेयक इन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और साथ ही साथ यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो निर्वाचन नामावली विधान सभा के चुनाव में बन कर तैयार हो गई थी, उसी को हमको आधार मानकर उसके अनुसार ही चुनाव कराना चाहिए। नहीं तो नतीजा यह होगा कि अब जो भी निर्वाचन नामावली बन रही है या जिसमें संशोधन किया जा रहा है, उसमें माननीय मन्त्री जी और सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने प्रभाव से निर्वाचक नामावली में परिवर्तन करेंगे, नये नाम जुड़वायेंगे और अपने पद का और सत्ता का भी दुरुपयोग कर के इस नगर परिषद् के चुनाव में, जो स्वायत्तशासी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उस ऑटोनोमस बॉडी की कार्य प्रणाली में कमी.....

श्री भंवरलाल शर्मा : (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ऐसी कोई + + + नहीं होगी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों की चर्चा हो रही है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज नगर परिषदों की क्या स्थिति है ? नगर परिषदों में सफाई समय पर नहीं होती। नगर परिषदों में सड़कों और नालियों का निर्माण समय पर नहीं होता। मुझे क्या कहना है माननीय मन्त्री जी उत्तर दे देंगे.... । (व्यवधान)

श्री बन्शीलाल पटवा : ये सब विरासत में मिले हैं.... ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नगर परिषदों को मनोरंजन कर दिया जा रहा था, वह मनोरंजन कर आज बिक्री कर के रूप में वसूल करके राज्य सरकार के खजाने से जमा होता है। आज नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की स्थिति क्या है ? कोई भी नगर पालिका ऐसी नहीं है जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर चुका सके। नगर परिषदों से....(व्यवधान)

श्री रामकिशन शर्मा : ये बोल सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इनको बोलने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कह रहा था कि आज नगर पालिकाओं में तनख्वाहे चुकाने के लिए पैसा नहीं है। नगर पालिकाओं की आर्थिक तौर पर इतनी दयनीय हालत है कि राज्य सरकार से कई बार अनुदान देकर, विशेष अनुदान देकर, विशेष ग्रान्ट देकर, उन नगर पालिकाओं को चलाया.... ।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

मुझे बोलने दीजिये ना।

श्री अध्यक्ष : और भी बोलने वाले हैं इसलिए मैं अनलिमिटेड टाइम तो आपको नहीं दे सकता।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी तो भूमिका ही तैयार नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, दो मिनट दे दूंगा। अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकता।

श्री महावीरप्रसाद जैन : कोई मतलब की बात बोलो तो टाइम भी दे दें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो क्या मैं कोई यू. आई. टी. पर बोल रहा हूं। नगर पालिका पर ही तो बोल रहा हूं आपको रिलेवेन्ट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा आपको ? ठकुर सुहाती की बात तो आपकी तरह करूंगा नहीं मैं। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवधान, कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय श्री महावीर जी, कृपया शांति रखिये। अब आप बिजनस को शांति से चलाए। इंटरप्ट मत करिये। बड़े लम्बे चौड़े बिल हैं बहुत समय लगेगा, इसलिए आप शांति से सुनिये।

श्री बुलाकीदास दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आज नगर पालिकाओं की जो स्थिति मैंने आपको बताई, इससे लगता है कि नगर पालिकाएं और नगर परिषदें प्रकाश व्यवस्था का, सफाई का काम, नाली निर्माण का काम, सड़क निर्माण का काम इनको करने में बिलकुल असक्षम है। इसलिए इनके वित्तीय साधनों को दिलाने के लिए उपयुक्त व्यापक प्रबन्धकीय कार्यों की आवश्यकता है। जब तक फाइनेन्सियल रिसोर्स नहीं जुटायेंगे, जब तक नगर पालिकाओं को वित्तीय साधन नहीं देंगे तब तक नगर पालिकायें कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होगी। आप माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी, जयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत रहते हैं। आज जयपुर में मिश्र राजाजी का रास्ता, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, ऐसे अनेक मोहल्ले गिनाए जा सकते हैं, जो सड़ रहे हैं। वहां पर कोई भी तरह की देखभाल नहीं हो रही है और यही हालत बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बून्दी, चित्तौड़, झालावाड़ सभी स्थानों की है। जहां पर नगर पालिकायें सफाई की व्यवस्था समय पर नहीं करा पाती और जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, वे कर्मचारी भी जो बीस वर्ष पुरानी जनसंख्या थी, उसी के आधार पर वहां पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को जब तक हम बढ़ायेंगे नहीं, तब तक नई बस्तियों में सफाई कर्मचारियों को लगायेंगे नहीं, तब तक नगर सड़ते रहेंगें। नगरों की सफाई व्यवस्था माकूल नहीं होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इसके वित्तीय प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दें और मनोरजन कर जो आपने बिक्री कर के रूप में वसूल करना शुरू किया है और नगर परिषदों को जिन्हें पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है उस हिस्से को देने के लिए माकूल प्रबन्ध करना चाहिये। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, ताकि इसमें पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध के लिए और जो प्रावधान आपने किये हैं, उन प्रावधानों में भी समुचित सुधार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा, आप बोलेंगी ? हां, बोलिये। आप बिराजें, क्या बोल रहे हैं, आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, नगर पालिकाओं के चुनावों के बारे में यहां पर उन्हीं पुरानी नामावलियों जो 1 80 के विधान सभा चुनावों की थी, उन पर यह संशोधन बिल लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि चुनाव हो तो उस समय जो भी 18 साल के युवक-युवतियां हैं, उनके नामों को जोड़े जाने के लिए आप गजट में निकालें, विज्ञप्तियां निकालें और उनको भी वोट का अवसर दिए जाने के लिए आप तैयारी करेंगे, यही मेरा निवेदन है। मैं तो यह सोच रही थी कि यह जो बड़े नगर हैं राजस्थान के, उनके लिए आप नगर निगम का संशोधन लाने वाले हैं, लेकिन मुझे खेद है कि राजस्थान में एक भी स्थान पर किसी भी बड़े नगर में, राजधानी में भी नगर निगम नहीं है और जहां तक मेरा ध्यान है माननीय मन्त्री महोदय, खुद भी जयपुर में नगर निगम की मांग के लिए यहां पर बात करते थे....। मुझे आशा है कि इस सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज नहीं तो कल निकट भविष्य में ही आप नगर निगम के बारे में बात करेंगे। अपने उत्तर में आप बतायेंगे कि आपने इस विषय को क्यों छोड़ दिया ? मेरा निवेदन यह है, हमारे जयपुर के बारे में अभी कल्ला साहब बोल रहे थे, मुझे खेद है कि पिछली सरकार ने जयपुर और अन्य नगर पालिकाओं को पैसा देने में इस तरह से पंगु रखा है कि वह अपनी गतिविधियों में असक्षम रही। जयपुर में जहां एक करोड़ की तनख्वाह का बजट है, वहां के प्रशासक को एक लाख से अधिक कुछ काम करने की पावर नहीं है। वह डी एल बी. में भेजेंगे जहां मामला अटक जायेगा और गई वर्षों की। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कोई सड़क बनाने का मामला, आज एक लाख रुपये से भी ज्यादा में एक किलोमीटर सड़क बनती है, जयपुर नगर की या अन्य नगरों की भी। मैं तो यहां की बात करना चाहूंगी कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी है, सड़कों पर खड्डे हैं, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मन्त्री महोदय, आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि वह सक्षम हो सके। इनको पैसा देने की बात है। महंगाई बढ़ गई, पिछली सरकार ने पैसे नहीं बढ़ाये, पर हैड दस रुपये से आपको इसको बढ़ाना चाहिए। अब यह कितना करेंगे, आप इसको दिखवा लें। लेकिन मेरी यह राय है कि जिस तरह से हमने न्यूनतम वेतन में पैसा बढ़ाया उस तरह से पर हैड यहां पर भी पैसा बढ़ाना चाहिए। हर चीज महगी हो गई। किसी जमाने में यहां सात सिनेमा थे उनका कूटा गया पैसा, वह भी नगर परिषद् को आप नहीं देते हो, उसका हिस्सा, पिछली सरकार ने नहीं दिया, आप तो खैर अब आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां 13 से भी ज्यादा पिक्चर हाल बढ़ गए। पिक्चर हॉल तो बढ़ गए जो बढ़ गए, उनकी जमीनें, वह विषय अलग है लेकिन मैं कहना चाहूंगी, जैसे अम्बर सिनेमा टूट गया, उसकी जमीन के यूज का मेटर था यह चेंज नहीं हुआ और वहां पर शापिंग सेण्टर बना रहे हैं। ऐसे सारे नियम लोगों ने ताक पर रख दिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर कुछ बोर्ड लगते थे लम्बे-लम्बे उनके फुट पर फुट का रेवेन्यू का लोस हो रहा है। इन बातों पर कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपना एक छोटा सा घर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बनाये, झोंपड़ी बनाए तो उसकी नाली बनाई जाती है, कोई कूड़ा डालने की जगह निश्चित कर दी जाती है। जयपुर की नगर परिषद्, राजस्थान की नगर परिषद् में कहीं कूड़ा डालने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले गोपालपुरा बाईपास पर आपने जगह तय करी और यह तय किया कि दो वर्ष तक तो बिना पैसा लिए कूड़ा डालेंगे और बाद में दो रुपये टन के हिसाब से पैसा वसूल करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दस साल से एक पैसा एग्रो इण्डस्ट्रीज ने आपको नहीं दिया....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एकमिनट साहब, कूड़ा वहां डालना बन्द कर दिया क्योंकि वहां पर मानसरोवर में बड़ेलोगों के मकान बन गए और आपने पिछले दिनों जामडोली में कूड़ा डालना शुरू करवाया। किस लिए करवाया ? इसलिए कि वहां पर एक तरफ कोने में पडा रहेगा लेकिन वहां पर कुष्ठ आश्रम था, हमने उसके लिए मना किया और अब आपने मेरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में यहां 17 किलोमीटर पर सरे आम कूड़ा डलवाना शुरू कर दिया। मैं नहीं समझती, यह लोग पैसा कमाते हैं. तीन योजनायें दिल्ली में बनी हैं–एक प्रोजेक्ट से गैस बनाई जा रही है, दूसरे से बिजली उत्पादित की जा रही है और तीसरी से कम्पोस्ट प्लांट बनाया जा रहा है। ऐसी योजना राजस्थान और जयपुर में क्यों नहीं बन सकती कि हम उस कूड़े से पैसा पैदा कर लें और लोगों को तकलीफ न हो ? आप इस सारे मामले को देखें कि राजधानी तक में केवल उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें, सारे दक्षिण, पूर्व- पश्चिम में पिछली सरकार ने सीवरेज लाईन नहीं डलवाई....

श्री अध्यक्ष : मिनटें समाप्त हो गई आपकी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका तो समय नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं होता, समय तो जिन्दगी का भी होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खैर, मुझे मेरी बात कह लेने दें, मैं बैठ जाऊंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 14 करोड़ की योजना बनी कि सीवरेज लाइन डाल दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य करेंगे कि सिविल लाइन्स में सीवरेज लाईन नहीं है, सौ फीट बने हुए हैं और इस तरह से सारे शहर का पानी जल प्रदाय योजनाओं में लग कर के प्रदूषण फैला रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ख्याल नहीं और वह विश्व बैंक की सहायता से यहा पर पूरे में लग सकती थी, अन्य शहरों में भी लग सकती थीं। यह सब मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि नगर परिषद, नगर पालिकाओं के क्या फंक्शन्स रहेंगे, उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिये। इन सारे फंक्शन्स को करने के लिए कुछ अधिकार, कुछ पैसा और मिलना चाहिए। तब तो यह कुछ तय हो सकता है अन्यथा यह सारा मामला यों ही पड़ा रहेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास हो गया आपका निवेदन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एक प्रश्न रखा तो उसके उत्तर में मुझे मालूम पड़ा....

श्री अध्यक्ष : आप अब समाप्त करें, हो गया आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बैठती हूं मैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 200 व्यक्ति जिसमें कोई चपरासी है, कोई फोर्थ क्लास है उससे कनिष्ठ लिपिक की आप सेवाएं ले रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों ? उनको आपने दूसरी जगह लगा दिया, उनके पद के अनुसार उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पूछा तो मुझे जवाब मिला....

श्री अध्यक्ष : अब आप पूरा पुराण खोलेंगी तो नगरपालिका बहुत लम्बी-चौड़ी है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो दूसरा बिल भी है, मैं बाकी रहे विषयों पर बोलूंगी....

श्री अध्यक्ष : हां, तो जितना बोल लिया, बहुत है। बड़ी-बड़ी नीतियों की बात बता दी, अब आप तो स्टाफ पर आ गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी कि भ्रष्ट अधिकारियों को लगाने के लिए मना किया गया है लेकिन यहां पर जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जो पकड़े गये चोरी करते हुए, वह लोग यहां पर लगे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन। प्लीज, विराजिये। आप बैठिये। हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर लूंगी....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, अब समाप्त नहीं करना है। फिलहाल बैठिए अब आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर लेती हूं, मैं इस बात को खत्म कर लेती हूं....

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं सुनूंगा। आप विराजिए, प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को आप हटाएं जो....

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, आप इस नियम को भी नहीं जानती ? विराजिए। माननीय सुरेन्द्रजी, बोलिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो भ्रष्ट तरीके से काम कर रहे हैं उनको हटाइए।

श्री अध्यक्ष : फिर आप खड़ी हो गई, आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आशय कतई नहीं है कि छह महीने के लिये चला जाए लेकिन इस अमेन्डिंग बिल के अन्दर कोई अमेन्डमेंट सम्भव नहीं था देना और मुझे इस पर चर्चा उठाना आवश्यक था। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मसला, आज इस बात को लेकर के संशोधन विधेयक सदन के

184

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सामने प्रस्तुत हुआ है, वह नगरपालिकाओं के चुनाव हैं और नगरपालिकाओं के चुनावों को सेक्शन 14, राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम, डी-लिमिटेशन पहली स्टेज है उसको वह कन्ट्रोल करती है। अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ है कि डी-लिमिटेशन का यह सेक्शन रिलेवेन्ट अपने को, मैं आपकी इजाजत से सेक्शन 14 पढ़ता हूं - "The Wards in which each municipality shall be divided for purposes of election to the Board, the extent of these wards and the number of seats, if any, received for the member of Scheduled Castes & Scheduled Tribes, as the case may be, in any ward." इसमें यह बी क्लॉज एड हो गया 18 जनवरी को – "The ward for women candidates by rotation including women of Scheduled Castes & Scheduled Tribes."

सेक्शन 14 का 2 है, अध्यक्ष महोदय, कि "The draft of the order under Section (1) shall be published for filing objections thereto within a period of not less than 21 days and the copy of the same shall be sent to the Board concerned for comments."

सी है अध्यक्ष महोदय - "The State Government shall consider any objection and the comments received under Section (2) and the draft order shall, if necessary, be amended, altered or modified...." अध्यक्ष महोदय, बहुत ध्यान देने योग्य बात है ..

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पाइन्ट आफ ऑर्डर। यह सैकण्ड अमेन्डमेंट बिल के लिए बोल रहे हैं, डिसकस पहला हो रहा है इस समय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहला और दूसरा कॉमन है, डिबेट....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी, बिराजिये आप। वह दूसरा रिलेशन बता रहे हैं। हां, बताइए। पढ़िए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगर यह अमेण्डिंग क्लॉज के हिसाब से बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य आपत्ति उठा रहे हैं तो न इस पर आता है, न उस पर आता है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपत्ति नहीं उठा रहे हैं, वह तो राय दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं वही जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वह उसमें भी नहीं आयेगा, इसमें भी नहीं आयेगा....

एक माननीय सदस्य : बैराठ से आते हैं ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बैराठ से आने वाले।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहिए, आप ठीक बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान देंगे– "The State Gove-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

rnment shall consider any objections and the comments received under Sub Section (2) and the draft order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly, and thereupon it shall become final.

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सब नगर पालिकाओं में जी भर करके अनियमितता और गैर कानूनी काम इस डी-लिमिटेशन के मसले पर हुए हैं। मालपुरा नगरपालिका में ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, ऑब्जेक्शन्स आये, ऑब्जेक्शन्स एज इट इज असेप्ट कर लिये। मैं खुद डिटेल्स में आऊंगा पर पहले एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था और मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में यह बात लाया कि इस प्रकार से ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ....

नये प्रस्ताव ऑब्जेक्शन की शक्ल में पेश किये गये और पूरे के पूरे एज इट इज असेप्ट कर लिये गये। ड्राफ्ट में और फाइनल पब्लिकेशन में कितना फर्क है ? मैंने कहा टोटल फर्क है। जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं और जो पब्लिकेशन हैं, उसके कितना फर्क है ? बिल्कुल नहीं। तो बोले यह गलत है, वह अनुभवी व्यक्ति हैं और इस बात को समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। मैं फाइल मंगाता हूं। फाइल मंगायी या नहीं, यह पता नहीं।

मैं बताता हूं अध्यक्ष महोदय, 19/4 को एक ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ मालपुरा नगरपालिका का। 13 वार्ड थे वहां पर और 16 वार्ड नये बनाये गये। बाकायदा गवर्नमेंट के एप्रेटर्स, गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट के कर्मचारी मेहनत करके ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं। उसके बाद एक आपत्ति प्रस्तुत हुई। मैं आपकी अनुमति से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्य कानून को समझते हैं और इस बात को समझते हैं "आपत्तियां निम्न प्रकार प्रस्तुत है : यह कि मालपुरा म्युनिसिपैलिटी जिला टौंक में पिछले चुनाव जब हुए 13 वार्ड थे, 3 वार्ड और बनाये गये, इस प्रकार 16 वार्ड हैं। यह कि 3 वार्ड जोड़कर 16 वार्ड बनाये गये वह भौगोलिक दृष्टि से सही नहीं बनाये गये और उनमें क्षेत्र का सही विभाजन नहीं किया गया। तथा जिस तरह तीन वार्ड बनाये गये उसमें करीब-करीब सभी वार्डों की स्थिति को गलत तौर पर बदल दिया गया। यह कि पिछले चुनावों के बाद 16 वार्ड बने और 16 वार्ड बनने के बाद यह पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इसलिए इनके बनाने में क्षेत्र विभाजन में त्रुटि की गई है। यह कि नगर पालिका, मालपुरा के जो प्रस्तावित 16 वार्ड हैं, उन की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रकाशित प्रस्तावित वार्डों का विभाजन मौके के अनुरूप न होने से वे सही नहीं हैं। यह कि पुनर्गठन पर 16 वार्ड्स में मौके के अनुरूप क्षेत्र और मतदाताओं का सही समावेश किया जाना चाहिए जिससे वार्ड मौके के अनुसार तथा भौगोलिक दृष्टि से सही बन सकें। यह कि अन्य सभी 16 वार्डों का पुनर्गठन भौगोलिक दृष्टि से किया जाना उचित होगा और जिन एक सदस्यीय वार्डों में मालपुरा म्युनिसिपैलिटी, टौंक जिला बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ विभाजित की जायेगी यह वार्ड सही तौर से इस आपत्ति

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं तथा नक्शा भी संलग्न किया जाता है तथा विधान सभा निर्वाचन नामावली के अनुसार मतदाताओं के पत्र भी संलग्न हैं। प्रवीणचन्द, राजकुमार, प्रेमचन्द, इकबाल अली चार आदमियों के दस्तखत से यह आब्जेक्शन फाइल हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अब यह आब्जेक्शन की परिभाषा है उसके आधार पर यह सदन खुद निर्णय कर ले कि किसी वार्ड का पर्टिक्यूलर आब्जेक्शन नहीं है। इनमें से दो बी जे.पी. के, दो जनता दल के वर्कर्स हैं। प्रवीण चन्द जैन और राजकुमार बी.जे पी. के वर्कर्स हैं और इकबाल अली और प्रेमचन्द जनता दल के हैं। अध्यक्ष महोदय, आपत्ति प्रस्तुत की है मालपुरा नगरपालिका, टोंक इसमें प्रस्तावित वार्डों का विवरण हैं, पर कोई आपत्ति नहीं है कि यह वार्ड क्यों गलत बना है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : भौगोलिक स्थिति बतायी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए महावीर जी यह नहीं चलेगा। यह आपके लेवल की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम टोंक से आने वाले माननीय सदस्य से कह दें कि लेजिस्लेशन बिजनस पर तो पार्टिसिपेट नहीं करें यह इनके समझ में ही नहीं आता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भौगोलिक स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : वह तो मंत्रीजी जवाब दे देंगे। मंत्रीजी नोट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एक-दूसरे को समझते हैं अच्छी तरह से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। अब आप देखिए जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ उसमें वार्ड नं. 1 को छोड़कर वार्ड नम्बर 2 से 16 में, मैं सदन का समय अनावश्यक नहीं लूंगा, पूरे नये वार्ड प्रस्तावित कर दिये। सबसे आश्चर्य की बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि 1 जून को फाइनल पब्लिकेशन होता है और 8 जून को प्रकाशित होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा पूर्व में निवेदन किया फाइल मुख्य मंत्रीजी ने नहीं मंगायी। आप देख लीजिए इसमें "ए टू जेड" फुल स्टाप, कोमा कुछ चेन्ज नहीं किया वो का वो है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया और यह असेप्ट कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर चुका हूं "....shall, if necessary, be amended, altered or modified. अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत महत्वपूर्ण सैंसर मोशन को आपने व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। अब इसमें अमेण्डमेण्ट, अल्ट्रेशन और मोडिफिकेशन की परिभाषा देख लें....

श्री अध्यक्ष : अब आप इतना बोल रहे हैं कि मैं व्यवस्था तो नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था नहीं। मंत्रीजी "To alter, modify, reframe or to....subtract from a motion in Constitution by formal procedure."

श्री महावीर प्रसाद जैन : किताब बहुत मोटी हैं।

श्री अध्यक्ष : डिक्शनरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : डिक्शनरी किताब नहीं होती है, क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो साक्षर हैं, शिक्षित तो हैं नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : "To make difference in some particular or to alter;"

श्री रामनारायण विश्नोई : मुकदमे का यहीं फैसला होगा, क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैसला तो नहीं होगा लेकिन सदन का ध्यान तो आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : एक बात बताइये 'Alteration', whether it should be in piece-meal or it may be altered totally.

श्री सुरेन्द्र व्यास : It cannot be.

श्री अध्यक्ष : Whether the word alter' consist of total alteration or only piece-meal alteration. यह बता दीजिए। जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : No Sir, I beg to submit that a total change, alteration, amendment, modification. इन तीनों की परिभाषा में नहीं आता है। यह बतायें आप....(व्यवधान)। किताब इसलिए लाया हूं कि माननीय प्रभारी मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भी वकील हैं। आप इससे भी ज्यादा किताबें लाइये। मेहनत करिये। यह मेहनत कर रहे हैं। सुनिए आप, प्लीज हियर हिम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेहनत करते तो यह हालत नहीं होती। मेहनत करनी ही पर्याप्त है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप एक तो अपनी जगह जाइए। आप यहां से मत बोलिए। देखिए कुछ डेकोरम कोमेण्टेन करिए हाउस का Do not take it very lightly. देखिए कभी-कभी बात समझ में आती है लेकिन हमेशा नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि अमेण्डमेण्ट, अलट्रेशन, मोडिफिकेशन की, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभारी मन्त्री जी की नॉलेज को चेलेंज नहीं करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरा उनसे 23 वर्षों से परिचय है...

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन से ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप से।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसका सम्बन्ध तो नफीस अहमद से है। यह उनका है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो इलेक्शन के हैं। बिल तो आपका है ना ? आपके बिल पर ही बोल रहा हूं। सदन को यह बात कहकर माननीय भंवरलाल जी गुमराह करना चाहें कि नफीस अहमद से पूछिए। +++ आप प्रभावशाली आदमी हैं। आपको मुख्य मन्त्री ने जिम्मेदारी सौंपी है। आर. एस. एस. के वर्कर्स के कहने से बी.

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जे. पी. के लोगों के कहने से । अध्यक्ष महोदय, एक बात कहता हूं 23 वर्षों से माननीय भंवरलाल जी से मेरा परिचय है, यहां पर मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी रायसर प्लाजा पर जब डिबेट हो रही थी....

श्री अध्यक्ष : अब आप विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विषयान्तर नहीं हो रहा हूं । मैं वही कह रहा हूं । आप थोड़ा सुनने का कष्ट करें मैं कतई अनावश्यक नहीं बोलूंगा । यह कहा कि भंवरलाल जी खरा सोना है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक कदम आगे जाता हूं और यह मानता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार को, बेईमान को, पैसे के लेन-देन को, किसी को नाजायज आर्थिक लाभ पहुंचाने को भ्रष्टाचार मानते हैं तो मैं मानता हूं कि माननीय भंवरलाल जी, सम्भवत: यह आदमी ट्रांसपरेण्ट आनेस्टी का है । यह मैं कह चुका हूं, इसमें कहीं नहीं है । परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि+++अपनी पार्टी के मसले के ऊपर इन्होंने यह काम कराया । यह मालपुरा का प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय । यह सब जगह इन्होंने करवाया है । और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष महोदय, अब मैं फिर एक बात....

श्री अध्यक्ष : वारांगनेय नृप नीति अब राजनीति का स्वरूप ही यही है, उसमें आप क्या करोगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है, राजनीति, देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो असलियत पहचानते हैं, उनकी क्या स्थिति है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा अब समाप्त करिए ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो वैल्यूडेड पोलिटिक्स पर आधारित पार्टी है ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिए । अभी 4–5 और बोलने वाले हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इर्रिलिवेन्ट....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका पाइण्ट ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं पाइण्ट कैसे हो गया, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अनावश्यक बात नहीं कह रहा हूं । सिर्फ इलेक्शन के लिए ही आया है यह बिल, इलेक्शन से बियोण्ड बात नहीं करूंगा मैं । मैं और कोई बात नहीं कहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह....

श्री अध्यक्ष : 20 मिनट हो गए आपको ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं 20 मिनट नहीं....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : ट्वन्टी मिनट्स ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बाई रोटेशन जो है, यह अमेण्डमेण्ट आया है....

श्री अध्यक्ष : वह बताइए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : The wards for women candidates by rotation including women of Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

अब अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक रेशनल तय किया, वह मानते हैं. जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन का काम हुआ तो तय किया कि वार्ड नम्बर 3 से 9, 12, 16 यानि जहां 30 -35 वार्ड थे, एक रेशनल यूनिफोर्मली राजस्थान के लिए तय कर लिया, आज इन्होंने जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं सही बात यह है कि जो इनके आर. एस. एस. के वर्कर्स ने बैठकर कहा वह भंवरलाल जी ने निर्वाचन आयुक्त को कहा और इन्होंने वार्ड चेन्ज कर दिया और वह नम्बर लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे डी-लिमिटेशन से कोई खतरा नहीं हो रहा है, मैं व्यक्तिगत अपनी कोई व्यथा गाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालपुरा....

श्री कालीचरण सराफ : अब के तो नहीं हुआ, जब आपकी सरकार थी तब ऐसा होता था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय लम्बा कर रहे हैं। आप इनको बोलने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं वह शब्द प्रयोग में नहीं लेना चाहता हूं, जिसको आपको एक्सपंज करना पड़े। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि कांग्रेस के लोग गलती भी करते थे, तो अक्ल से करते थे। यह तो अक्ल के खाली लोग हैं। यह सब अक्ल से खाली पार्लियामेण्टरी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अक्ल से की जाने वाली बेईमानी जायज है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जायज नहीं है। मैं कतई डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं। लेकिन बेईमानी भी करनी हो तो, थोड़ी अक्ल तो लगावें। अक्ल से खाली बेईमानी तो और भी खराब है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी नकल नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेईमानी करनी होगी तो अक्ल लगायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसको डिफन्ड करने को कतई तैयार नहीं हूं। लेकिन +++है, आपने इनको जमा करा दिया, +++मुख्य मन्त्री जी आपने मुझे, आपका पहला सत्र था, मैं मानता हूं जब मैंने आपको यह बात बताई, आपने कहा गलत है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पाइण्ट। एक पाइण्ट आपका हो गया।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete. I will take two minutes only. तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो इन्होंने कानून का, अधिकारों का, अपनी शक्तियों का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके और राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को माध्यम बना करके वार्डस के डी-लिमिटेशन में राजनीतिक आधार पर +++ उससे आप चुनाव जीतने वाले नहीं है। आपके मन में कोई न कोई कमजोरी है, आपकी यह कमजोरी है, वह एक हिन्दू वैकलेश चला, इसलिए आप निकल कर आ गये। आपके मन में आज भी यह कमजोरी है कि आप चुनाव जीतकर नहीं आ सकते हैं, +++ इसके बावजूद आपको आशंका है कि आज भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं! कभी कहते हैं वह त्यौहार आ जाएगा, कभी कहते हैं वह त्यौहार आ जाएगा, आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। बैंकों के प्रशासक नियुक्त करते हैं, वहां आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, यहां खड़े होकर कहते हैं कि मैं दिखवा लूंगा, अगर वाकई में ऐसा यूनिफोर्म आर्डर शुरू कर दूंगा, आप डी. वी. में अपील दायर कर देंगे और उसका कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनीति है, जिसको राजनीतिक धरातल पर आप अगर सक्षम बनकर अपने इन्फ्रास्टक्चर तैयार करे, क्रियेट करें। मैं मानता हूं कई जगहों पर तो आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, वर्कर्स बढ़ाये, सगठन मजबूत बनाये, राजनीतिक धरातल पर हमसे लड़ने की कोशिश करें। यह इस तरह से हमारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, आप....

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो वाई रोटेशन है, जो अमेण्डमेण्ट था, महिलाओं का, उसमें यूनिफोर्म एप्लीकेशन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, थ्रू आउट दी स्टेट। आप कोई सा वार्ड तय कर लें, लेकिन राजस्थान भर के अन्दर उसका एप्लीकेशन यूनीफोर्म होना चाहिये। अलग-अलग नगरपालिकाओं में आपके वर्कर्स की सुविधा को सूट करते हुए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1990 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर दे। मैं यह प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं यद्यपि हमारे प्रदेश में पिछले 14-14, 15-15 सालों से बहुत से चुनाव नहीं हुए। नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटस के हाथों में रहा, और उसमें बहुत ज्यादा विकास के मामले में, सफाई के मामले में लोगों ने महसूस भी किया और यह निश्चित ही राज्य सरकार का जो कदम है, जल्दी चुनाव कराने का मैं इस मामले में राज्य सरकार के इस विचार से सहमत हूं कि जल्दी चुनाव कराये जायें। परन्तु चुनाव कराते वक्त जो अमेण्डमेण्ट, जो डीलिमिटेशन किया और जिस

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तरह से वार्ड बनाये गए, मुझे इस बात का भी खतरा है, चुनाव एक सरकार ने नहीं किया, वह चली गई। उसके ऊपर था लेकिन उसने 15-20 सालों से चुनाव नहीं कराये। नई आने वाली सरकार को तीन महीने में राजस्थान की जनता नहीं कहने वाली थी कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराए, इसलिए उन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया में जल्दी की. और मैं समझता हूं जिस तरह से साइक्लोस्टाइल वे से पूरे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटिज को एक तरह से वार्ड में बांट दिया और वार्ड बांटते वक्त, एक दो व्यक्तियों ने राजनीतिक तौर पर अपने-अपने शहर में बैठकर, मैं खास तौर से, मेरे जो दो नगर हैं, छोटे-छोटे शहर हैं, सांगरिया और सादुलशहर, उनको मैं जानता हूं कि उनके जो वार्डस हैं, अध्यक्ष महोदय, उन वार्डस को चेन्ज किया। बड़ा ताज्जुब है कि वोट किसी और क्षेत्र में है और भौगोलिक दृष्टि से वह कहीं और जगह है। वार्डस के पहले नम्बर कोई और था और दूसरा और कहीं है। पूरी तरह से सारे वार्डस को, जो 16 के. 16 वार्ड थे, पूरे वार्डस को बदल दिया गया। एक वार्ड अमेण्डमेन्ट हो, दो हो, तीन हो, तीन में लिमिटेशन चार में हो, पहले 25-30 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि पूरा ही ओरियन्टेशन चेन्ज हो जाए, सारा का सारा ओवर आल और इतनी जल्दी चेन्ज हो जाए। ना कोई वार्ड में गया, ना कोई कर्मचारी घूमा ना कोई ओब्जेक्शन लिए, न कोई और बात और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे ओब्जेक्शन ही टर्न डाउन कर लिए, यानि एक, दो, चार ओब्जेक्शन, नहीं जिसने भी कोई विरोधी ने कुछ लिखकर दिया, वह सारे के सारे ओब्जेक्शन टर्न डाउन कर लिए और जो पहला प्रारूप आया, वैसा का वैसा उन्होंने फाइनल पब्लिकेशन कर दिया। इस बात का मुझे बहुत ऐतराज है कि वह वार्ड जो बनाए गए हैं, वोटरों के हिसाब से बनाए गए हैं, भूगोल के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। वोटर्स उन्होंने अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार इकट्ठा कर लिया और उनको एक-एक वार्ड में इकट्ठा कर लिया। विशेष तौर से जो विरोधियों के वार्ड थे, खास तौर से बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं के वार्ड थे, उनको बिल्कुल तहस-नहस करके तोड़ दिया गया और वार्ड को बिल्कुल अलग बना दिया। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि मेरे जो साथी बैठे हैं जनता दल वाले, या तो इनकी शहरों में दिलचस्पी नहीं है और या मूक दर्शक बैठे हैं, इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, इस बात में कि यहां पर राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है और बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं ने, भंवरलाल जी के कार्यकर्ताओं ने पूरी लिस्ट बनाकर सारे वार्डस इस तरह से बनाए हैं। मुझे इस बात का ऐतराज है कि इस वार्डस को पूरा मौका मिलना चाहिए था कि हम उसको देखते, उसकी जांच करते, उनके नक्शे को देखते। दूसरा मेरा यह एतराज है कि यह जो वोट बने हैं, मैं यह समझता हूं कि क्या इतनी जल्दी थी कि उन्हीं वोट को रखकर उसके बाद में 5-5, 7-7 दिन टाइम देकर....वह भी, प्रेक्टिकली कागजों में दिया गया। कहीं भी किसी भी कार्यकर्त्ता को मौका नहीं मिला कि वह किसी वोट को कटवा सके या एड करवा सके। जो उन्होंने पहले रख दिये उसी तरह से

(श्री हेतराम बेनीवाल)

वोट रह गए। इसमें भी बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, मेरे सांगरिया की तो मैं कह सकता हूं कि सांगरिया में दो हजार वोटर्स को बाहर रख दिया गया, पूरे दो हजार वोटर्स जो शहर के अन्दर थे। वह बाहर के थे अन्दाज़ा यह था बी. जे. पी. के वर्कर्स को कि यह गांव वाले, बाहर के बसे हुए लोग हैं, यह तुम्हें वोट नहीं देंगे। सबको रख दिया। हमने कलक्टर तक अपील की पर एक जगह भी सुनवाई नहीं हुई, एक वोट के बारे में विचार नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि पूरे प्रशासन की मशीनरी इस बात के लिए तैयार थी कि वार्ड्स इस तरह से बनाए जायें और फटाफट इलेक्शन करा लिया जाए।

मुझे तीसरा एतराज है यह सोचने पर, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का कि हम जल्दी में इसका फायदा उठा लेंगे और राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज पर कब्जा करके राजनीतिक तौर से अपना प्रभाव बढ़ा लेंगे। मैं इस बात को गलत समझता हूं। यह राजनीति में कोई अच्छी बात नहीं है कि हम किसी टैक्टिक्स से जनता को काबू में कर लें। हमारी म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशल पोजीशन इतनी बुरी है कि बहुत सी छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज तो चल ही नहीं सकतीं। मैं अपने क्षेत्र की दो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कह सकता हूं। सादुलशहर की म्युनिसिपैलिटी में तीन-तीन महीने तक हरिजनों को तनख्वाह नहीं मिलती, कोई सड़क पर किसी प्रकार का काम नहीं। उस म्युनिसिपैलिटी के पास कोई फण्ड ही नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के पास टैक्स लगाने की जो पावर है, कलेक्शन की जो पावर है उस पर डी. एल. बी. इस तरह का चैक है कि उनको किसी तरह की स्वतन्त्रता ही नहीं है। उनके ऊपर राज्य सरकार की इस तरह की बन्दिश है कि अपना कोई टैक्स कलेक्शन करके अपनी पोजीशन मजबूत कर ही नहीं सकते। इस लिए पहले म्युनिसिपैलिटीज को मजबूत कर के पहले उनका आधार बनाया जाय और उसके बाद हम सोचें। इन तीन चीजों की तरफ राज्य सरकार को ध्यान करना चाहिए उसके बाद ही इनके चुनाव कराये जाने चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने वर्णन किया, नगर पालिकाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। न सफाई होती है न कुछ और व्यवस्था हो पाती है। कहीं-कहीं तो 15-15, 17-17 साल से चुनाव नहीं हुए। इस सरकार का पहला कमिटमेंट यह था कि जो जनता का अधिकार है वह शासन में आते ही हम उनको देंगे। उस आधार पर हमने सबसे पहले नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का विचार किया। नगर पालिकाओं के चुनाव जल्दी तभी हो सकते है जब हम यह संशोधन लाते। फरवरी में चुनाव के वक्त जो विधान सभा की निर्वाचन सूची थी वह एक आधार था, उस आधार पर हम चुनाव कराते। उसके लिए हम संशोधन ले आये। बाकी, हम चुनाव जल्दी कराते, हमारा इरादा तुरन्त जनता को अधिकार देने का था। उस आधार पर हमने यह अमेण्डमेण्ट किया है। उसमें तो आप किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है, हम यह चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों। इसीलिए राज आने के बाद

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी हमने उन अधिकारियों का बिल्कुल तबादला नहीं किया जो आपके लगाये हुए थे। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के बड़े अधिकारी वही लगे हुए थे जो इनके राज में थे। जानबूझकर हमने ट्रांसफर इसलिए नहीं किये कि कहीं आपके दिमाग में यह सन्देह पैदा होगा कि हम अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को फिट कर रहे हैं। हमारे तो कोई वैसे भी नहीं थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : अधिकारी भी, मंत्री महोदय, आपके और इनके बंटे हुए हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उस समय के आपके अधिकारियों के हाथ में यह काम दिया। इसलिए दिया कि उनको जानकारी है, वह ठीक से वार्ड बना देंगे। अब आपको कहां ऐसी तकलीफ हुई, जो आप चरितार्थ करते आये थे अब तक कि मनमाने वार्ड्स बनते थे, जैसे चाहते वार्ड बढ़ा लेते थे। वह वार्ड मान लो अगर आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आपको तो यह आपत्ति हो गयी कि आप ने जो आब्जेक्शंस दिये थे वह मान लिये गये और हेतराम जी को यह आब्जेक्शन है कि जो आब्जेक्शन आये वह माने नहीं गये। जहां माने जायेंगे वहां माने जायेंगे, जहां नहीं माने जायेंगे वहां नहीं माने जायेंगे। कानून भी बता दूंगा। आपके क्षेत्र के दो भूतपूर्व अध्यक्षों ने, जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, जो प्रस्ताव दिये वह माने गये हैं। वैसे यह चुनाव विभाग का काम है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दो मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आप दलील किस बात की देते हैं ? आपका नगरपालिका का एरिया कमती-बत्ती नहीं किया हमने। वार्ड्स में जो डिवीजन हैं उनकी संख्या वही की वही है। क्या दिक्कत है ? समझ में नहीं आया तकलीफ क्या हुई इसमें ? कौन से वार्ड्स हमने बदल दिये ? आप तो ऐसा इम्प्रेशन दे रहे थे जैसे कोई नये वार्ड्स पैदा कर दिये हमने, बाहर से ले आये किसी को बुलाकर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ड्राफ्ट पब्लिकेशन क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मालपुरा के मतदाता वही मतदाता हैं, वही सूची है जो फरवरी के चुनावों में काम आयी थी। वही की वही सूची है, मतदाता वही हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं तो आप हवामहल से थोड़े ही भिजवा दोगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जीतकर आये हो उसमें। वही वोटर्स हैं। अब मान लो कहीं आपको नुकसान होता है, आपकी राजनीतिक असफलता होती है तो उसका दोष हमको काहे को देते हो आप? इसमें क्या तो बेइमानी की गयी और क्या ईमानदारी, मेरी समझ में नहीं आया। क्या करते, वहां? मालपुरा को टौंक में जोड़ते, टौंक को मालपुरा में जोड़ते? क्या करना था हमको? वह के वही मतदाता हैं, वही आपका एरिया है और उसी एरिया में गठन किया है इसका। आपका प्रस्ताव नहीं माना, आपके मन माफिक वार्ड्स नहीं बने आपको लगता है कि आप जीत नहीं आओगे तो इसका तो यहां इलाज है नहीं कोई। मेरी आपको मित्रता कितनी हो पर इसमें क्या मदद कर सकता हूं आपकी? If you are to loose you are to Loose. वार्ड्स को दोष क्यों देते हो? आप मुझे + + + बता रहे हो, इसमें क्या + + + भई?

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले से घोषणा कर रहे हो, कोई + + + करने का इरादा है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : गड़बड़ी करना हमको तो आता ही नहीं, न हम करना चाहते हैं। गड़बड़ी काहे के लिए करेंगे? जनता का अधिकार है, जनता को दे रहे हैं। जनता चाहेगी तो जिता देगी। आप क्यों चिन्ता कर रहे हो? आपको वोटर पर भरोसा नहीं है क्या? कहीं और बाहर से वोटर ले आऊं? कहीं वोटर बाहर से इम्पोर्ट या जैसे आप करते थे वैसे तो नहीं किया। वोटर वही का वही है, आपका एरिया है, आप जीतकर आये हो वहां से। आपको इससे भयभीत नहीं होना चाहिए।

श्री कुबेर खान : वोटर तो वही है लेकिन जिस तरह आपने एस. सी., एस. टी. और अल्पसंख्यकों को बांटा है, कि कहीं इनमें से कोई चुनाव में नहीं आ जाय, उस पर हमें एतराज है। यह एतराज सही है। इस बारे में आप जानकारी करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। इसमें उनकी सीट्स का रिजर्वेशन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने आब्जैक्शन किये, सरकार ने विचार किया और फैसला कर दिया। किसी के अनुकूल पड़ेगा किसी के नहीं पड़ेगा। यह तो कोई आपकी आपत्ति नहीं है। जो संशोधन हमने पेश किया है, उसमें केवल एक धारणा यह थी कि हम चुनाव को जल्दी से जल्दी करा दें। अगर नये सिरे से मतदाता सूची बनेगी तो इसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। सरकार का इरादा यही था कि नगर पालिकाओं के चुनाव तुरन्त हो जायं, जनता का जो अधिकार है वह उसको तुरन्त मिल जाय। सरकार का इरादा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जायं. उसी उद्देश्य से हम यह अमेण्डमेंट लाये हैं, 1980 की मतदाता सूची इस चुनाव में काम आ जाय, इस आधार पर चुनाव हो जायं। इसके अलावा इस अमेण्डमेंट में और है क्या? यह भी आप नहीं करना चाहते हैं। अब आप कह देंगे कि महिलाओं के वार्ड बदल दिये। कोई वार्ड नहीं बदला। यह तय किया गया था कि हर तीसरा वार्ड महिलाओं का होगा।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं रखा आपने (व्यवधान) कृपा करके, मंत्री महोदय, बस गोलमाल ही जवाब दो आप। आप फंसो ही मत। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पाइण्टेड जवाब दे ही नहीं सकते। गोल मोल ही जवाब दो आप तो। आप सक्षम ही नहीं हैं जवाब देने के लिए। कौनसा नहीं बदला आपने, दुनिया भर में बदल दिये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या हो गया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ड्राफ्ट पब्लिकेशन के वक्त में यूनिफार्म एप्लिकेशन था पूरी स्टेट में हर नगर पालिका में 3-6-9-12-15 इस तरह से। अब आपने मर्जी आये जो कर दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं, नहीं। एक नगर पालिका का ऐसा बता दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोंक का ले लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक वार्ड बता दीजिए जिसमें 3-6-9-12-15-18-21 और आगे इस तरह से न होकर महिलाओं का वार्ड इसके अलावा होगा। एक बता देना आप मेरे को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक नहीं अनेक। मालपुरा में, टोंक में। मंत्रीजी, आप तो फंसो ही मत। आपके पास जवाब ही नहीं है। आप तो बिल पास कराओ न अपना।

श्री भंवरलाल शर्मा : बताओ न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बता रहा हूं, मालपुरा का बदला। आपने 9 हटाकर 10 कर दिया। 3-6-10 कर दिया सीधा। टोंक के अन्दर 30-32 कर दिया, आपने कॉण्टीग्युअस एरिया कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, माननीय जुबेर खान ने सही बात कही है कि आपने चुनाव में बाकायदा मुस्लिम कैण्डीडेट्स नहीं आ सकें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन तो लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक और मालपुरा का मुझे पता है, वहां वही हुआ है बाकायदा 3-6-9 जिस प्रकार है। इसके अलावा एक संख्या और रखी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 10 पर्सेण्ट से ज्यादा या कम नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले +++ यह होती थी कि कहीं 300 और कहीं पर वोटर्स रखे 600।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके बस का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य महोदय, यह जो आपने उदाहरण दिया, यह एस.टी. और एस.सी. की महिलाओं का भी रिजर्वेशन है। अब 9 नम्बर मान लीजिए महिला का आता है 10 आता है शिड्यूल्ड कास्ट और महिला कहां आई थी पहले। तो महिला को वार्ड देने के लिए उसको महिला दे दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने नहीं किया। टोंक में नहीं किया। मुस्लिम वार्ड महिलाओं का (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : I challenge you. You study again. आप फिर अध्ययन करिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। देखिए इस सम्बन्ध में जो यूनिफार्म पालिसी इन्होंने बनाई है। पालिसी तो डिक्लेयर करेंगे उसमें किसी की आपत्ति होगी तो अलग से उसकी सुनवाई हो जायेगी। पालिसी बनने के बाद फिर आपत्ति आप कर सकते हैं। अब यहां तो इसका निर्णय होगा नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका फरमाना सही है, अध्यक्ष महोदय। मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं कि आप तो बिल....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां कुछ भी हो, अलग से हो सकती है। यहां हाउस में नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो खुद कह रहा हूं। जो एक्जाम्पल्स मैंने दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये। हां मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो कुछ भी संशोधन लाये हैं, उसमें ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय मंत्रीजी, एक निवेदन करूं, नार्म्स तो कम से कम आप जैसे सारे सदस्य कह रहे हैं वैसे रखें। जैसे मेरे तिजारा में 3, 6, 9 और 12, 9 रिजर्व वार्ड हैं। आप कहते हैं कि कहीं हरिजन वार्ड है उसको महिला में देना था इसलिये हमने किया। आपने 12 हटाकर 11 कर दिया, 9 भी हरिजन वार्ड है और 11 भी हरिजन वार्ड है। इसमें नार्म्स कहां हुआ। यह सब जगह हुआ है आप इस बात को स्वीकार करें। दुबारा दिखवाइए इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां रिजर्वेशन वार्ड है उसमें महिलाओं के वार्ड के लिये एक-दो नम्बर आगे पीछे जरूर हुआ होगा। उसके बिना कोई रास्ता नहीं था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हर जगह हुआ है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सारे वार्ड हैं नहीं जो माइनोरिटी के हैं वो सब महिला वार्ड.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी आप समाप्ति करिये। हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपके दिमाग में माइनोरिटी-मेजोरिटी रहती है। अल्पसंख्यक आपके दिमाग में है हमारे दिमाग में नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो अमेंडमेंट लाये हैं उसके पीछे हमारी नीयत यही है कि नगरपालिकाओं के चुनाव निष्पक्ष हो जाये, जल्दी हो जाये और जिनका जो अधिकार है उनको तुरन्त मिल जाये। इसी आधार पर हम यह अमेंडमेंट लाये हैं। सरकार का कोई इरादा है, बेइमानी करने का नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होंगे और जिनका जो अधिकार है उन्हें मिलेगा चाहे कोई भी जीते हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन पर एक दो बात कहनी थी, मेरा निवेदन यह है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए बीच में अभी अमेंडमेण्ट आयेंगे। खंडशः विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : "In the proviso, sought to be inserted in sub-section (2) of Section 21, the experession "February, 1990." shall be substituted by the expression "January, 1990." अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज 3 में संशोधन इसलिए दिया है कि जो भी वार्डों का परिसीमन पूरे राजस्थान में किया गया है उसके पीछे एक राजनैतिक भावना रखी गई है। अभी पूर्व में माननीय मुख्यमन्त्री जी कह रहे थे कि चुनाव को देरी से कराने के लिए हम यह कह रहे हैं। हम तो यह चाहते हैं कि आप सदन में घोषणा करें कि हम इतने दिन बाद चुनाव करा रहे हैं हम इसका स्वागत करेंगे। मैं तो इस सदन में हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाए और अभी स्वायत्त शासन मन्त्री जी कह रहे कि हमने वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया। विधानसभा चुनाव से पूर्व जो निर्वाचन नामावलियां बनाई हैं उन्हीं के आधार पर वोट कराएंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आप वार्ड वो का वो रख दें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो वार्ड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित किए गए थे उन्हीं वार्डों के अनुसार आप चुनाव करा दें तो हमें कोई कुछ कहना नहीं है। जो लॉज वाइज संशोधन मैंने दिया है उसका मकसद यही है कि वार्डों का परिसीमन करके आपने 2 नम्बर वार्ड को 11 नम्बर वार्ड के साथ जोड़ दिया, 3 नम्बर वार्ड को 8, 9 और 10 नम्बर वार्ड के साथ जोड़ दिया। इस तरह करने से अल्पसंख्यकों के साथ अनुसूचित जाति

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के लोगों के साथ और अन्य कई अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। इस पर आप पुनर्विचार करें। इसी सम्बन्ध में बीकानेर में 36 आब्जेक्शंस लगाए थे लेकिन एक भी आब्जेक्शन आपने सुनने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुन: सरकार से यह आग्रह है कि आप इस सम्बन्ध में जो निर्वाचन नामावलियां सन् 1990 में विधानसभा निर्वाचन से पूर्व बनाई गई थी उन निर्वाचन नामावलियों में जो वार्ड नियत किए गए थे उन्हीं वार्डों के आधार पर यदि आप चुनाव कराएंगे तो निश्चित रूप से उसमें राजनैतिक पक्षपात नहीं होगा। यदि आप 3-3, 4-4 वार्डों को नये वार्ड बनाकर····

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : जो 90 की पोपूलेशन····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कालीचरण जी क्या समझा रहे हैं आप। इनको जो कहना है कहेंगे। क्या सलाह दे रहे हो आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कारीगरी क्या की है कि वोटर के नाम तो वो के वो हैं लेकिन भाग संख्याओं को और निर्वाचन नामावलियों में अलग-अलग डालकर नए वार्डों का जो गठन किया है उसमें निश्चित रूप से लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। बीकानेर का उदाहरण देता हूं बीकानेर में तमाम माइनोरिटी के वार्ड महिला वार्ड बन गए।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करते-करते बीकानेर में पहुंच गए। याद आ जाती है। कोई बात नहीं बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सब महिला वार्ड माइनोरिटी के बन गए। अब आप जानते हैं कि महिलाओं में पर्दा प्रथा वगैरह कई तरह की बातें हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप पुराने वार्डों के अनुसार यदि चुनाव कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वरना इससे लोगों के साथ बड़ा इनजस्टिस होगा। कोई भी अल्पसंख्यक बीकानेर से जीतकर वार्ड मेम्बर नहीं बन सकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : 2 मिनट मेरे को बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : आज तो बैठ जाओ, कल बोल लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया यह प्रस्ताव आप कैसे दे रहे हैं। जब वार्डस बढ़ेगे तो उनमें समान संख्या वोटर्स की होगी या नहीं। तो वोटर्स की समान संख्या करनी होगी तो आपको म्युनिसपलटीज के वार्ड के हिसाब से ही उनका विभाजन करना होगा (व्यवधान) अब आप बैठिये ना, एक मिनट में क्या है। अगर अब कोई वार्ड जो महिलाओं का है और उसमें आपके हिसाब से अल्पसंख्यकों का है तो उसमें क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा। जब कानून बन गया कि महिलाओं को 30 प्रतिशत उनका अधिकार है····

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, महिला की कोई जाति तय कर रखी है आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं इन्होंने कर रखी है। (व्यवधान) आप यह कह रहे हैं कि जनवरी 1989-90 में कौनसी लिस्ट थी। यह तो लिस्ट ही फरवरी 90 में बनी थी तो इसका कौनसा आधार होता था। जनवरी में कौनसी लिस्ट थी, जरा मुझे बताएंगे आप।

जनवरी को कोई लिस्ट नहीं थी। फरवरी की थी अब कौनसी बात आपकी, मानें लिस्ट तो फरवरी में बनी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न यह है माननीय मन्त्री महोदय, कि जो निर्वाचन विधानसभा के हुए थे जो वार्ड पुराने थे उन्हीं वार्डों के अनुसार आप चुनाव करा दें। फिर कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य अगर उनकी आनुपातिक वोटर संख्या बराबर नहीं है तो उसका क्या करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बराबर ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए आप चिन्ता मत करिए। अब आपको जो परिणाम भोगने पड़ेगे वो भोगने पड़ेंगे। निष्पक्ष चुनाव होंगे और जो समान रूप से हमने वितरण किया है। वो बिल्कुल समान वितरण किया है। इसलिए....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न है कि जो संशोधन श्री बुलाकीदास कल्ला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्री भंवरलाल शर्मा प्रभारी मन्त्री।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी कि माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला ने संशोधन रखा, सुझाव रखे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। धीरे-धीरे बोलने दीजिए उनको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्हीं के द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने जो यह बिल रखा था उस समय इसलिए 6 बार चुनावों की घोषणा करके चुनाव स्थगित कराए गए मैं समझती हूं कि खेद है, एक ओर तो....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 169 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक ओर तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्तायें यहां पर यह कह कर जुलूस लाई कि महिलाओं का नाम बजट में नहीं आया और दूसरी ओर जहां नगर पालिकाओं और नगर परिषद् के वार्डों में 30 प्रतिशत की बात कही गई वहां पर यह आपत्ति की गई कि इनका पूर्वानुसार ही चुनाव करवा लिया जाय तो अच्छा होगा। आपने अभी कहा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह नहीं कहा, वार्ड नहीं बदलें और वही वार्ड रख कर 3,6,9 और 12 ऐसे कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप महिलाओं से छेड़-छाड़ करते ही क्यों हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एक बार भी किसी के बीच में उठकर कुछ नहीं कहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, चरित्र-हनन हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, तो ठीक नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सन् 1978-79 और 1980 के दौरान 18 वर्ष की उम्र के मतदाताओं को, मत दे सकें राजस्थान में उस समय की निवर्तमान सरकार और मन्त्री महोदय, जो उस समय श्री भंवरलाल शर्मा थे, ने 18 वर्ष के मतदाताओं की वोटर लिस्ट तैयार करवाई और जैसे ही 1980 में हमारी सरकार गई और जो कांग्रेस सरकार आई उसे 18 साल के मतदाता स्वीकार नहीं हुए और तत्काल रूप से जो चुनाव होने वाले थे उनको स्थगित करवाया इस तरह से राजस्थान में 6 बार चुनाव स्थगित हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह स्थिति अच्छी नहीं रही, हमारे द्वारा भी इन चुनावों में केवल महिलाओं को इनमें से निकालने के लिए चुनाव को और आगे सरकाया जाय। विपक्ष के माननीय सदस्य श्री बुलाकीदास जी कल्ला ने संशोधन रखा, अपनी बात कही उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि न केवल म्युनिसिपैलिटी में बल्कि सभी क्षेत्रों में, विधान सभा में भी, सहकारी समितियों के चुनावों में, बैंकों के चुनावों में और पंचायतों के चुनावों में भी आप इस तरह से जहां 50 प्रतिशत जनसंख्या में महिलाएं हैं वहां उनका 30 प्रतिशत आपको दुखता है, क्यों अखरता है, मेरी समझ में नहीं आता है ? मैं चाहूंगी कि मेहरबानी करके आप तरह के प्रतिनिधित्व को और आगे बढ़ायें तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई है महिलाओं के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में, महिलाओं का रिजर्वेशन तो हमने शुरू किया आपने शुरू नहीं किया है। (व्यवधान) आपका अमेण्डमैण्ट एक्ट 18 जनवरी, 1990 ...को पारित हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आपकी ओर से किसी महिला को बुलाते तो अच्छा रहता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने यह कहा कि सब अधिकारियों और कर्मचारियों को तो हमने बदला ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट पब्लिकेशन राजकीय निर्वाचन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है उसको तो आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैंने कांक्रीट एग्जाम्पल्स आपको टौंक के सम्बन्ध में दी थी। यह मैं आपको निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके पास जवाब नहीं है लेकिन सुनियोजित तरीके से, जैसे टौंक में मुस्लिम वार्ड को महिला वार्ड कर दिया तो मुस्लिम नहीं आयेगा, माइनोरिटी कांग्रेस का वोट है, माइनोरिटी को निकालने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय राजस्थान में इन्हें डिप्राइव करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा निश्चित आरोप है कि आपने जो वार्ड्स बनाए हैं वह, अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. के वर्कर्स के माध्यम से और आपके बी. जे. पी. के वर्कर्स के माध्यम से सरकारी मशीनरी के ड्राफ्ट पब्लिकेशन को रद्दी में डाल दिया, केवल पालिटिकल परपज से, लाभ कुछ होने वाला नहीं है, यह मान कर चलिए।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी (व्यवधान)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट कहना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष - आप बोलेंगे ? श्री प्रद्युम्नसिंह जी बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने हेतु प्रस्ताव दिया था लेकिन वह आपने स्वीकार नहीं किया....

श्री रामकिशन : वह स्टेज तो गई। पारित की स्टेज पर बोल लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप अब बोल लीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पंडित जी आप ऐसे नाराज होंगे, आप तो चुप रहेंगे इस मामले में, क्योंकि आपको चैलेन्ज दे दिया गया है बी. जे. पी. के जनरल सैक्रेटरी ने कोटा के अन्दर, स्टेटमेन्ट आया है कि हम सब अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, हमको जनता दल के सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, आपके पिताजी के बराबर हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको क्या परेशानी हो रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : साथ में उन्होंने यह भी कह दिया है कि इन्डिपेण्डेण्ट लड़ेंगे, आया है आज की नवज्योति में, आज की नवज्योति भी देखी होगी कि अब हम 98 हो गए हैं, हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : आप चिन्ता मत करिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आपके रचनात्मक सुझाव हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो मुंह खोलेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वार्ड्स के गठन के अन्दर महिलाओं के लिये रिजर्वेशन्स किए गए हैं उनके अन्दर सरासर राजनीतिक +++ की गई है। आपके पुराने वार्ड्स बने हुए थे, सबसे पहले तो मैं जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीया सदस्या को उत्तर देना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई महिलाओं के खिलाफ नहीं है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब आप उत्तर देंगे मुझे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : महिलाओं के वार्ड्स रिजर्वेशन का हम स्वागत करते हैं यह पार्टी की पूर्व निर्धारित घोषित नीति है जिसके तहत संसद के अन्दर पंचायत राज बिल जो आया था, नगर पालिकाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। इसलिये आप भ्रम निकाल दें, कोई आप राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करें कि कांग्रेस महिलाओं के विरुद्ध है ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिए आपने अब तक चुनाव नहीं करवाए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसको निकाल दीजिए, नम्बर एक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मालूम नहीं कि समय जाते देर नहीं लगती है आपने समय की बात भी नहीं समझी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपका जो आरोप है वह बिलकुल निराधार तथ्यों से परे और असत्य है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कुछ भी कहे आपके कर्मों से मालूम पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कांग्रेस ने रिजोलूशन पास किया था, यह बात सबको मालूम है। अध्यक्ष महोदय, 18 जनवरी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तर्क मुझे बता दीजिए कि चुनाव क्यों नहीं करवाए ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पार्लियामेण्ट का चुनाव आ गया। (व्यवधान) 18 जनवरी, को अब इतने बड़े आला वकील ने लाकर दे दिया....

अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे बड़ा इनके ऊपर आरोप है...

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह श्री प्रद्युम्न सिंह जी का घोषणा-पत्र है मेरे पास, जिसमें बार-बार स्थगित कराने की बात है। आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए मैं पूछना चाहती हूं। आपका यह मेरे पास है स्टेटमेण्ट, आपको मैं दे दूं आप चाहे तो ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।
(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले, चुनाव हारने की स्थिति में थे इसलिए चुनाव नहीं करवाए और अब चुनाव हारने की स्थिति में है, या चुनाव हारने के डर से इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब, अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे बड़ा इस सरकार पर जो आरोप है वह यह आरोप है कि राजस्थान के अन्दर करीब-करीब हर नगर पालिका के अन्दर इन्होंने सुनियोजित तरीके से, प्लान्ट के अन्दर माइनोरिटी कम्युनिटी को....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप महिलाओं को पिछड़ा रखना चाहते हैं यह आपकी नीयत थी यह मुझे मालूम पड़ा है। आप सदैव महिलाओं को पिछड़ा रखना चाहते हैं और यह आपकी नीयत थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब मेरी दादी मां इतनी नाराज हो रही हैं। मैं उनको हाथ जोड़ देता हूं। मेरी दादी मां इतना नाराज हों मेरे ऊपर में उनसे क्षमा चाहता हूं।
(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आप पड़दादी, मां भी कहे, मैं पड़दादी हूं, पड़दादी कहने से भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा सरकार पर आरोप है कि इस सरकार ने प्लान्ड वे के अन्दर, सुनियोजित तरीके से माइनोरिटी कम्युनिटी के मैल मेम्बर्स चुनाव में नगर पालिकाओं के अन्दर नहीं आ सकें इस हिसाब से इन्होंने वार्ड्स के अन्दर रद्दो-बदल की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कह कर आपने हार स्वीकार कर ली है,

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने अपनी हार नहीं स्वीकार की है। यह तो वक्त बतायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह किया है कि पुराने बने हुए, 1 से लेकर 30 वार्ड्स एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 1 से लेकर 18 वार्ड्स बने हुए हैं उन में से 3-6-9-12-15 और 18 कर देते।

अब जहां पूर्व वार्ड-मान लीजिए 18 है उसका नम्बर बदलकर 17 कर दिया है उन्होंने कई जगह पर। इस बात की मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। राजाखेड़ा में किया, धौलपुर में किया, बाड़ी में किया। वहां कई रद्दो बदल किए। पुराने वक्त से जो वार्डों के नम्बर चले आ रहे थे उसमें रद्दो-बदल करने की आपको जरूरत क्या थी। आपने नम्बरिंग बदल दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह संख्या घटी बढ़ी होगी ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : घटी बढ़ी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वार्ड उतने ही हैं और उसके बाद भी इन्होंने यह हेरा-फेरी की है। इसलिए जो यह सरकार अभी से निष्पक्ष चुनावों का दम भर रही है, यह निश्चित रूप से सरकारी तंत्र के द्वारा येन-केन-प्रकारेण +++ करके चुनाव करना चाहती है इसकी पूरी सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले पर आपको पुनर्विचार करना चाहिये। यह मेरी मांग है।

श्री रामकिशन : मुझे अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं कहना है। मैं केवल माननीय मन्त्री जी से इतना कहना चाहता हूं कि जाने-अनजाने में वार्ड गलत बन गए हैं। आपने जैसा कहा कि मुझे बताइए, मैं आपके भरतपुर की बताता हूं, प्रस्ताव आए हैं उन्हें आप देख लीजिए और जिस तरह से नम्बर बदल कर वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें देख लीजिए। मैं केवल इतना सा नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा नाम लेकर जो बताया गया....

श्री अध्यक्ष : आपको तो बोलना है। नाम तो आएगा ही बार-बार आपका। भार्गव साहब की जगह किसी को तो लेनी चाहिए ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के वार्ड पुराने वार्डों को आधार मानकर आरक्षित कर दें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन नये वार्ड बनाकर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को डिप्राइव किया गया है उस पर हमारा एतराज है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी रिप्लाई देंगे उसमें इन पर एक सप्ताह का समय देकर जो आब्जेक्शन्स आए हैं उनको सुनकर, मान लीजिए इसके बावजूद भी आप उन्हीं वार्डों को महिला वार्ड रखना चाहते हैं तो उस पोपुलेशन को अन्य किसी वार्डों में सम्मिलित करके यदि आप दुरूस्त कर दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसी को एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने कोई नई आपत्ति नहीं की है और इन सब बातों का मैं जवाब दे चुका हूं। अब यहां अल्पसंख्यक हैं वह तो वहीं रहने वाले है, वहीं वोट देते हैं उसमें कहां दिक्कत है, कोई बाहर तो निकाल नहीं दिया उनको। इसलिए एक बात मैं कहूंगा कि यह आपने जो आरोप लगाया हैं....

श्री जुबेर खान : मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि अल्पसंख्यकों को एक वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में जोड़ा गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो तरीका ठीक नहीं है। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने जो आरोप लगाया हैं वह बिल्कुल निराधार है, कोई बेस नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि यह चुनाव निष्पक्ष कराएंगें। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप खड़े हो गए, आप बैठिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

प्रभारी मन्त्री जी प्रस्ताव करें।

(3) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मैंने प्रस्ताव रखा है। इसके सन्दर्भ में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब यह प्रस्ताव पारित करने का है लेकिन जब पारित करने का प्रस्ताव आता है तो आपका यह प्रस्ताव इनवेलिड हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा है, इसमें इनका अमेण्डमेण्ट है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : महिलाओं के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का आरक्षण जनवरी, 1990 में रखा था।

श्री अध्यक्ष : आपने विचारार्थ रखा है, विचारार्थ रखिये इस (द्वितीय संशोधन) विधेयक को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे ही वार्ड बनाए हैं आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बहस काहे पर करी फिर। विचारार्थ कर दिया उस पर बहस कर दी उन्होंने। आपने दुबारा बहस काहे को करी फिर। काहे पर करी है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : साफ-साफ बोलिये। द्वितीय संशोधन विधेयक रखिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बोल रहे हैं। मेरे को बोलना है। आप सूची देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं बुला लूंगा आपको। मुझे ध्यान है, जब बुलाना होगा, मैं बुला लूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा है, अध्यक्ष महोदय। पिछले महीनों में जनवरी 1990 में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इसी सदन में तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री ने महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण रखा था। मैं समझता हूं बहुत अच्छा प्रगतिशील कदम था, उसको वर्तमान सरकार भी असेप्ट कर रही है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के वार्डों को उन्होंने काटा है, जैसा मैंने पूर्व के विधेयक में भी विरोध किया है, अब भी मैं विरोध करता हूं कि इन्होंने निर्वाचक नामावलियों को तो वो का वो रखा है लेकिन कई वार्ड संख्याओं को जो वार्ड अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग जगह हैं उन वार्डों को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह अच्छा होगा कि इस मौके का फायदा आप अपने दूसरे प्वाइन्ट पर उठाएं। जो हो चुके हैं उनको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आप नए पाइण्ट बताइए। सदन का समय बड़ा कीमती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह दूसरा बिल है।

श्री अध्यक्ष : हां दूसरा बिल है। इस पर पहले जो विचार यहां आ चुके हैं आप नये बताइए। आप फिर वार्डों पर आ गए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वार्डों के ऊपर ही है।

श्री अध्यक्ष : मत बोलिए आप वार्डों का हो गया है। (व्यवधान) देखिए मैं आपके बोलने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता लेकिन सलाह दे सकता हूं कि सदन के समय को बचाने के लिए पुनरावृत्ति मत करिए। नये पाइन्ट बताइए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं के बारे में है। जब महिलाओं का तीस प्रतिशत आरक्षण....

श्री अध्यक्ष : कोई नई बात कहिए। वार्डों के बारे में आप बहुत बोल चुके है। वार्डों के बारे में नहीं बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अमेण्डमेंट भी उसी के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलिए आप। रिपीट मत करिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा तो यह होता है कि जो विधान सभा निर्वाचन हुआ था उस समय जो वार्ड बने हुए थे उन्हीं वार्डों में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इसी तरीके से नगरपालिका विधेयक की धारा 4, 104 की उप धारा। के खण्ड 2 में उपभोग, उपयोग और विक्रय, इन तीनों आधार लेकर जो अमेण्मेंट लाया जा रहा है इसके सम्बन्ध में मेरा स्वायत्त शासन मन्त्री जी को यह सुझाव है कि चुंगी की दरों में समानता की बात वर्षों से की जा रही है लेकिन चुंगी की दरों में समानता अभी तक की नहीं गई कई शहरों में चुंगी की दर क्विन्टल को ? आधार मानकर की जाती है कहीं पर रुपयों में जो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कीमत होती है उसके प्रतिशत का आधार मानकर चुंगी की दर वसूल की जाती है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि दरों में समानता कब तक बरती जायेगी क्योंकि जो हमारे 6 सम्भागीय मुख्यालय हैं और 27 जिला मुख्यालय है कम से कम उनमें तो एक समान आधार रख कर हम कुछ वस्तुओं की सूची तैयार करके और उनकी चुंगी की दरों को समानता के स्तर पर लाकर, नहीं तो ऐसा होता है कि आज जयपुर में जो बहुमूल्य रत्न है सोना चांदी उनके ऊपर क्विण्टल के ऊपर अध्यक्ष महोदय, चुंगी दर लग रही है और जो सामान्य उपभोग की चीजें हैं उनकी कीमतों पर प्रतिशत के आधार पर जैसे दो तीन प्रतिशत, चुंगी है। इस तरह से आम उपभोक्ताओं पर जैसे कपड़ा है, राजस्थान में कई जगह कपड़े के ऊपर चुंगी की दर कीमत के आधार पर वसूल की जाती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कब से है यह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब से है, क्या है यह तो आप सब जानते हैं। मैं भी जानता हूं। चुंगी की दरों में समानता के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के निर्देश राज्य सरकारों को मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप उपभोग, उपयोग और विक्रय के आधार पर इस धारा में संशोधन कर रहे हैं तो चुंगी की दरों में भी हमें समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए एक महीने की अवधि का प्रस्ताव रखा है मुझे पूरी उम्मीद है माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी मैंने जो पूर्व में बातें कही है उनको ध्यान में रख कर इन सब बातों पर विचार कर अपना उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जनमत जनाने के लिए प्रस्ताव करता हूं सैक्शन-13. "for the purpose of election to a Board, a Municipality shall be divided into such number of wards as equal to the total number of seats fixed for the Board under sub-section 2 of section 3. Representation of each ward shall be on the basis of population of that ward and, as far as possible in the same proportion as a total number of seats for the Muncipality were to its population.

अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा कर दिया। परमिशन लिमिट से हायर साइड से लोअर साइड से यह प्रतिशत का वेरिएशन टोटली आर. एस. एस. के वर्कर्स और बी. जे. पी. के वर्कर्स को लाभ देने के हिसाब से किया है। यह इसमें अध्यक्ष महोदय, कहीं सन्देह नहीं है। और सबसे आश्चर्य जनक बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि कांग्रेस के विरुद्ध तो इनका एक प्रयोजन हो सकता है लेकिन इन्होंने इस बात के अन्दर जनता दल को माफ नहीं किया है। यह अलग बात है कि आज सत्ता के अन्दर भारतीय जनता पार्टी और जनतादल साथ-साथ बैठे हैं। इसी सदन के वरिष्ठ सदस्य भरतपुर से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आने वाले पण्डित रामकिशन की पूरी बात का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वह भी मानते हैं कि भरतपुर के अन्दर वार्ड गलत बने है तो मैं पण्डित जी से निवेदन करना चाहता हूं वार्ड तो गलत ही बनेंग यह तो अखबारों मे आती है कि जो पब्लिक इम्पार्टेन्स के महकमें हैं वह बी. जे. पी. के पास कन्सन्ट्रेटेड है आपकी कुछ चलने-चलाने वाली नहीं है आप कितना ही कर लो यह अपने पोलिटिकल गेम को पूरा करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए दुबारा प्रोटेस्ट करता हूं कि बड़े केल्क्यूलेटेड तरीके से माइनोरिटी को वीकर सैक्शन्स को जो वार्ड्स अलाट किये गये कन्टीग्यूअस एरिया लिया गया है एक-एक जहां कन्सन्ट्रेशन पोपूलेशन माइन्योरिटी की है। चार-चार पांच-पांच, छः छः महिलाओं के वार्ड बना दिये हैं। तमाम नोर्म्स रेफरल लोजिक सबको तोड़ कर रख दिया मिनिस्टर साहब ने और मैं यह आरोप लगाता हूं कि माननीय प्रभारी मन्त्री चूंकि निर्वाचन मन्त्री की कोई चलती नहीं है, माननीय मुख्य मन्त्री जी के दिये हुए अधिकारों को दुरुपयोग करके इन्होंने तमाम राजनैतिक लाभ के लिए सब म्युनिसिपेलिटीज को बिगाड़ कर रख दिया इसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि आप कहीं से आने वाले नहीं हो। आगे चुनाव के अन्दर अगर वार्ड बनाने में आपने इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है तो इस प्रकार की+++इलिगेलिटी कमिट की है, मुझे अन्देशा है अध्यक्ष महोदय, आज यह राज में बैठे हैं. राज्य के तन्त्र इनके पास है, प्रशासन का तन्त्र इनके पास है, आने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। गली गली के अन्दर, गांव-गांव के अन्दर, नगर-नगर के अन्दर संघर्ष होगा और यह हालत बनेगी तो उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय देश के अन्दर कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं इस राज्य सरकार को कि आपने जिस तरीके से व्यवहार किया है वार्डों के डीलिमिटेशन के अन्दर वह व्यवहार आप नहीं रखें न्यायोचित व्यवहार रखें और निष्पक्ष चुनाव करायें तभी राजस्थान की जनता के अन्दर आपके पैर जम सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। आप क्या अपना प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं अपना प्रस्ताव इस रूप में रख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस रूप में नहीं जिस रूप में हैं। रख रहे हैं प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा मैं जानता हूं मेरे प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव विदड्रा कर रहे हैं कि रख रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले बोलूं फिर विदड्रा करूंगा साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल लाया गया है और विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार की भावना प्रकट कर रहे हैं मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले चालीस सालों से

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

राजनैतिक + + + के आधार पर और राजस्थान में सत्ता का संचालन किया जा रहा था आज उनको रह-रह कर याद आ रही है कि हमने जो + + + की है एक वार्ड तो हमने तीन सौ वोटों का वार्ड बना दिया एक वार्ड दो हजार की संख्या का वार्ड बना दिया और राजनैतिक आधार पर वार्डों की सीमाएं और वोटों का जो इन्होंने निर्धारण किया और माननीय मंत्री जी ने हिम्मत करके एक इस प्रकार का डिसीजन लिया कि जनसंख्या के आधार पर इसमें किसी प्रकार का राजनैतिककरण नहीं होगा। एक सीमा निश्चित की गई पहली बार कि जनसंख्या के आधार पर 10 प्रतिशत पोपूलेशन जैसे मान लो एक हजार पोपूलेशन है तो या तो 9 सौ पोपूलेशन का वार्ड बन सकता है या 11 सौ की पोपूलेशन का वार्ड बन सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि दो हजार का एक वार्ड बन गया और एक हजार का एक वार्ड बना हुआ है। ऐसे बड़े-बड़े वार्ड और ऐसी छोटी-छोटी विसंगतियां राजनैतिक आधार पर जो पिछले चालीस सालों में हुई है आज उनको माननीय अध्यक्ष महोदय, रह-रह कर याद आ रही है कि अब हमारा क्या होगा ? परिणाम कोई भी हो इसको फेस करना पड़ेगा. राजनैतिक + + + के आधार पर राजनीति में जिन्दा रहने की जो आदत है उस को भूलना पड़ेगा। आज तीस प्रतिशत का जिस प्रकार का प्रावधान किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यास जी बोले हैं उनका जवाब तो देंगे ही मैं क्या करूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : तीन महीने बढ़ाना चाहते हो इसको आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह चाहता था कि लोग जिस प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं मैं जनमत जानने का प्रस्ताव इसलिये लाया था लेकिन क्योंकि जनमत जानने के इस प्रस्ताव के कारण कहीं चुनाव में विलम्ब नहीं हो जाये और आपकी वापस राजनैतिक चाल और + + + वह नहीं हो जाये क्योंकि यह पहली बार बिना राजनैतिक भेदभाव के तय किया गया। जैसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि पहले भी शिड्यूल्ड कास्ट वार्ड हुआ करते थे लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट वार्डों में कभी यह सीमा तय नहीं की गई कि इस प्रकार तीन, छः, नौ इस आधार पर वार्डों का निर्धारण होगा लेकिन पहली बार यह साहस किया राजनैतिक आधार पर + + + हम राजनीति में जिन्दा नहीं रहना चाहते, लेकिन नियमों के आधार पर राजनीति चलनी चाहिए मूल्यों के आधार पर राजनीति चलनी चाहिए। इस आधार पर हमने यह तय कर दिया कि महिलाओं का वार्ड एक, तीन, छः, नौ के आधार पर तय किया जायेगा इस प्रकार यह हिम्मत करके वार्डों का पुनर्गठन किया गया। कोई इस प्रकार की अनियमिततायें नहीं की गई है। पहली बार यह हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चुनौती देता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोंक का याद है क्या।

श्री अध्यक्ष : अपने प्रस्ताव के बारे में

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

बोलिये चुनौतियां तो दे देना बाद में। प्रस्ताव के बारे में क्या कह रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। इस प्रस्ताव को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने जनमत जानने के लिये इसलिये प्रस्ताव रखा कि जयपुर नगर में नगर निगम के चुनाव कराये जाने चाहिये थे। वास्तव में यह बात सही है कि नगर निगम के चुनाव का अगर सरकार का इरादा होता तो वार्डों का पुनर्सीमांकन होता। इन्हीं वार्डों में मेरे इलाके में भी, भी जहां तीन वार्ड थे वहां दो वार्ड कर दिये गये और उनकी संख्या बहुत बढ़ गयी। जबकि मुझे मालूम है अन्य वार्डों में संख्या कम है। इसमें कहां किस प्रकार से गलत हुआ यह मैं नहीं कह सकती लेकिन निश्चित रूप से कुछ गलत हुआ। मंत्री महोदय, इस को देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी जयपुर नगर को आप देखें....

श्री अध्यक्ष : अब आप सारे नगर को देखेंगे तो बहुत दिन लगेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी बात तो कहूंगी, मेरे पक्ष को मैं समर्थन नहीं दूंगी तो अध्यक्ष महोदय यह कोई बात नहीं हुई। जयपुर नगर में कभी एक कमिश्नर, एक प्रशासकीय अध्यक्ष, एक सफाई अधिकारी होता था आज कल पांच कमिश्नर हैं लेकिन एक्चुअल कमिश्नर एक भी नहीं है। इसके चार जोन बना दिये लेकिन जोन को कोई अधिकार नहीं दिये। अच्छा तो यह रहता कि एक कमिश्नर बनाया जाता जिन्हें बिल्डिंग प्लान और इनपार्टमेंट का अधिकार दिया जाता दूसरे सेनीटेशन के, बिल्डिंग के नक्शे पास करने के लिये होते। तीसरे शहर में सफाई करने के अधिकार के तहत होते और चौथे आउट सिटी वाल के अधिकारी होते लाइट को देखते, सफाई को देखते मैं यह कहना चाहूंगी कि पांच कमिश्नर होते हुये भी शहर की स्थिति बद से बदतर है और जिस तरफ कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से जयपुर के बारे में विचार किया गया यह कभी बर्दाश्त करने काबिल बात नहीं है। मंत्री महोदय, हमने आपको हर बार यह निवेदन किया है कि राजस्थान में आप नगर निगम के उसमें आयें जिससे सी. टी. एस. चल सके आज जयपुर में सी. टी. एस. छोड़ दीजिये मैं सिक्किम में गयी तो मैंने वहां पर देखा उनके खुद के नगर निगम है।

इस तरह से जयपुर के नागरिकों के साथ पूर्व सरकार ने मजाक किया है। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 15 पर्सेन्ट जे. डी. ए. से नगर परिषद का हक बनता है, धेला देते नहीं और जो जे. डी. ए. है वह विकास आथोरिटी थी रेग्यूलेशन करने वाली आथोरिटी नहीं थी, नगर परिषद रेग्यूलेशन करे सब चीजों का तो यह बात देखी जाती थी। लेकिन नगर परिषद तो जे. डी. ए. पर थोपती है कि हम काम नही कर सकते और जे.डी.ए कहता है कि नगर परिषद की वजह से मैं काम नहीं कर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकता। सबके बीच में जयपुर के नागरिक भटकते रह गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय, जिस प्रकार अन्य नगरपालिकाओं के चुनाव सरकार ने करा लिये और जयपुर के नहीं कराये। जोधपुर के कोर्ट के माध्यम से कराये। जयपुर के भी कई बार आदेश हुये लेकिन नहीं कराये। मेरा निवेदन है यहां नगर निगम के चुनाव कराने के आधार पर आप वार्डों का सीमांकन करें और फिर चुनाव करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीसरा जो बिन्दु है, जिसमें आप भूतलक्षी प्रभाव से कोर्ट के फैसले के अगेन्स्ट बिल लाये हैं, मैं निवेदन करूंगी, उपयोग और विषय की बात थी। जोधपुर नगर परिषद के एक वाद को हाईकोर्ट ने फैसला किया और उस पर यह व्यवस्था दी गई थी कि तीनों स्थितियां हों अन्यथा आपको रिफण्ड करना पड़ेगा जो आप टैक्स ले लेंगे। तीनों में एक के होने पर यह फैसला कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। अपने प्रस्ताव पर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह से आप एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपकी मिनट का पैमाना बहुत लम्बा हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो बिल का पैमाना है वह मेरे बोलने का पैमाना है। इसके अतिरिक्त मैं एक शब्द नहीं बोल रही हूं। मैं निवेदन करनी चाहूंगी कि अगर जोधपुर में आइल आता है और वह डिस्ट्रीब्यूट कहीं अन्य जगह होता है वहां पर चुंगी ली जायगी और अगर उसके बाद में फिर कहीं और दिया जायगा तो चुंगी ली जायगी। आप इसको ऐसा कर सकते थे कि जहां एक जगह पर ले ली जाय, वह प्रमाण-पत्र दे दें कि यहां पर यह कर ले लिया और सरकार को वह मिल जाय तो निश्चित रूप से अच्छा रहता। हर जगह पर जहां माल जायगा इसकी चुंगी लगेगी। मैं समझती हूं पच्चीस जगह चुंगी लगना ठीक नहीं है, इस पर आप जरा विचार कर लें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के बारे में क्या कह रही हैं, रख रही हैं कि विदड्रा कर रही हैं? कोई जिक्र नहीं। श्री हेतरामजी अपना प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे तथा तीन माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। मैं यह प्रस्ताव करते हुए यह कहना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं में जो महिलाओं के लिये आरक्षण है यद्यपि मैं उसका स्वागत करता हूं। महिलाओं को जो यह अधिकार पहली बार हमने दिया, निश्चित तौर से इस वजह से हमारे महिला वर्ग में चेतना बढ़ेगी और प्रशासन में वह हिस्सा ले सकेंगी, वह स्वागत योग्य है। पर इसका राजनीतिक तौर से जो इस्तेमाल किया गया है, विशेष तौर से मेरे जिले में मैंने देखा है कि शहर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक शहर का हिस्सा है जहां किसान रहते हैं, एक हिस्सा वह है जिसमें व्यापारी रहते

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हैं। मैंने यह देखा है कि जो किसानों वाला हिस्सा है उसमें तीन नम्बर और 6 नम्बर वार्ड बन गया। यह समझ में नहीं आया कि किस तरह से वह गिनती शुरू हुई, एक, दो, तीन, चार होते-होते वहां तीन, छः आ गये। इस तरह से मैंने देखा है कि यह इस लिये किया कि चौधरियों की बजाय उनकी पत्नियां ही उनका (व्यवधान) हां, वही महिला वार्ड जो है। इस तरह से वार्ड में डी-लिमिटेशन करते वक्त या वार्ड की जांच करते वक्त जो जल्दी की गई है और उसका जिस तरह का रूप छोटी म्युनिसिपैल्टियों में से इस तरह से किया गया है वह गलत तरीका है।

दूसरा जो इसका भाग है, एक अमेण्डमेंट किया गया है चुंगी के बारे में। मैं समझता हूं, राजस्थान में प्रमुख तौर से जो भारतीय जनता पार्टी है वह तो अपने विचार रखती है कि चुंगी भ्रष्टाचार का एक स्रोत है, चुंगी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके उसका कोई नया विकल्प ढूंढना चाहते हैं, इसको सिर्फ अदालत की वजह से ही, अदालत के फैसले की वजह से ही इसमें रखा गया है। तो मैं समझता हूं इसको टेम्परेरी रखने की इसमें जरूरत नहीं थी। उनको चाहिये था कि उसको पूरे रूप में ही विकल्प के रूप में रखते जिससे सारे राजस्थान में ही चुंगी न लेकर, मैं समझता हूं चुंगी के बारे में हमारी जो ऑपीनियन है कि इस चुंगी का बहुत बड़ा भाग जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं वे ही खा जाते हैं। छोटा जो गरीब आदमी है उससे तो म्युनिसिपल्टी चुंगी ले लेती है, दबोच लिया जाता है। या जो किसान है वह चुंगी देता है। दो ही वर्ग चुंगी देते हैं। एक तो जो किसान फसल लेकर आता है वह पकड़ा जाता है और मौके पर पकड़ा जाता है इसलिए उसको चुंगी देनी पड़ती है। दूसरा छोटा व्यापारी जो अपना माल लाता है वह इस तरह के साधनों से लाता है कि वह पकड़ा जाता है। जो बड़े-बड़े ट्रकों से खुद के ट्रक ऑपरेट करके बड़े-बड़े लोग चुंगी लाते हैं, विशेष तौर से बहुत सा कीमती माल, बिजली के बहुत से उपकरण, बिजली का सामान, खास तौर से सोना-चांदी। अध्यक्षजी, आपको ताज्जुब होगा, गंगानगर में पिछले तीस-चालीस सालों में जब से चुंगी का कानून बना, एक रुपया भी सोना-चांदी की चुंगी नहीं ली गई। गई। इसका मतलब सोना कभी आया ही नहीं। क्या चांदी कभी आई नहीं शहर में। इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं। चुंगी की व्यवस्था के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सरकार वचनबद्ध है इसमें। उनको चाहिए कि इस रूप में, विकल्प के रूप में पेश करें जिससे जो म्युनिसिपल्टीज है उनकी स्थिति सुदृढ़ हो। अगर हम वाकई चाहते हैं कि म्युनिसिपल्टीज को कुछ दे सकें, उनको अधिकार दे तो आर्थिक आधार के बिना कोई अधिकार नहीं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना एवं आवासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि चुनाव बहुत जल्दी कराने की इच्छा है और सारे संशोधन हमने इसीलिए किये

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय। अगर आपकी यह बात मान ली जायेगी तो चुनाव टाइम पर नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूं आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए कि चुनाव जल्दी से जल्दी हम करा पायें।

जहां तक नगरपालिकाओं की चुंगी का सवाल है, आज सुबह एक प्रश्न था उसके उत्तर में सरकार की नीति मैंने स्पष्ट की है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है और एक कमेटी का गठन किया हुआ है उसकी रिपोर्ट आते ही, अविलम्ब इस पर कोई न कोई निर्णय करेंगे कि किस तरह से लगाई जाय इसका क्या बेसिस हो, क्या आधार हो। उस आधार पर भी विचार करके आपके सामने रखेंगे। अभी तो सवाल यह है कि यह जो चुनाव नगरपालिकाओं के कराना चाहते हैं उसके लिए आपका जो प्रस्ताव है, मैं समझता हूं उसको वापिस लेना चाहिए ताकि चुनाव जल्दी हो जाय।

वार्डों के बारे में जो आप बार-बार शिकायत करते हो उसमें शायद एक दिक्कत है। पिछली बार यह वार्ड जनसंख्या के आधार पर किये थे, अब के बने हैं मतदाता के आधार पर। इसमें परिवर्तन थोड़ा इसलिए हुआ है और फिर इनमें जो समानता लाये हैं वोटों की, उसके कारण डी-लिमिटेशन में भी अन्तर आया है। यह कारण है इसका। इसलिए बिल न्यायपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड (2)-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

(214)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय–Clause 3 "Sub-section (b) of Section 24 sought to be substituted by clause 3 shall be deleted" यह संशोधन अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए दिया है कि महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण जारी रखा जाये, बरकरार रखा जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बी. जे. पी. में आपको सेक्यूलर इमेज का व्यक्ति माना जाता है और पहले ऐसी परम्परा रही है, पहले प्रावधान रहा कि जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते थे उस वार्ड को डबल कॉस्टीट्रवेन्सी का वार्ड बनाया जाता था। एक साधारण एक सामान्य और एक अनुसूचित जाति इसी प्रकार का प्रावधान यदि आप इसमें कर देते हैं कि मान लीजिए किसी कान्स्टिटूएन्सी में जैसे जयपुर नगर परिषद् का उदाहरण ले लीजिए और यह 40 वार्ड है। 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। उन 12 वार्डो में 12 महिलाएं चुनकर आ जायें और 12 पुरुष चुनकर आ जायें। डबल कॉस्टिटूएन्सी का यदि वार्ड यदि आप बना दे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में (व्यवधान)

श्री शांतिलाल (राजसमंद) : महिलाओं की काबलियत पर आपको भरोसा नहीं है इसलिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ गये, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : आरक्षण नहीं चाहते। नीयत साफ....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं और आप आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मनोनयन किया है आपने इलेक्शन करके कह दिया महिलाओं को अलग से। जो 30 प्रतिशत की बात....

श्री अध्यक्ष : विद्या पाठक जी कृपया आप बैठिए।

माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सही अपने संशोधन का....

श्री अध्यक्ष : आपके पास और कोई फार्मूला है। फार्मूला बोलिए, फार्मूला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डबल कॉस्टिटूएन्सी का वार्ड बनाकर महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव कराते तो उचित रहता और जो आपत्तियां आई हुई हैं उन आपत्तियों पर विचार कर महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण रखकर और पुराने वार्डो के आधार से इसका यह परिसीमन करेंगे तो यह ज्यादा उचित रहेगा नहीं तो इतना इसका विरोध कर आपको चुनावों में जो आपने राजनीतिक आधार पर बात की उसका विरोध करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न है इसका क्या जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : महोदय, महिलाओं का रिजर्वेशन किया है इससे बड़ी तकलीफ है आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं है, पचास प्रतिशत कीजिए हम समर्थन करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा और तीस प्रतिशत रहेगा और कुछ भी करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पचास प्रतिशत दीजिए हम समर्थन करेंगे उसका।

एक माननीय सदस्य : कल्लाजी आप महिलाओं के विरोधी हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप महिलाओं के रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं आपने जो संशोधन दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,....

एक माननीय सदस्य : आप क्यों विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : घर से लड़ आये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संशोधन पढ़ देता हूं कि आपने संशोधन यह दिया है....

"Sub-section (b) of Section 24 sought to be substituted by clause 3 shall be deleted."

आपने डिलीट करने को कह दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वार्ड बनाइये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : बैठिये आप, आपने जो संशोधन किया है वह 24 का जो बी है उसको डील करने के लिए दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उनका झगड़ा हो गया है घर में आज।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह तो प्रकट हो रहा है साहब। पर इनके झगड़े से महिलाओं का आरक्षण खत्म नहीं होगा। 24 बी का पढ़ता हूं मैं—

"In the case of a seat reserved for a woman, such person is an elector for any ward in the municipality and belongs to the female sex;"

वे लड़ सकते हैं। महिला वार्ड में महिला ही लड़ सकती हैं आपने इसको डीलिट करने के लिए कह दिया। यह क्या है ? यह डीलिट करने के लिए कहा आपने, अगर इसको डीलिट किया जाये....

श्री बुलाकीदास कल्ला : डबल कांस्टीटूएन्सी के लिए कहा गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका प्रस्ताव यह है इसको मैं डीलिट कर देता हूं। अगर आप उस प्रस्ताव को मान लें और महिलाओं का रिजर्वेशन डीलिट कर दें तो महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं रहेगा। यह आज होगा न कल होगा, कल होगा; कल्लाजी। मैं आप और आपकी पार्टी से कहता हूं कि आप चाहे कितना ही विरोध करें। महिलाओं का आरक्षण रहेगा और यह महिलाएं जीतकर आयेंगी। निश्चय कर लीजिए आप।

२१८

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन श्री बुलाकीदास कल्ला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 6 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 में अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप पढ़ दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : दोनों एक साथ बोलेंगे। एक, ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री महोदय ने और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बार-बार यह कहा कि हम लोग महिला विरोधी हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो आदरणीय राजीव गांधी थे जिन्होंने हिन्दुस्तान में सबसे पहले....

श्री अध्यक्ष : श्रीमान जी महिला विरोधी तो पैदा ही नहीं हो सकता, इस दुनिया में।

श्री जुबेर खान : महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, बार-बार यह कह कर कि हम कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं इस बात से राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेता, सदन के नेता आदरणीय भैरोंसिंह जी कहते हैं कि हमारी सरकार खुली सरकार है, हर वर्ग की सरकार है, संवेदनशील सरकार है और बड़े-बड़े शहरों में सद्भावना के बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संदेश लग रहे हैं। आज जनता में और खास तौर से अल्पसंख्यक लोगों में यह भावना है कि जो यह वार्ड बनाये जा रहे हैं या जो यह आरक्षण किया जा रहा है आर. एस. एस. और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा

(श्री जुबेर खान)

अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है आज यह जनता में मेसेज जा रहा है मैं तो यह चुनौती देना चाहता हूं कि आप कैसे भी कर लीजिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात मुख्य मंत्री जी के मुख से नहीं निकलती तो हम किसी तरह यह बात नहीं कहते कि आप अल्पसंख्यकों को भी देखिए । क्योंकि आज जो मेसेज जा रहा है जनता में, वह यह जा रहा है कि यह सरकार अपने आर. एस. एस. और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और राजनीतिक प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी इस के लिए कोई कदम उठाना चाहेंगे या जिस तरह से जो यह प्रशासन चल रहा है वार्डों का, माननीय मंत्री जी ने कहा था हमने कोई नहीं छोड़ा, कोई मोहल्लों का । मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए । मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि एक वार्ड के मुसलमान वार्ड से निकालकर दूसरे वार्ड में जोड़े गये सिर्फ इसलिए कि पहले वार्ड में अल्पसंख्यक की संख्या कम हो जाये और दूसरे वाले में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और पहले वार्ड से कोई माइनोरिटी और अल्पसंख्यकों का कोई आदमी चुनकर नहीं आये । इस तरह के वार्ड बनाये गये । आपने सदन में यह बात कही है कि जांच करायेंगे, इन्क्वायरी करायेंगे और अगर ऐसा पाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उसको संशोधित करेंगे । मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि एक ही लोकलिटी बड़ी लोकलिटी से दो, तीन, चार वार्ड हैं और उनका नम्बर इस तरह से कर दिया जाये कि किसी तरह से वे वार्ड महिलाओं से जुड़ जायें या एस. सी., एस.टी. से जुड़ जायें और जो अधिकार उस मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों के लोगों को मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिल पाये इस तरह का किया गया है । आप यह जांच करा लीजिए । इसलिए मैं आपकी भर्त्सना करता हूं । आपने इस तरह के जो वार्ड बनाये, इस सदन के माध्यम से आपने क्या राजनीति खेली है । अल्पसंख्यक लोगों को दबाया है । उनके खिलाफ यह कार्यवाही की है और जो आपका मन था, जो भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. की नीति है, उसको आप राजतंत्र के माध्यम से ले आये । मुख्य मंत्री, सत्ता पक्ष के नेता ने जो बात कही थी अपने उद्घाटन भाषण में, अपने बजट भाषण मे वह सरासर असत्य थी या तो जो बात आप कहते आये, लोग उन्हें नहीं मानते या वे नहीं चाहते । मैं यही कहना चाहता था । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कहें और उसके प्रति यह सुनना पड़े कि हम महिलाओं के विरोधी हो गये हैं इससे +++ और

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कोई हो नहीं सकती । मैं तो विशेष रूप से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा....

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : पहले यह तो बोल लें ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : एक मिनट । महिलाओं के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : आप महिला-महिला कर रहे थे तो महिला खड़ी हो गई ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं के खिलाफ क्यों हो रहे हैं ? क्या ये आज सभी घर से लड़ करके आये हैं ? इसीलिये शायद इन्हीं की वजह से श्रीमती रमा पायलट जी भी बाहर चली गयी हैं । इसलिये रमा जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वह भी हमारे पास आकर बैठ जायें....

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, तीन माननीय सदस्य ही महिलाओं के खिलाफ हैं । एक प्रो. केदारनाथ, दूसरे डा. चन्द्रभान और तीसरे पण्डित रामकिशन जी, बाकी सब महिलाओं के पक्ष में हैं ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह एक दिन की लड़ाई नहीं है । ऐसा लगता है कि यह लड़ाई बहुत सालों तक चलेगी और एक दिन ऐसा आयेगा कि इस सदन में शायद महिलायें ही मिलेंगी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनके लिये एक सदन अलग बनवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब महिलाओं के खिलाफ मत बोलना ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों अखबार में यह आया था कि सीकर की नगर परिषद् के चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां का वार्ड परिसीमन सही नहीं हुआ है । वहां वार्ड का गठन इस तरह से किया गया है कि उस वार्ड को उस में घुसा दिया, उस वार्ड को उसमें घुसा दिया और सारा का सारा राजनैतिक वातावरण तैयार किया गया है । इससे वार्ड का मामला ही परेशानी में नहीं पड़ा है बल्कि वहां लोकल लेवल पर इस तरह के हालात पैदा हो गये हैं कि आपस में लोगों में एक तरह से विरोधाभास सा खड़ा हो गया है । अतः आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सीकर नगर परिषद के चुनाव बाकी नगर पालिकाओं के साथ नहीं करवाये जा रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : आपका ही हाथ आपकी जेब में है ।

श्री मदनलाल सैनी : यह पहली बार हुआ है । इनका हाथ दूसरों की जेब में होना चाहिये था ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की जेब में हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूं ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि क्या सीकर नगर परिषद के चुनाव अन्य नगरपालिकाओं के साथ होने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री राम किशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अमेंडमेंट आया है, मैं समझता हूं चालीस सालों में यह ही एक ऐसा अमेंडमेंट है जो सबसे ज्यादा कामकारी है और मैं इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आशा करता था कि हमारी नगर परिषदों की जो हालत है, उस पर विचार करके सरकार को कोई पूर्ण बिल लाना चाहिये था। आज नगरपालिकाओं की हालत इतनी खराब है कि अगर दुनिया में किसी को नर्क देखना हो तो आप किसी शहर में चले जाइये। अब इन सारी स्थितियों को कैसे सुधारें ? इसमें वित्तीय प्रबन्ध का सवाल खड़ा हो रहा है। नगर परिषदों की मुख्य आमदनी का जरिया आक्ट्राय रह गया था और अध्यक्षजी आप जानते हैं कि इसमें जितनी चोरी होती है उसकी कोई इन्तहा नहीं है। मैं एक निवेदन खास तौर से मुख्य मंत्री जी से करना चाहूंगा कि हम और वह सब एक बात से बंधे हुए हैं कि हम विकेन्द्रीकरण के पक्षधर हैं। इसलिये जिस प्रकार से सेन्टर एक वित्त आयोग बना कर हर साल राज्यों को मदद देता है, इसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी नगर परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत करने के लिये कोई आर्थिक सगठन खड़ा करना चाहिये जिससे समय के अनुसार उनको मदद दी जा सके।

इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर मेरी यह मान्यता है कि हमें इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहिये और प्रशासन का भार, और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जितना ज्यादा विकेन्द्रीकरण होगा उतना ज्यादा काम सरल होता चला जायेगा। और इस चुंगी की चोरी को रोकने के लिये हमें क्या-क्या प्रबन्ध करने चाहिये, उन पर विचार करना चाहिये। एक तो जो इन नगर पालिकाओं के आमदनी के साधन थे वह करीब-करीब समाप्त हो गये हैं। एन्टरटेन्मेंट टैक्स तो करीब-करीब खत्म ही कर दिया गया, बिक्री की जमीन कहीं रही नहीं और भवन कर जो लगे हुए हैं वह वसूल होते नहीं। आज नगर पालिकाओं की हालत यह है कि वह अपने कर्मचारियों को बड़ी मुश्किल से तनख्वाह दे पाते हैं। केवल कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं और तनख्वाह उनको देते रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी से, खास तौर से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राज्यों में इस प्रकार का एक आयोग गठित किया जाये जिससे नगर पालिकाओं की स्थिति को देखकर उनकी हालत को सुधारने के लिये जिस प्रकार केन्द्र राज्यों के लिये वित्तीय मदद देता है उसी प्रकार का किसी सरकार की इच्छा पर नहीं उसको वैधानिक दर्जा दिया जाये जिससे नगर पालिकाओं को मदद मिल सके।

दूसरी बात जहां तक महिलाओं को आरक्षण दिया है, हम लोग तो इसके समर्थक थे, शुरू से ही महिलाओं का सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के साथ

(श्री राम किशन)

जिन तरह की परिस्थितियां आयेंगी जैसे चुनावों में गुण्डागर्दी हुई है, जिस प्रकार की हिंसा बढ़ रही है, जब महिलायें चुनाव लड़ें तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध हो, नहीं तो जिस प्रकार का हमारे समाज में तनाव है और चुनाव के नाम पर जो तनाव पैदा होता है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो चुनाव की बजाय कई जगह महिलायें बेइज्जत हो सकती हैं। इसका ख्याल रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने दो चीजों को नोटिस में लाने के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आगे चलने दीजिये। आप कई बार बोल चुकी हैं। आज का दिन आपके नाम लिख दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल यह जानना चाहती हूं आपने एक समिति की बात कही, उसकी जरा व्याख्या कर दें।

श्री अध्यक्ष : बता देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका निवेदन कुछ नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट ही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो बोलिये, एक मिनट।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमारी नगरपालिका टोडाभीम में जितने भी रिजर्व्ड वार्ड थे, एस सी, एस टी. के वार्ड थे, उनके अन्दर तो महिला वार्ड बनाये नहीं और जो जनरल वार्ड थे उनमें बना दिये गये। क्या उनमें महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते?

श्री अध्यक्ष : कोई मनाही थोड़ी है, वह खड़ी हो सकती हैं। अब आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा निवेदन है, टोडाभीम नगर पालिका में दो माह से हड़ताल चल रही है आप चुनावों की बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : नगर सड़ रहा है। इस पर पहले विचार किया जाये....

श्री अध्यक्ष : और जोर से बोलिये।

विधेयक का पारण

माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बार-बार मांग उठाई गई कि अल्पसंख्यकों को उधर कर दिया या इधर कर दिया। यह पता नहीं अल्पसंख्यकों को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक हमारे साथ रह कर वोट नहीं दे सकते हैं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? उनका अलग वार्ड बनना चाहिये, वह अलग वोट देंगे। कभी एक साथ बैठेंगे नहीं, कभी हमारे साथ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वोट देने आयेंगे नहीं। यह सोच आपका है। यह सोच हमारा नहीं है.... (व्यवधान) न अल्पसंख्यक सोचते हैं न बहुसंख्यक सोचते हैं। हम हिन्दुस्तान के नागरिक को एक मानते हैं और यह हमारा विश्वास है कि वह हमारे साथ रह कर भी जो ठीक वोटर है वह वही देता रहेगा....

श्री जुबेर खान : भगवान सद्बुद्धि देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बार-बार मत खड़े होइये। एक बार हो गया, दो बार हो गया। हर बात में इन्ट्रप्शन कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय रामकिशन जी ने जो बात कही है उनसे मैं बहुत सहमत हूं। अभी चूंकि चुनाव तुरन्त करवाने थे और उसके लिये संशोधन आवश्यक थे, वह लाने पड़े। निश्चित रूप से इस पर विचार करके नगर पालिका का कोई अच्छा बिल आ जाये उस पर मैं आप का भी सहयोग चाहूंगा और इसको भी समय पर करेंगे। नगर पालिका की चुंगी के लिये भी जैसे मैंने सुबह निवेदन किया था, अभी भी कहता हूं कि एक समिति बनी है वह इस पर विचार करके जो बात करेगी, उसे पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज दो बिल जो लिस्ट आफ बिजनस में नहीं थे, पुरःस्थापित किये गये हैं। मैंने उन बिलों की अर्जेन्सी को देखा है और अर्जेन्सी को देखकर मैं उचित समझता हूं कि उन बिलों को आज ही पारित किया जाये। बहुत छोटे बिल हैं...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं इस संबंध में सदन की इच्छा जानना चाहता हूं। क्या सदन की इच्छा है कि इन बिलों को आज ही लिया जाये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर बाद में करिये। आप उठा लेना, मैं जवाब दूंगा। बैठिये आप। मेरी बात तो खत्म होने दीजिये।

मैं सदन की दुबारा इच्छा जानना चाहता हूं कि क्या दोनों बिल आज ही लिये जायें ?

(स्वीकृत)

अब आप कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाना है तो उठाइये।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य-सूची से भिन्न कार्य का विन्यास

श्री प्रद्युम्नसिंह : आसन की इस प्रकार की व्यवस्था पर मैं घोर आपत्ति प्रकट करता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पाइण्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं। पाइण्ट आफ आर्डर उठाइये ना। आप जनरल रिमार्क्स मत

(श्री अध्यक्ष)

करिये। आप आसन पर रिमार्क्स नहीं कर सकते। आप पाइन्ट आफ आर्डर उठाइये। (व्यवधान)

Don't try to inflict remarks on the Chair, No, No. I won't allow you. Please sit down. I don't allow you. Mr. Hari Singh, What is your point of order ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : I have raised a point of order.

श्री अध्यक्ष : Let him say. You have never raised the point of order.

श्री प्रद्युम्नसिंह : Yes, I have raised the point of order. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Now do it. Now do it. Yes, do it. हां बोलिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह नियमों के अन्दर है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर आपने जो आज का बिजनस तय कर लिया है, आज उसके अन्दर आसन कोई एडीशन करना चाहता है, सरकार उसमें कोई एडीशन करना चाहती है तो वह बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायेगी बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाये बिना ही इस प्रकार का निर्णय आसन के द्वारा सदन में नहीं लिया जा सकता। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आपको ऐसा था तो आपको विपक्ष के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप विराजिये तो सही। मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, सुनाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आखिर यह सरकार लोकतांत्रिक परम्पराओं के अन्दर चल रही है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बिल्कुल ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कमेन्ट्स क्यों कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं। मैं कोई कमेन्ट्स नहीं कर रहा हूं। बोलिये आप। लोकतन्त्र की परम्पराओं पर चल रहा है। ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रनिंग कामेन्ट्री करेंगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये तो सही। अब आपके पास बोलने के लिये नहीं है तो मुझे नहीं कहना। हां, तो बोलिये आप। गो आन प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बिल्कुल नियमों के विपरीत कार्य है। सरकार अगर बिजनस को पारित करना चाहती है तो सदन की कार्यवाही बढ़ा सकती है। उन बिलों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का ना हमने अध्ययन किया, ना हमने उनमें कोई संशोधन पाया, ना हमने उसके अन्दर किसी प्रकार का और कोई संशोधन देखा। अब एब्रेप्टली छोटे बिल के नाम पर सरकार उन बिलों को आपके माध्यम से पारित करना चाहती है तो यह बहुत अनुचित बात है अध्यक्ष महोदय। यही मेरी व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्। आप ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर सारे सदन की राय लेकर के, ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर सरकार अनडेमोक्रेटिक कार्य करती है...

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर कर चुके। अब आप बिराजिये। अब आप बोलिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया कि दो बिल हैं, उनके लिये अनुमति आपने मांगी है। इस सदन ने अनुमति भी दे दी लेकिन यहां तक नहीं बताया कि बिल किस बात के हैं। कौन से चीज के बिल हैं। अन्धेरे में ही आपने सदन से हां भरवा ली। अध्यक्ष महोदय, आपको कम से कम यह कहना चाहिये था कि ये बिल हैं। हमें तो बिलों का ही मालूम नहीं है। आपने हम से हां भरवा ली। यह मेरे ध्यान से इस सदन को बगैर जाने, सदन को मालूम नहीं, किस बात की हां भर रहे हैं और सदन ने हां भर ली। यह सदन की मर्यादाओं को गिराना है। यह मेरी मान्यता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब आपने पाइण्ट आफ आर्डर उठाते हैं तो कायदे की बात करिये। जनरल बातें करने से कोई मतलब नहीं है आप लीगल पाइण्ट उठाइये। मैं लीगल व्यवस्था दूंगा। ऐसा थोड़े ही है कि बिना कानून के और बिना व्यवस्था के कर रहा हूं। I will give, I will give instances. आप चिन्ता मत करो। मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। डेमोक्रेसी की प्रक्रिया के मुताबिक ही हो रहा है। बोलिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई भी आदमी जिससे हां भरवाई जावे, उससे पहले उसको यह तो बता दिया जावे कि इसके लिये हां भरवाई गई है। इस सदन में हमें मालूम नहीं है। आपको व्यक्तिगत मालूम होगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बिराजिये। हो गया आपका (व्यवधान)

आज दो बिल जो पुरः स्थापित किये हैं, यह मैंने उल्लेख किया था। सदन को पता है कि आज कौन से बिल पुरः स्थापित किये गये हैं। इसलिए अनजान होने का सवाल ही नहीं है। इस सम्बन्ध में रूलिंग भी है और इस रूलिंग के आधार पर मैं कर रहा हूं और यह सुन लीजिए आप "In the exercise of his discretionary powers, the Speaker may also permit consideration of an item of business not included in the list of business giving due consideration to the wishes of the House and urgency of the business to be transacted."

Urgency is there. It is for me to decide.

(श्री अध्यक्ष)

मैं कन्विस्ड हूं कि जो बिल आये हैं वे अर्जेन्ट हैं, बहुत माइनर हैं और इसमें जिस तरह की बात है, वह होनी आवश्यक है और मैंने बीच में भी इसलिये लिया है क्योंकि हाउस का समय आज के बिजनस समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया गया है। और यह बिजनस में शामिल नहीं था इसलिये मैं इसको बीच में ले रहा हूं ताकि हाउस का समय बाकी का बिजनस होने तक रहेगा। बिजनस समाप्त होने के बाद इनको लेने का सवाल नहीं था। इसकी अर्जेन्सी से मैं कन्वींस्ड हूं और इसलिये मैंने हाउस विशेष की जानकारी प्राप्त की है कि यह पार्लियामेन्ट प्रेक्टिस और प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेन्ट से मैंने आपको कोट किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, We can apply our minds to the Bills. आप इस बिल को पूरा समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मेरी बात सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि नियमों का हवाला आपने दिया है, रूलिंग की है। आपका अधिकार भी है। सदन ने सहमति भी दे दी। मैं सिर्फ यह प्रार्थना कर रहा हूं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। कल सदन नहीं चल रहा है क्या? आखिर आप इसको क्यों बीच में लेना चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : कल भी एक बिल ऐसा आयेगा। कल का बिजनस आलरेडी फिक्सड है। फाइनेन्स बिल है। उसके साथ और अनेक बिल हैं। मुझे मालूम है, फाइनेन्स बिल पर अच्छी बहस होगी। उसके बाद और भी बिल आयेंगे। सारी बातों को ध्यान में रखकर कल जितना बिजनस है, कल इसके अलावा भी इस सत्र का आखिरी दिन होने की वजह से आप लोग भी बहुत से मुद्दों पर बोलना चाहेंगे। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर के यह बिल आज होने चाहिये। इसकी अर्जेन्सी को समझकर हाउस विशेष को जानकर मैंने यह प्रस्ताव आपके सामने रखा है और मैं समझता हूं इसमें कोई इल्लेगिलिटी नहीं हैं, इसमें कोई अप्रजातांत्रिक तरीका नहीं है और जिस तरह का छोटा बिल है उसमें किसी प्रकार से भी गला घोंटने का सवाल पैदा नहीं होता है, I am within my right मैं जो कर रहा हूं विदिन माई पावर्स मैं कर रहा हूं I am exercising my discretion. और चूंकि प्रक्रिया में ही यह सारी बातें उल्लेखित हैं। इसलिए मैं प्रक्रिया के अनुसार अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करते हुए सदन की इच्छा की जानकारी लेने के बाद यह कार्यवाही कर रहा हूं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, न इसमें कोई नाराज होने का सवाल है, न यह कहने का प्रश्न है कि सदन का गला घोंटा जा रहा है हमको पूछा नहीं गया। मैं नहीं समझता कि यदि ये बिल इतने महत्त्वपूर्ण होते कि इसमें डिबेट की गुंजाइश होती तो जरूर आप से पूछ लिया जाता। आप बिल देख लीजिये, किस बात के लिये बिल है फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य इस बिल में अभी कोई भी अमेण्डमेन्ट देना चाहता है तो आई बिल अलाऊ हिम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : पूरक कार्य सूची जो है हमें 11 बजे मिल गई लेकिन जानकारी में नहीं है, यह बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इल्लेगिलिटी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इनप्रोप्रायरिटी का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। आप ऐसा क्यों चाहते है, हमने देखा नहीं, हमने समझा नहीं। आप क्या समझते हैं कि अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : क्या मेरे लिए यह जरूरी हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों यह चाहता हूं ? Is it necessary ? नहीं है ना। बस। फिर यह प्रश्न क्यों करते हैं ? जो मेरे लिए बताना जरूरी नहीं है उसके लिये क्यों प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है, It is within my discretion and I am convinced that the matter is urgent and is to be taken-up today. अब मुझे इसके लिए जब आप को बताना जरूरी नहीं है तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप ? अब प्रोप्रायोरिटी की बात मैंने बताई है। It is within my propriety rights.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. You are within your legal rights.

श्री अध्यक्ष : I am within my legal right and propriety right as well, because the House has given consent. Because the House has given consent, I am within my propriety right also.

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेन्ट चाहती है कि इस बिल पर विचार नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने हाउस है। मैं गवर्नमेन्ट और विपक्ष को अलग नहीं मानता। मेरे सामने हाउस है और मैं हाउस की कन्सेन्ट के साथ चल रहा हूं। इसको ध्यान में रखिये आप। गवर्नमेन्ट को जो कहना है, कहिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : महोदय, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की किताब पढ़ी है आपने हाउस तो एक नेता महोदय के पीछे चलता है। वह जो चाहता है, उसके साथ पूरी मेजोरिटी होती है। वह चलता है। इसलिए आप कहते हैं नियमों का हवाला देते हैं, ठीक है लेकिन औचित्य का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, कल सदन चल रहा है। अच्छा आप यह क्यों मानते हैं कि अगर कल यह बिल आये, छोटे बिल हैं तो अनावश्यक रूप से आप क्या समझते हैं कि विपक्ष के लोग जबरदस्ती खड़े हो जायेंगे, उस पर चर्चा करना पसन्द करेंगे लेकिन कम से कम उनको देख तो लेने दीजिये, हमको उन पर विचार तो कर लेने दीजिये और मैं जो समझता हूं जो टाइटल है अध्यक्ष महोदय "राजस्थान नगर सुधार संशोधन....

श्री अध्यक्ष : अच्छा मैं यह कर लेता

(श्री अध्यक्ष)

हूं पहले लोकायुक्त बिल ले लूं, जब तक आप देख लो ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यानि लोकायुक्त पर पार्टी डिबेट पार्टिशिपेट नहीं करें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जे. डी. ए. के पचासों मामले पड़े हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति से बोलिये । आप धीरे बोलिये । आप रोष करते हैं तो मुझे भी आ जाता है । इसलिये कि यह छूत की बीमारी है, मुझे लग जाती है जब आप बोलते हैं तो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे भी लग जाती है, हम दोनों के लग जाती है ।

श्री अध्यक्ष : हां, इसलिये तो आप भी शांति से बोलिये, मैं भी शांति से बोल रहा हूं । आप शांति से बोलिये, आप जोश में आते हैं ना तो मेरे भी लग जाती है, मत लगाइये आप ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमको भी आ जाता है आपको देख करके, अब क्या करें ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, इसलिये आप शान्ति से बोलिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक दोनों हैं । आप पूरे जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी....

श्री अध्यक्ष : क्या है विधेयक, आप बताइये । आप पढ़िये, आपके पास है विधेयक । एक लाइन का अमेंडमेंट है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकर कहां आये ? लेकर नहीं आये, घर पड़ा हुआ है वह तो । कल रात को डाक में मिला है वह लेकर नहीं आये । इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हालांकि अन्दर की बात के लिये आपने कई दफा यहां पर व्यवस्था दी है कि जो आपके चैम्बर में डिस्कशन हुआ है उसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये । सत्ता दल के चीफ व्हिप जी से भी बातचीत हुई थी । मैंने कहा कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, उसके बाद चर्चा नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर विकास प्राधिकरण को लेकर, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लेकर दुनिया भर की बातें चल रही हैं । आज ठीक है, आप पैटर्न सैक्शन में अमेंडमेंट कराना चाहते हैं लेकिन आज जयपुर विकास प्राधिकरण को लेकर जो उसके प्रिन्सिपल हैं, विस्तृत तौर पर तो लोग पचास बातें कहना चाहेंगे । एक यही अवसर है जब जयपुर विकास प्राधिकरण पर चर्चा होगी । और आप आनन-फानन में बिल पास करना चाहें तो, अध्यक्ष महोदय, हमने यह तय कर लिया है, अगर आज सरकार इसके ऊपर करायेगी तो इन दोनों बिलों के ऊपर हमारे दल की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे । आप पास करा लीजिये । हम एक शब्द नहीं बोलेंगे. सरकार अगर यही करना चाहती है. सरकार करें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सवाल इतना-सा है, कल इसको लेने में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन में नहीं कहना चाहता कि साहब, नहीं पहुंचे। पर पहुंचे हैं। लेकिन न तो हमको ऐसा पता था कि इसको आज पुरःस्थापित किया जायेगा, न यह पता था कि इसको विचारार्थ लिया जायगा अब आप अचानक यहां पर सदन के अन्दर इसको ले आये, अध्यक्ष महोदय, आज अगर सदन समाप्त होने वाला होने वाला होता तो बात समझ में आती। लेकिन कल....

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप विराजिये। आप बैठिये। ऐसा है कि आप लोग इसको इतना ही प्रेस्टिज का प्वाइन्ट बना रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मेरी बात सुन लीजिये। तो मैं इसको कल पारण के लिये ले लूंगा। यह आप चाहते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पारण के लिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अमेंडमेंट कल लेंगे?

श्री अध्यक्ष : हां, अमेंडमेंट कल लूंगा। जो भी अमेंडमेंट आयेगा, मैं उसमें कल लूंगा। कल यह पारित किया जायेगा यह मैं आपको सूचना के तौर पर बता दूं।

लोकायुक्त बिल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : विचारार्थ क्यों लिया जाय?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव भेजा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैंने भेजा है।

श्री अध्यक्ष : तो आप उस पर जोर दे रही हैं या विथड्रा कर रही हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौन सा?

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु आपने....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस पर मैं बोल रही हूं। मैंने सोचा संकल्प है। मैं एक गलती कर गई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बिल को मैंने देखा है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिये मेरा एक सुझाव है वह आप देख लें। जो भी अधिकृत अधिकारी हो उनके द्वारा यह कार्यवाही की जाय' नम्बर एक। जो भी केस आये....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये। कल एक बिल और कालोनाइजेशन का है, वह भी पुरःस्थापित हुआ है लेकिन उसको भी कल पारित करने के लिए मैं सदन की इच्छा जानना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

कल क्या कालोनाइजेशन (संशोधन) विधेयक लिया जाय ?

(स्वीकृत)

कालोनाइजेशन बिल कल पारण के लिए लिया जायगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आठ बिल एक दिन में पारित होंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब नहीं होंगे तो आप जानें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा का इतिहास होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 12–12 कराये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप निकलवा कर बता दें, मुख्य मन्त्री जी। मेरी समझ में तो आठ-आठ बिल एक दिन में नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर आप बता दें रिकार्ड के अन्दर कि 12-12 हुए हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा उसको।

श्री अध्यक्ष : इस सत्र को और आपको इस बात के लिए यह सौभाग्य मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा कि आपने आठ बिल एक साथ पास किये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तभी तो कानूनों में कमी रह जाती है, अध्यक्ष महोदय। एक-एक दिन में 12-12 बिल पारित होंगे, आठ-आठ बिल पारित होंगे तभी तो कमी रह जाती है जो हाई कोर्ट में स्ट्रक डाउन होते हैं बाद में आकर।

श्री अध्यक्ष श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूं। हम लोग कुछ बोलते थे, हमारी बात को न सुन कर आपने आठ-आठ बिल एक दिन में पास करे। आप मत जाइये, आप अपनी एक साल की बात को मत भूल जाइये।

श्री अध्यक्ष : कहां किस पर बोल रही हैं आप ? अपनी बात कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मुख्य मन्त्री जी के सम्बन्ध में और मन्त्रियों के सम्बन्ध में और किसी अन्य लोक सेवक के सम्बन्ध में जो लोकायुक्त के मामले में बिल लाये हैं मेरा निवेदन है कि ऐसे किसी भी केस में आप समयबद्ध फैसले दिये जाने के लिये प्रावधान करेंगे। क्योंकि अगर 5 साल निकल गये तो कोई फैसला नहीं होगा। ऐसे किसी भी मामले में आप यह प्रावधान रखें कि समयबद्ध फैसले सामने आयें। और यह फाइलें दब नहीं जायें। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिये जो भी अधिकृत अधिकारी हो उनको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वह ऐसे मामले में ठीक समय पर सही फैसले ले सकें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

(6.28 सायं)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ मेरा यह है कि इस बिल में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार माननीय मुख्यमन्त्री जी को भी इस लोकायुक्त विधेयक के अन्तर्गत लिया गया है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम में यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी का पद है वह इतना उच्च पद है कि वहां पर जो भी व्यक्ति पहुंचता है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो उसके लिये सब लोग यह मानते है कि वह ईमानदारी से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक फैसले करेगा। इसलिये इस उच्चस्थ पद को इसमें सम्मिलित करना मैं बेसिकली इसको उचित नहीं मानता। यदि इसके बावजूद भी मान लीजिये अभी वर्तमान सरकार और सत्ता पक्ष इसको इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्रीजी की सलाह पर राज्यपाल महोदय करते हैं। इन दोनों चीजों में आपस में विरोधाभास हो जायगा। मुख्य मन्त्री जी को जिस लोकायुक्त बिल के अन्तर्गत ले रहे हैं वही लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला होगा और वही राज्यपाल महोदय, विरोधी दल के नेता और चीफ जस्टिस से राय लेकर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। यह दोनों आपस में उपबन्ध एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। इसलिए इस तर्क को ध्यान में रख कर मैं यह मानता हूं कि या तो मुख्यमन्त्री जी को इस परिधि में लिया नहीं जाय और यदि लिया जाता है तो इसकी नियुक्ति एक स्वतन्त्र तरीके से होनी चाहिये। इसी बात को लेकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

एक माननीय सदस्य : तरीका बताओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तरीका यह है कि राष्ट्रपति जी लोकायुक्त की नियुक्ति कर दें। क्योंकि गवर्नर, मुख्य मन्त्री और उसकी केबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। इसलिए हम तो यह मानते हैं कि इतने उच्च पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो वह ईमानदारी से काम करने वाला होता है। या तो इस लोकायुक्त की परिधि में इसको सम्मिलित नहीं किया जाय और सम्मिलित किया जा रहा है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपतिजी के माध्यम से की जानी चाहिये। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मुख्यमन्त्री जी द्वारा इस लोकायुक्त की परिधि में अपने आपको लेने का जो बिल लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह अच्छा और स्वागत

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

योग्य है और इसकी सराहना की जानी चाहिये। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि जब आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में जो प्रक्रिया इसमें अपनाई जानी चाहिये वह भी ऐसी होनी चाहिये जिससे कि उसकी गरिमा और बढ़े। जैसा कि आपको मालूम है पूर्व में एक लोकायुक्त को लेकर यहां काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी.... इस प्रकार से चूंकि यह तो निश्चित है कि राज्यपाल महोदय को कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सलाह माननी पड़ेगी और जो भी व्यक्ति होगा वह मुख्य मन्त्री जी और मन्त्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार जिसका नाम प्रस्तावित करेंगे उसी व्यक्ति को लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो उसको और भी गरिमा प्रदान करने के लिए मेरी राय में उपयुक्त रहेगा कि इसमें तीन आदमियों का पैनल बनाया जाय। जिसमें स्वयं मुख्य मन्त्री जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के के चीफ जस्टिस और लीडर आफ अपोजीशन, तीन आदमियों का पैनल बना कर राज्यपाल महोदय, को दें और उनमें से किसी व्यक्ति को अगर चुन लिया जाता है तो उस आदमी का काफी निष्पक्ष स्वरूप होगा अन्यथा मैं जांच के लिए किसी एक्स वाई जेड को जिसे मैं पसन्द करूं कहने के लिए तो कह दूं कि मैं इसकी परिधि में अपने आपको लाना चाहता हूं और किसी एक्स वाई जेड का नाम लगा दें तो इस पर निश्चित रूप से शंका उत्पन्न हो जायेगी। इसलिये मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इसमें सूटेबिल अमेण्डमेंट सरकार की तरफ से स्वयं आये और नियुक्ति की प्रक्रिया को बदला जाय जिससे लोगों को इस संस्था में विश्वास पैदा होगा। इसलिए एक्ट में मेण्डेटरी प्रोवीजन होना चाहिये कि लीडर आफ अपोजीशन, चीफ जस्टिस और मुख्य मन्त्री जी एक पैनल बनायेंगे, उसको राज्यपाल महोदय, को दिया जाय और अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन तीन आदमियों में से किसी व्यक्ति को लोकायुक्त पद पर नियुक्त करेंगे तब इसके माने होंगे अन्यथा यह माना जाएगा, कल को शका होगी कि आपने ही आदमी नियुक्त किया है और आप ही उससे जाच करवा रहे हो। इससे फायदा क्या होगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मेरा इस संशोधन को जनमत जानने के लिये भेजने का प्रस्ताव है इसके पीछे यह मन्शा है कि जिस उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम लोग जिनके पास सत्ता है व ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति भी इस परिधि में आ जाय कि उनके खिलाफ शिकायत, भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हो सके। वास्तव में जो लोकायुक्त पूरा बिल है और उसमें जो जांच की व्यवस्था है और जिस प्रकार से इसके होते हुये भी जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनके पास सत्ता रहती है और वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं जो जनता के सामने नहीं आ सकते। पहले भी हमारे देश का 40 साल का इतिहास रहा है चुने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हुए लोगों के पास सत्ता रही है, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि नामिनेटेड लोगों के बजाय चुने हुए लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा लगे। यहां तक ही नहीं बल्कि उनके पास जो अर्जित जायदाद थी, प्रोपर्टीज थी, दफ्तर में बैठने वाले मामूली कार्यकर्ता जब मुख्य मन्त्री बन गये, बड़े-बड़े ओहदों पर आ गये तो उनकी प्रोपर्टी-आलीशान महल खड़े हो गये, बड़ी बड़ी जमीनें, शेयर्स, कई प्रकार की प्रोपर्टी बन गई। यह जो कारण है, अगर राज्य सरकार और हमारी मिली-जुली नई सरकार जिस उद्देश्य से इस अमेण्डमेंट को लाई है, कि सबकी स्वच्छ छवि जनता के सामने आये तो मैं समझता हूं इस मामले पर विचार होना चाहिये कि इस बॉडी के पास जो लोकायुक्त है, इस तरह का प्रावधान किया जाय कि जितने भी नुमाइन्दे चुने जायें और सत्ता जिनके पास आये वह अपनी पूरी जायदाद का ब्यौरा जो मौजूदा वक्त में उनके पास है, उसका ब्यौरा उनके सामने और पब्लिक के सामने भी दे दें और उसका पूरे राजस्थान में प्रचार हो जिससे आम जनता यह पहचान सके कि उनके द्वारा चुने हुए नुमाइन्दे सत्ता में आसीन हुए हैं उनके पास यह-यह जायदाद है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा जो लोकायुक्त और लोकपाल का चैक है वह इस बात का होगा कि जिस नुमाइन्दे की प्रोपर्टी का आम जनता को पता होगा और उनकी प्रोपर्टी में थोड़ा बहुत भी इजाफा होगा तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी और उन पर भी उसका असर पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था की गई है उस में जो टेक्नलिटीज हैं जिस प्रकार से सबूत पेश करें, गवाही दें, सबूत इकट्ठा करें, फिर भ्रष्टाचार उनका साबित करें लोकायुक्त के सामने उस प्रक्रिया के बजाय अगर यह चैक किया जाय तो निश्चित रूप से परम्परा पब्लिक लाइफ में कायम होगी और एक नई चीज सामने आएगी कि जितने भी चुने हुए नुमाइन्दे सत्ता में बैठे हैं चाहे मंत्री, उप मंत्री या मुख्य मंत्री हो उनके पास बनते समय क्या जायदाद थी, वह जनता के सामने हमेशा रहे जिससे कि पब्लिक लाइफ में पद के हिसाब से परिवर्तन आया है मैं समझता हूं पुराना जो कुछ हुआ है यह विधान सभा भी जानती है आधे मंत्री और तकरीबन मुख्य मंत्री ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ इस तरह की खानों, प्रोपर्टी, जायदाद, बसों की अधिक हो जाने की बात हुई। वजह उसकी ये कि इसका पहले से कोई ब्यौरा नहीं। इस वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह प्रोपर्टी कब आई, कैसे अर्जित की मुझे इस सिलसिले में यही कहना है। जनमत जानने के लिए मेरा मंतव्य यही है कि इस रूप में प्रावधान किया जाय जिससे पब्लिक लाइफ में यह पूरी बात आ सके।

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन प्रस्तुत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

सभापति महोदय, 1973 में जब इस अधिनियम को इस सदन में पारित किया गया था, सौभाग्य से मैं इस सदन का सदस्य था और उस वक्त में अधिनियम जो तत्कालीन बिल था उसमें कई अमेंडमेंट्स विपक्ष की तरफ से मूव हुए थे। मैं समझता हूं माननीय नेता महोदय ने वह डिबेट अवश्य पढ़ी होगी जैसी कि उनकी आदत है हमेशा अध्ययन करने की, थोरोली तैयार करने की। पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि इस इन्स्टीट्यूशन को जन्म दिया स्व. बरकतुल्ला खान ने, कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने और उस वक्त उनकी मंशा थी कि एक स्वच्छ प्रशासन प्रदेश में पनपे। सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन के साथ भ्रष्टाचार समाप्त हो। लेकिन सभापति महोदय, हालांकि स्व. बरकतुल्ला साहब को यह अवसर नहीं मिला कि वह इस एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित कर सकते या इस की सफलता या असफलता को देख सकते। आज 17 वर्ष के अन्तराल में यह निश्चित बात है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह एक्ट मात्र एक छलावा है।

सभापति महोदय, कौन आदमी इसमें आज तक गिल्टी हुआ, कौन सा मिनिस्टर, पब्लिक सर्वेन्ट, आई. ए. एस. चला गया। इस हालत में जब हम देखते हैं कि एक्ट के प्रोवीजन्स एडिक्वेट नहीं हैं, उनमें कमी है, मुख्य मंत्री जी अपने को परिधि में डाल रहे हैं। इतने वरिष्ठ, अनुभवी व्यक्ति जो इस एक्ट की एक-एक प्रोवीजन्स की कमी से वाकिफ हैं वह आज सिर्फ इस आधार पर कि मुख्य मंत्री को पहले एड नहीं किया गया था, अब एड कर दें और यह संशोधन लाये हैं।

मैं सभापति महोदय, बहुत विनम्रता के साथ कह दूं कि यह प्रचार मात्र है। मेरा कोई आशय, तात्पर्य मुख्य मंत्री जी के खिलाफ कोई आरोप लगाने का नहीं है। आरोप बनते भी नहीं हैं, यह भी मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता न कोई आरोप लगता है लेकिन आप यह बिल क्यों लाये हैं? अगर वाकई में भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम छेड़ रखी है। वह आप चाहते हैं तो फिर इस बिल को अच्छी तरह से इसको एक्जामिन करते कि इसके अन्दर क्या कमी रह गई है?

सभापति महोदय, आज कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि सार्वजनिक जीवन के अन्दर भ्रष्टाचार नहीं है और कम से कम सदन के नेता महोदय तो नहीं कह सकते। सदन के नेता महोदय ने जिस वक्त विपक्ष के नेता के रूप में भ्रष्टाचार के बहुत मामले यहां पर उजागर किये हैं और अनेक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर आवाज भी उठाई है। इसलिए यह तो कहना सम्भव ही नहीं है। इसके बावजूद भी क्यों नहीं इस एक्ट के अन्दर कार्यवाही नहीं हुई और क्या कमियां रह गई? मैं इसमें दो-तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, सभापति महोदय। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में जो एक्ट्स के प्रावधान वर्तमान में हैं, सीधा और प्रत्यक्ष रूप से पैसा खाने का, अपने खुद के लिए लाभ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अर्जित करने का, अपने परिवार के या अपने निजी आदमी के लिए लाभ अर्जित करने का आरोप प्रमाणित करना सर्वथा असम्भव होता है। ज्यादातर कैसेज के अन्दर इस प्रकार की ऐविडेन्स नहीं आती है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोवर्ब्ड है। जो अगर आप इस एक्ट के अन्दर इन्क्लूड कर दे तो निश्चित रूप से बहुत कम लोग इससे बच पायेंगे। और मेल एडमिनिस्ट्रेशन कम गम्भीर आरोप नहीं होता है, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफाइन करें—

"Maladministration means acts or ommission administration by the State Government or officer of the State Government or agency of the State Government or other public authority or public functionary functioning within the State in connection with the affairs of the State of Rajasthan which permits, promotes or tolerates.

Corruption by officers or employees or abuse of official powers by officers or employees, the loss to the property estates or revenue of the State or any authority included in the expression 'State' as defined in Article 12 of the Constitution of India or causing of any harm or harassment, indignity, confinement otherwise than in accordance with the procedure established by law."

अब सभापति महोदय, आप जानते हैं कि एक राजनेता के लिए या किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट के लिए सबसे सहज बात यही होती है। बिजनिस करता है, उसका लड़का करता है, प्रोपर्टी बनाता है उसका लड़का बनाता है, उसका रिश्तेदार बनाता है। उसके लिए सबसे आसान बात है कि वह कहता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। भारतवर्ष के माननीय उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी जिस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री थे तो +++ फौरन कह दिया उन्होंने कि मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है तो ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय की पहले भी व्यवस्था हो चुकी है कि जो सदन के सदस्य नहीं है, उन पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगने चाहिए। आपने आरोप लगाया है। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, इसको प्रोसिडिंग से एक्सपंज कर दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आरोप नहीं लगा रहा हूं। इससे क्या करोगे, अखबारों से एक्सपंज करवा दोगे क्या आप? अगर आपको यह आरोप इतना बुरा लगता है तो मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। यह आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, यह तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन इस बात का कर रहा था कि आज लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त एक्ट जो राजस्थान के अन्दर है, इससे ज्यादा प्रभावशील तो कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के अन्दर कमिश्नर है। श्री सरदार प्रताप-सिंह कैरो, जो आधुनिक पंजाब के निर्माता है, कांग्रेस सरकार ने जब उनके खिलाफ चार्जेज लगे, मेमोरेण्डेम ऑफ चार्जेज पेश किये तो एक कमीशन बिठाया था जांच का। जब उनके खिलाफ फाइण्डिग आई तो, उनको जाना पड़ा। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि तब उनके खिलाफ फाइण्डिग कमीशन मिली। ओमिशन की थी। मैं जो इम्पेक्ट करना चाहता हूं। सदन के सामने सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन से कम गम्भीर ओमिशन नहीं होता है। इसलिए मैंने इसमें कहा है परमिट्स प्रमोट्स दी टालरेट्स। होता क्या है, सभापति महोदय, मन्त्री हो कोई भी मंत्री हो एक थ्योरी डिस्कस कर रहे है अपन। मंत्री जी के नीचे काम करने वाला अधिकारी, मन्त्री जी के लड़के का, मन्त्री जी के रिश्तेदार के बिजनस को प्रमोट करता है, मन्त्री जी की जानकारी है, मन्त्री जी को अच्छा लगता है। मन्त्री जी उसको कहते नहीं है। मन्त्री जी व अधिकारी की कभी बात नहीं होती है। गम्भीर बात हो रही है अगर आप अनावश्यक व्यवधान करें.... मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं। यह आपकी सरकार और मेरी सरकार का सवाल नही है। (व्यवधान)

तो सभापति महोदय, मैं सबसे बड़ी बात आज जो निवेदन करता हूं, फिर इसके अन्दर आप मुझे बतलाइये भ्रष्टाचार किस हद तक रखना चाहते है आप ? आज जब म्यूनिसिपिल एक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, पैसा लेना या अनावश्यक किसी को परेशान करना और किसी को रोंगफुल कन्फाइनमेंट करना, इसके लिए मैंने आ‍ ेदिया है हरेसमेंट करना except by process of law, यह भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। इस मेल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप इन्क्लूड कर दें, तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्र व्यापक बन जायेगा। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय नेता महोदय, फिर उत्तेजित नहीं हो, कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के अन्दर कई कमीशन कांग्रेस की सरकार में बैठे है। कांग्रेस के किसी भी आदमी ने आज तक देश के अन्दर किसी भी ज्यूडिशियल आदमी के या कमीशन के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। अगर आपके वेल्यू बेस्ड पालिटिशियन, श्री रामकृष्ण हेगड़े के खिलाफ कुलदीप सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई, इन्डक्टमेंट हुआ, तो उनको गालियां निकालना शुरू कर दिया।

श्री सभापति : पहले भी हुआ था...।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रतिरोध होना एक अलग बात है सभापति महोदय, दूसरी बात जो है इसके अन्दर State within the meaning of Article-12 आप सभापति महोदय, इसको बेहतर समझेंगे। State within the meaning of Article 12 का मतलब है कि Article–12 of the Constitution में instrumentalities of State आ जाती है और instrumentalities of State आती है तो इसका क्षेत्र व्यापक बनता है। आज कई प्रकार की इन्स्ट्रमेंटेलिटीज स्टेट्स ऐसी है जो इस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक्ट में कवरअप नहीं है। और फिर इसमें मैंने अलग प्रोविजन बताये है वाईस चांसलर है। यहां पर चर्चा होती है और कोई नियन्त्रण नहीं होता है वह ठीक है। एकेडेमिक ग्रॉटोनामी होती है, ठीक है। मैं कोई सुझाव नहीं देता कि उसके अन्दर इन्टरफियरेंस हो। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो निश्चित रूप से इसकी परिधि में आना चाहिए। सभापति महोदय, सेक्शन-13 प्रोसीक्यूशन फॉर फाल्स कम्पलेंट, सबसे बड़ा डिटेरेंट फैक्टर तो यह, सभापति महोदय, किस बात का प्रोसीक्यूशन-9 जब सैक्शन-10 के अन्दर फेमिली इन्क्वायरी एण्ड डिसमिजल लिखा हुआ है तो इन्क्वायरी करके डिसमिजल प्राइमाफैसी केस नहीं बनेगा तो फाइल आगे चलेगी नहीं। सभापति महोदय, जिस जमाने में इस लोकायुक्त उप-लोकायुक्त बिल को सदन के अन्दर पाइंट आउट किया जा रहा था। उस वक्त यह मान कर चला जाता था कि राजस्थान के अनेक मामले लोकायुक्त के पास जायेंगे। तो सम्भवतया अनेक लोकायुक्त-उप लोकायुक्त की नियुक्ति करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, ऐसा नहीं हुआ। लोकायुक्त उप-लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, पहले नियुक्ति का प्रोविजन मेंडेटरी था। जब नहीं हुआ तो 1978 के अन्दर सदन के नेता महोदय, तब भी मुख्य-मंत्री थे, एक अमेण्डमेंट लाये। वह अमेण्डमेंट लाकर के सिर्फ उसको मेंडेटरी नहीं किया, उसको आपशनल कर दिया कि काम की आवश्यकता को देखते हुए अगर जरुरत हुई तो उसका एपाइन्टमेंट करेंगे। उस वक्त भी मुख्य मन्त्री को इसकी परिधि में नहीं लाया गया। सभापति महोदय, मैं फिर यही बात कहता हूं क्योंकि सदन के नेता महोदय, बहुत ज्यादा सेन्सिटिव है। लेकिन अगर मैं यह कहूं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, आप इसको लाकर के क्या कर रहे हो आपकी परिधि को? आपको पता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। एक्ट के प्रोविजन में किसी मिनिस्टर का ही नहीं हो सकता तो फिर चीफ मिनिस्टर का क्या होगा? अगर आप वाकई में अपने आपको इसकी परिधि में डालना चाहते है तो मैं मिनिस्ट्री सलेक्ट कमेटी के लिये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माननीय नेता महोदय से भी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि जब वह सलेक्ट कमेटी में जायेगा तो उस हालत में बाकी प्रोविजन तो डिस्कस नहीं हो सकते। मैं नेता महोदय, आपका ध्यान रूल-67 के सब-रूल 3 के प्रोवाइडेड की तरफ दिलाता हूं। "Provided that if an amendment or a motion for appointment of a Select Commttee has been moved under this rule, any member may move that the House give instruction to the Select Committee to which the Bill is proposed to be referred to make some particular or additional provisions in the Bill and, if necessary or convenient, to consider and report on amendments which may be proposed to the original Act which Bill seeks to amend." यानी कि एडीशनल प्रोविजन्स को कर सकते है।

सभापति महोदय, अगर इसको प्रभावशील बनाना है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के सिर्फ अपना नाम लिखवाने से कि एक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मुख्य मन्त्री शब्द जोड़ दिया जाये तो मैं इसको सरकार का प्रचार करने का+++ मानता हूं। अगर सरकार की नीयत है कि भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाए तो मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति को जाए। बार-बार यह आवाज उठती है कि कांग्रेस की तरफ से यह हुआ। तो अब दिक्कत क्या है ? हमने किया, हमारे आदमियों ने किया, हमारे मिनिस्टर ने किया और मैं कांग्रेस का मेम्बर अपने सब मिनिस्टर के लिए आपको प्रपोजल रख रहा हूं न। मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं। उसमें कांग्रेस, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा हुआ है सभापति महोदय। उसमें तो पब्लिक सरवेंट और मिनिस्टर लिखा हुआ है। जो भी मिनिस्टर होंगे वे सब इसकी परिधि में आयेंगे जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, वे सब इसकी परिधि में आयेंगे। सभापति महोदय, यह एक ऐसा मसला है, जिसके ऊपर अलग अन्य सुझाव है जो इस वक्त उन पर चर्चा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज जालौर का किस्सा है। अभी माननीय मुख्य मन्त्री भी फिर उसके लिए बुरा मान जायेंगे, निजी जानकारी से मेरी आदत नहीं है कि किसी के खिलाफ आरोप लगाऊं। जालौर में एक भूखण्ड को राजस्थान को-आपरेटिव फाइनेंसिग हाऊसिग सोसायटी ने खरीदा। तीन हजार बीघा जमीन को तीस हजार रुपये में खरीदा और श्री मीठालाल जी मेहता सेक्रेटरी थे, उस वक्त को-आपरेटिव के। मिनिस्टर भी कांग्रेस का था। यह मैं कतई नहीं, क्योंकि मेरी बिल्कुल जानकारी में नहीं है। लेकिन यह बात निश्चित है कि इस पूरे प्रकरण के अन्दर कहीं भ्रष्टाचार की बदबू आती है।

सभापति महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे कि अगर इसकी जांच इसके प्रोविजन्स को और मेल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्क्लूड कर लेते हैं तो आपके मीठालाल जी मेहता भी चपेट में आ सकते हैं मेल एडमिनिस्ट्रेशन के चाहे उनका खुद का कोई लेना-देना न हुआ हो, ओमिशन के चक्कर में आ सकते हैं, कांग्रेस का मिनिस्टर भी आ सकता है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो मिनिस्टर था वह भी आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप इसके क्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसको आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? अगर आप इसको चाहते हैं तब तो सभापति महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको निश्चित रूप से एक सलेक्ट कमेटी को दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने आगे अमेन्डमेंट भी मूव किया है, वह क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो अमेन्डमेंट आयेगा, उसकी स्टेज आयेगी जब बताऊंगा मुख्य मन्त्री जी, पहले ही क्यों बात कहूं ? कदाचित मेरी यह बात आपको अपील कर जाये कि हां, यह सही बात है और अगर आप अभी सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें तो वह नौबत ही नहीं आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पर भी बोल जावो।

+++शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस पर क्यों बोलूंगा अभी ? यह तो लेजिस्लेटिव है सभापति महोदय कोई भाषण वाली बात तो है नहीं। मुख्य मन्त्री जी को यह समझना चाहिए कि वह स्टेज आयेगी तो उस पर बोलूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : है क्या, यह बात दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन वह आज नहीं है मैं अन्त में सिर्फ यह बात कह कर समाप्त करता हूं कि इस एक्ट के प्रोविजन्स को माननीय भैरोंसिंह शेखावत के, उन पर व्यक्तिश: कोई बात नहीं है, पर इस बिल की मंशा को देखते हुए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यह सारा सब तरह से सुनिश्चित होने के बाद किसी मिनिस्टर का नहीं बिगड़ा, किसी मिनिस्टर का क्या बिगड़ा है, वह तो जैसे मिनिस्टर चल रहे हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर भी चल देगा। आज चीफ मिनिस्टर रख लो, इसमें कोई और मर्जी आए जो रख लो। आपके इस एक्ट के अन्दर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसलिए फिर तो आप रहने दो। एक बात राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, वह मैं दोहराना चाहूंगा। मैंने अमेन्डमेंट बनाया था उसका चूंकि वह उसके एम्बिट में नहीं आता था इसलिए असेप्ट नहीं किया, मलाऊ नहीं हुआ। सभापति महोदय, उसका प्रोसीजर यह होना चाहिए, होता क्या है कि गवर्नर अपाइन्ट करता है– Governor acts on the advice of the Council of Ministers. आप इस बात को जानते हैं सभापति महोदय, अब वह क्या है-after consultation with the Chief Justice and the leader of Opposition. कन्सलटेशन प्रेक्टिस के अन्दर इन्फोर्मेशन हो गया, यह हम सब जानते हैं। कन्सलटेशन कोई मायने नहीं रखता। मेरा सुझाव यह है कि कमेटी बने, चीफ मिनिस्टर, अपोजीशन के लीडर और चीफ जस्टिस, वह एक पैनल तैयार करें तीन आदमियों का और उसमें से गवर्नर अपोइंटमेंट करें तो उसके अन्दर कोई निष्पक्षता आ सकती है। इतनी सारी बात आप करने को तैयार हैं तब तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें और एक कम्प्रिहेंसिव बिल अगले बजट सत्र में लायें अन्यथा एज इट इज तो मैं इसका निश्चित रूप से विरोध करता हूं कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं राजस्थान की जनता में सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं कि मैंने मुख्य मन्त्री को इसकी परिधि में डाल दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (प्रभारी मंत्री) : सभापतिमहोदय, लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में बना था और जिस समय इस विधेयक पर चर्चा हुई उस समय प्रभारी मन्त्री स्वर्गीय श्री बरकत साहब ने इस मांग पर कि मुख्य मन्त्री को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, सदन में यह जानकारी दी थी कि बहुत शीघ्र ही लोकपाल और उप-लोकपाल, इस प्रकार का कानून केन्द्रीय सरकार बना रही है और उस कानून में मुख्य मन्त्री को शामिल किया जायेगा। दुर्भाग्य से अभी तक लोकपाल और उप लोकपाल का कानून बना नहीं और मेरी जानकारी में है कि शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने वाली है। प्रश्न यह आता है कि....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आवश्यकता नहीं फिर इसकी। अब अगर पेश हो रहा है।

श्री सभापति : समय लग सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं एक बात कर रहा था कि दूसरा कानून बन रहा है, जैसे अपना लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम है उसी प्रकार का लोकपाल एवं उपलोकपाल अधिनियम भारत सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है....

श्री सभापति : केन्द्र के लिए है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें चीफ मिनिस्टर इन्क्लूडेड होगा न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें बरकत साहब के हिसाब से चीफ मिनिस्टर इन्क्लूडेड होता है, बरकत साहब ने जिस समय यह बात कही थी उन्होंने यह बताया था यह कानून बनने वाला है और उसमें हर राज्य के मुख्य मन्त्री के खिलाफ इन्क्वायरीज करने के लिए लोकपाल अधिकृत होगा। इस कारण से उस समय मुख्य मन्त्री को इसकी परिधि में नहीं रखा गया। मुझे मालूम है उसके बाद में भी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक सलेक्ट कमेटी के सामने भी यह प्रश्न खड़ा किया गया था। उसमें भी विचार हुआ लेकिन उसका निर्णय अभी तक किसी प्रकार का नहीं हुआ। अब मेरी व्यक्तिशः जानकारी में यह जरूर है कि भारत सरकार इस तरह का विधेयक तैयार कर रही है। और सम्भव है अगले सत्र में या आगे के सत्र में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाए और उसमें यह विचार चल रहा है कि मुख्य मन्त्री को लोकपाल की परिधि में रखा जाए ताकि जो आप शंकाएं व्यक्त कर रहे हो, उस प्रकार की कोई शंका उत्पन्न न हो।

सभापति महोदय, इस बार के चुनावों में मैंने सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री को लोकायुक्त की परिधि में आना चाहिए। उसके बाहर राजस्थान का मुख्य मन्त्री रह कर राजस्थान में बाकी के लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का साहस भी करते हैं लेकिन उसका नैतिक दायित्व इस प्रकार का जनता के सामने नहीं है। जिस दिन मैंने मुख्य मन्त्री पद की शपथ ग्रहण की उस दिन भी सार्वजनिक रूप से मैंने कहा था कि इस प्रकार का विधेयक लाकर मुख्य मन्त्री को लोकायुक्त की परिधि में लाया जायेगा। यह जनता के सामने एक वायदा किया था उस वायदे की पूर्ति के लिए विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब इस कानून में यदि आप देखें तो मैं यह तो नहीं कहता कि कानून फुलप्रूफ है। मैं यह कह सकता हूं कि कानून में कई खामियां हैं और उन खामियों के कारण से 1973 में बना हुआ कानून आज तक राजस्थान में प्रभावी नहीं हो सका। इसको मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक तो एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, दूसरी तरफ लोकायुक्त अलग काम कर रहा है, तीसरी तरफ इन्क्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत भी इन्क्वायरीज होती है और इसी प्रकार से सरकार भी सिविल सर्विसेज रूल्स के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करती है। यह अलग-अलग व्यवस्थाएँ है लेकिन यह व्यवस्थायें अपने आप में पूर्ण नहीं है। इनको जब तक पूर्ण

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

नहीं बनाया जायेगा उस समय तक जो हम परिणाम चाहते हैं इस प्रकार के कानून से, उस प्रकार के परिणाम हमारे सामने नहीं आयेंगे। अभी जो प्रस्ताव रखा है उस कानून में, वह प्रस्ताव मैं पढ़ रहा था। श्री सुरेन्द्र जी ने प्रस्ताव रखा है जिसका जिक्र वह शायद आगे करने वाले होते....

श्री सभापति : आगे करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आ ही जायेगा तभी जवाब देना। क्लॉज आयेगा, मैं पहले बोलूंगा, तब आप जवाब देना।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी दे देता हूं।

श्री सभापति : बाद में फिर बोलेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो लिखा है उसको तो पढ़ कर सुना ही सकता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह मेरा राइट है; that is my right I must move it first.

श्री भैरोंसिह शेखावत : It is your right. You can repeat it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : You only have to reply.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह कहता हूं कि इसको रखना आपका....

श्री सुरेन्द्र व्यास : I deliberately did not touch it....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल सही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : because I would be speaking on it when this clause is taken up.

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुरेन्द्र जी, मैं आपका अधिकार नहीं ले रहा, इसको रखने का आपका अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है लेकिन इतना आप जानते ही हो कि इसको कोट करने का तो मेरा भी अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाद में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाद में। अभी मैं कर जाऊं, फिर आप कहें मैं समझता हूं, आपने लिखा है-श्री सुरेन्द्र व्यास (संख्या 79) प्रस्ताव करेंगे कि मूल अधिनियम की धारा 2 में उपखण्ड 'क' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले खण्ड 'ग' में प्रयुक्त शब्द 'मुख्य मन्त्री' के स्थान पर "पूर्व अथवा वर्तमान मुख्य मन्त्री" प्रतिस्थापित किया जाए और उसी आधार पर फिर आगे कन्सिक्वेंशल अमेन्डमेंट क्या होता है, मूल अमेन्डमेंट आपका यह है, अब आपकी इच्छा भी है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। मूल अमेन्डमेंट, मूल भावना यह है, मुख्य मन्त्री तो चूंकि आपने जोड़ा है। साथ ही मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिभाषित किया है। मुख्य मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री इस प्रकार का जो प्रावधान है, मूल उद्देश्य इसका यह है कि जो भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर प्रेजेण्ट और फोमर वह, पांच साल की अवधि तो इसमें दी हुई है। मेरा आशय भी यही है कि आज किसी आदमी के खिलाफ शिकायत नोट कर लो कल मन्त्री न रहे तो वह परव्यू से निकल जायेगा। 1973 के अन्दर जब यह बिल आया था तो इस प्रकार की चर्चा इस सदन के अन्दर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आयी थी और स्वर्गीय मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्ला खान ने यह बात प्रकट की थी कि यह आशंका निर्मूल है और इसमें कवरस अप एक्स मिनिस्टर आलसो और उसमें लिमिटेशन पांच साल के लिए दी हुई है। सभापति महोदय, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब एम.एल.ए. भी मिलकर के कोर्ट में यह कहे कि हमारा आशय था तो कोर्ट इस बात को नहीं मानती है। इन्टरप्रिटेशन तो जो आप लेग्वेंज डिप्लोय करेंगे बिल के अन्दर, एक्ट के अन्दर देंगे उसी का इन्टरप्रिटेशन होगा और आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए लेजिस्लेजर की इण्टेंसन कोर्ट इन्फर करती है, सब्सटेंटिव लेंग्वेज से और उसी को ध्यान में रखते हुए सभापति महोदय, यह मैंने जान-बूझकर मूव किया हैं, अनजाने में मूव नहीं किया है, फार दी सेक ऑफ मूव नहीं किया है। वरना तो जो ऊपर मैंने कहा है प्रवर कमेटी के लिए वह पर्याप्त था लेकिन मैं इस बात के अन्दर नहीं जाना चाहूंगा और अपेक्षा करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी भी ऐसी बात न करें जिससे मेरे को एम्बेरेसमेंट हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपकी भावना की कद्र करते हुए ही बात कर रहा हूं आपकी भावना का विरोध करते हुए नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल यही जानकारी देना चाहता था आप चाहते हैं कि वर्तमान मुख्य मन्त्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मन्त्री के साथ पूर्व मन्त्री ये भी लोकायुक्त की परिधि में आने चाहिए। मैं आपके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। अच्छे सुझाव यदि विपक्ष की तरफ से आते हैं तो इस सदन की गरिमा बढ़ेगी और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष इसका स्वागत करेगा।

अब मैं इस दृष्टि से निवेदन कर रहा था जैसा कि मैं कह चुका कि इस बिल में कई खामियां हैं और यह भी सही है सभापति महोदय, कि इस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में इन खामियों की ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया, तत्कालीन सरकार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन किसी कारण से संशोधन नहीं हो सका और इस कानून को हम फुलप्रूफ नहीं बना सके। एक डिटेरेण्ट लॉ नहीं बना सके लेकिन डिटेरेण्ट लॉ बनना चाहिये इस बात को कहने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब मेरे सामने दो विकल्प हैं। मेरा पहला विकल्प तो यह कि जैसा सुरेन्द्रजी ने कहा और हेतराम जी भी बोल रहे थे कि इस सम्बन्ध में कोम्पिप्रहेंसिव लॉ आना चाहिये। मैं सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध नहीं करता हूं। जैसी आपने पांच वर्ष की कही, मैं समझता हूं कि इसका जस्टिफिकेशन आज के समय में नहीं हैं। जिस समय पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की थी सम्भवतः उस समय इस बात का कोई जस्टिफिकेशन हो लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार में कोई अवधि निर्धारित करके चलें....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी बात को कृपया मैरिट्स पर करके समझने की कृपा करें। यह पांच रखा है, पर कोई सीमा तो निर्धारित करनी चाहिए। यह तो नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हो सकता कि आज आप कह दें कि टीकाराम पालीवाल के खिलाफ शिकायत दें तो, सन् 1952 में जो आदमी चीफ मिनिस्टर था, उसके खिलाफ दें तो इसके लिये कोई सीमा तो होनी चाहिये। पांच वर्ष की जगह अगर आप ठीक नहीं समझते हो तो 6 वर्ष कर दें लेकिन मैं अपने विवेक से पांच वर्ष वाजिब समझता हूं।

श्री सभापति : शिकायत पेश करने का समय पांच वर्ष का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी एलीगेशन उस पर लगाया जाय वह घटना पांच वर्ष पहले की नहीं होनी चाहिए। यह जो सारी व्यवस्था है आपने यह भी कहा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आज का यदि कोई हो तो पांच वर्ष के बाद उसकी नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्तत. यह मानता हुआ कि अवधि आप चाहे पांच वर्ष की कर लें चाहे छः वर्ष कर लें, यह कितना मैटीरियल पाइन्ट है इस पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि वर्तमान के साथ-साथ भूतपूर्व मुख्य मन्त्री इस परिधि में आने चाहिए चाहे पांच वर्ष के लिए आयें। इस कारण मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न यह है कि इसके अलावा कुछ और संशोधन करने आवश्यक हैं। मैं इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि कुछ और संशोधन करके इस बिल को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस दृष्टि से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय और सलेक्ट कमेटी इस सारे प्रश्न को गम्भीरता से विचार करके क्या-क्या सुझाव लाये जा सकते हैं वे सब भी आ जायें और अगले विधान सभा के सत्र में पेश कर दिया जाय। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो रूल कोट किया है 67 या 68, उस रूल की भी परिधि में यह तभी आयेगा जब सदन सलेक्ट कमेटी को इस प्रकार के निर्देश देगा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शन एण्ड रीजन्स में जो बातें लिखी हुई हैं। उसके अतिरिक्त सलेक्ट कमेटी किन्हीं मुद्दों पर विचार करके बिल में इनकोरपोरेट कर सकती है। यह अधिकार सदन का है, यह अधिकार कमेटी का नहीं है। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सुझाव और मेरे सुझाव....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सुझाव और है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं जो कहना चाहता था उसके अनुकूल भावना से इसको लिया है और इसको समझा है। हो सकता है कि मेरे एप्रिसिएशन में भी गलती हो, यदि सलेक्ट कमेटी भी पूरा कवरअप न कर सके तो मैं यह भी सुझाव देता हूं सभापति महोदय, आप इस बिल को वापस ले लें और कोम्प्रिहेंसिव बिल बजट सत्र में ले आयें और आपको हम लोगों को सदन के मेम्बर्स को एसोसियेट करने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप अपनी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कमेटी बना सकते हैं, हमें जो सुझाव देने हैं, जैसे मैंने अभी अमेण्डमेण्ट बनाया है वह मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, अन्य माननीय सदस्य इससे बेहतर सुझाव भी दे सकते हैं लेकिन मेरी जो मूल भावना थी उसको आपने स्वीकार किया है। इसको मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं कि बिल कोम्प्रिहेंसिव आना चाहिए जिससे कि इफेक्टिव लॉ बन सके और उसका इफेक्टिव चैकअप हो सके।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इसमें आपका अमेण्डमेण्ट स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टिव एण्ड रीजन्स के परव्यू में आ जायेगा बाकी की भी छोटी-मोटी बातें इसके परव्यू में आ जायेगी लेकिन हम इस पर सलेक्ट कमेटी में बैठकर चर्चा करेंगे कि इस बिल में क्या-क्या संशोधन किये जायें। यदि वैसे अपन तय करके फिर यदि आवश्यकता हो तो एक कोम्प्रिहेंसिव बिल लाने का प्रयत्न किया जायेगा और कोम्प्रिहेसिव बिल सदन में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के सुझावों के अनुसार इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, मैं उनके प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (सशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय....

अनेक माननीय सदस्य : नहीं सलेक्ट कमेटी को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले वह प्रस्ताव रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, तब इनका प्रस्ताव आएगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम उसको विदड्रा कर लेते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम उसको विदड्रा कर लेते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विदड्रा करने के लिए भी सदन से अनुमति लेनी होगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24.7.1990 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक सायं 7.11 बजे दिनांक 24 जुलाई, 1990 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 478 की सूची

विभिन्न श्रेणियों की स्थानीय समितियों की बैठक का दिनांक

क्र.सं.	क्षेत्र	बैठक की दिनांक
1.	उदयपुर क्षेत्र	(1) 15.10.1977
		(2) 19.9.1980
2.	कोटा क्षेत्र	(1) 25.8.1975
		(2) 17.12.1977
3.	जयपुर क्षेत्र	(1) 28.11.1977
		(2) 16.9.1980
4.	बीकानेर क्षेत्र	(1) 24.11.1977
		(2) 17.11.1980
5.	जोधपुर क्षेत्र	(1) 30.9.1975
		(2) 23.12.1976
		(3) 19.8.1977
		(4) 1.5.1978
		(5) 1.5.1979
		(6) 12.9.1980
		(7) 21.12.1982
6.	अजमेर क्षेत्र	20.9.1980
7.	भीलवाड़ा क्षेत्र	26.11.1980
8.	सीकर क्षेत्र	15.11.1980
9.	अलवर क्षेत्र	23.9.1980

2.44

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 484 का विवरण

पाली जिले की रेन्ज सादड़ी, जोजावर एवं बीजा जी का गुडा का निम्नानुसार वन क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ एवं रावली टाटगढ़ के अन्तर्गत दिये गये हैं :-

क्र.सं.	अभयारण्य	रेन्ज	नाका	वनखण्ड	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1-	कुम्भलगढ़	सादड़ी	1. बीजापुर	बीजापुर	6445 है.
			2. सेवाडी	सेवाडी	5274 है.
			3. लाटाडा	लाटाडा	2889 है.
			4. सादड़ी	सादड़ी	6727 है.
			5. घाणेराव	घाणेराव	1891 है.
				घाणेराव जागीर	190 है.
			6. देसूरी	देसूरी	2269 है.
			7. बागोल	बागोल	3350 है.
			8. कोट	कोट	2235 है.
					31270 है.
					312.70 व.कि.मी.
2-	रावली टाटगढ़	जोजावर	9. जोजावर	जोजावर	2605 है.
			10. भगोडा	भगोडा	2845 है.
			11. फुलाद	सिरियारी	1607 है.
			12. सारण	सारण	3430 है.
			13. कंटालिया	कंटालिया	2989 है.
			14. कोट	कोट	850 है.
		बीजाजी	15. बडा गुडा	बडा गुडा	2191 है.
		गुडा	16. खोड़िया	खोड़िया	2490 है.

1	2	3	4	5	6
			17. सिरमा	सिरमा	1366 है.
			18. बगड़ी	बगड़ी	1809 है.
				बगड़ी कोट किराणा	225 है.
				कोटकिराणा	187 है.
			19. कालब	कालब	2292 है.
			20. कुनेजा	कुनेजा	1161 है.
					26037 है.
					260.37 व.कि.मी.

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रामपुरा-आगूंचा माइन्स के लिए अवाप्त भूमि

486. श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा रामपुरा-आगूंचा माइन्स के लिये काश्तकारों की जमीन अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो कितने बीघा जमीन अवाप्त करने के लिये धारा 9 के नोटिस दिये गये?

(2) क्या धारा 9 के नोटिस दिये गये समस्त काश्तकारों की जमीन अवाप्त की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) यदि डी-नोटिफीकेशन हो गया हो, तो धारा 48 के अनुसार मुआवजे का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ ? सरकार अब इस बाबत क्या कर रही है ?

(4) अवाप्त की गई भूमि के काश्तकारों के परिवार में से कितने व्यक्तियों को रामपुरा–आगूंचा माइन्स में रोजगार दिया गया ? अब तक इस माइन्स में रोजगार दिये गये व्यक्तियों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । 4582 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के लिये धारा–9 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये ।

(2) जी नहीं । हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा–आगूंचा द्वारा पूर्व में प्रस्तावित भूमि में से जिस भूमि की आवश्यकता नहीं रहने बाबत प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा–48 के अन्तर्गत दिनांक 28.12.88 को अधिसूचना जारी कर भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया ।

(3) सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

(4) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

हिन्दुस्तान जिक लि. रामपुरा आगूंचा माइन्स के लिये अवाप्त की गयी भूमि के काश्तकारों के परिवार में से
रामपुरा आगूंचा माइन्स में रोजगार दिये गये व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	नियोजित कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	खातेदार का नाम	नाम ग्राम
1	2	3	4	5
1.	श्री रामलाल माली	श्री नन्दा माली	श्री नन्दा पुत्र कल्याण माली	रामपुरा-आगूंचा
2.	श्री सुखदेव माली	श्री उदा माली	श्रीमती राधा पत्नि श्री उदा माली	"
3.	श्री रामधन माली	श्री हरदेव माली	श्री हरदेव पुत्र नाथू माली	"
4.	श्री भंवर लाल भील	श्री माधो भील	श्री माधो पुत्र नाथू भील	"
5.	श्री कैलाश नाई	श्री बालू नाई	श्री कैलाश पुत्र बालू नाई	"
6.	श्री रामरतन गुर्जर	श्री भैरू नाई	श्री भैरू पुत्र नन्दा गूजंर	"
7.	श्री हरिराम चमार	श्री लाखू चमार	श्री हरिराम पुत्र लाखू चमार	"
8.	श्री बन्नालाल गुर्जर	श्री श्रीराम गुर्जर	श्री बन्ना पुत्र श्री श्रीराम गुजर	"
9.	श्री मूलचन्द खाती	श्री लादू खाती	श्री लादू पुत्र श्री कालू खाती	"
10.	श्री बन्नालाल माली	श्री नारायण लाल माली	श्री बन्ना पुत्र नारायण माली	"
11.	श्री भंवर लाल राव	श्री नन्द लाल राव	श्री भंवर लाल पुत्र नन्दलाल राव	"

247

1	2	3	4	5
12.	श्री प्रभुलाल अहीर	श्री भूरालाल अहीर	श्री भूरा पुत्र करना अहीर	रामपुरा–आगूंचा
13.	श्री मालू गुर्जर	श्री रघुनाथ गुर्जर	श्री मालू पुत्र रघुनाथ गुर्जर	,,
14.	श्री मोहन लाल चमार	श्री चतुर्भुज चमार	श्री चतुर्भुज पुत्र भागू चमार	,,
15.	श्री मिश्रीलाल जाट	श्री बलदेव जाट	श्री बलदेव पुत्र रायमल जाट	,,
16.	श्री चतुर्भुज माली	श्री मेवा माली	श्री मेवा पुत्र छीतर माली	,,
17.	श्री बाबूलाल रैगर	श्री प्रताप रैगर	श्री प्रताप पुत्र भूरा रैगर	कोठिया
18.	श्री उगमालाल रैगर	श्री बीजू रैगर	श्री बीजू पुत्र हरदेव रैगर	,,
19.	श्री घीसालाल हरिजन	श्री धन्नालाल हरिजन	श्री धन्ना पुत्र मोहन हरिजन	रामपुरा–आगूंचा
20.	श्री ज्ञान दास साधू	श्री सुखराम दास	श्री सुखराम दास पुत्र मोहन दास	,,
21.	श्री सांवर मल माली	श्री अर्जुन माली	श्री अर्जुन पुत्र छीतर माली	,,
22.	श्री प्रभुलाल जाट	श्री हरिकिशन जाट	श्री हरिकिशन पुत्र रामकरण जाट	,,
23.	श्री रामलाल गुर्जर	श्री छोगालाल गुर्जर	श्री छोगालाल पुत्र अर्जुन गुर्जर	,,
24.	श्री तोलाराम चमार	श्री उगमा चमार	श्री उगमा पुत्र लाखा चमार	,,

1	2	3	4	5
25.	श्री भंवर लाल तेली	श्री बलदेव तेली	श्री बलदेव तेली	रामपुरा–आगूंचा
26.	श्री देवीलाल गुर्जर	श्री श्रीराम गुर्जर	श्री श्रीराम गुर्जर	"
27.	श्री छोटूलाल माली	श्री भूरा माली	श्री छोटू पुत्र भूरा माली	"
28.	श्री राजगिरी	श्री सुखदेव गिरी	श्री सुखदेव गिरी	"
29.	श्री धन्नालाल हरिजन	श्री मोहन हरिजन	श्री धन्ना पुत्र मोहन हरिजन	"
30.	श्री गोविन्द राम जाट	श्री रामकरण जाट	श्री गोविन्द राम पुत्र रामकरण जाट	"
31.	श्री मंगनीराम जाट	श्री रामकरण जाट	श्री मगनीराम पुत्र रामकरण जाट	"

ग्राम झांखड़ी (थानागाजी) में बांध निर्माण

487. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम झांखड़ी तहसील थानागाजी (अलवर) में बांध/एनीकट का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ और उस पर कितनी लागत आई ?

(2) बांध/एनीकट बनने के बाद क्या उसमें अब तक पानी भरा है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब सरकार इस बारे में क्या सोचती है ?

उत्तर

( ) ग्राम झांखड़ी तहसील थानागाजी में झाकडी बांध का निर्माण सन् 1987-88 में पूर्ण हुआ तथा इस बांध पर कुल राशि 7.77 लाख रुपये व्यय की गई।

(2) जी हां, पानी भरा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) बांध को दो फीट ऊंचा उठाने का कार्य विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 जुलाई, 1990)

रातानाड़ा क्षेत्र जोधपुर में सीवरेज लाइन

284. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में रातानाड़ा क्षेत्र के उम्मेदपुरा मोहल्ले में सीवरेज लाइन बिछी है ? यदि हां, तो कब-कब उक्त गटर लाइन किस-किस साइज की बिछाई गई ?

(2) क्या उक्त गटर लाइन स्पेसिफिकेशन के एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त लाइन से किन-किन उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त लाइन पिछले कई वर्षों से अवरुद्ध रहने के कारण जब भी लाइन अवरुद्ध हो जाती है तो पानी उक्त मोहल्ले के घरों में घुस जाता है ? क्या यह सही है कि गटर का पानी इकट्ठा हो जाने पर उक्त पानी पीने के पाइपों में रिस जाता है जिससे उक्त मोहल्ले के काफी परिवार पोलिया रोग से विगत 2 वर्षों में पीड़ित रहे ? क्या बरसात का पानी भी विपरीत ढलान के कारण मोहल्ले में भर जाता है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त गटर लाइन को स्पेसिफिकेशन के माफिक दुरुस्त करने का इरादा रखती है और बारिश के पानी के निकासी की शीघ्र उचित व्यवस्था करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सीवरेज लाइन जोधपुर स्टेट के समय से ही 6" से 9" व्यास की

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बिछी हुई है। तीन गलियों के मकानों के लिए 6" व्यास की पृथक सीवर लाइन 1978 के आसपास नगर परिषद द्वारा डाली गई है।

(2) जी हां। लाइन स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही डाली गई है।

(3) जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यह सही नहीं है कि सीवर लाइन पिछले कई वर्षों से अवरुद्ध है। ढलान सही नहीं होने के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, वह सीवर लाइन तथा नालियों के माध्यम से शनैः शनैः निकल जाता है। सीवर लाइनों की सफाई भी समय-समय पर कराई जाती है। पीने के पानी में रिसाव के कारण पीलिया अथवा अन्य किसी रोग के बाबत कोई सूचना नहीं है।

(5) सीवर लाइन सही रूप से कार्य करें इसके लिए प्रशासन प्रयत्नशील है।

परिशिष्ट (एक)

कार्यालय नगर परिषद जोधपुर

उपभोक्ता के कनेक्शन की सूची :—

पहली गली	नाम	पता
1-	श्री दलवीर सिंह	उम्मेदपुरा, रातानाडा
2-	श्रीमती भूरी बाई	"
3-	श्री जीतमल	"
4-	श्री भगवानसिंह	"
5-	श्री खूबचन्द	"
6-	श्री लाल	"
7-	श्री मिठनलाल	"
8-	श्री रामरतन	"
दूसरी गली		
9-	श्री गोविन्दराम राठोड़	"
10-	श्रीमति विमला भण्डरी	"
11-	श्री गोविन्दराम तोसनीवाल	"
12-	श्री रामसिंह दइया	"

तीसरी गली	नाम	पता
13–	श्री जयनारायण	उम्मेदपुरा, रातानडा
14–	श्री कचन विला	,,
15–	श्री अमरसिंह यादव	,,
16–	श्री एम. एस. जैन	,,
17–	श्री शिवराम जांगीड़	,,
18–	श्री एस. पी. कौशिक	,,
19–	श्री रजनी कान्त	,,

सरिस्का पैलेस होटल

488. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का में सरिस्का पैलेस होटल सीबा व्हील प्रा. लि. द्वारा संचालित है ? यदि हां, तो क्या यह विधि सम्मत है ?

(2) यदि है, तो क्या सरकार किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को भी वहां होटल चलाने का अनुज्ञा–पत्र देने का विचार रखती है ?

(3) यदि भाग (1) की स्थिति गैर कानूनी है तो सरकार अवैध रूप से क्रियाशील होटल को हटाने के बारे में क्या कार्यवाही, कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) सरिस्का पैलेस की सेलडीड की रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए मुकदमा सत्र न्यायालय, अलवर में विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या 489

(स्थगित)

हथरोई बाजार (जयपुर) की आवासीय बस्तियां

490. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या नगरीय विकास व आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को यह मालूम है कि जयपुर नगर में अजमेर रोड पर बने हथरोई बाजार के सामने की ओर आवासीय बस्तियां हैं और उक्त आवासीय बस्तियों के कई प्लाटों पर औद्योगिक व व्यापारिक भवन बन गये हैं ?

(2) क्या उक्त भवनों को बनाते समय सड़क की ओर कानून के अनुसार पूरी जमीन नहीं छोड़ी गई और सड़क के किनारे तक अनधिकृत रूप से भवन बना लिये गये हैं ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(3) क्या सरकार उपरोक्त अनधिकृत निर्माणों को हटायेगी अथवा अन्य प्लाट वालों को भी सड़क के किनारे तक निर्माण करने की इजाजत देगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। हथरोई बाजार के सामने हथरोई कोर्ट तथा गोपाल बाड़ी आवासीय योजना है। उक्त योजनाओं में मुख्य अजमेर रोड पर हथरोई कोर्ट योजना के भूखण्ड संख्या 2, 4, 5, 8, 9, 10 एवं 12 पर तथा गोपाल बाड़ी योजना के भूखण्ड संख्या 4 ए, 5 एवं 6 पर अनधिकृत शोरूम एवं दुकानें आदि बनाकर व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।

(2) जी हां। इन योजनाओं में अजमेर रोड मुख्य सड़क पर भूखण्ड संख्या 4ए, 5 एवं 6 गोपाल बाडी एवं भू. सं. 4, 8, 9 एवं 10 हथरोई कोर्ट के भूखण्डधारियों ने फ्रण्ट सैट बैक की भूमि न छोड़ते हुये बाउण्ड्रीवाल तक अनधिकृत निर्माण कर लिया है।

(3) इस संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

डग (झालावाड़) क्षेत्र का विद्युतीकरण

491. श्री बालचन्द आर्यवीर : (डग) क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र में लुहारिया-नन्दपुर-देवगढ-कुन्डला-कछनारा-रामपुरा-सरवर-तिसाई-पारापिपली-रनायरा-गुधालिया ढोबड़ा-छान-जगदीशपुरा-केलूखेड़ा-ढोबडा पुराना सभी पंचायत समिति डग के अधिक आबादी वाले ग्राम हैं तथा बिजली के अभाव में किसानों को कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार की उक्त ग्रामों को इसी वर्ष सर्वे करवाकर बिजली स्वीकृति प्रदान करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। डग, विधान सभा क्षेत्र झालावाड में लुहाड़िया, नन्दपुर, देवगढ़, कुन्डला, कछनारा, रामपुरा, सरवर, तिसाई, पारापिपली, रनायरा, दुधालिया, ढोबडा छान, जगदीशपुर एवं केलूखेड़ा-अधिक आबादी वाले ग्राम हैं तथा वर्तमान में इनमें बिजली उपलब्ध नहीं है। उक्त ग्रामों में से कुन्डला, पारापीपली एवं रनायरा ग्रामों के विद्युतिकरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है तथा ग्राम ढोबरा-पुराना जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है। शेष ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं जिनका विद्युतिकरण राज्य सरकार द्वारा योजना मद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु प्रावंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव होगा।

राजस्थान वित्त निगम में नियुक्ति/ पदोन्नति

492. श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शम्भु दयाल बड़गूजर)

(1) क्या राजस्थान वित्त निगम में नियुक्ति और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षणानुसार रोस्टर का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में रोस्टर के अनुसार कितने पद रिक्त थे और कितनी नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां की गई ? वर्षवार, पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पद पिछले 5 वर्ष में अनारक्षित किये गये ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितने-कितने और क्या इसके लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति ली गयी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्त निगम में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां-अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जारी हुई हैं ? यदि हां, तो इनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई रोस्टर प्रणाली का पालन किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में रोस्टर प्रणाली के अनुसार की गई नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उपयुक्त योग्यता एवं अनुभव वाले व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण कुछ आरक्षित पदों को वर्ष 1986-87 में निगम के संचालक मण्डल की पूर्व अनुमति से अनारक्षित किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-"स" एवं "द" सदन के पटल पर रख दिया गया है। चूंकि निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है, अतः पदों को अनारक्षित करने का निर्णय संचालक मण्डल के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-"य" एवं "र" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) निगम अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की अलग से वरिष्ठता सूची जारी नहीं की जाती है, बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का उल्लेख सामान्य वरिष्ठता सूची में कर दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 जुलाई, 1990)

परबतसर उप-खण्ड में बांधों का निर्माण

315. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोराय पाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 5 वर्षों में जिला नागौर में उप खण्ड कार्यालय परबतसर के अन्तर्गत अकाल राहत के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण करवाया गया था ? बांध के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन बांधों में से कई बांध अपूर्ण रहे हैं ? यदि हां, तो

(श्री मोहनलाल चौहान)

कौन-कौन से ? विवरण मय व्यय-तखमीना सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या इन अपूर्ण बांधों को पूर्ण कराने हेतु किसी योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) मरु विकास योजना में कौन-कौन से बांध गत दो वर्षों में लिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इन बांधों का कार्य चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इस योजना में कौन-कौन से बांध अपूर्ण हैं और क्यों ? अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिंचाई उपखण्ड परबतसर, जिला नागौर में पिछले पांच वर्ष में सम्वत 2042 में 5 कार्य सम्वत 2043 में 12 कार्य 2044 में 26 कार्य स्वीकृत हुए। सम्वत 2045, 2046 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुये। सूची प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत उपखण्ड परबतसर जिला नागौर में संवत 2042, 2043 व 2044 में जो बांध अपूर्ण रहे एवं खर्चा किया गया सूची प्रपत्र "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) एक कार्य "नारी का नाका" को मरु विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया चार कार्य जून की घाटी, बासेड़, कण्डरी व मण्डावरी पर आंशिक कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, भूमिहीन रोजगार, गारन्टी कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना में कराया गया। शेष को कहीं भी प्रस्तावित नहीं किया जा सका क्योंकि लाभ-लागत मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं।

(4) वर्ष 1988-89 व 89-90 में मरु विकास कार्यक्रम में केवल एक कार्य "नारी का नाका का कार्य कराया गया। ये कार्य चालू हैं।

(5) "नाहरी का नाका" बांध का कार्य पूर्ण हो गया है नहर का कार्य प्रगति पर है। यह इस वर्ष पूरा हो जावेगा।

प्रपत्र "अ"

सिंचाई उपखण्ड परबतसर जिला नागौर में अकाल राहत कार्य

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम
सम्वत 2042		4.	खेमण्डा बिसा
1.	बलदेव सागर	सम्वत 2043	
2.	रामसागर	1.	मंहगांव बांध
3.	मेहतावाल	2.	गुलर

3. भाभी गांव
4. भूराबाला
5. पालडी कडवा
6. साकोर
7. ढाढोता
8. बलदेवसागर
9. नाडातोडा
10. पीपोलाई गांगवा
11. मकरी
12. पीहूबांध

सम्वत 2044

1. रावडीयाद
2. रघुनाथपुरा
3. खारीबाली
4. पीरजी का नाका
5. कबंलाद
6. मंगलाना
7. डिबोलाइनाडी
8. खोखरिया
9. ढाजोली
10. बिल्लबांध
11. निम्बड़ी
12. झरनाबाला
13. केसरबाली
14. धोकलिया
15. खारियातालाब
16. नाहरी का नाका बांध
17. पांचोटा
18. कालेदा
19. मरेन्दा
20. डोडियाना
21. मोरियाना
22. पिपलिया
23. हरसोर
24. निम्बोला
25. पालेलाव
26. गुलर

सम्वत 2045 - अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं हुये।

सम्वत 2046 - अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं हुए।

प्रपत्र "ब"

सिंचाई उपखण्ड परबतसर जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों के अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	सम्वत	व्यय राशि लाखों में	पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि लाखों में
1	2	3	4	5
1.	मेहगांव	2042	0.733	
	सम्वत 2043			
1.	मानीगांव	2043	1.25	

1	2	3	4	5
2.	भूरावाला	243	1.24	यह अधूरे कार्य सम्वत् 2044 में भी स्वीकृत हुए।
3.	पालडी कड़वा	,,	1.02	
4.	नाडाकोडा	,,	0.36	
5.	गांगवा पीपोलाई	,,	0.20	
	सम्वत 2044			
1.	रावडीयाद	2044	1.84	0.70
2.	रघुनाथपुरा	,,	1.49	1.00
3.	खारीबाली	,,	3.43	0.25
4.	पीरजी का बाला	,,	0.40	मरम्मत कार्य
5.	कंवलाद	,,	1.23	0.76
6.	मंगलाना	,,	0.46	मरम्मत कार्य
7.	डिबोलाईनाडी	,,	1.[illegible]4	2.70
8.	खोखरिया	,,	1.46	2.00
9.	बीजोली	,,	0.37	1.50
10.	बीलू	,,	0.25	मरम्मत कार्य
11.	निम्बड़ी	,,	0.67	0.70
12.	झूरना बांध	,,	1.21	0.50
13.	मानीगांव	,,	3.01	0.60
14.	भूराबाला	,,	1.93	0.50
15.	पालडीकडवा	,,	1.62	4.00
16.	नाडातोडा	,,	0.71	4.00
17.	गांगवा पीपोलाई	,,	1.64	0.75
18.	नारी का नाका	,,	18.48 (मुख्य व्यय डी. डी. पी. में)	0.75 डी. डी. पी. में सम्मिलित किया यह लघु सिंचाई कार्य में प्रस्तावित है।
19.	गूलरबांध	,,	3.01	—

1	2	3	4	5
20.	केसरबाली	2044	0.32	1.60
21.	ढोकखिया	,,	0.49	2.00
22.	खारिया	,,	1.09	1.25
23.	कालेदा	,,	2.36	1.60
24.	मोरियाना	,,	0.60	0.65
25.	पांचोता	,,	1.91	4.25
26.	कालेलाव	..	0.76	2.50

उम्मेदपुर ग्राम (जालौर) में 132 के. वी. सब-स्टेशन

493. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जालौर जिले के उम्मेदपुर ग्राम में 132 के. वी. ए का सब-स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वहां पर सब-स्टेशन बनाने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

(2) यदि नहीं, तो क्या इसको प्लान में लिया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास प्रस्ताव भेज दिए हैं और स्वीकृति आने पर इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(2) खण्ड (1) में जवाब दे दिया है ।

सवाई माधोपुर से पाली रूट की बसों की फिटनेस

494. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर से खण्डार, पाली रामेश्वर चलने वाली बसें राजस्थान यात्री व मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत फिटनेस रखती हैं ? जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष 1989-90 व 1990-91 में इस दृष्टि से कितनी बार मुआयना किया ? नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त मार्ग पर चलने वाली बसों के मालिकों द्वारा यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल करने का क्या कारण है ?

(3) उक्त मार्गों पर चलने वाली बसों का ओवर लोड चलना, खस्ता हालत में होना व समय अधिक लेना आदि के सम्बन्ध में जिला परिवहन अधिकारी व निरीक्षक

(श्री चुन्नीलाल)

द्वारा कार्यवाही की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त मार्गों पर राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला परिवहन अधिकारी एवं निरीक्षकों द्वारा इस दृष्टि से दिनांक 24.6.89, 20.1.90 व 28.4.90 को सवाई माधोपुर से खण्डार-पाली, रामेश्वर मार्ग की बसों का मुआयना किया गया है।

(2) नये बजट में डीजल की कीमत में की गई वृद्धि के कारण अनुज्ञापत्रधारियों ने अपनी मर्जी से यात्री किराये में बढ़ोतरी कर दी थी। उनके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की आगामी बैठक दिनांक 1.8.90 में विचाराधीन है।

(3) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा उक्त मार्ग पर चलने वाली निम्न बसों को चैक किया गया :-

वाहन संख्या	चैकिंग दिनांक
डी.आई.पी. 6963	24.6.89
डी.ई.पी. 4451	20.1.90
आर.आर.ए. 1200	20.1.90
एच.वाई.ए. 8148	20.1.90
आर.जे.यू. 3707	20.1.90
पी.एन.सी. 9518	28.4.90
आर.आर.एम. 1487	11.6.90
आर.जे.यू. 1664	13.6.90
एच.वाई.ए. 8148	15.6.90

उनमें से निम्न बसों को उनके आगे अंकित दिनांक को चालान बनाए गए :-

बस संख्या	दिनांक
पी.एन.सी. 9518	24.4.90
आर.आर.एम. 1487	11.6.90
आर.जे.यू. 1664	13.6.90
एच.वाई.ए. 8148	15.6.90
आर.जे.यू. 8009	15.6.90

बस संख्या 9518 के चालान को कम्पाउण्ड किया गया जिससे रुपये 574/- की राशि वसूल की गई।

(4) जी नहीं।

अटरू (कोटा) स्थित डिस्टलरी

495. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अटरू (कोटा) में स्थित डिस्टलरी को गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा क्यों बन्द करना पड़ा ? क्या हानि हो रही थी?

(2) यदि हां, तो यह हानि क्यों हो रही थी ? यदि भ्रष्टाचार के कारण हो रही थी, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अटरू (कोटा) में स्थित डिस्टलरी को सितम्बर, 88 से इसलिए बन्द किया गया कि यहां पर शोधित प्रासव बनाने की उत्पादन लागत उन दिनों 6.06 रुपये प्रति बल्क लीटर आती थी जबकि अन्य स्रोतों से शोधित प्रासव 3.63 से 4.68 रुपये प्रति बल्क लीटर में प्राप्त हो रही थी अतः उत्पादन लागत बहुत अधिक होने के कारण उत्पादन बन्द करना पड़ा है।

(2) डिस्टलरी चलाने से हानि होती थी इसलिए उत्पादन बन्द किया गया इसमें अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है।

पीपला लघु सिचाई योजना

496. श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पीपला लघु सिचाई योजना के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(2) क्या पीपला बांध का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? नहीं, तो क्यों ? निर्माण कार्य अब कब तक चालू कर दिया जावेगा? एवं कब तक बांध पूर्ण हो जावेगा ?

(3) बांध से लाभान्वित गांवों की सूची मय ब्ल्यू प्रिंट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पीपला लघु सिचाई योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 126.35 लाख की प्रदान की गई थी।

(2) जी हां। पीपला बांध का कार्य जनवरी, 1989 से प्रारम्भ हो गया है। ठेकेदार ने पिछले 9 माह से कार्य बन्द कर रखा है जिसे पुनः चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वांच्छित बजट उपलब्ध होने की दशा में बांध कार्य वर्ष 92-93 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(3) बांध से फागी तहसील के रेटा, देवमण्ड पीपला और डावच-गांवों को सिचाई का लाभ प्राप्त होगा। ब्ल्यू प्रिन्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ब्ल्यू प्रिन्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 जुलाई, 1990)

वन विभाग के अस्थाई कर्मचारी

321. श्री अमीन खां (शिव) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा अवधि के कितने अस्थाई कर्मचारी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने पुराने कर्मचारियों को स्थाई करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब से कब तक की सेवा अवधि के कर्मचारियों को स्थाई किया जायेगा ?

उत्तर

(1) 5-15 वर्ष तक की सेवा अवधि

(वन मन्त्री)

के अस्थाई कर्मचारियों की जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) स्थाई पदों की उपलब्धता के अनुसार अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाता हैं।

क्र. सं.	नाम जिला	अस्थाई कर्मचारियों की संख्या
1–	जयपुर	575
2–	कोटा	320
3–	जोधपुर	189
4–	उदयपुर	206
5–	सीकर	55
6–	अजमेर	114
7–	बीकानेर	536
8–	जैसलमेर	102
9–	भरतपुर	125
10–	बांसवाड़ा	333
11–	चित्तौड़गढ़	143
12–	सिरोही	121
13–	बून्दी	114
14–	टौंक	49
15–	झालावाड़	28
16–	श्रीगंगानगर	337
17–	सवाई माधोपुर	162
18–	अलवर	176
19–	भीलवाड़ा	95
20–	डूंगरपुर	120
21–	धौलपुर	57
22–	पाली	65
23–	बाड़मेर	71
24–	जालौर	78
25–	नागौर	62
26–	झुन्झुनू	35
27–	चूरू	60

खनानिया वितरिका

497. श्रीमती सुचित्रा आर्य : (नोहर) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनानियां वितरिका की 15 बुर्जी टेल बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से ? क्या इसकी प्रशासनिक स्वीकृति ले ली गई थी ? इस टेल के बढ़ाने का क्या आधार है ?

(2) क्या जो आधार विभाग द्वारा निर्धारित किया है उसके अनुसार ऊपर के मोघों के लिए भी स्वीकृति प्रदान करते समय अतिरिक्त पाइप स्वीकृत किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने-कितने साइज के ?

(3) क्या यह आधार जसाना सिस्टम की बाकी नहरों पर भी लागू किया जाएगा या केवल खनानिया के लिए ही था ?

(4) टेल बढ़ाने, मोघों के साथ फालतू पाइपें लगाने का पानी कहां से आएगा ? क्या हरियाणा सरकार इसके लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) खनानिया वितरिका की टेल पूर्व में बुर्जी संख्या 87 तक ही थी जिसको संशोधित चकबंदी के दौरान 72.5 बुर्जी कर दी गई थी। इसको अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति के अनुसार पुन: 87 बुर्जी तक बहाल कर दिया गया है। इस नहर की 87 बुर्जी तक प्रशासनिक स्वीकृति चूंकि पहले से ही थी। अत: प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। सिचाई की बढ़ोतरी के हित में ही इसको बहाल किया गया है।

(2) नहर के सभी मोघों को विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर ही स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक मोघे की साइज स्वीकृत सिंचित क्षेत्र के अनुसार ही रखा जाता है। इसलिए अतिरिक्त पाइप लगाने की कोई स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं होती।

(3) जसाना वितरिका पर भी यदि सम्भव हुआ तो उक्त आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

(4) टेल बहाल करने हेतु हरियाणा से अतिरिक्त पानी की कोई आवश्यकता नहीं है अपितु, जो पानी उपलब्ध है उसी की बचत में से ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

सावन-भादों-परियोजना कोटा में अवाप्त भूमि

498. श्री बृजराज मीणा : (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सावन भादों परियोजना (कोटा) में नहर एवं बांध हेतु 8-10 वर्ष पूर्व अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? अब सरकार किस दर से मुआवजे का भुगतान करना चाहती है?

(2) उक्त नहर कब तक पूर्ण हो जावेगी तथा कब तक सिचाई के लिए पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सावन भादों परियोजना के बांध के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का मुगतान काश्तकारों को किया जा चुका है। इस बांध की मुख्य नहर एवं इससे निकलने वाली वितरिकाओं के निर्माण में आने वाली भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 89 से शुरू की गई थी मुख्य नहर एवं हिगोनियां माइनर की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, एव शेष 5 माइनरों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां से अभी एवार्ड जारी होना बाकी है। जिन काश्तकारों ने विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति की सहमति प्रकट की थी उन काश्तकारों को अग्रिम राहत के बतौर भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा से प्राप्त अनुमानित दर के अनुसार अधिकतम रु. 10,000 तक अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। भुगतान की दर भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जाती है।

(2) मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का निर्माण भूमि अवाप्ति पर निर्भर है।

(सिंचाई मंत्री)

निर्माण कार्य 91–92 तक पूरा होना प्रस्तावित है। नगर का कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का मुख्य कारण भूमि अवाप्ति न होना है।

सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) में विद्युत अव्यवस्था

499. श्री बाबूलाल खांडा (सूरजगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बलौदा फीडर का ट्रान्सफार्मर जलने से 25 गांवों में 15 दिन तक बिजली गुल रही है? यदि हां, तो लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सूरजगढ़ क्षेत्र में कुल कितने ट्रान्सफार्मर्स हैं? कितने नीचे जमीन पर रखे गये हैं और कितने ऊपर? नीचे जमीन पर ट्रान्सफार्मर रखना क्या सुरक्षा की दृष्टि से उचित है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब?

(3) सूरजगढ़ क्षेत्र के कितने व किन-किन गांवों में बिजली के खम्भों के तार ढीले होकर नीचे झुके हुए हैं? क्या इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं में विद्युत मण्डल सम्भाग में कार्यरत स्टोर कीपर नथमल धाभाई ने दिनांक 9–5–1990 को एक पत्र लिखकर आत्महत्या की है? यदि हां, तो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए किसे दोषी माना है? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 2.5.90 से 3.5.90 एवं 15.5.90 से 17.5.90 तक बलौदा 33/11 के.वी. सब स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मर्स में आन्तरिक खराबी होने के कारण विद्युत आपूर्ति में अवरोध रहा है। चूंकि ट्रान्सफार्मर में आन्तरिक खराबी के कारण विद्युत व्यवधान रहा अतः कोई दोषी नहीं है।

(2) सूरजगढ़ क्षेत्र में 12 पावर ट्रांसफार्मर एवं 629 वितरण ट्रान्सफार्मर लगे हुये हैं जिनमें से 16 वितरण ट्रान्सफार्मर जमीन पर एवं एक वितरण ट्रान्सफार्मर लकड़ी के प्लेटफार्म पर रखे हुये हैं। नीचे जमीन पर ट्रान्सफार्मर बिना किसी घेराबन्दी के रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। उक्त सभी जमीन पर रखे हुये ट्रान्सफार्मर्स पर जहां घेराबन्दी नहीं है वहां सुरक्षा की दृष्टि से उचित घेराबन्दी की जा रही है।

(3) सूरजगढ़ क्षेत्र में कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा कुछ विद्युत पोलों पर से अधिकांश के ताने (स्टे) हटाये जाने के कारण लगभग 92 ग्रामों के 519 खम्भे तीव्र गति की हवा के बहाव के कारण टेढे हो गये इस कारण उनके तार ढीले हुये थे। चूंकि यह कृत्य असामाजिक व्यक्तियों

(ऊर्जा मंत्री)

एवं प्राकृतिक विपदा के कारण हुआ अतः कोई दोषी नहीं है।

(4) जी हां। इस घटना की जांच स्थानीय पुलिस एवं विद्युत मण्डल की सतर्कता शाखा द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

छबड़ा छीपाबड़ोद क्षेत्र का विद्युतीकरण

500. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा-छीपाबड़ोद के कितने ग्रामों का गत वर्ष में विद्युतिकरण किया गया? इनमें से कृषि कनेक्शन कितने-कितने दिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में कितने ग्रामों को बिजली दी जायेगी और कितने कृषि कनेक्शन दिए जायेंगे?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के पास कवाई कस्बे में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ोद के क्रमशः 10 एवं 19 ग्रामों का गत वर्ष में विद्युतिकरण किया गया (सूची संलग्न है)। इनमें से अधिकतर गांव जनवरी से मार्च, 90 के दौरान विद्युतिकृत हुये हैं। एक ग्राम मालपुरा में 14 कृषि कनेक्शन दिये हुए हैं। शेष ग्रामों में कृषि कनेक्शन चालू वर्ष में आवेदन एवं प्राथमिकता के आधार पर देना सम्भव होगा।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के निर्धारण का कार्य प्रगति पर है। अतः निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जो ग्राम एवं कृषि कनेक्शन साध्य होंगे उनका विद्युतिकरण कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। इस सब स्टेशन को आठवीं पंच वर्षीय योजना में पूरा करना प्रस्तावित है।

छबड़ा विधान सभा में वर्ष 1989-90 में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण का दिनांक
1	2	3	4
	पं० स० छबड़ा, जिला कोटा		
1-	चान्दपुरा	15/12/167	जनवरी 90
2-	मातापुरा उर्फ शंकरपुरा	143	फरवरी 90

1	2	3	4
3-	चौकी	144	फरवरी 90
4-	गोडिया मेहर	146	,,
5-	फालिया	178	जनवरी 90
6-	सेलनी	188	,,
7-	बटावड़ापार	182	फरवरी 90
8-	महमदपुरा	153	जनवरी 90
9-	मूण्डिया खेडा	180	,,
10-	राजपुरा	181	,,
	पंचायत समिति छीपाबड़ोद		
1-	भावपुरा	25/11/96	जनवरी 90
2-	नयापुरा	99	नवम्बर 89
3-	कलमोडिया	1?6	,,
4-	खरण	93	मार्च 90
5-	खजुरिया	104	,,
6-	गांगटी	86	दिसम्बर 89
7-	पाडल्या	87	,,
8-	पीपल्या घाटा	40	नवम्बर 89
9-	करनाल	66	जनवरी 90
10-	लक्ष्मीपुरा खुर्द	125	दिसम्बर 89
11-	बड़ाय	88	जनवरी 90
12-	पंचकुई	44	नवम्बर 89
13-	कोहड़ी	43	दिसम्बर 89
14-	सारंगखेडा	41	मार्च 90
15-	बरावदा	11	जनवरी 90
16-	बम्बोरी घाटा	94	,,
17-	बोरडा	90	फरवरी 90
18-	अमलूवदा खरने	92	,,
19-	खेडी	59	जनवरी 90

जहाजपुर क्षेत्र के गांवों की पेयजल योजना

501. श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम गांगीथला कुराडिया धुवाला काला-भाटा के लिए पेयजल हेतु रीजनल स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब एवं अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

(2) क्या बिहाडा टीठोडी गंधेर टीठोडा भीमपुरा ग्राम के लिए पेयजल हेतु रीजनल स्कीम स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो कब की गई एवं अब तक कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

(3) क्या जहाजपुर, ऊंचा कुचलवाड़ा मोरला एवं टीकड, केसरपुरा कुचल-वाडा की पेयजल योजना राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसकी स्वीकृति दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्रीय योजना जनवरी, 1990 में स्वीकृत हुई थी। योजना पर अभी स्त्रोत के निर्माण का कार्य प्रगति में है।

(2) संदर्भित योजना जनवरी, 1990 स्वीकृत हुई थी एवं वित्तीय वर्ष 1990-91 में योजना हेतु 4·00 लाख रुपये की धन-राशि आवंटित की गई है।

(3) जी हां। स्वीकृति धन उपलब्धता अनुसार ही की जा सकेगी।

प्रताप नगर, जोधपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण

502. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह फरवरी, 1990 में जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में आम सड़क के किनारे कितने एवं किस-किस प्रकार के अवैध निर्माण हुए व नगर सुधार न्यास द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या नगर सुधार न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन प्रताप नगर में शिकायत दर्ज कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि शिकायत दर्ज हुई, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) माह फरवरी, 1990 में जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में आम सड़कों के किनारे खालसर भूमि पर दस दुकानों का अवैध निर्माण हुआ जिस पर न्यास द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई। परन्तु अति-क्रमियों द्वारा बाधा उत्पन्न की गई जिससे पुलिस थाना प्रताप नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(2) जी हां। यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई गई और उस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजि-स्ट्रेट (शहर) जोधपुर के न्यायालय में धारा

(नगरीय विकास मन्त्री)

145 सी. आर. पी. सी. का मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय द्वारा एस. एच. ओ. प्रताप नगर को रिसीवर मुकर्रर कर दुकानें सुपुर्दगी में दी गई हैं।

ग्राम नांगल चाटणवास की ढाणी देवरा और पुरोहित बास में पेयजल समस्या

503. श्री अजयसिंह (दातारामगढ़) : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम चाटणवास नांगल की ढाणी, देवपुरा और पुरोहित का बास भयंकर पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त ग्रामीण एक एक ऊंट टंकी के पच्चीस रुपये प्रति टंकी के देने को मजबूर हो रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त ग्रामों को पाइप लाइन से जोड़ कर पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुरोहितवास के अतिरिक्त शेष स्थान राजस्व ग्राम नहीं हैं। ग्राम पुरोहितवास तहसील श्रीमाधोपुर में 4 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। दूसरे स्थान का सही नाम चारणवास प्रतीत होता है जो तहसील श्रीमाधोपुर में है जहां दो हैण्डपम्प लगे हैं, जो चालू हैं। तीसरा स्थान नांगल है। इस गांव को हैण्डपम्प योजना द्वारा लाभांवित किया गया था। पानी की कमी को दूर करने के लिए एक हैण्डपम्प खोदा जा रहा है। इस गांव की एक परम्परागत जल स्रोत योजना भी सन् 1989 में स्वीकृत कराई गई थी, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 0.57 लाख है। इस परम्परागत जल स्रोत योजना के कुए को बजट उपलब्धता के अनुसार इस वर्ष में चालू करने का प्रस्ताव है। चौथा ग्राम देवरा के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस नाम का कोई राजस्व ग्राम सीकर जिले में नहीं मिला।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) वर्तमान में जो पेयजल व्यवस्था विद्यमान है, उसमें सुधार के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिन्हें धन उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जा सकेगा।

चम्बल परियोजना में सिंचित भूमि

504. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा की चम्बल परियोजना के निर्माण के समय राजस्थान व मध्यप्रदेश की कितनी-कितनी भूमि सिंचित करने का प्रावधान था ? वर्तमान में राज्य की कितनी भूमि सिंचित की जा रही है ?

(2) परियोजना के निर्माण के समय कितनी भूमि प्रवाही सिंचाई से व कितनी भूमि जलोत्थान सिंचाई से सिंचित करने की योजना थी और वर्तमान में कितनी सिंचित है ? दायीं व बायीं मुख्य नहर से

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सम्बन्धित सूचनाएं पृथक्-पृथक् सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान के हिस्से का कितना पानी है ? इसमें से कितने पानी का उपयोग किया जा रहा है ? शेष पानी का क्या उपयोग हो रहा है ?

(4) दायीं मुख्य नहर पर कितनी जलोत्थान योजनाएं प्रस्तावित थी ? इनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी है कितनी निर्माणाधीन हैं व कबसे तथा कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं ? इन की कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) चम्बल परियोजना की रिपोर्ट 1954 के अनुसार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा चम्बल में स्थित कमाण्ड क्षेत्रों में 2,82,800 हैक्टेयर क्षेत्र प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष सिंचित करने का प्रावधान था। अब तक राजस्थान में अधिकतम 2,40,404 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो चुकी है।

(2) परियोजना निर्माण के समय 1954 में दायीं मुख्य नहर एवं बांई मुख्य नहर पुलों द्वारा क्रमशः 65,252 हैक्टेयर एवं 1,00,105 हैक्टेयर तथा लिफ्ट द्वारा क्रमशः 9519 एवं 7984 हैक्टेयर भूमि सिंचित करने की योजना थी।

अभी तक दायीं एवं बायीं मुख्य नहर पर अधिकतम फ्लो द्वारा क्रमशः 1,37,914 हैक्टर एवं 1,02,521 हैक्टेयर तथा लिफ्ट द्वारा 3709 हैक्टेयर क्षेत्र दायीं मुख्य नहर पर सिंचित हो चुका है। बायीं मुख्य नहर पर अभी कोई भी लिफ्ट योजना नहीं बनी है।

(3) उपलब्ध पानी के अनुसार कोटा बैराज में दोनों राज्यों की आवश्यकता हेतु गांधी सागर व राणा प्रताप सागर जलाशयों में से जो पानी उपलब्ध होता है, उसका 50% हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी उपयोग किया जा रहा है। अगर शेष पानी जलाशयों में बचता है, तो उसे अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

(4) दायीं मुख्य नहर पर कुल 20 ब्लाकों में जलोत्थान योजनाएं प्रस्तावित थीं। इनमें से पांच जलोत्थान योजनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। तीन योजनाएं निर्माणाधीन हैं क्रमशः ब्लाक नं. 20 वर्ष 1981-82 से, ब्लाक नं. 11 वर्ष 1987-88 से एवं ब्लाक नं 10 वर्ष 1988-89 से। चार ब्लाक्स 7 13,14, 15 में विचाराधीन है जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने एवं वांछित बजट उपलब्ध होने पर क्रियान्वित की जा सकेगी।

सतवाड़ी ग्राम (भरतपुर) में पातालतोड़ कुओं का निर्माण

505. श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में कामां पहाड़ी मार्ग पर स्थित सतवाड़ी ग्राम में अब तक कितने पातालतोड़ कुओं का निर्माण करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि स्रोत ग्राम

(श्री परसराम मदेरणा)

होते हुए भी इन कुओं का पानी सतवाड़ी ग्राम को नहीं दिया जाकर पहाड़ी कस्बे के साथ-साथ अन्य दस गांवों को मुहैया करवाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि निरन्तर और अबाध रूप से चलने वाले इन कुओं के कारण सतवाड़ी ग्राम का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और इस स्रोत ग्राम को पेयजल की भयंकर परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सतवाड़ी ग्राम में चार नलकूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से तीन कार्यरत हैं। एक का पानी खारा होने के कारण काम में नहीं लिया जा रहा है।

(2) इन नलकूपों से पानी सतवाड़ी ग्राम को व 5 अन्य ग्रामों को एवं पहाड़ी कस्बे को दिया जा रहा है।

(3) पिछले 4–5 वर्षों से कम वर्षा होने एवं अन्य कारणों से भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। परन्तु इस ग्राम में पेयजल व्यवस्था सामान्य है। दूरस्थ बसी हुई बस्तियों में पाइप लाइनें डालकर सार्वजनिक नलों द्वारा पेयजल सुविधा का विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है।

क्षेत्रीय जलदाय योजना मंगलूणा-शोभासर (सुजानगढ़)

506. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :–

(1) सुजानगढ़ सब डिवीजन द्वारा संचालित क्षेत्रीय जलदाय योजना मंगलूणा-शोभासर भाग 2 में कितने गांवों को लाभान्वित किया जाना था तथा कितने गांवों को लाभान्वित किया जाना विभाग द्वारा दर्शाया गया है ? क्या यह सही है कि सभी गांवों को अभी तक लाभान्वित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिए सी. डब्लू. आर. बना है ? यदि हां, तो कहां और कब ?

(3) क्या इस योजना के लिए नये सिरे से सी. डब्लू. आर. एवं अलग से बूस्टिंग की व्यवस्था की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(4) क्या इस जलप्रदाय योजना में आने वाले गांवों की आवश्यकतानुसार 40 लीटर से 70 लीटर के प्रावधान का ध्यान रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल योजना मंगलूणा-शोभासर में प्रस्तावित सभी 12 ग्रामों को योजना द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। अन्तिम छोर के 2 ग्रामों में अभी पानी नहीं पहुंच रहा है।

1. अणखोली (113)

2. डूंगरास अगुणा (109)

(2) उक्त क्षेत्रीय जल योजना के लिए ग्राम मंगलूणा में वर्ष 1979 में सी. डब्लू. आर. बनाया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) योजना के 40 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन संवर्धन की योजना विचाराधीन है जिसका क्रियान्वयन धन उपलब्धि के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां।

राजगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट

507. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में भयंकर पेयजल संकट है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसका स्थाई हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना क्या है और यह कब से लागू की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य सरकार ने अब तक पेयजल समस्या निवारण हेतु पंचायत समिति राजगढ़ और रैणी में विगत 5 वर्षों में कितने हैण्ड पम्प लगाये हैं ? ग्राम पंचायत-वार सूची सदन की मेज पर रखें इन लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कितने चालू हालत में और कितने बन्द हैं ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बन्द पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुल 174 ग्रामों में से 171 पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित हैं। इनमें से 8 ग्रामों में पेयजल की अधिक समस्या है जिसका निवारण नये नलकूपों व हैण्ड पम्पों के माध्यम से धन उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) वांछित सूचियां परिशिष्ट "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूखे व परित्यक्त हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्पों का कार्य धन उपलब्धता के अनुसार ही किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 जुलाई 1990)

टहला-सरिस्का सड़क पर आवागमन पर प्रतिबन्ध

417. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम टहला से सरिस्का सड़क पर आवागमन पर अवरोध कब लगाया गया है ?

(2) क्या अवरोध के लिये राज्य सरकार के आदेश थे ?

उत्तर

(1) यह अवरोध अलवर रियासत के जमाने से लगाया हुआ है। निश्चित तिथि रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(2) रियासत के समय का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 808 की सूची

वर्ष 1988-89 में जयपुर जिले में कोटपूतली तहसील को छोड़ कर "वन पोल" स्कीम के तहत चयनित आवेदन पत्रों का तहसील वार विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	वन पोल हेतु चयनित आवेदक
1.	विराट नगर	260
2.	आमेर	1009
3.	फुलेरा	487
4.	जयपुर	226
5.	रामगढ़	127
6.	बसवा	110
7.	दूदू	41
8.	सांगानेर	272
9.	बस्सी	104
10.	दौसा	86
11.	सिकराय	38
12.	फागी	17
13.	चाकसू	14
14.	लालसोट	47
	कुल योग	2838

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 813 की प्रति

O & M PATTERN No. 18 : COMPOSITION OF O & M OFFICES

Code No.	Category	Staffing Pattern	
		Designation	No. of posts
1	2	3	4
OMP 18.1	O&M S/Offices, S/Divisions & Divisions existing at present should not be disturbed.	Staff will be provided as per OMP–18.2 & 18.3	
OMP 18.2	O&M New S/Office will be created only when following conditions are fulfilled :	Junior Engineer	1
	(a) Diesel Power House with a installed capacity upto 60 K.W. and local Distribution at the Head quarters provided the No of consumers does not exceed 300		
	(b) S/Office having 600 to 1200 consumers in a load density upto 30 consumers per transformer centre		
	OR		
	S/Office having 800 to 1600 consumers in load density between 31 to 75 consumers per transformer centre		
	OR		
	S/Office having 1200 to 2500 consumers in a load density		

1	2	3	4
	of above 75 consumers per transformer.		
	(c) S/Office having 2501 to 5000 consumers in a locality	Junior Engineer	2
OMP 18.3	New S/Division will be created when the following conditions are fulfilled :		
	(a) S/Division having 5001 to 8000 consumers in a locality	Asstt. Engineer Junior Engineer	1 1
	(b) S/Division having 8001 to 12000 consumers in a locality	Junior Engineer Asstt. Engineer	2 1
	(c) S/Division having 4 S/Offices (Jr. Engineer) as per OMP-18.2 (b)	Asstt. Engineer	1
	(d) –do– having 3 to 5 S/Offices of 18.2 (a)(b)(c)	Asstt. Engineer	1
OMP 10.4	O & M Division		
	(a) having 4 O&M S/Divisions of 18.3 (a), (b), (c)	Executive Engineer	1
	OR		
	3 to 5 composits Sub Divisions of 18.3 ( )		

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 816 की सूची

वर्ष 1988 तक आपरेटर द्वितीय पद के लिये मण्डल के तकनीकी कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार वांछित योग्यता

हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित व्यवसाय में आई. टी. आई. प्रशिक्षित होने के साथ न्यूनतम 60 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युतगृह में अथवा अन्य औद्योगिक संस्थान में समरूप उपकरण/संयंत्र के परिचालन में तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

वर्ष 1989 में आपरेटर द्वितीय एवं आपरेटर तृतीय के लिये मण्डल के तकनीकी कर्मगार सेवा नियम के अनुसार वांन्छित योग्यता

आपरेटर द्वितीय :

सैकण्डरी अथवा समकक्ष योग्यता सहित, आई.टी.आई. (2 वर्षीय कोर्स) अथवा एन.सी.टी.वी.जी. (3 वर्षीय कोर्स) में इलेक्ट्रिशियन/फिटर वायरमैन/बायलर अटेण्डेन्ट/स्टीम टरबाइन आपरेटर/स्विचबोर्ड अटेण्डेन्ट ट्रेड कोर्स को प्राथमिकता तथा आई. टी. आई. को न्यूनतम 4 वर्ष का एवं एन.सी.टी.वी.टी. को न्यूनतम 3 वर्ष का किसी औद्योगिक संस्थान में बायलर / टरबाइन जनरेटर / कामन आग्जलरी / स्विचयार्ड से संबंधित संयंत्र के संचालन का अनुभव होना आवश्यक है।

आपरेटर तृतीय :

सैकण्डरी अथवा समकक्ष योग्यता सहित आई. टी. आई. (2 वर्षीय कोर्स) अथवा एन.सी.टी.वी.टी. (3 वर्षीय कोर्स) में फिटर/वायरमैन/बायलर अटेन्डेन्ट/स्टीम टरबाइन अटेन्डेन्ट ट्रेड कोर्स को प्राथमिकता तथा आई.टी.आई. को न्यूनतम 1 वर्ष एवं एन.सी.टी.वी.टी. को न्यूनतम 6 माह का किसी औद्योगिक संस्थान में बायलर/टरबाइन जनरेटर/कामन आग्जलरी/स्विचयार्ड से सम्बन्धित संयंत्र फ्यूल हैण्डलिंग के संचालन का अनुभव होना आवश्यक है।

आपरेटर तृतीय पर नियुक्ति किये गये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम	जाति	रोस्टर का क्रमांक
1.	श्री भवानी शंकर कोली	अनु.जाति	1
2.	श्री रमेशचन्द्र वर्मा	,,	7
3.	श्री राजेन्द्र कुमार समोनिया	,,	13
4.	श्री जगदीश प्रसाद महावर	,,	19
5.	श्री जयपाल सिंह	,,	26
6.	श्री प्रभूलाल वर्मा	,,	32
7.	श्री गोपाल लाल कोली	,,	38
8.	श्री राधा किशन चंदेल	,,	43
9.	श्री गोपीराम बलाई	,,	50
10.	श्री सत्यनारायण महावर	,,	56
11.	श्री राम निवास	,,	62
12.	श्री हरीचन्द मीणा	,,	4

आपरेटर द्वितीय पर अनुसूचित जाति एवं अनु. जन जाति के नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची

1.	श्री श्यामनारायण खत्री	अनु.जाति	1
2.	श्री गिर्राज किशोर	,,	7
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह	,,	13
4.	श्री रामलाल मेहरा	,,	19
5.	श्री बन्शीलाल लश्कर	,,	26
6.	श्री महावीर प्रसाद	,,	32

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 840 की प्रति

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ 10 (16) शिक्षा/प्रकोष्ठ-1/69 दिनांक 5 अगस्त, 1969 द्वारा मंत्रि-मण्डल निर्णय के अनुसार राजकीय हायर सैकण्डरी (उच्च माध्यमिक) मंडार व रोहेड़ा (जिला सिरोही) शालाओं को चालू शिक्षा सत्र 1969–70 से सैकण्डरी (माध्यमिक) शालाओं में अवनत (डाउन ग्रेड) किया जाता है।

ह/–
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/योजना/6/21335/(69–70) दिनांक 3 सितम्बर, 69

ह./–
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 842 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
(GROUP II)

1. All Secretaries to Government of Rajasthan.
2. Collector, Jaipur/Jodhpur/Bikaner/Kota/Ajmer.

No. F. 19(43)UDH/Gr. II/85 Jaipur, dated 27.10.86

Sub : Acquisition of land under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

Sir,

I am directed to say that the above Act is applicable to the five Towns of the State viz. Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Kota and Ajmer. The excess vacant land is acquired under the Act at a maximum rate of Rs. 5/– per Sq. Meter. It has come to the notice of the Government that some of the Departments, Local Bodies etc. are acquiring the land under the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 or other local Act and paying compensation of the acquired land at a higher rate which is not justified.

It is, therefore, directed that before acquiring the land under the local Act in the above Towns, the concerned Department should consult Competent Authority under the ULCAR Act to ascertain that the land is being not acquired/likely to be acquired under the ULCAR Act.

Yours faithfully,

Sd/–

(G. S. Gupta)

Dy. Secretary to Government

Copy forwarded for information & necessary action to the the following :-

1. Managing Director, RIICO, Jaipur.
2. Chairman, Rajasthan Housing Board, Jaipur.
3. Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur.
4. Chief Engineer, P.W.D. (Roads), Jaipur.
5. Chief Engineer, P.W.D. (Building) Jaipur.
6. Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
7. Chief Engineer, P.H.E.D., Jaipur.
8. Director, Land & Building Tax Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Director, Local Bodies, Rajasthan, Jaipur.
10. Secretary, Urban Improvement Trust, Ajmer/Jodhpur/Bikaner/Kota.
11. Competent Authority, I & II, Land & Building Tax Department, A-68, Shantipath, Tilak Nagar, Jaipur.
12. Competent Authority, Land & Building Tax Department, Jodhpur/Bikaner/Kota/Ajmer.

Sd/

Dy. Secretary to Government,
U.D.H.

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 847 की सूचना

देशी/विदेशी मदिरा दुकानात की स्कूल, अस्पताल, सिनेमाहाल तथा मन्दिर से दूरी संबंधी सूचना

(दूरी मीटर में)

क्र. सं.	नाम दुकान	स्कूल से	अस्पताल से	सिनेमा हाल से	मन्दिर से
1	2	3	4	5	6
1.	देशी मदिरा मुख्य दुकान, जालौर	250	1 कि.मी.	250	600
2.	देशी मदिरा उप दुकान रेल्वे स्टेशन, जालौर	550	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.	2 कि.मी.	600
3.	देशी मदिरा उपदुकान तासखाना बावड़ी, जालौर	300	1 कि.मी.	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.	550
4.	देशी मदिरा उपदुकान राजेन्द्रनगर, जालौर	200	500	1 कि.मी.	700
5.	देशी मदिरा उपदुकान सूरजपोल, जालौर	300	550	1 कि.मी.	300
6.	देशी मदिरा उपदुकान तिलजद्वारो, जालौर	550	550	100	100
7.	देशी मदिरा उपदुकान गोडीजी, जालौर	400	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.	1 कि.मी.	300
8.	भा. नि. वि. म. खुदरा, जालौर	250	1 कि.मी.	250	600
9.	भा. नि. वि. म. खुदरा आहोर	50	200	सिनेमाहाल नहीं है।	200
10.	देशी मदिरा उपदुकान माधोपुर आहोर	1 कि.मी.	1 कि.मी.	,,	1 कि.मी.
11.	देशी मदिरा, आहोर	200	50	,,	50

1	2	3	4	5	6
12.	देशी मदिरा, भीनमाल	150	100	सिनेमाहाल नहीं है।	150
13.	देशी मदिरा उपदुकान माधचौल, भीनमाल	100	1 कि.मी.	,,	600
14.	देशी मदिरा उपदुकान रेल्वे स्टेशन, भीनमाल	150	2 कि.मी.	,,	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.
15.	भा. नि. वि. म. भीनमाल	150	2 कि.मी.	,,	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.
16.	भा. नि. वि. म. रानीवाडा	550	550	,,	30
17.	देशी मदिरा रानीवाडा	1 मि.मी.	1 कि.मी.	,,	550
18.	देशी मदिरा उपदुकान सेवाडियोरोड, रानीवाडा	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.	$1\frac{1}{2}$ मि.मि.	,,	$1\frac{1}{2}$ कि.मी.
19.	देशी मदिरा उपदुकान गुडा वालोतान	50	50	,,	550
20.	देशी मदिरा, सायला	100	600	,,	150
21.	भा. नि. वि. म., सायला	50	550	,,	100
22.	देशी मदिरा, भवंरानी	50	50	,,	350

राजस्थान आबकारी नियम के नियम 75 2 (ए) के अनुसार देशी शराब की दुकान महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, अस्पताल, औषधालय, पूजा स्थल या सार्वजनिक स्थान के Close Proximity में नहीं होगी। नियम 75 2 (ए) में Close Proximity कितनी दूरी को माना जायेगा, का उल्लेख नहीं है। परन्तु देशी मदिरा अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (ख) में यह उल्लेख है कि लाईसेंसधारी शराब की दुकान अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा सार्वजनिक एवं मनोरंजन स्थल से 500 मीटर

के अन्दर नहीं लगा सकेगा। शर्त संख्या 11 (इ.) में यह उल्लेख है कि दुकानों की लोकेशन बाबत उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें जो कि जालोर, आहोर भीनमाल, रानीवाड़ा व सायला में स्थित हैं, नियम 75.2 (ए) की परिधि-(Purview) में नहीं आती है क्योंकि दूरी संबंधी नियम केवल देशी मदिरा की दुकानों के लिए है। भा. नि. वि. मदिरा की दुकानों के लिए दूरी संबंधी कोई पाबंदी नहीं है।

देशी मदिरा मुख्य दुकान जालोर, देशी मदिरा उप दुकान सूरजपोल जालोर, देशी मदिरा उप दुकान तिलक द्वार जालोर, देशी मदिरा उप दुकान गोडीजी जालोर देशी मदिरा दुकान आहोर, देशी मदिरा दुकान भीनमाल, देशी मदिरा उप दुकान गुडा बालोतान, देशी मदिरा दुकान सायला, देशी मदिरा दुकान भंवरानी मंदिर अथवा अस्पताल अथवा सिनेमा हॉल से 500 मीटर से कम दूरी पर हैं। नियम 75 2 (ए) के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी लोकेशन स्वीकृत करने को सक्षम हैं। देशी मदिरा अनुज्ञा शर्त सं. 11 (इ.) के अनुसार दुकानों की लोकेशन के बारे में प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। आबकारी आयुक्त से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या इन दुकानों के बारे में नियम 75 2 (ए) में वर्णित प्रतिबन्धों में शिथिलता दी गई है।

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 862 का विवरण

कृषि एवं घरेलू बकाया प्रार्थना पत्रों का वर्षवार विवरण
पंचायत समिति बामनवास

वर्ष	श्रेणी	
	कृषि	घरेलू
1979–80	6	—
1980–81	2	—
1981–82	13	—
1982–83	52	—
1983–84	154	—
1984–85	49	224
1985–86	35	127
1986–87	37	73
1987–88	105	45
1988–89	110	79
1989–90	92	234
योग :–	635	782

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 867 की सूची

गन्धेली साहवा योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील के लाभान्वित किए जा रहे एवं भविष्य में लाभान्वित किये जाने वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	लाभान्वित किए गए क्र.सं. विवरण	भविष्य में लाभान्वित किये जाने हैं क्र.सं. विवरण
1-	जोहड़ी पट्टा सांत्यू	11	1. लाभान्वित	
2-	जोहड़ी पट्टा लोहसना	12	2. ,,	
3-	जोहड़ी पट्टा चारणान	13	3. ,,	
4-	कोटवाद टीब्बा	8	4. ,,	
5-	थेमेड़ी	10		1. लाभान्वित किया जाना है।
6-	कोटवाद ताल	9		2. गन्धेली-साहवा द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर लाभान्वित किया जाना है।
7-	कोटवाद नाथावतान	7		3. ,,
8-	मथोड़ी	32		4. ,,
9-	मेहसर	30		5. ,,

पशु पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में चूरू तहसील के विभिन्न ग्रामों में स्वीकृत जी. एल. आर. की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	जी. एल. आर. की क्षमता
1-	सातड़ा	40,000 लीटर
2-	बीनासर	40,000 ,,

1	2	3
		लीटर
3-	जहारपुरा	40,000 ,,
4-	पीथासर	40,000 ,,
5-	रिबिया	50,000 ,,
6-	रिडखला	50,000 ,,
7-	दान्दू	50,000 ,,
8-	जैसा का बास	50,000 ,,
9-	रणावों की ढाणी	50,000 ,,
10-	श्यामपुरा	50,000 ,,
11-	मेहरावनसर	50,000 ,,
12-	ढाढरिया चारणान	60,000 ,,
13-	ऊंटवालिया	60,000 ,,
14-	सहनाली (छोटी)	60,000 ,,
15-	श्योदानपुरा	60,000 ,,
16-	घोधलिया	60,000 ,,

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 869 की सूची

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

1. जैसलमेर
2. सिरोही
3. अलवर
4. जोधपुर
5. भीलवाड़ा
6. चूरू
7. नागौर
8. उदयपुर
9. बांसवाड़ा
10. बाड़मेर
11. बाड़मेर
12. जालौर
13. झुन्झुनूं
14. झालावाड़
15. सीकर
16. टौंक

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 873 का विवरण

जिला सवाई माधोपुर में मान्यता प्राप्त अनुदानित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को
वर्ष 1985 से 1990 तक मिले अनुदान सहित विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90
1–	बापू उ. प्रा. वि. करौली	44534/–	38987/–	90396/–	78208/–	26569/–
2–	रविन्द्र बाल निकेतन स. मा.	2770/–	24053/–	4300/–	22582/–	22872/–
3–	पीताम्बर प्रा. वि. स. मा.	5232/–	7204/–	14538/–	18853/–	30077/–
4–	विजयन्ता हरिचंद शाला प्रा. वि. टोडाभीम	18657/–	23624/–	24682/–	23736/–	24899/–
5–	रेल्वे प्रा. वि. अंग्रेजी, गंगापुर	30496/–	32034/–	37908/–	36964/–	27731/–
6–	रेल्वे प्रा. वि. हिन्दी गंगापुर	101182/–	102397/–	130276/–	136305/–	158892/–
7–	रेल्वे प्रा. वि. सवाई माधोपुर	20476/–	22578/–	26357/–	27131/–	21838–/
8–	प्रा. वि. साहूनगर स. मा.	145433/–	193512/–	19224/–	166680/–	191963/–
9–	फलौदी उ. प्रा. वि. स. मा.	222689/–	258485/–	267200/–	214434/–	199684/–
10–	केन्द्रीय कार्यालय, साहूनगर	37651/–	65577/–	67916/–	61445/–	29407/–
	योग :–	629119/–	768451/–	682797/–	786338/–	733932/–

कुल योग :– 36,00,637/–

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 876 की प्रति

कार्यालय ग्राम पंचायत रामजीपुरा कलां

क्रमांक/मृत्यु/1/14.4.80 दिनांक..........

मृत्यु का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री छोटू सिंह पुत्र श्री खेत सिंह जाति राजपूत निवासी रामजीपुरा कलां तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राजस्थान) की मृत्यु दिनांक 12.4.80 को हार्ट फेल की बीमारी के कारण से हुई है। जो पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर क्रमांक 1 दिनांक 13.4.80 को दर्ज है। जो सत्य है।

सत्यप्रति
ह./-
उप वन संरक्षक,
जयपुर (पूर्व)

ह./-
सरपंच
ग्राम पंचायत रामजीपुरा कलां

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 878 का विवरण

नाम तहसील	10 वर्षों में लगाये गये पौधों की संख्या	व्यय राशि	वर्तमान में जीवित पौधों का प्रतिशत
गोगुन्दा	0.46 लाख + 27.65 = 28.11 लाख	61.42 लाख + 1.07 = 62.49 लाख	69.42%
कोटडा	23.33 लाख	68.48 लाख	65%
झाड़ोल	13.75 लाख	43.76 लाख	60%

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 883 की सूची

हिण्डौन आगार द्वारा संचालित मार्गों/बस सेवाओं की सूची

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3
1.	महावीरजी-फिरोजाबाद	2
2.	महावीरजी-दिल्ली वाया बयाना	2
3.	हिण्डौन-मथुरा	2
4.	हिण्डौन-दिल्ली वाया टोडाभीम-खेरली	2
5.	केलादेवी-दिल्ली वाया लक्ष्मणगढ़	2
6.	केलादेवी-आगरा वाया बयाना	2
7.	केलादेवी-मथुरा वाया बयाना	2
8.	हिण्डौन-जयपुर वाया टोडाभीम	2
9.	हिण्डौन-जयपुर वाया नादोती	2
10.	महावीरजी-जयपुर वाया महुवा	2
11.	महावीरजी-पदमपुरा वाया जयपुर	2
12.	जयपुर-बयाना वाया हिण्डौन	2
13.	जयपुर-करौली वाया महुवा	2
14.	जयपुर-केलादेवी	2
15.	नादोती-भिवाड़ी	2
16.	महावीरजी-धौलपुर	2
17.	हिण्डौन-भरतपुर	2
18.	हिण्डौन-गंगापुर	43
19.	हिण्डौन-बयाना	30
20.	हिण्डौन-केलादेवी	18
21.	हिण्डौन-करौली	24
22.	हिण्डौन-मोतियापुरा	8
23.	हिण्डौन-महावीरजी	12

1	2	3
24.	हिण्डौन-नादोती	10
25.	हिण्डौन-टोडाभीम	18
26.	हिण्डौन-महुवा	22
27.	हिण्डौन-खेड़ली वाया मुसावर	2
28.	हिण्डौन-मुसावर	4
29.	गंगापुर-करौली	28
30.	गंगापुर-बांदीकुई	7
31.	टोडाभीम-महुवा	20
32.	बयाना-रूपवास	4
33.	गंगापुर-नादोती	8
34.	हिण्डौन-मण्डावर	2
35.	करौली-मासलपुर	8
36.	गंगापुर-गुढाचन्द्रजी	2
37.	हिण्डौन-गुढाचन्द्रजी	2
38.	हिण्डौन-बांदीकुई वाया नादोती	3
39.	बांदीकुई-नादोती	4
40.	बांदीकुई-गुढाचन्द्रजी	4
41.	हिण्डौन-गंगापुर वाया नादोती	2
42.	हिण्डौन-महावीरजी	9
43.	हिण्डौन-सुरोठ	9

हिण्डौन आगार वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक हानि की स्थिति में रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	हानि (लाख रुपये में)
1985-86	34.00
1986-87	40.98
1987-88	56.55
1988-89	60.41
1989-90	107.82 (प्रोविजनल)

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 884 का विवरण

कार्यालय नगरपालिका, सलूम्बर जिला उदयपुर (राजस्थान)

नगरपालिका, सलूम्बर, द्वारा वर्ष 1988–89 व 1989–90 में नालियों, सड़कों, सार्वजनिक नल, विद्युत व सफाई पर व्यय की गई राशि का विवरण :–

क्रमांक	नाम कार्य	व्यय की गई राशि	
		1988–89	1989–90
1.	सड़क/नालियों आदि पर व्यय	88,522.75	40,249.30
2.	सार्वजनिक नल पर व्यय	3,778.00	3,744.00
3.	विद्युत पर व्यय	1,07,069.76	70,932.31
4.	सफाई पर व्यय	4,79,386.25	4,78,983.70

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 887 की सूची

क्र. सं.	विषय	स्वीकृत पद
1.	ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग	23
2.	अर्थशास्त्र	169
3.	अंग्रेजी	224
4.	भूगोल शास्त्र	138
5.	हिन्दी	220
6.	इतिहास	228
7.	गृह विज्ञान	26
8.	संगीत	25
9.	वन साधन एवं उनका उपयोग	1
10.	फारसी	1
11.	दर्शन शास्त्र	37
12.	राजनीति शास्त्र	206
13.	मनोविज्ञान	5
14.	लोक प्रशासन	23
15.	संस्कृत	82
16.	सिंधी	4
17.	समाज शास्त्र	97
18.	उर्दू	20
19.	वस्त्र की छपाई एवं रंगाई	1
20.	कृषि	22
21.	वनस्पति शास्त्र	169
22.	रसायन शास्त्र	296
23.	भू-गर्भ शास्त्र	12
24.	गणित	145
25.	भौतिक शास्त्र	208
26.	प्राणी शास्त्र	175
27.	ए. बी. एस. टी.	267
28.	व्यावसायिक प्रशासन	228
29.	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध	224
30.	विधि	54
	योग :	3330

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 888 का विवरण

बीमा राशि का विवरण

वर्ष	प्रीमियम राशि	
	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड
1982–83	76,683.00	—
1983–84	52,495.00	—
1984–85	1,25,434.00	34,108·00
1985–86	93,496·00	7,833·00
1986–87	1,00,603·00	29,792·00
1987–88	2,41,260·00	28,531·00
1988–89	2,03,201·00	33,943·00

नोट :–

1. निगम द्वारा लेखे वार्षिक तैयार किये जाते हैं अतः वर्ष 1986-87 की वार्षिक प्रीमियम की राशि दी गई है। 1 अक्टूबर के पहले व बाद की राशि अलग-अलग देना तुरन्त संभव नहीं है।

2. टंगस्टन कार्पोरेशन की स्थापना नवम्बर, 1983 में हुई थी और उसके कार्य-कलाप 1 अप्रेल, 1984-85 से ही आरम्भ हो गये थे। इसलिए पिछले वर्षों की सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

3. टंगस्टन कार्पोरेशन में गाड़ियों के अतिरिक्त उत्पादित टंगस्टन कन्संट्रेट का भी बीमा कराया जाता है। टंगस्टन कन्संट्रेट की बीमा योग्य मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादित माल में से कितना टंगस्टन कन्संनट्रेट सुरक्षा मन्त्रालय द्वारा उठाया जाता है। बीमा उसी टंगस्टन कन्सनट्रेट का होता है जो वे उठा नहीं पाते हैं। परन्तु माल को भेजते समय ट्रानजिट इन्श्योरेन्स भी कराना होता है।

रण यह रहा है कि
गर लम्बे समय तक
मा करना आवश्यक
ो अतिरिक्त बीमा

रॉक फास्फेट से
त यह रॉकफास्फेट
ा पड़ता । परन्तु
लिए बैंकों से ऋण
क माल का बीमा
व 1988–89 में
,000 रुपये व्यय

का

1. राज्य सरकार के
प्राप्त कर ली ग
2. माइनिंग लीज
लिया गया था ।
3. उक्त क्षेत्र का म
ब्यूरो ऑफ म
चुका था ।
4. 53 बीघा 4 वि
है तथा 292
जारी है ।
5. राजस्थान प्रदूष
स्थल हेतु अनाप
6. कोल इण्डिया
प्रस्तुत किया ज
दिया गया कि
जायेगी ।
7. कोटड़ा में टेली
8. कम्पनी द्वारा च
तान राज्य के
9. कम्पनी का विर
धीन है ।
10. भारत सरकार
स्वीकृति उनके

२९४

इकाई	अधिकारी / कर्मचारी	यात्रा साधा
उदयपुर	प्रोजे. मैने. (रॉकफास्फेट) माईनिंग इन्जि. (रॉक.) ड्राइवर	निग
जोधपुर	परि. प्रब. (लाइमस्टोन) ड्राइवर	निग
डेरी	परि प्रब. (वेसमैटल)	रेल
बांसवाड़ा	परि. प्रबन्धक ड्राइवर	नि
जैसलमेर	जूनियर ज्योलोजिस्ट	रेल
हनुमानगढ़	खनि. अभियन्ता	रेल

(295)

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 893 की सूची

उद्योग विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के स्वीकृत एवं रिक्त-पदों का विवरण :

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1-	निदेशक	1	—
2-	अतिरिक्त निदेशक	2	—
3-	संयुक्त निदेशक	12	1
4-	उप निदेशक	29	—
5-	उप निदेशक (तकनीकी)	3	—
6-	प्रोजेक्ट मैनेजर (उप निदेशक वेतनमान में)	8	5
7-	एन्फोर्समेंट आफिसर	1	—
8-	सहायक निदेशक	30	—
9-	प्रोजेक्ट मैनेजर (सहायक निदेशक वेतनमान में)	19	16
10-	सहायक एन्फोर्समेंट आफिसर	1	1
11-	जिला उद्योग अधिकारी	63	11
12-	तकनीकी सहायक	2	—
	योग :	171	33

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	89–90	फोलियो	अतारांकित	अतारांकित
2.	179	1	(श्री गुलाम मुस्तुफा)	(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)
3.	189	फोलियो	स्थगित प्रश्न	अतारांकित प्रश्नोत्तर
4.	198	4	(सांगरिया)	(डुंगरिया)
5.	203	17	डा. हरीसिंह	(डा. हरिसिंह)
6.	219	फोलियो	निपम	नियम
7.	237	फोलियो	अन्तगंत	अन्तर्गत
8.	237	21	मेघवाल	मेघवाल